अष्टम माला, खंड 47, अंक 11

बुधवार, 8 मार्च, 1989

17 फाल्गुन, 1910 (शक)

# लोक सभा वाद-विवाद
# का
# हिन्दी संस्करण

तेरहवां सत्र

(आठवीं लोक सभा)

(खंड 47 में अंक 11 से 20 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य: चार रुपये

[अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा]

# विषय-सूची

अष्टम माला, खंड 47, तेरहवां सत्र, 1989 / 1910 (शक)

अंक 11, बुधवार, 8 मार्च, 1989 / 17 फाल्गुन, 1910 (शक)

| विषय | पृष्ठ |
|---|---|
| **प्रश्नों के मौखिक उत्तर:** | |
| *तारांकित प्रश्न संख्या: 183, 184, 187, 188 और 190 से 192 | 1 – 22 |
| **प्रश्नों के लिखित उत्तर:** | |
| तारांकित प्रश्न संख्या: 185, 186, 189 और 193 से 203 | 22 – 34 |
| अतारांकित प्रश्न संख्या: 1734 से 1780 और 1782 से 1899 | 35-139 |
| **सभा-पटल पर रखे गये पत्र** | 144 |
| **गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति** | 146 |
| 60वां प्रतिवेदन | |
| **लोक लेखा समिति** | 146 |
| 141वां और 142वां प्रतिवेदन | |
| **नियम 377 के अधीन मामले** | 147-151 |
| (एक) संस्कृत भाषा की पढ़ाई को समुचित महत्व दिए जाने तथा बिहार के मिथिला क्षेत्र में संस्कृत के विद्वानों का पता लगाकर उनके पास से लेकर संस्कृत की पुरानी हस्तलिखित पांडुलिपियों का प्रकाशन किए जाने की और संस्कृत विद्वानों की सहायता के लिये बिहार को धनराशि दिये जाने की मांग | |
| डा० गौरी शंकर राजहंस | 147 |
| (दो) "गवर्नमेंट ओपियम एंड एल्कालायड वर्क्स, गाजीपुर (उत्तर प्रदेश) को श्रमिकों के हित में बंद न होने देने और इसका आधुनिकीकरण किये जाने की मांग | |
| श्री जैनुल बशर | 147 |

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी ने पूछा था।

पृष्ठ

(तीन) बंबई में बंद कपड़ा मिलों को पुनः चालू किए जाने तथा भविष्य में ऐसी मिलों को बंद न होने देने के लिए कदम उठाए जाने की मांग

श्री शरद दिघे 148

(चार) उड़ीसा के बोलनगीर और कालाहान्डी जिलों में सूखे की भीषणता का आंकलन किए जाने तथा उपचारात्मक उपायों के बारे में सुझाव देने के लिए वहां एक केन्द्रीय दल भेजे जाने की मांग

श्री नित्यानन्द मिश्र 148

(पांच) उलूबेरिया कस्बे को धंसने से बचाए जाने के लिए उपाय किए जाने की मांग

श्री हन्नान मोल्लाह 149

(छः) प्रस्तावित विजयनगर इस्पात संयंत्र को होसपेट, कर्नाटक में शीघ्र स्थापित किए जाने तथा इसके अतिरिक्त एक ताप संयंत्र स्थापित किए जाने की मांग

श्री० वी० एस० कृष्ण अय्यर 149

(सात) आन्ध्र प्रदेश में किसानों के कष्टों को दूर किए जाने के लिए भारतीय कपास निगम तथा राज्य व्यापार निगम द्वारा वहां क्रमशः कपास और लाल मिर्च की खरीद लाभकारी मूल्यों पर किए जाने की मांग

श्री सी. जंगा रेड्डी 149

(आठ) सूखा प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्य किए जाने के लिए राजस्थान सरकार को वित्तीय सहायता दिए जाने की मांग

श्री वृद्धि चन्द्र जैन 150

(नौ) जालन्धर-होशियारपुर-हमीरपुर-मंडी मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में विकसित किए जाने को मंजूरी दिए जाने की मांग

प्रो० नारायण चन्द पराशर 151

रेल बजट, 1989-90--सामान्य चर्चा 151-161, 161-197, 198-211

श्री वक्कम पुरूषोत्तमन 151
श्री अमर रायप्रधान 153
श्री महावीर प्रसाद 155
श्री गंगा राम 161
डा० कृपासिन्धु भोई 163
श्री बिमल कान्ति घोष 165
श्री एन० वी० एन० सोमू 166
श्रीमती मनोरमा सिंह 168
श्री एच० एन० नन्जे गोडा 170

| | पृष्ठ |
|---|---|
| श्री एन॰ जी॰ रंगा | 172 |
| श्री एम॰ रघुमा रेड्डी | 174 |
| श्री राम प्यारे सुमन | 177 |
| श्री डी॰ पी॰ जदेजा | 179 |
| डा॰ प्रभात कुमार मिश्र | 181 |
| श्री के॰ एस॰ राव | 183 |
| श्री गोकुल सैकिया | 185 |
| श्री कमला प्रसाद सिंह | 187 |
| श्री अरविन्द नेताम | 189 |
| श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया | 191 |
| श्री के॰ पी॰ सिंह देव | 192 |
| श्री एन॰ डेनिस | 194 |
| श्री राम बहादुर सिंह | 196 |
| श्री शिव प्रसाद साहु | 198 |
| श्री एन॰ एल॰ झिकराम | 199 |
| श्री शमिन्दर सिंह | 201 |
| श्री लाल विजय प्रताप सिंह | 202 |
| श्री जगदीश अवस्थी | 203 |
| श्री अब्दुल हन्नान अंसारी | 204 |
| श्री बीरबल | 206 |
| श्री सोमनाथ रथ | 206 |
| श्री महाबीर प्रसाद यादव | 207 |
| श्री आर॰ जीवरत्नम | 209 |
| **राष्ट्रपति के संदेश** | 161 |
| **सरकारी कार्य में परिवर्तन के बारे में वक्तव्य** | 197-198 |
| श्री एच॰ के॰ एल॰ भगत | 197 |
| **आधे घंटे की चर्चा** | 211-223 |
| अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के शोध छात्रों द्वारा हड़ताल | |
| श्री चन्द्र प्रताप नारायण सिंह | 211 |
| श्री राम निवास मिर्धा | 213 |
| श्री वी॰ शोभनाद्रीश्वर राव | 216 |
| श्री शरद दिघे | 217 |
| श्री सोमनाथ रथ | 218 |
| प्रो॰ सैफुद्दीन सोज | 219 |

# लोक सभा

बुधवार, 8 मार्च, 1989/ 17 फाल्गुन, 1910 (शक)

लोक सभा 11 बजे म० पू० पर समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

## प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[हिन्दी]

### गैर-सरकारी भवन निर्माताओं पर दिल्ली विकास प्राधिकरण की बकाया राशि

*183. **श्री काली प्रसाद पांडेय:** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि—

(क) क्या अनेक गैर-सरकारी भवन निर्माताओं द्वारा दिल्ली विकास प्राधिकरण से खरीदी गई भूमि की भारी राशि दिल्ली विकास प्राधिकरण को देय है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे गैर-सरकारी भवन निर्माताओं, प्रत्येक पर बकाया धनराशि और उनके द्वारा प्रस्तुत बैंक गारंटी का ब्यौरा क्या है;

(ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने बकाया धनराशि की वसूली के लिए अब तक क्या कदम उठाए हैं;

(घ) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण का विचार ऐसे गैर-सरकारी भवन निर्माताओं का भूमि आवंटन रद्द करने का है जो भुगतान करने में असफल रहे हैं; यदि नहीं, तो आवंटन रद्द करने के आदेश न देने के क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जांच की है और यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं और उस पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(च) बकाया धनराशि के कब तक वसूल किए जाने की संभावना है;

[अनुवाद]

**शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह):** (क) से (च): एक विवरण सभा पटल रखा गया है।

#### विवरण

कुल मिलाकर ऐसे 12 मामले हैं, एक मामले में बोली निरस्त की गई थी, धरोहर राशि जब्त कर ली गई तथा प्लाट को पुनः आवंटित किया गया था। दो मामलों में पार्टियों द्वारा प्रीमियम का शेष 75 प्रतिशत का भुगतान न करने के कारण बोली को निरस्त करने का निर्णय लिया गया। दोनों ही पार्टियां न्यायालय की शरण में गईं और ये मामले न्यायाधीन हैं। दो और मामले विभिन्न आधारों पर न्यायाधीन हैं। छठे मामले में निर्माता शेष राशि का ब्याज सहित भुगतान करने को तैयार है बशर्ते उसे 1980 में नीलामी के समय दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित शर्तों के अनुसार भवन निर्माण करने की अनुमति दी जाए। लेकिन फरवरी, 1988 में सरकार द्वारा इस मामले में जारी किए गए मार्गनिर्देशनों के अनुसार इन शर्तों पर भवन निर्माण अनुमेय नहीं है। मामले के इस पहलू की दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा निर्माता के साथ जांच की जा रही

है। प्रीमियम की शेष राशि के भुगतान की अन्तिम तारीख में छूट तथा उन शर्तों के मूल प्रश्न पर शेष 6 मामले विचाराधीन हैं जिनपर इस प्रकार की छूट दी जानी चाहिए।

2. लम्बित कुल 11 मामलों में से केवल तीन मामलों में भूमि का कब्जा दिया गया है। इन सभी तीनों मामलों में प्रीमियम का 50 प्रतिशत से अधिक प्राप्त हो गया है तथा ब्याज सहित शेष राशि बैंक गारन्टी समर्थित है।

3. उपर्युक्त परिस्थितियों के अन्तर्गत कोई जांच कराने पर विचार करना आवश्यक नहीं है।

[हिन्दी]

**श्री काली प्रसाद पांडेय:** अध्यक्ष जी, मेरे प्रश्न का जो उत्तर दिया गया है, मैं आपका थोड़ा सा प्रोटैक्शन चाहूंगा, इन्होंने उत्तर में बताया है कि 12 प्रापर्टी डीलरों के यहां बकाया राशि है। आप डी॰ डी॰ ए॰ का मामला जानते हैं, आपको यह जानकर ताज्जुब होगा कि मैसर्स अंसल्स प्रापर्टी डीलर के जिम्मे 18.2.1982 से 8 करोड़ रुपया बकाया है। इसी तरह मैसर्स आनन्द कंस्ट्रक्शंस के जिम्मे 6.6.1982 से 9 करोड़ रुपया बकाया है। इसी तरह दिल्ली टावर के जिम्मे 6.6.1982 से दो करोड़ रुपया बकाया है। टोटल 12 प्रापर्टी डीलरों के पास 15 सालों से बकाया है और सभी में 15-16 करोड़ रुपये से कम कहीं बकाया नहीं है। मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या उनको मालूम है कि जनवरी 21 को इन प्रापर्टी डीलरों और कालोनाइजर्स के यहां आयकर विभाग का छापा पड़ा जिसमें 80 लाख रुपये के बेनामी कागजात पकड़े गये यह कुल राशि 25 करोड़ की है। माननीय मंत्री महोदय ने स्वयं अपने उत्तर में कहा है कि हम 15 सालों में 50 प्रतिशत राशि वसूल कर पाये हैं। क्या माननीय मंन्त्री महोदय बताऐंगे कि दिल्ली विकास प्राधिकरण के उच्चाधिकारियों की एक बैठक बकाया राशि की वसूली के संबंध में 13.3.1983 को हुई थी, जिसमें कमेटी के गठन का निर्णय हुआ, गठित कमेटी ने अपनी सिफारिशें दे दी हैं जिन्हें प्राधिकरण द्वारा भारत सरकार को मंजूरी हेतु भेजा गया है, वे सिफारिशें क्या हैं और उनके सम्बन्ध में क्या निर्णय लिये गये? यदि निर्णय नहीं लिये गये तो उसके क्या कारण हैं?

**अध्यक्ष महोदय:** आपको लेखाकार क्यों नहीं मुकर्रर कर लेते।

**श्री गिरधारी लाल व्यास:** कर लेते तो पैसा वसूल हो जाता।

**अध्यक्ष महोदय:** यही तो मैं कह रहा हूं।

**श्री दलबीर सिंह:** सम्माननीय सदस्य का जो कहना है, इसमें 12 केस हैं। इनमें से एक की 25 परसेण्ट अरनैस्ट मनी थी, उसको हमने फोरफीट किया और दो मामलों में प्रीमियम 75 परसेण्ट उन्होंने जमा नहीं किया था, उनको भी कैन्सिल करने का हमने निर्णय लिया, लेकिन यह दोनों पार्टियां कोर्ट में चली गईं। इसी तरह से दो अन्य पार्टियां अन्य प्रकरणों में कोर्ट में चली गईं और जो माननीय सदस्य ने कहा है तो डी॰ डी॰ ए॰ की जरूर बीच में एक बैठक हुई थी और इसमें निर्णय लिया कि किस तरह से हम इसको सार्ट-आउट करें। हमने हमेशा इसमें प्रयत्न किया कि पैसा क्यों फंसा रहे। इसमें और भी 6 केसेज हैं उनका जो प्रीमियम बकाया है या जो भुगतान की राशि है उसमें किस तरह से छूट दी जा सकती है, इसपर भी विचार हो रहा है। मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम इसको जल्दी से जल्दी सार्ट-आउट करेंगे।

**श्री काली प्रसाद पांडेय:** अध्यक्ष जी, मुझे मन्त्री जी का उत्तर सुनकर बड़ा ताज्जुब हुआ। मैंने बड़ी उम्मीद के साथ क्वैश्चन किया था लेकिन मन्त्री जी ने कितने साफ तरीके से इस सदन को गुमराह किया है जिससे मैं स्वयं ताज्जुब में हूं। मैंने स्पष्ट रूप से जानना चाहा था कि यह राशि कितनी थी और अभी तक कितनी राशि की वसूली की गई, जिसका उत्तर नहीं आया।

मेरा सेकेन्ड सप्लीमेन्टरी। आपको ताज्जुब होगा कि डी.डी.ए.द्वारा मात्र 10 हजार एल.आई.जी.मकान बनाकर हुडको को दिए गए। आपको इससे भी बड़ा ताज्जुब होगा यह जानकर — मैं एक ऐसा डाक्यूमेन्ट रखना चाहता हूं कि 7-6-1988 को श्री मेवा राम आर्य, कौंसिलर के प्रश्न के आलोक में उपराज्यपाल द्वारा यह बताया गया कि कितना बड़ा घोटाला हुआ जोकि शुरुआत में ही सी.बी.आई.के पास चला जाना चाहिए था, तो जब यह घोटाला आपकी नालेज में था तो क्या आप हमें बतायेंगे कि न्यायालय में प्रापर्टी डीलर्स कब गए, उसकी तारीख क्या है? और क्या यह बात सही है कि जब श्री मेवा राम आर्य ने क्वैश्चन किया और उपराज्यपाल का जवाब आया जिसमें 25 करोड़ का घोटाला पकड़ा गया तब उसके बाद ये लोग न्यायालय की शरण लिए? यह बात सही है या नहीं?

**अध्यक्ष महोदय:** एक नये शब्द का अविर्भाव हुआ है। घोटाला तो सुना था, घटोला आज तक नहीं सुना।

**श्री दलबीर सिंह:** माननीय सदस्य ने पहले एमाउन्ट पूछा था तो 34.31 करोड़ जिसमें प्रीमियम 15.50 करोड़ रुपये आ चुका है और जो हमें लेना है वह लगभग 25.99 करोड़ है। माननीय सदस्य का हुडको से संबंधित प्रश्न सेप्रेट क्वैश्चन है उसके लिये यदि अलग क्वैश्चन करेंगे तो उत्तर दिया जायेगा।

**श्री काली प्रसाद पांडेय:** अध्यक्ष जी, मुझे आपकी प्रोटेक्शन चाहिए मैं नया सदस्य हूं। मैंने स्पष्ट रूप से पूछा था कि उस जवाब के बाद वे न्यायालय में गए या उससे पहले न्यायालय में गए थे।

**अध्यक्ष महोदय:** पांडे जी, मैं आपकी एक बात से सहमत नहीं हूं। अगर चार साल के बाद भी आप नये हैं तो पुराने कब होंगे।

**श्री काली प्रसाद पांडेय** मैं मन्त्री जी से इतना ही जानना चाहता हूं....

**अध्यक्ष महोदय:** आप दूसरा सवाल दीजिए, मैं उत्तर दिलवा दूंगा।

**श्री काली प्रसाद पांडेय:** अदालत में पहले गए या बाद में— जानना चाहता हूं।

**अध्यक्ष महोदय:** इसका भी जवाब दिला दूंगा।

**श्री राम सिंह यादव:** अध्यक्ष जी, डी.डी.ए.ने किसानों की जो जमीन एलाट की है उस जमीन का अभी तक पिछले 15 साल से लेकर 20 साल की अवधि में भुगतान नहीं किया गया है और उस जमीन का भाव आज 50 हजार, 1 लाख या 2 लाख प्रति बीघे हो गया है। आपने किसानों को पैसा नहीं दिया है, केवल जो प्रापर्टी डीलर्स हैं उन्होंने उसका फायदा उठाया है तो इस बात को मुद्दे नजर रखते हुए, जो भी किसानों की बकाया राशि है, उसका भुगतान क्या आप आज के रेट पर करेंगे?

**[अनुवाद]**

**श्री दलबीर सिंह:** यह एकदम भिन्न प्रश्न है और यह इस प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है।

**श्री चिरंजी लाल शर्मा:** क्या माननीय मंत्री सभा को यह बताएंगे कि निजी मकान-निर्माताओं को जमीन आबंटित करने के क्या मानदंड हैं और क्या यह सत्य है कि संसद सदस्यों द्वारा सदस्य के रूप में एक सहकारी समिति दर्ज की गई थी उन्हें जमीन वितरित की गई थी तथा समिति के पक्ष इसे बेचा गया था, धनराशि ले ली गई थी जमीन का कब्जा दे दिया गया था परन्तु वहां पर निर्माण के लिए अनुमति नहीं दी गई थी? मैं इस बारे में विस्तृत जानकारी चाहता हूं।

**[हिन्दी]**

**श्री दलबीर सिंह:** अध्यक्ष महोदय, मैं सम्माननीय सदस्य से प्रार्थना करता हूं कि वे एक सैप्रेट क्वैश्चन दें। इसका इससे कोई संबंध नहीं है। (व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय:** बात तो सही है। जो संबंधित क्वैश्चन हों, वही किया करें।

(**व्यवधान**)

**[अनुवाद]**

**श्री भद्रेश्वर तांती:** महोदय, दिल्ली विकास प्राधिकरण निजी प्रापर्टी डीलरों के साथ सांठ गांठ कर रहा है और वे अत्यधिक पैसा कमा रहे हैं। वास्तविक मामलों में भी दिल्ली विकास प्राधिकरण ने अभी तक दावों को नहीं निपटाया है। (**व्यवधान**)

**[हिन्दी]**

**अध्यक्ष महोदय:** तांती जी की बात कुछ जंचती है।

(**व्यवधान**)

**[अनुवाद]**

**श्री चिरंजी लाल शर्मा:** महोदय, ये प्रश्न शहरी विकास मंत्रालय से संबंधित हैं। ये प्रश्न जमीन आवंटित करने, निर्माण हेतु जमीन खरीदने से संबंधित है। क्या हम हर मुद्दे पर अलग से प्रश्न करें? माननीय मंत्री को अस्पष्ट उत्तर देने की बजाय ठोस उत्तर देने चाहिएं।

**[हिन्दी]**

**अध्यक्ष महोदय:** उनके पास इस वक्त इनफार्मेशन नहीं होगी, फिर वे आपको दे देंगे।

(**व्यवधान**)

**अध्यक्ष महोदय:** मैंने तो कहा है। मैं आपकी बात से सहमत हूं। होना चाहिए। अब इसको पैकअप ही कर दो, तो अच्छा है

(**व्यवधान**)

**[अनुवाद]**

**प्रो० मधु दंडवते:** यह तो अच्छा है कि संसद भवन का निर्माण दिल्ली विकास प्राधिकरण ने नहीं किया।

**[हिन्दी]**

**अध्यक्ष महोदय:** शुरू कीजिए, बैठे हो नीचे।

(**व्यवधान**)

**[हिन्दी]**

## पुराने कपड़ों का आयात

*184. **चौधरी अख्तर हसन:** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा किन-किन देशों से पुराने कपड़ों का आयात किया जा रहा है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इन कपड़ों से भयंकर रोगों के फैलने का खतरा पैदा हो सकता है; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाने का विचार है?

[अनुवाद]

**वस्त्र मंत्री तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा):** (क) से (ग) एक विवरण-पत्र सभा पटल पर रख दिया गया है।

**विवरण**

(क) सरकार पुराने कपड़ों का आयात नहीं करती है। फिर भी, पात्र आयातकों को खुले सामान्य लाइसेंस के अंतर्गत ऊनी/संश्लिष्ट पुराने कपड़ों के आयात की अनुमति दी जाती है। आयात मुख्यतः यू॰ एस॰ ए॰, यू॰ के॰, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, बेल्जियम, हालैंड, पश्चिम जर्मनी, जापान, इटली तथा आस्ट्रेलिया से किया जाता है।

(ख) जी हां।

(ग) भारतीय पत्तन स्वास्थ्य नियम, 1955 के अंतर्गत सीमाशुल्क विभाग द्वारा पुराने कपड़ों की खेप की कोई निकासी नहीं की जा सकती, जब तक कि प्रेषक पत्तन के लिए या भारत में आवक पत्तन के लिए म्यूनिसिपल स्वास्थ्य प्राधिकरण या सरकार की ओर से निःसंक्रामक प्रमाण-पत्र प्रस्तुत न किया जाए।

[हिन्दी]

**चौधरी अख्तर हसन:** माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने मेरे प्रश्न के "क" भाग के जवाब मे बताया है कि दस देशों से पुराने कपड़े आयात करते हैं और "ख" से जवाब में इन्होंने स्पष्ट किया है कि इनसे रोग लगते हैं और बहुत से गंभीर रोग लगते हैं। जैसे गन्नोरिया, सैफलिश, एड्स, वनोरियल, लेडिस, स्केबीज और रिंगवार्म आदि ऐसे-ऐसे खतरनाक रोग लगते हैं। मंत्री महोदय ने यह भी बताया है कि वित्त मंत्रालय से इनको लेने की इजाजत भी नहीं ली जाती है। जब देश का इतना नुकसान होता है, दूसरे देशों से इतने रोग लगते हैं, मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं, क्या वे इसको बैन करेंगे?

**श्री राम निवास मिर्धा:** अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने पूछा है कि जो पुराने कपड़े आते हैं, क्या उनके साथ रोग आ सकते हैं या नहीं आ सकते हैं? हमने कहा है कि हां आ सकते हैं। फिर पूछा है कि उसके बारे मे क्या कर रहे हैं? हमारे यहां जो नियम हैं इंडियन पोर्ट हैल्थ रूल्स, 1955 के अंतर्गत जो भी पुराने कपड़े आते हैं, जिस देश से आते हैं, वहां के स्वास्थ्य अधिकारी से उनको सर्टिफिकेट लेना पड़ता है कि इनको डिसइन्फैक्ट कर दिया गया है। अगर सर्टिफिकेट नहीं होता है तो उन गांठों को यहां पर खोला जाता है। फिर हमारे यहां के जो स्वास्थ्य अधिकारी होते हैं, वे उनको अच्छी तरह से डिसइन्फेक्ट करते हैं, तब फिर अपने देश के अंदर आने की इजाजत दी जाती है।

**चौधरी अख्तर हसन:** अध्यक्ष जी, मंत्री जी ने कहा है कि इनसे रोग लगता है और हमारे यहां के डाक्टर लोग भी कहते हैं, तो वे लोग कैसे सर्टिफिकेट दाखिल करते हैं। इसके अलावा मुझे यह भी कहना है कि पुराने कपड़ों के साथ-साथ नए कपड़े भी आते हैं। मंत्री महोदय को इस बात की जानकारी है या नहीं, कि बाहर के नए और पुराने कपड़े आने से यहां के कपड़ा कारखानों की हालत बहुत खराब होती जा रही है। इस वजह से लोगों की जान और माल की हिफाजत के लिए बाहर से आने वाले नये और पुराने कपड़ों के आयात पर बैन लगाना बहुत जरूरी है।

**श्री राम निवास मिर्धा:** पुराने कपड़ों के लिए जैसा मैंने निवेदन किया, उनको डिसइन्फैक्ट करने के बाद कोई रोग नहीं हो सकता। यह हमारा नियम है और डिसइन्फैक्ट करने के बाद जो कपड़ा आता है, कोई शिकायत हमारे पास नहीं आई है कि उस से कुछ हुआ है। जो नियम हैं, उन के मुताबिक वहां से सर्टीफिकेट लेना पड़ता है और वहां का सर्टीफिकेट यदि नहीं है, तो हमारे यहां के अधिकारी, इस की काफी लंबी प्रक्रिया है, इस तरह से उस को डिसइन्फेक्ट करते हैं कि उस में रोग नहीं होगा।

माननीय सदस्य ने यह भी कहा है कि जो नये कपड़े आते हैं, उन पर रोक लगाई जाए क्योंकि यहां

पर बाहर से कपड़ा आने पर यहां के मिलों को नुकसान होता है। यह दूसरा सवाल है लेकिन मैं आप की आज्ञा से इस का उत्तर देना चाहूंगा। कपड़े का आयात बहुत सीमित मात्रा में है। यह एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए एडवान्स लाइसेंसिंग के मार्फत होता है। जो कपड़ा बाहर से आता है, उस से हमारे उद्योग को खतरा है, मैं बताना चाहता हूं कि ऐसी कोई स्थिति नहीं है।

**श्री बनवारी लाल पुरोहित:** उन का कहना यह है कि पुराने कपड़े के साथ नया कपड़ा भी आता है।

**श्री राम निवास मिर्धा:** पुराना कपड़ा तो कुछ रुपये किलो पर आता है। इसलिए नये कपड़ों का इन के साथ आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इस तरह की कोई चीज़ हमारे सामने नहीं आई कि पुराने कपड़ों के साथ नया कपड़ा आया है।

[अनुवाद]

**श्री सोमनाथ रथ:** इस मामले में तीन समस्याएं निहित हैं । एक तो यह है कि फटे पुराने कपड़े आयात करना जो कि हमारे देश की शान के खिलाफ है । दूसरा, जैसा कि मंत्री महोदय ने कहा है यह स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक हो सकते हैं । तीसरे, फटे पुराने कपड़ों के नाम पर नए कपड़े भी आयात किए जाते हैं । ऐसी परिस्थितियों में, मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि क्या फटे पुराने कपड़ों के आयात पर ही पूर्णतया रोक लगाई जाएगी ।

**श्री राम निवास मिर्धा:** मैं इस बारे में थोड़ा स्पष्ट करना चाहूंगा कि ये फटे पुराने कपड़े क्यों आयात किये जाते हैं और वे कैसी स्थिति में यहां आते हैं । पहले तो वे पुराने कपड़े से प्राप्त रेशे से कपड़ा बनाने वाले उद्योग के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त किये जाते हैं अर्थात् उन्हें रेशे में तब्दील करके कम्बल तथा सस्ते ऊनी वस्त्र बनाए जाते हैं। अतः माननीय सदस्य का यह कहना कि ये फटे वस्त्र सिले सिलाए वस्त्रों के रूप में आते हैं, ठीक नहीं है। एक और प्रावधान यह है कि उन्हें इस तरह से काटा जाए कि उन्हें सिले हुए कपड़ों, वस्त्रों के रूप में उपयोग में न लाया जा सके। इस प्रकार यह अत्यंत सख्त पाबन्दी है कि उनके आगमन से पूर्व उन्हें बिगाड़ दिया जाए। बिगाड़ने की भी एक प्रक्रिया है और कस्टम विभाग यह सुनिश्चित करता है कि वे बिगड़ी हुई अवस्था में आएं। अतः यह समस्या कि उन्हें वस्त्रों के रूप में उपयोग किया जा सकता है, विद्यमान नहीं है।

[हिन्दी]

## बंधुआ मजदूर

*187. **श्री दिलीप सिंह भूरिया :**
**श्री वी० एस० विजयराघवन :**

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान राज्य वार, कितने बंधुआ मजदूरों को मुक्त किया गया; और

(ख) इनमें से अब तक कितने मजदूरों को बसाया गया है?

[अनुवाद]

**श्रम मंत्रालय में उप मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री राधा किशन मालवीय):** (क) और (ख) संबंधित राज्य सरकारों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, वर्ष 1986-87 1987-88 तथा 1988-89 (जनवरी, 1989) के दौरान पता लगाए गए तथा पुनर्वासित किए गए बंधुआ श्रमिकों की संख्या दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। इस अवधि के दौरान पुनर्वासित किए

गए बंधुआ श्रमिकों में वे बंधुआ श्रमिक शामिल है जिनका पता संबंधित राज्य सरकारों ने पहले के वर्षों में भी लगाया था।

**विवरण**

| क्रमांक | राज्य का नाम | उन बंधुआ श्रमिकों की संख्या | |
|---|---|---|---|
| | | जिनका 1986-87, 1987-88 और 1988-89 (जनवरी, 1989 तक) के दौरान पता लगाया गया | जिन्हे 1986-87, 1987-88 और 1988-89 (जनवरी, 1989 तक) के दौरान पुनर्वासित किया गया |
| 1. | आन्ध्र प्रदेश | 10,639 | 7,587 |
| 2. | बिहार | 4,817* | 1,113 |
| 3. | कर्नाटक | शून्य | 17,792** |
| 4. | केरल | 6,134 | शून्य |
| 5. | मध्य प्रदेश | 248 | 2,909 |
| 6. | महाराष्ट्र | 6,176 | 288 |
| 7. | उड़ीसा | 278 | 12,367 |
| 8. | राजस्थान | 4,741 | 554 |
| 9. | तमिलनाडु | 7,778 | 1,517 |
| 10. | उत्तर प्रदेश | शून्य | 3,720 |
| 11. | गुजरात | 128 | शून्य |
| 12. | हरियाणा | | शून्य*** |

* इसमें उच्चतम न्यायालय के निर्देश अनुसार पता लगाए गए 2662 बंधुआ श्रमिक शामिल है। इन बंधुआ श्रमिकों के लिए पुनर्वासन योजनाओं को उच्चतम न्यायालय द्वारा अपने निर्देशानुसार स्वीकृत किये जाने की आवश्यकता है।

** उन्होंने 1986-87 से पहले पता लगाए गए बंधुआ श्रमिकों में से पिछले तीन वर्षों के दौरान 17,792 बंधुआ श्रमिकों का पुनर्वास किया है।

*** पता लगाए गए सभी 128 बंधुआ श्रमिकों को अपने मूल राज्यों में उनके पुनर्वास हेतु वापस भेजा गया था।

[हिन्दी]

**श्री दिलीप सिंह भूरिया:** अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने अपने स्टेटमेंट में भिन्न भिन्न राज्यों में बंधुआ मज़दूर, जोकि मुक्त कराए गये, की संख्या बताई है और यह भी बताया गया है कि 17,792 बंधुआ मज़दूरों का पुनर्वास किया गया है। हमारे देश की यह बहुत गंभीर समस्या है। अध्यक्ष महोदय, आप जानते है और सरकार की पूरी मंशा है कि बंधुआ मज़दूरों को जल्दी से जल्दी लाभ मिले परन्तु मौके पर और ही चीज़ होती है। मै मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि बंधुआ मज़दूर, जिन को लोगों से छुड़ाया गया, वे कितने लोग है जिनके खिलाफ कार्यवाही की गयी है ? क्यों इस कानून पर अमल नहीं होता है? यह बुराई दिनों-दिन बढ़ती जा रही है। वे कितने लोग और कौन लोग थे जिनके खिलाफ कार्यवाही की गयी और क्या कार्यवाही की गयी, यह मै मंत्री जी से जानना चाहता हूं।

**श्रम मंत्री (श्री बिन्देश्वरी दुबे)** : अध्यक्ष जी..........

[अनुवाद]

**श्री अजित कुमार साहा** : महोदय, नए मंत्री कौन हैं ? उन्होंने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया है।

(**व्यवधान**)

**श्री हन्नान मोल्लाह** : श्री सीताराम केसरी ने यह वक्तव्य दिया है कि बिहार से केन्द्रीय मंत्रिमंडल में सभी मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया है। (**व्यवधान**)

[हिन्दी]

**अध्यक्ष महोदय** : आप मेम्बर आफ पार्लियामेंट हैं। ऐसी बात क्यों करते हैं? आप क्या बातें कर रहे हैं। कितना भद्दा लगता है।

[अनुवाद]

इस्तीफा देने या इस्तीफा मंजूर होने के बाद कोई कैसे उत्तर दे सकता है?

**एक माननीय सदस्य** : महोदय, इससे किसी ने इंकार नहीं किया है।

**अध्यक्ष महोदय** :कोई इंकार क्यों करे?

**श्री सुरेश कुरुप** : उन्हें इंकार करने दो।

**अध्यक्ष महोदय** : वह इंकार क्यों करें ? अधिक चालाकी मत दिखाइए।

(**व्यवधान**)

**अध्यक्ष महोदय** : इसमें कुछ नहीं है। जब उन्होंने इस्तीफा दे दिया है तो इस्तीफा मंजूर होने के बाद वह यहां नहीं बैठेंगे। यह तो सीधी सी बात है। हमें दखलदांजी नहीं करनी चाहिए। सभा जानती है कि वह अभी भी भारसाधक मंत्री हैं और मैं उन्हें प्रश्न का उत्तर देने का अधिकार देता हूं। जब वह मंत्री नहीं होंगे तो मैं उन्हें उत्तर देने की अनुमति नहीं दूंगा।

**श्री बिन्देश्वरी दुबे** : माननीय सदस्य इस्तीफे की औपचारिकता नहीं जानते हैं। मैंने पार्टी अध्यक्ष को अपना इस्तीफा देने की मंशा से एक पत्र दिया है। यदि पार्टी अध्यक्ष इस्तीफे का पत्र भेज देते हैं और यह स्वीकार कर लिया जाता है तब यह औपचारिकता पूर्ण हो जाती है। मैं अभी भी मंत्री हूं। (**व्यवधान**)

**अध्यक्ष महोदय**: कृपया व्यवस्था बनाये रखिए।

(**व्यवधान**)

**अध्यक्ष महोदय**: श्री बिन्देश्वरी जी, आप प्रश्न का उत्तर दीजिए। किसी अप्रांसगिक प्रश्न का उत्तर मत दीजिए।

**प्रो० मधु दंडवते** : मंत्री महोदय पूर्ण रूप से सही हैं। उन्होंने पार्टी अध्यक्ष को अपना इस्तीफे का पत्र भेजा है, राष्ट्रपति को नहीं भेजा है। वह अत्यन्त बुद्धिमान हैं। मैं उनकी प्रशंसा करता हूं।

[हिन्दी]

**अध्यक्ष महोदय** : आप भी दिया करते हैं। क्या फर्क पड़ता, जब तक की एक्सेप्ट नहीं हो जाता। कभी कभी हो जाता है। आप इस फर्क को समझते हैं।

**श्री बिन्देश्वरी दुबे** : दंडवते जी इस फर्क को समझते हैं।

**अध्यक्ष महोदय** : आप इनसे बात कर रहे हैं। आप अपनी बात कहें।

[अनुवाद]

प्रश्न का उत्तर दीजिए।

**श्री दिनेश गोस्वामी** : हम चाहते हैं कि वे अपना उत्तर जारी रखें। (**व्यवधान**)

[हिन्दी]

**श्री बिन्देश्वरी दुबे:** अध्यक्ष जी, 2 लाख 35 हजार 670 बोण्डेड लेबर को आएडेन्टीफाई किया गया है। इनमें से 2 लाख 1 हजार 971 लोगों को रिहेबिलीटेट किया जा चुका है। इनमें से 33 हजार 679 लोग बाकी हैं जिनका अभी रिहेबिलिटेशन नहीं हुआ है । 19 हजार 84 लोगों के लिए 88-89 वर्ष का टारगेट बन चुका है। 14 हजार बोण्डेड लेबर बाकी हैं। इनके संबंध में कंट्रोवर्सी है। आन्ध्र प्रदेश में 7 हजार 400 ऐसे बोण्डेड लेबर हैं जिनका 87-88 की क्वाटरली रिपोर्ट के साथ मेल नहीं खाता है। उसी वक्त ये बातें न्यूज-पेपर में शाया हुई थीं कि फेक आएडेन्टीफिकेशन हो रहा है। इसलिए स्टेट गवर्नमेंट को फिर से वैरीफाई करने के लिए कहा गया है। स्टेट गवर्नमेंट्स से यह भी पूछा गया है कि जिन लोगों का आएडेन्टीफिकेशन हुआ है उन लोगों का प्रोसीक्युशन क्यों नहीं हुआ । यह बात सही है कि जितने लोगों का आएडेन्टीफिकेशन हुआ है, उन सारे लोगों का प्रोसीक्युशन नहीं हुआ है । मैंने सभी चीफ मिनिस्टरों और लेबर मिनिस्टरों को चिट्ठी लिखी है कि सारी स्टेट्स में आएडेन्टीफिकेशन के साथ साथ जो लोग बोण्डेड लेबर रखने के दोषी हैं उनका प्रोसीक्युशन भी होना चाहिए।

**श्री दिलीप सिंह भूरिया:** अध्यक्ष जी, प्रोसीक्युशन के साथ साथ सजा भी होनी चाहिए। हमारे समाज में यह बुराई है और यह हमारे देश में बढ़ती जा रही है। हमारी सरकार को बोण्डेड लेबर की मदद करने की मंशा है। कितने लोग ऐसे हैं जिनका कि प्रोसीक्युशन होना चाहिए। हमने संसद में कानून बनाया है लेकिन फिर भी कुछ नहीं होता है। इन्होंने कहा है कि पुनर्वास के लिए उच्चतम न्यायलय द्वारा निर्देशानुसार स्वीकृति दिया जाना आवश्यक है। मैं समझता हूं कि ऐसी कौन की नीति है जो उच्चतम न्यायलय में पैंडिंग पड़ी है, इसके लिए सरकार ने क्या प्रयास किया है। अगर पुर्नवास की बात है तो पुर्नवास के लिए जल्दी से जल्दी सरकार को नीति बनानी चाहिए इस बारे में क्या योजना है, यह मैं जानना चाहता हूं।

**श्री बिन्देश्वरी दुबे:** अध्यक्ष महोदय, सारी स्टेट्स के संबंध में उच्चतम न्यायलय में केस पैंडिंग नहीं है, बिहार के संबंध में एक वालेंटरी आर्गानाइजेशन ने डी आर 87 में एक पिटीशन दी कि दुमका और देवगढ़ जिलों में कुछ बंधुआ मजदूर हैं जिनका आइडिंएटीफिकेशन नहीं हुआ है । सुप्रीम कोर्ट ने कमिश्नर वैलफेयर डिपार्टमेंट, श्री के॰ वी॰ सक्सेना को आदेश दिया कि एक टीम भेज कर आइडिंएटीफिकेशन कराया जाए। वहां पर टीम भेजकर 2642 लोगों का आइडिंएटीफिकेशन कराया गया, लेकिन कीपर्स की नाम और डीटेल्स वगैरह उसमें नहीं थे। स्टेट गर्वनमेंट ने कोर्ट में कांटेस्ट किया और कहा कि जो रेगुलर प्रोसीजर है, डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेट के माध्यम से या मेजिस्ट्रेट द्वारा अथराइज्ड आफिसर्स के माध्यम से यह नहीं हुआ है, एक टीम भेजी गई और उसने बिना पूरे डीटेल्स के लिखकर दे दिया। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने ''कपाट'' नामक आर्गनाइजेशन को रीहेब्लीटेशन के लिए दिया। इस बीच में राज्य सरकार ने तीन हजार रुपये दिए हैं और सुप्रीम कोर्ट ने जो रीहेब्लीटेशन पैकेज बनाया है, उसको चैकअप के लिए 15 मार्च की डेट पड़ी है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इसका निष्पादन हो जाएगा।

[अनुवाद]

**डा॰ प्रभात कुमार मिश्र** : सभापटल पर रखा गया उत्तर ही विरोधाभास युक्त है। उत्तर में कहा गया है कि 1986-87 और 1987-88 में उड़ीसा में 6176 बंधुआ मजदूर थे जबकि इसी अवधि में 12367 मजदूरों का पुनर्वास किया गया। यह कैसे संभव है ? बंधुआ मजदूरों की संख्या यह नहीं थी जिनका पुनर्वास किया गया। अब यदि आप मध्य प्रदेश के आंकड़े देखें तो बंधुआ मजदूरों की संख्या अधिक है और पुनर्वास बहुत कम मजदूरों का हुआ है।

*[हिन्दी]*

**श्री बिन्देश्वरी दुबे:** *अध्यक्ष महोदय, स्टेटमेंट के फुटनोट में लिखा हुआ है कि टोटल नंबर आफ रीहेब्लीटेशन आफ बाउंडेड लेबरर, इसमें कुछ पहले के आईडिएंटीफाइड लोगों का भी रीहेब्लीटेशन हुआ है, इसलिए यह संख्या ज्यादा है।*

**[अनुवाद]**

**श्री अमर राय प्रधान :** महोदय, हमारे पास 1986-87, 1987-88 और 1988-89 में पता लगाए गए बंधुआ मजदूरों के आंकड़े हैं, लेकिन मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि इनमें से कितनों को इस अवधि के दौरान पुनर्वासित किया गया।

**श्री बिन्देश्वरी दुबे:** मैं यह एकदम सही नहीं बता सकता कि इस अवधि में कितने बंधुआ मजदूरों को पुनर्वासित किया गया क्योंकि आंकड़ों में पीछे की उपलब्धि से संबंधित आंकड़े भी सम्मिलित हैं। इस समय मैं यही कह सकता हूं कि जो भी संख्या पुनर्वास हेतु बची हुई है और जिसका अब तक पता लगाया जा चुका है, हम 1989-90 के लक्ष्य तैयार कर रहे हैं और मैं समझता हूं कि हम सभी बंधुआ मजदूरों को पुनर्वासित कर सकेंगे।

## न्यूनतम मजदूरी अधिनियम में संशोधन

*188. **श्री एम॰ वी॰ चन्द्रशेखर मूर्ति :**
**श्री वी॰ श्रीनिवास प्रसाद :**

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार राज्य सरकारों क परामर्श से न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 में संशोधन करने का है;

(ख) क्या गत कुछ महीनों के दौरान राज्य के श्रम मंत्रियों के साथ कोई बैठक आयोजित की गई थी, यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) इस संबंध में कब तक कानून बनाए जाने की संभावना है?

**श्रम मंत्रालय में उप मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री राधा किशन मालवीय)**': (क) जी, हां।

(ख) और (ग) 7 नवम्बर, 1988 को हुए श्रम मंत्री सम्मलेन के 37 वें अधिवेशन में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 में संशोधन किए जाने के प्रस्तावों पर विचार किया गया । ये प्रस्ताव मुख्यतः (क) शास्तियों में वृद्धि, (ख) खिन्न कर्मचारी, पंजीकृत स्वैच्छिक संगठनों या पंजीकृत ट्रेड यूनियनों को सीधे न्यायालय में जाने के लिए प्रावधान, (ग) अंतरिम राहत तथा दावा कार्यवाहियों के लम्बित रहने के दौरान सेवा समाप्ति, बर्खास्तगी आदि से संरक्षण, और (घ) उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से परिवर्ती घटक को सम्बद्ध किए बिना मजदूरी संशोधन की बारंबारता में कमी से संबंधित हैं । इन प्रस्तावों को अंतिम रूप दिये जाते ही संशोधन विधेयक लाया जाएगा।

**श्री एम॰ वी॰ चन्द्रशेखर मूर्ति :** अध्यक्ष महोदय, हमें खुशी है कि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 में संशोधन करने के लिए सरकार कार्यवाही कर रही है। आप मुझसे सहमत होंगे कि यदि अधिनियम में संशोधन कर भी दिया जाता है और यदि इसे पूर्णतया लागू नहीं किया जाता है तो यह व्यर्थ है । इसे देखते हुए मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि वे कौन से विशेष उपाय तथा प्रस्ताव हैं जिन्हें अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु सरकार लाना चाहती है ?

**श्रम मंत्री (श्री बिन्देश्वरी दुबे): यह सच है कि कार्यान्वयन का कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण है। कानून तो है लेकिन जब तक इसे सख्ती से लागू नहीं किया जाता और इसे सर्वसम्मति प्राप्त नहीं हो जाती तब तक इसका कोई अर्थ नहीं है। लेकिन जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं कि कार्यान्वयन प्रशासन राज्य सरकार है अतः यह राज्य सरकार का दायित्व है कि वह न्यूनतम मजदूरी अधिनियम को लागू करे।**

**हमने पाया कि लागू करने में कुछ कठिनाईयां हैं । अतः हमने अधिनियम में संशोधन करने का प्रस्ताव किया है । प्रस्तावित संशोधन के अन्तर्गत और अधिक सख्त सजा की व्यवस्था है तथा व्यथित व्यक्ति या ट्रेड यूनियन या सामाजिक संगठन निरीक्षक या प्राधिकृत अधिकारी की मंजूरी लिए बगैर ही दावा दायर कर सकता है । इस अवधि के दौरान जब दावे की याचिका पर सुनवाई हो रही होती है तो श्रमिकों को सख्ती से बचाने के लिए एक ऐसा प्रस्ताव है कि कोई नियोक्ता याचिका दायर करने वाले व्यथित श्रमिक को बर्खास्त अथवा सेवामुक्त नहीं करेगा।**

**एक ऐसा भी प्रस्ताव है कि दावे की राशि का 50 प्रतिशत जमा कर दिया जाएगा । अदालत इसका निर्देश दे सकती है और यह निर्देश देगी कि दावे की 50 प्रतिशत राशि जमा कर दी जाए जिसे संबंधित श्रमिक को दिया जाएगा। जब यह प्रस्ताव लागू हो जाएगा तो ये सुरक्षात्मक उपाय उपलब्ध होंगे।**

**श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति** : हाल ही में श्रम मंत्रियों के सम्मेलन में जिन प्रस्तावों पर विचार किया गया था वे ज्यादातर संगठित श्रमिकों से संबंधित थे । ग्रामीण क्षेत्रों में, ज्यादातर ग्रामीण श्रमिक आबादी असंगठित है। इसे देखते हुए मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि असंगठित ग्रामीण श्रमिक आबादी के हितों की सुरक्षा के लिए सरकार ने कौन से उपाय सुझाए हैं ?

मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इसके लिए तैयार है कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से जोड़े न्यूनतम मजदूरी को प्रति वर्ष संशोधित किया जाए।

**श्री बिन्देश्वरी दुबे:** महोदय, पिछले श्रम मंत्रियों के सम्मेलन में जिन प्रस्तावों पर विचार हुआ था उनमें से अधिकतर असंगठित श्रमिकों से संबंधित थे। मैंने अभी अभी जिन रक्षापायों के बारे में बताया है, और जिनमें संशोधन करने का प्रस्ताव है, वह अंसगठित श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए हैं।

न्यूनतम मजदूरी में संशोधन करने के प्रश्न पर भी विचार किया गया था। वर्तमान अधिनियम के तहत, मजदूरी में संशोधन 5 वर्ष के अंतराल पर किया जा सकता है। अब हम इसे कम करके 2 वर्ष करने जा रहे है अथवा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में 50 अंक बढ़ाने का प्रस्ताव रख रहे हैं।

**प्रो० एन० जी० रंगा:** मेरे माननीय मित्र इस तरह के विधान के माध्यम से असंगठित श्रमिकों को सुरक्षा प्रदान करने की आवश्यकता से सहमत हैं। सांविधिक रूप से लागू किये जाने वाली न्यूनतम मजदूरी के अतिरिक्त, इसे संगठित श्रमिक संघों, सलाहकारों, सामाजिक कार्यकर्त्ताओं आदि की सहायता से भी लागू किया जा सकता है। इसे ध्यान में रखते हुए, क्या सरकार हर राज्य में परम काल्पनिक न्यूनतम मजदूरी की घोषणा करने के औचित्य पर विचार करेगी जिसे उस समय लागू किया जा सके जब श्रमिक स्वंय इसके लिए

| राज्य | हड़ताल | | तालाबंदी | | कुल | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| उत्तर प्रदेश | 1 | " | 0 | " | 1 | " |
| पश्चिम बंगाल | 10 | 29 | 0 | 130 | 10 | 159 |
| अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| अरूणाचल प्रदेश | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *0 |
| चंडीगढ़ | 1 | " | 0 | " | 1 | " |
| दादर और नागर हवेली | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| दिल्ली | 0 | " | 0 | " | 0 | " |
| गोवा, दमन और द्वीप | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 12 |
| लक्ष्यद्वीप | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| मिजोरम | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| पांडिचेरी | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| अखिल भारत | 289 | 735 | 47 | 291 | 336 | 1,026 |

* — सूचना केवल 17 जनवरी, 1989 तक श्रम ब्यूरों में प्राप्त हुई विवरणियों पर आधारित है।
क — केन्द्रीय क्षेत्र।
ख — राज्य क्षेत्र।

## विवरण -2

वर्ष 1988* के दौरान केन्द्रीय क्षेत्र में की गई कार्रवाई और निपटाए गए विवादों की संख्या।

| राज्य | की गई कार्रवाई की संख्या | निपटाए गए विवादों की संख्या |
|---|---|---|
| आन्ध्र प्रदेश | 770 | 377 |
| असम | 125 | 76 |
| बिहार | 2,678 | 1,395 |
| दिल्ली | 414 | 154 |
| गुजरात | 291 | 123 |
| पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ | 1,072 | 315 |

| राज्य | की गई कार्रवाई की संख्या | निपटाए गए विवादों की संख्या |
|---|---|---|
| कर्नाटक | 468 | 214 |
| केरल | 344 | 193 |
| मध्य प्रदेश | 1,287 | 618 |
| महाराष्ट्र और गोवा | 1,197 | 531 |
| उड़ीसा | 123 | 44 |
| राजस्थान | 1,531 | 514 |
| तमिलनाडु और पांडिचेरी | 320 | 189 |
| उत्तर प्रदेश | 1,555 | 378 |
| पश्चिम बंगाल | 748 | 424 |
| कुल | 12,923 | 5,545 |

× — आंकड़े अलग से उपलब्ध नहीं हैं।

* — राज्य क्षेत्र के लिए सूचना नहीं रखी जाती।

**श्री तम्पन थामस:** इस उत्तर से दो महत्वपूर्ण पहलू सामने आते हैं। कृपया इस बात पर ध्यान दीजिए कि मात्र 1 वर्ष में 12923 विवाद हुए और इनमें से सरकार या त्रिपक्षीय-तंत्र केवल 5545 मामलों को ही निपटा पाया। इसका अर्थ है कि एक वर्ष में 7000 से भी अधिक मामले लंबित रह गए। इसके अलावा, केन्द्र में 289 बार हड़तालें और तालाबंदी हुई। इससे पता चलता है कि कर्मचारियों ने संबंधित अधिकारियों को सहयोग दिया। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार अपने तंत्र की कमियों और अक्षमताओं को दूर करेगी ताकि विवादों को निपटाया जा सके। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या पश्चिमी देशों की भांति मध्यस्थ परिषदें बनाने तथा विवादों को निपटाने के लिए सरकारी तंत्र के अलावा स्वयंसेवी एजेंसियों के बनाने के प्रश्न पर विचार करेगी।

**श्रम मंत्री (श्री बिंदेश्वरी दुबे):** वास्तव में, औद्योगिक संबंधों संबंधी निपटान तंत्र केवल मध्यस्थता का कार्य करता है। यदि स्वयंसेवी संगठन ऐसा कर सकते तो कानून के अंतर्गत निपटान तंत्र बनाने का प्रश्न ही न होता? स्वयंसेवी संगठनों के लिए दो पक्षों के बीच मध्यस्थता करना संभव नहीं था अतः दो पक्षों के बीच मध्यस्थता करने के लिए केन्द्र स्तर एवं राज्य स्तर पर औद्योगिक संबंध तंत्र बनाया गया था।

**श्री तम्पन थामस:** मेरा दूसरा अनुपूरक प्रश्न यह है कि सनत मेहता आयोग और राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन भी समय समय पर श्रम मंत्रालय और उद्योग मंत्रालय के साथ बैठक करते रहते हैं। बैठक केन्द्रीय श्रमिक संघों और केन्द्रीय मंत्रालय के बीच होती है। उन्होंने बहुत सी सिफारिशें की हैं; विशेषकर सनत मेहता आयोग ने विभिन्न क्षेत्रों में विवादों के निपटान के मामले में ठोस सिफारिशें की हैं। मैं इस

| राज्य | हड़ताल | | तालाबंदी | | कुल | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| उत्तर प्रदेश | 1 | .. | 0 | .. | 1 | .. |
| पश्चिम बंगाल | 10 | 29 | 0 | 130 | 10 | 159 |
| अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| अरूणाचल प्रदेश | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *0 |
| चंडीगढ़ | 1 | .. | 0 | .. | 1 | .. |
| दादर और नागर हवेली | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| दिल्ली | 0 | .. | 0 | .. | 0 | .. |
| गोवा, दमन और द्वीप | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 12 |
| लक्षद्वीप | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| मिजोरम | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| पांडिचेरी | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| अखिल भारत | 289 | 735 | 47 | 291 | 336 | 1,026 |

* — सूचना केवल 17 जनवरी, 1989 तक श्रम ब्यूरों में प्राप्त हुई विवरणियों पर आधारित है।
क — केन्द्रीय क्षेत्र।
ख — राज्य क्षेत्र।

## विवरण -2

वर्ष 1988* के दौरान केन्द्रीय क्षेत्र में की गई कार्रवाई और निपटाए गए विवादों की संख्या।

| राज्य | की गई कार्रवाई की संख्या | निपटाए गए विवादों की संख्या |
|---|---|---|
| आन्ध्र प्रदेश | 770 | 377 |
| असम | 125 | 76 |
| बिहार | 2,678 | 1,395 |
| दिल्ली | 414 | 154 |
| गुजरात | 291 | 123 |
| पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ | 1,072 | 315 |

| राज्य | की गई कार्रवाई की संख्या | निपटाए गए विवादों की संख्या |
|---|---|---|
| कर्नाटक | 468 | 214 |
| केरल | 344 | 193 |
| मध्य प्रदेश | 1,287 | 618 |
| महाराष्ट्र और गोवा | 1,197 | 531 |
| उड़ीसा | 123 | 44 |
| राजस्थान | 1,531 | 514 |
| तमिलनाडु और पांडिचेरी | 320 | 189 |
| उत्तर प्रदेश | 1,555 | 378 |
| पश्चिम बंगाल | 748 | 424 |
| कुल | 12,923 | 5,545 |

× — आंकड़े अलग से उपलब्ध नहीं हैं।

* — राज्य क्षेत्र के लिए सूचना नहीं रखी जाती।

**श्री तम्पन थामस:** इस उत्तर से दो महत्वपूर्ण पहलू सामने आते हैं। कृपया इस बात पर ध्यान दीजिए कि मात्र 1 वर्ष में 12923 विवाद हुए और इनमें से सरकार या त्रिपक्षीय-तंत्र केवल 5545 मामलों को ही निपटा पाया। इसका अर्थ है कि एक वर्ष में 7000 से भी अधिक मामले लंबित रह गए। इसके अलावा, केन्द्र में 289 बार हड़तालें और तालाबंदी हुई। इससे पता चलता है कि कर्मचारियों ने संबंधित अधिकारियों को सहयोग दिया। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार अपने तंत्र की कमियों और अक्षमताओं को दूर करेगी ताकि विवादों को निपटाया जा सके। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या पश्चिमी देशों की भांति मध्यस्थ परिषदें बनाने तथा विवादों को निपटाने के लिए सरकारी तंत्र के अलावा स्वयंसेवी एजेंसियों के बनाने के प्रश्न पर विचार करेगी।

**श्रम मंत्री (श्री बिंदेश्वरी दुबे):** वास्तव में, औद्योगिक संबंधों संबंधी निपटान तंत्र केवल मध्यस्थता का कार्य करता है। यदि स्वयंसेवी संगठन ऐसा कर सकते तो कानून के अंतर्गत निपटान तंत्र बनाने का प्रश्न ही न होता? स्वयंसेवी संगठनों के लिए दो पक्षों के बीच मध्यस्थता करना संभव नहीं था अतः दो पक्षों के बीच मध्यस्थता करने के लिए केन्द्र स्तर एवं राज्य स्तर पर औद्योगिक संबंध तंत्र बनाया गया था।

**श्री तम्पन थामस:** मेरा दूसरा अनुपूरक प्रश्न यह है कि सनत मेहता आयोग और राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन भी समय समय पर श्रम मंत्रालय और उद्योग मंत्रालय के साथ बैठक करते रहते हैं। बैठक केन्द्रीय श्रमिक संघों और केन्द्रीय मंत्रालय के बीच होती है। उन्होंने बहुत सी सिफारिशें की हैं; विशेषकर सनत मेहता आयोग ने विभिन्न क्षेत्रों में विवादों के निपटान के मामले में ठोस सिफारिशें की हैं। मैं इस

बारे में विस्तार में नहीं जाऊंगा क्योंकि मंत्री महोदय को इसकी जानकारी है। मैं जानना चाहता हूं कि सनत मेहता आयोग और राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन तथा ऐसे अन्य सम्मेलनों द्वारा दी गई रिपोर्ट के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है।

**श्री बिंदेश्वरी दुबे:** महोदय, वास्तव में दो पक्षों के बीच विवादों के निपटान का सबसे अच्छा तरीका यह है कि द्विपक्षीय बातचीत की जाए, सरकार द्विपक्षीय बातचीत को बढ़ावा दे रही है। जब द्विपक्षीय निपटान की संभावना होने पर सरकार इन विवाद में हस्तक्षेप करना नहीं चाहती। प्रमुख उद्योगों में, मजदूरी और अन्य लाभों से संबंधित विवादों का निपटारा द्विपक्षीय संधि-वार्ता से ही कराया जाता है। परन्तु जहां द्विपक्षीय वार्ता असफल रहती है, वहां सरकार हस्तक्षेप करती है।

[हिन्दी]

**श्री गिरधारी लाल व्यास:** माननीय अध्यक्ष महोदय, श्रम मंत्री जी जानते हैं कि जब डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और स्टेट लेवल पर कन्सीलियेशन औथोरिटी में दिस्प्यूटस तय नहीं हो पाते हैं तो उनका रैफरैंस आप को किया जाता है ताकि आप उन्हें ट्रिब्यूनल को रैफर करें। मैं जानना चाहता हूं कि आपके यहां ऐसे कितने केसेज पैन्डिग हैं, जिनका रैफरैंस आप को किया गया है, परन्तु वे केसेज अब तक सैटल नहीं हो पाये हैं।

**श्री बिन्देश्वरी दुबे:** अध्यक्ष महोदय, मूल प्रश्न को देखने से यह सप्लीमैंटरी नहीं उठता है कि कितने केसेज एडजूडिकेशन में गये हैं और कितने अभी पैंडिंग हैं।

[अनुवाद]

**श्री दिनेश गोस्वामी:** महोदय, मंत्री जी का यह कहना सही है कि मैत्रीपूर्ण कार्यवाही करने का उद्देश्य यह है कि द्विपक्षीय संधि वार्ता से इन मामलों को निपटाया जाए। लेकिन मेरे विचार से इसका एक उद्देश्य यह भी है कि इन विवादों का निपटारा शीघ्र किया जाए। विवरण से ही पता चलता है कि वर्ष 1988 में प्रस्तुत 12923 विवादों में से केवल 5545, मामले निपटाए गए, जो संख्या कुल मामलों की संख्या की आधी से भी कम है। यदि कुल मामलों में से केवल आधे मामलों से भी कम मामले निपटाए जाएं तो इससे भी औद्योगिक अशांति बढ़ेगी। इससे पता चलता है कि समूचे तंत्र में कहीं कुछ दोष है। पहले एक सुझाव यह भी रखा गया था कि यदि कभी प्रबन्धक किसी मजदूर को राहत देने के लिए इनमें से किसी आदेश के विरुद्ध अपील करते हैं तो अंतरित राहत देने के लिए भी उपबन्ध होना चाहिए और मेरे विचार से कुछ राज्यों ने इस बारे में कुछ उपबंध बनाए भी हैं, किन्तु उनमें समानता नहीं है। यदि प्रबंधक ऐसे आदेश के विरुद्ध अपील करते हैं जो कि श्रमिकों के पक्ष में है तो क्या सरकार श्रमिकों को अंतरिम राहत देने पर विचार करेगी?

**श्री बिंदेश्वरी दुबे:** महोदय, मेरे मित्र भली भान्ति जानते हैं कि जब विवादों का निपटारा नहीं होता तो पक्षकारों को मध्यस्थता करने का मौका दिया जाता है। उस स्थिति में सबसे बढ़िया तरीका यह है कि विवाद को मध्यस्थतम से निपटाया जाए। जब पक्षकार मध्यस्थता के लिए सहमत नहीं हो तो केवल तभी मामलों को न्यायनिर्णयन के लिए भेजा जाता है। यदि न्यायाधिकरण का अध्यक्ष या पीठासीन अधिकारी किसी विशेष मामले में अंतरिम राहत देना उचित समझे तो वह ऐसा कर सकता है।

**श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव:** महोदय, सरकार ने यह निर्णय लिया है कि श्रमिकों को आगे बढ़कर यह देखने की चेष्टा करने की अनुमति दी जाए कि प्रबंधकों के कारखाना चलाने में असफल होने पर या उसे बंद करने पर वे उसे चलाएं। इसका हाल ही का एक उदाहरण चेम्बूर कारखाने के बारे में है जिसे लाभों के होते हुए भी प्रबंधकों ने बंद कर दिया था। यूनियन कार्बाइड ऑफ इंडिया के चेम्बूर एकक के श्रमिक संघ ने कहा कि यह इकाई उन्हें सौंप दी जाए ताकि वे इसे चला सकें और श्रमिकों के हितों की रक्षा कर सकें।

लेकिन उद्योग मंत्रालय ने इस संबंध में कोई उचित प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या श्रम मंत्रालय उद्योग मंत्रालय को सहयोग देगा और कारखाने के श्रमिकों के हितों की रक्षा करने के लिए आवश्यक कदम उठाने का प्रयत्न करेगा।

**श्री बिन्देश्वरी दुबे:** इस विशेष मामले की ओर हमारा ध्यान नहीं दिलाया गया है। यदि श्रम मंत्रालय का ध्यान इस ओर दिलाया जाए, तो निश्चय ही हम उद्योग मंत्रालय से संपर्क स्थापित करके इसका समाधान निकालने का प्रयास करेंगे।

**जीवन रक्षक अन्तःशिरा ग्लूकोज सप्लाई करने वाली फर्म के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही**

***191.श्री कमल नाथः**
**श्री प्रकाश चन्द्रः**

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या दिल्ली स्थित एक फार्मास्यूटिकल कंपनी ने कोयम्बतूर की एक फर्म के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की मांग की है , जिसने जीवन रक्षक अन्तःशिरा ग्लूकोज की 38,000 ऐसी बोतलें सप्लाई की थी, जो सभी संदूषित पाई गई जैसा समाचार 10 फरवरी, 1989 के इंडियन एक्सप्रैस में प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस मामले की वास्तविक स्थिति क्या है; और

(ग) इस फर्म और इसके मालिक के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे);** (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

**विवरण**

औषध नियंत्रक, दिल्ली प्रशासन के कार्यालय में मैसर्स एस के फार्मास्यूटिकल्स, नई दिल्ली से एक शिकायत 8 फरवरी, 1989 को प्राप्त हुई थी जिसमें आरोप लगाये गये थे कि मैसर्स ओस्लर फार्मा लिमिटेड, कोयम्बतूर ने उन्हें अतिघटिया किस्म की आई० वी० फ्लूड की 38,000 से अधिक संदूषित बोतलें सप्लाई की हैं और यह अनुरोध किया गया था कि विनिर्माता के विरुद्ध कार्रवाई की जाए।

मैसर्स एसके फार्मास्यूटिकल्स, नई दिल्ली की शिकायत प्राप्त होने के एक दिन पहले, अर्थात् 7 फरवरी, 1989 को, औषध नियंत्रक, दिल्ली प्रशासन को मैसर्स ओस्लर फार्मा लिमिटेड, कोयम्बतूर से भी एक शिकायत मिली थी। मैसर्स ओस्लर फार्मा लिमिटेड ने आरोप लगाया था कि उनका दिल्ली वितरक मैसर्स एस० के० फार्मास्यूटिकल्स, नई दिल्ली उन्हें दो खेपों के मूल्य का भुगतान नहीं कर रहा है और वितरक आई० वी० फ्लूड का वह स्टॉक वापिस भी नहीं कर रहा है जिसमें कुछ कणमय पदार्थ होने का आरोप है । ये दो शिकायतें मिलने के बाद औषध नियंत्रक, दिल्ली प्रशासन के अधिकारियों द्वारा 9 फरवरी, 1989 को मैसर्स एस० के० फार्मास्यूटिकल्स, नई दिल्ली के परिसरों का निरीक्षण किया गया ताकि आई० वी० घोल के नमूने विश्लेषण के लिए एकत्र किए जा सकें। विभिन्न बैचों की 11 आई० वी० फ्लूडों के नमूने जांच और विश्लेषण के लिए उठाये गये और मैसर्स एस० के० फार्मास्यूटिकल्स को निर्देश दिए गये कि इस फर्म की आई० वी० फ्लूडों के शेष स्टाक को आगामी आदेशों तक बेचा न जाए । इन नमूनों को सरकारी विश्लेषक, केन्द्रीय भारतीय भेषज संहिता, प्रयोगशाला, गाजियाबाद को विश्लेषण के लिए भेज दिया गया है और रिपोर्टों की प्रतीक्षा की जा रही है । जांच रिपोर्टें प्राप्त होने के बाद अगली कार्रवाई की जाएगी ।

साथ ही यह मामला जांच करने और औषध प्रसाधन सामग्री अधिनियम के अधीन कार्रवाई करने के लिए औषध नियंत्रक, तमिलनाडु को भी भेज दिया गया था क्योंकि विनिर्माता उनके क्षेत्राधिकार में आता है ।

[हिन्दी]

**श्री बनवारी लाल पुरोहित:** अध्यक्ष महोदय , कमलनाथ जी की तो इंडियन एक्सप्रेस से लड़ाई है, फिर भी ये उसको अपने क्वैश्चन में कोट कर रहे हैं?

**अध्यक्ष महोदय:** लड़ाई तो सैद्धान्तिक है, कोई लट्ठमार थोड़े ही है ।

**श्री बनवारी लाल पुरोहित :** ये क्वेश्चन में कोट कर रहे हैं इंडियन एक्सप्रेस को, अन-नैसेसरी उसको इम्पार्टेन्स देने की क्या जरूरत है?

[अनुवाद]

**श्री एस॰ जयपाल रेड्डी:** उनका प्रश्न 'इंडियन एक्सप्रेस' पर ही निर्भर है ।

[हिन्दी]

**अध्यक्ष महोदय:** आपका पीछा कर रहे हैं, कभी-कभी आपका सहारा ले रहे हैं।

[अनुवाद]

**श्री कमल नाथ:** महोदय मंत्री द्वारा सभा पटल पर रखा गया विवरण एक कंपनी द्वारा दूसरी कंपनी के खिलाफ शिकायत के बारे में है । किंतु मुद्दा यह नहीं है। और यह मेरे प्रश्न का मुख्य विषय नहीं है । *मुद्दा यह है कि क्या ग्लूकोज संदूषित है या नहीं । हम लगातार संदूषण और मिलावट के बारे में सुनते रहते हैं किन्तु इस संबंध में सख्त कानूनों के बावजूद भी यह जारी है । क्या हमारे कानून इतने कमजोर हैं?*

मेरे प्रश्न की मूल बात यह थी कि क्या ग्लूकोज संदूषित है । उत्तर में कहा गया है कि ग्लूकोज के नमूने 9.2.89 को जाँच के लिए गाजियाबाद भेज दिए गए हैं । आज 8 मार्च है और यह 9 फरवरी को गाजियाबाद तक भेजे गए थे। हम जानते हैं कि संदूषित ग्लूकोज लेने के पश्चात् सैंकड़ों लोगों की मृत्यु हो सकती है । किंतु अभी हमें यह भी पता नहीं है कि ये नमूने संदूषित थे या नहीं। 'सुचेता कृपलानी अस्पताल' में मौतें हुई और यह बताया गया है कि यह मौतें संदूषित ग्लूकोज के कारण हुई हैं। एक महीने से अधिक समय से ग्लूकोज के नमूनों की जाँच गाजियाबाद में हो रही है । किंतु परिणाम क्या है? क्या ग्लूकोज के नमूनों की जाँच में एक वर्ष लगता है? हो सकता है कि मुझे पता न हो, किंतु जहां तक मुझे अपनी सामान्य जानकारी से मालूम है, ग्लूकोज के नमूने की जाँच में केवल डेढ़ घंटा लगता है । किंतु यहां तो एक महीना हो गया किंतु जांच की रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है । क्या इसका यह अर्थ है कि किसी व्यक्ति को बचाया जा रहा है? इस रिपोर्ट में इतना समय क्यों लग रहा है? बाजार में बिकने वाले संदूषित ग्लूकोज के संबंध में सरकार क्या कर रही है?

**वस्त्र मंत्री तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा):** माननीय सदस्य ने इस संबंध में जो चिन्ता व्यक्त की है उसकी ओर हमने ध्यान दिया है । उन्होंने जाँच का उल्लेख किया है । जाँच दो प्रकार की होती है । एक जाँच में थोड़ा समय लगता है । दूसरे प्रकार की जाँच, जिस से यह पता चलता है कि कभी घोल जीवायुहीन है या नहीं, इसमें अधिक समय लगता है । इसमें लगभग 17 से 18 दिन लगते हैं ।

**श्री कमल नाथ:** किंतु अब तो एक महीने से अधिक हो गया ।

**श्री राम निवास मिर्धा:** कृपया मुझे बताने दीजिए मैंने अभी अपनी बात पूरी नहीं की है । इस जांच में दवाई खरगोशों को इंजेक्शन के रूप में दी जाती है और उन पर इस के प्रभाव की जांच की जाती है। उसमें दो समस्याएं खड़ी हो गई। अधिकतर खरगोशों की अन्य कारणों से मृत्यु हुई इसमें कर्मचारियों की

समस्या भी थी। मैं इस संबंध में विस्तार पूर्वक बात नहीं करूंगा । हमें पूरा पूरा ध्यान है और मैंने विलम्ब के संबंध में विशेष रूप से पूछताछ की थी और विलम्ब वहां कर्मचारियों की किसी समस्या के कारण था हम यह प्रयास कर रहे हैं कि परिणाम यथाशीघ्र प्राप्त हों और विश्वसनीय हों अतः हम इसकी जांच पुनः करवा रहे हैं क्योंकि यह एक अत्यन्त महत्वपूर्ण जांच है । हम चाहेंगे कि इन चीजों की वास्तव में जाँच हो और उचित हो। और थोड़ा समय लगता है........

**श्री दिनेश गोस्वामी:** पहली जाँच के बारे में आपका क्या विचार है?

**श्री राम निवास मिर्धा:** प्रथम जाँच तो ठीक थी । इसमें कोई समस्या नहीं थी। वह एक दृश्य-जांच थी। इसमें अधिक कठिनाई नहीं थी। क्या घोल जीवायुरहित है क्या यह किसी प्रकार से संदूषित तो नहीं है, यह देखने में बहुत समय लगता है और हम सुनिश्चित करेंगे कि भविष्य में इस प्रकार के विलम्ब नहीं हों।

[हिन्दी]

**श्री प्रकाश चन्द्र :** अध्यक्ष जी, जैसा माननीय मंत्री जी ने बताया है और आप भी समझ सकते हैं कि जब सदन में यह हल्ला होता है या अखबारों में ऐसी खबर छपती है तभी सरकार का ध्यान इन सब बातों पर केन्द्रित होता है। । सरकार या मंत्रालय कोई ऐसा प्रावधान नजर में रखे हुए है कि अखबार में आने से पहले या यह हादसा होने से पहले ही सरकार को ऐसी खबर प्राप्त हो जाये । कोई फार्मास्यूटिकल कम्पनी जो कि दवाइयां बनाती है क्या सरकार से लाइसेंस लिये बिना कोई दवाई बना सकती है क्या आपके कोई स्पैसिफिक नॉर्म्स बने हुए हैं?

**श्री राम निवास मिर्धा:** श्रीमन् हर चीज के नॉर्म्स बने हुए हैं । 8 फरवरी, 1989 को इसके बारे में शिकायत मिली । दूसरे दिन ही जाकर सैम्पल इकट्ठे किये गये और वह फौरन गाजियाबाद भेज दिये गये ।

**श्री प्रकाश चन्द्र :** शिकायत के समय वह नहीं भेजे गये थे ।

**श्री राम निवास मिर्धा:** शिकायत के दूसरे दिन ही भेज दिये गये। यह कहना कि इसमें देरी की गई या हल्ला करने के बाद भेजे गये, यह उचित नहीं है । माननीय सदस्य का यह कहना कि ऐसे मामले सरकार स्वयं क्यों नहीं करती है, इस बारे में मैं यह कहना चाहूंगा कि हमने दिल्ली प्रशासन से आंकडे मांगे हैं और वह मेरे पास हैं । वह स्वयं अपने ढंग से कभी-कभी जाकर इसके बारे में सैम्पल लेते हैं । इस प्रकार ड्रग्स कंट्रोल की एक प्रक्रिया है जो कि राज्य सरकारों के पास है । ड्रग्स कंट्रोल राज्य सरकार करती है । उनका कर्तव्य है कि समय-समय पर वह इस तरह से व्यवस्था हो तो उसके बारे में जांच करते रहें । उनकी समस्याओं के बारे में हम उनसे बातचीत कर रहे हैं लेकिन अभी बहुत कुछ करना बाकी है, ड्रगइंसपैक्शन मशीनरी को मजबूत करने के लिये । हम इस सिलसिले में राज्य सरकार से सम्पर्क करते हैं ।

[अनुवाद]

**डा० डी० एन० रेड्डी :** क्या मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछ सकता हूं कि पिछले तीन वर्षों में ऐसे कितने मामलों का पता लगाया गया है और ऊपर क्या कार्यवाही की गई थी? मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि क्या उन्हें इस बात की जानकारी है कि ऐसी कम्पनियों की हर जगह संख्या बढ़ने के कारण ग्लूकोज बनाने के लिए जो बोतलें उपयोग में लाई जाती हैं वह उचित ढंग से जीवाणुहीन नहीं की जाती हैं जो संदूषण का कारण बन जाता है।

यही पूरे मामले का मूल प्रश्न है ।

**श्री राम निवास मिर्धा:** मैंने कहा है कि दिल्ली प्रशासन द्वारा कुछ मामलों का पता लगाया गया था। वर्ष 1987-88 में 13 नमूने लिए गए थे और उसमें से 9 मानक नमूने पाए गए और 4 मानक नमूने नहीं थे।

वर्ष 1988-89 में 37 नमूने लिए गए थे। इन में से 10 मानक नमूने थे। और 4 मानक नमूने नहीं थे और 23 नमूनों की जांच अभी की जा रही है।

जहां तक सावधानियां बरतने का संबंध है, हम ने अत्यन्त कठोर विनियमों का निर्धारण किया है कि इसका निर्माण किस प्रकार किया जाना चाहिए। मूलतः दो प्रकार की बोतले हैं जिन में यह तरल पदार्थ आता है । एक कांच की बोतल होती है और दूसरी प्लास्टिक थैली जैसी होती है । भारतीय मानक संस्थान ने इस संबंध में अत्यन्त सख्त मानक निधारित किए हैं । यहां तक कि निर्माताओं से भी कहा गया है कि भेषज-संग्रह के अनुसार उन्हें इसके ऊपर रबड का खोल चढ़ाना है, किस प्रकार इन्हें पैक करना है और किस प्रकार इनका उत्पादन करना है । हम देखेंगे कि हर सम्भव कार्य किया जाए ।

महोदय,एक शुद्धि करना चाहूंगा, जब मैंने चूहों का उल्लेख किया था,मुझे खरगोश कहना था।

**डा० कृपासिन्धु भोई:** अध्यक्ष महोदय, हमें ब्रिटिश प्रशासन की पद्धति विरासत में मिली है । स्वास्थ्य मंत्रालय रोग का उपचार करने और जनता के स्वास्थ्य की देखभाल करने के लिए जिम्मेदार है किंतु औषधियां रसायन मंत्रालय की देख भाल में हैं । और वे रसायन मंत्रालय की ओर प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं । अतः स्वास्थ्य मंत्रालय किस प्रकार औषधियों का नियंत्रण करेगा और यह सारा काम कर सकता है, यह अत्यन्त कठिन काम है । महोदय मेरा आप के माध्यम से निवेदन यह है कि जब तक यह औषधियां और औषध नियंत्रक स्वास्थ्य मंत्रालय के क्षेत्राधिकार में नहीं आते हैं तब तक स्वास्थ्य मंत्रालय के लिए इस प्रश्न का उत्तर देना बहुत कठिन होगा ।

आपके माध्यम से मंत्री महोदय को मेरा विशिष्ट प्रश्न यह है कि क्या यह सच है कि इसके कारण दो लोगों की मौतें हुई है? मैंने अपनी आंखों से देखा है। एक मामले में विलिंग्डन अस्पताल में उस समय इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था जब श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही के सुपुत्र को उण्डुकपुच्छशोथ (एपेन्डीसाइटिस) के लिए दाखिल किया गया था। मै परिणाम की प्रतीक्षा किए बिना इसके बारे में तत्काल जानना चाहता हूं। उन्होंने नमूना गाजियाबाद प्रयोगशाला को भेज दिया; वह इसे अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान को भेज सकते है। परीक्षण जांच की जा सकती है और मिनटों में यह पता चल सकता है कि क्या यह संदूषित है या नहीं। क्या वे औषध नियंत्रण को इस बात की जोरदार सिफ़ारिश करेंगे कि इन कम्पनी को काली सूची में शामिल किया जाए?

**श्री राम निवास मिर्धा:** परीक्षण सेकेन्डों में तो नहीं हो सकता है। माननीय सदस्य अत्यन्त सुविज्ञ व्यक्ति है। उन्हें मालूम होना चाहिए कि कुछ परीक्षणों में तो बहुत समय लगता है। अतः इस मामले में इस लिए इतना समय लगा है क्योंकि कुछ परीक्षण तो निर्जीवायुता के सम्बन्ध में थे जहां तक औषधि नियंत्रण के खिलाफ कार्यवाही करने का संबंध है, हम परिणाम आते ही निश्चय ही यह मामला उठाएंगे। जिस समय हमें इसकी जानकारी प्राप्त हुई, तमिलनाडु के औषध नियंत्रक को सूचना दे दी गई थी क्योंकि कम्पनी कोयम्बतूर में स्थित है। उन्होंने अपनी ओर से कार्यवाही की थी।

**डा० कृपासिंधु भोई:** क्या वह यह सुझाव देंगे कि यह औषध क्षेत्र रसायन मंत्रालय के अंतर्गत नहीं अपितु स्वास्थ्य मंत्रालय में आना चाहिये?

## नागपुर नगर के लिए विश्व बैंक से सहायता

*192. **श्री बनवारी लाल पुरोहित: क्या शहरी विकास मंत्री** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने नागपुर नगर के लिए जल सप्लाई बढ़ाने और मल-व्ययन संबंधी योजनाओं को लागू करने के लिए महाराष्ट्र सरकार को कोई सहायता प्रदान की है;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार का उक्त योजना के लिए ऋण उपलब्ध कराने हेतु विश्व बैंक से अनुरोध करने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री (दलबीर सिंह):** (क) ऐसी परियोजनाओं को सहायता देने हेतु कोई केन्द्रीय योजना नहीं है।

(ख) और (ग) परियोजना को राज्य योजना में शामिल करने के बाद इस सम्बन्ध में महाराष्ट्र सरकार द्वारा औपचारिक प्रस्ताव भेजने के बाद ही एक योजना विश्व बैंक सहायता के लिए प्रस्तुत की जा सकती है।

**[हिन्दी]**

**श्री बनवारी लाल पुरोहित:** अध्यक्ष महोदय, 40 साल पहले नागपुर की आबादी करीब 3 लाख थी और आज 22 लाख है। उस समय सीवरेज और पानी की जो स्कीम तैयार की गई थी वह यह ख्याल रखकर की थी कि वहां की आबादी 7-8 लाख से ऊपर नहीं जायेगी लेकिन आज आबादी 22 लाख पहुंच गई है जिससे सीवरेज और ड्रेनेज सब चोक हो गये। पानी की परिस्थिति तो यह है कि नलों पर रोज झगड़े होते हैं, औरतों के घड़े फूटते हैं और गर्मियों में रोज लड़ाइयां होती हैं, नागपुर शहर में पानी की यह स्थिति है। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि नागपुर शहर के लिए कारपोरेशन की बात तो है ही लेकिन वहां की 22 लाख जनता के लिए आप अपनी तरफ से क्या करने वाले हैं। आप या तो वर्ल्ड बैंक से पैसा दिलाओ या हुडको से पैसा दो लेकिन नागपुर शहर के लोगों की जरूरत है कि वहां की सीवरेज और ड्रेनेज जो चोक हो गई है, उनकी मदद करने के लिए आप क्या उपाय योजना करने वाले हैं, मेरा यह प्रश्न है।

**श्री दलबीर सिंह:** सम्माननीय सदस्य नागपुर शहर से सम्बन्धित हैं। मै स्वयं नागपुर गया था और वहां के स्लम एरियाज में घूमा। वहां कारपोरेशन की भी एक बैठक हुई, उसमें माननीय सांसद भी थे और हम हुडको से कुछ राशि देना चाहते थे लेकिन स्टेट गवर्नमेण्ट से अभी कोई प्रपोजल नहीं आया। दूसरे जहां तक वर्ल्ड बैंक का सवाल है, उसके लिए केवल महाराष्ट्र डवलपमैण्टअथोरिटीने फार्मल प्रपोजल भेजा है, जो 12 टाउंस के लिए है। जब तक महाराष्ट्र के स्टेट बजट में नागपुर सिटी इन्क्लूड नहीं होगा, हम वर्ल्ड बैंक की स्कीम में इसको इन्क्लूड नहीं कर सकते हैं इसलिए माननीय सदस्य से हमारी यही रिक्वेस्ट है कि यह कोशिश करें कि स्टेट प्लान में उसको इन्क्लूड करा दें।

**श्री बनवारी लाल पुरोहित:** वहां के माननीय मंत्री श्री सुशील कुमार शिंदे ने विधान सभा के फ्लोर पर यह कहा कि नागपुर की इस स्कीम को वर्ल्ड बैंक से हम परस्यू कर रहे हैं। मैं यह पूछना चाहता हूं कि उन्होंने ऐसी स्कीम भेजी या नहीं भेजी, कम से कम इसका जवाब दीजिए?

**श्री दलबीर सिंह:** केवल महाडा ने भेजा है लेकिन हमारा मकसद है कि स्टेट गवर्नमैण्ट के थ्रू आना चाहिए, न कि महाराष्ट्र हाउसिंग डवलपमैण्ट बोर्ड के थ्रू आना चाहिए। मैं माननीय सदस्य से यही कहना चाहता हूं कि उन्होंने 12 टाउंस का भेजा है और उनमें से नागपुर भी एक है लेकिन आप इसे स्टेट गवर्नमैंट के थ्रू ही परस्यू करवायें।

**अध्यक्ष महोदय:** मानवेन्द्र सिंह जी, आप नागपुर कहां जा रहे हो?

**श्री मानवेन्द्र सिंह:** मै मथुरा में आ रहा हूं।

**अध्यक्ष महोदय;** मथुरा का तो सवाल उठेगा नहीं।

**[अनुवाद]**

वह उत्तर नहीं दे सकेंगे।

**[हिन्दी]**

**श्री मानवेन्द्र सिंह:** वहां पर भी केन्द्र सरकार है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, तमाम देश के यात्री वहां आते है, उसमें केन्द्रीय सरकार द्वारा कोई योजना बनाई जानी चाहिए जिससे कि मथुरा.....

**अध्यक्ष महोदय:** आपकी सरकार जाने।

**श्री मानवेन्द्र सिंह:** आपने भी इस हाउस में कई बार कहा है, ये सुनते ही नहीं हैं क्या करें।

**अध्यक्ष महोदय:** मैंने तो इसमें आपका पूरा साथ दिया है।

**श्री मानवेन्द्र सिंह:** मंत्री जी मौजूद हैं, आप इनसे कहें कि केन्द्रीय सरकार एक विस्तृत योजना तैयार करे।

**अध्यक्ष महोदय:** हम कह सकते हैं कि आपकी दरख्वास्त वजा है और मथुरा के लिए कुछ करना चाहिए।

**श्री मानवेन्द्र सिंह:** ड्रेनेज का सारा गंदा पानी यमुना में जाता है।

1

## प्रश्नों के लिखित उत्तर

### क्षेत्र परियोजनाओं की उपलब्धियां

**[अनुवाद]**

* 185. **श्री जी॰ भूपति:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या परिवार कल्याण सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिये क्षेत्र परियोजनाएं आरंभ की गई थीं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन क्षेत्र परियोजनाओं के अन्तर्गत किये गये कार्य का मूल्यांकन किया गया है; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) परियोजना-वार अब तक, इनकी क्या उपलब्धि रही है?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे):** (क) से (घ). एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

**विवरण**

क्षेत्र परियोजना स्कीम 1973 में आरम्भ की गई थी जब विश्व बैंक और स्वीडिश अन्तरराष्ट्रीय विकास एजेंसी की सहायता से उत्तर प्रदेश और कर्नाटक के कुछ चुने हुए जिलों में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण सेवाएं प्रदान करने के बुनियादी ढांचें के गहन विकास के लिए इसे चलाया गया था। इस परियोजना का उद्देश्य लोगों को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण की समन्वित सेवाएं उपलब्ध कराना और जच्चा-बच्चा मृत्युदर और रूग्णता दर में कमी लाना था। इस परियोजना का उद्देश्य गर्भनिरोधन सेवाओं की मांग बढ़ाना, फील्ड में प्रशिक्षित कार्मिकों की उपलब्धता में सुधार लाना और स्वास्थ्य केन्द्रों के लिए संस्थागत तथा आवासीय भवनों की व्यवस्था करना भी था। पांचवीं, छठी और सातवीं योजना अवधियों

के दौरान क्षेत्र परियोजना स्कीम जारी रखी गई और दूसरे राज्यों के और अधिक जिलों में भी इसका विस्तार किया गया।

इन परियोजनाओं का ब्योरा, उनकी अवधि, प्रचालन क्षेत्र और दाता एजेंसी का नाम नीचे दिया गया है—

| राज्य | परियोजना लागत | शामिल किए गए जिले | प्रचालन अवधि | दाता एजेंसी |
|---|---|---|---|---|
| आन्ध्र प्रदेश | 31.40 | 3 | 1980-1988 | विश्व बैंक |
| बिहार | 16.51 | 11 | 1981-1987 | यूएनएफपीए |
| गुजरात | 15.76 | 2 | 1980-1986 | यूएसएड |
| हरियाणा | 8.75 | 3 | 1980-1986 | यूएसएड |
| हिमाचल प्रदेश | 14.75 | 3 | 1980-1986 | यूएसएड |
| कर्नाटक | | | | |
| (आईपीपी-I) | 9.33 | 5 | 1973-1980 | विश्व बैंक |
| (आईपीपी-III) | 71.31 | 6 | 1984-1990 | विश्व बैंक |
| केरल | 49.11 | 4 | 1984-1990 | विश्व बैंक |
| मध्य प्रदेश | 26.50 | 8 | 1981-1988 | डानिडा |
| महाराष्ट्र | 15.13 | 3 | 1980-1986 | यूएसएड |
| उड़ीसा | 33.67 | 5 | 1980-1987 | ओडीए (यू॰के॰) |
| पंजाब | 12.34 | 3 | 1980-1986 | यूएसएड |
| राजस्थान | 13.81 | 4 | 1980-1986 | यूएनएफपीए |
| तमिलनाडु | 21.08 | 2 | 1981-1988 | डानिडा |
| उत्तर प्रदेश | | | | |
| (आईपीपी-I) | 11.87 | 6 | 1973-1980 | विश्व बैंक |
| (आईपीपी-II) | 73.33 | 6 | 1980-1988 | विश्व बैंक |
| पश्चिम बंगाल | 107.47 | 4 | 1985-1991 | विश्व बैंक |
| कुल: | 532.12 | 78 | | |

**मूल्यांकन**

इनमें से कुछ परियोजनाओं का स्वतंत्र व्यावसायिक संस्थाओं और संगठनों के माध्यम से मूल्यांकन किया गया है। अब तक आन्ध्र प्रदेश, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश में लागू की गई परियोजनाओं के बारे में मूल्यांकन रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं। इन मूल्यांकन अध्ययनों के प्रमुख निष्कर्षों से पता चलता है कि परियोजना जिलों में भौतिक आधारभूत सुविधाओं के विकास में इन क्षेत्र परियोजनाओं का योगदान रहा है जिसके फलस्वरूप स्वास्थ्य परिचर्या सेवाएं उपलब्ध कराने की स्थिति में सुधार हुआ है। उन्नत भौतिक आधारभूत ढांचे की व्यवस्था, जिसमें उपकरण तथा सामग्री भी शामिल है, सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार लाने में सहायक सिद्ध हुई है। तथापि, मूल्यांकन एजेन्सियों ने कुछ मामलों में निर्माण का स्तर बहुत घटिया बताया है। उप-केन्द्रों में स्टाफ की, विशेषकर पुरूष स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की कमी तथा परियोजना के अंतर्गत उपलब्ध प्रशिक्षण की सुविधाओं के कम उपयोग के कारण उन्नत आधारभूत ढांचे की सुविधाओं का अभीष्टतम उपयोग नहीं किया गया है। मूल्यांकन एजेन्सियां इस निष्कर्ष पर पहुंची हैं कि जहां आधार-भूत ढांचे की आवश्यकता का बड़ा महत्व है, वहां सेवाकालीन प्रशिक्षण और सूक्ष्म-पर्यवेक्षण तथा मानीटरिंग के माध्यम से कार्यकर्ताओं के कार्य की गुणवत्ता में सुधार लाने पर अधिक बल दिया जाना चाहिए।

**उपलब्धियां:**

इन परियोजनाओं के उद्देश्यों में शामिल है—स्वास्थ्य परिचर्या सेवाएं उपलब्ध करने के लिए संस्थागत भवनों का निर्माण, परियोजना जिलों में अतिरिक्त कार्मिकों को प्रशिक्षण तथा नियुक्ति। इन क्षेत्रों में प्राप्त उपलब्धियों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:—

| राज्य | भवनों का निर्माण | प्रशिक्षित किए गए कार्मिक | नियुक्त किए गए अतिरिक्त कार्मिक |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| आन्ध्र प्रदेश | 1587 | 7675 | 969 |
| बिहार | 312 | 7586 | 1414 |
| गुजरात | 684 | 2894 | 702 |
| हरियाणा | 422 | 2633 | 451 |
| हिमाचल प्रदेश | 294 | 3148 | 470 |
| भारत जनसंख्या परियोजना-I | 856 | 3185 | 622 |
| भारत जनसंख्या परियोजना-II | 1749 | 690 | अप्राप्त |
| केरल | 1039 | 1412 | 942 |
| मध्य प्रदेश | 832 | 10823 | 1015 |
| उड़ीसा | 1825 | 14604 | 1539 |
| महाराष्ट्र | 656 | 8014 | 702 |
| पंजाब | 628 | 11822 | 7 |
| राजस्थान | 1033 | 6809 | 546 |
| तमिलनाडु | 866 | 4811 | 734 |
| उत्तर प्रदेश भारत जनसंख्या परियोजना-I | 780 | 3764 | 504 |
| भारत जनसंख्या परियोजना-II | 2331 | 10182 | 2262 |
| पश्चिम बंगाल | 484 | 13028 | अप्राप्त |
| जोड़ | 16378 | 113080 | 13079 |

नोट:—(I) निर्माण कार्य में शामिल है—उप-केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सामुदायिक स्वास्थ्य —केन्द्र, प्रशिक्षण स्कूल और स्वास्थ्य संबंधी मौजूदा आधारभूत ढांचे का उन्नयन।

(II) प्रशिक्षित किए गए कार्मिकों में शामिल हैं—सहायक नर्स मिडवाइफों (ए.एन.एम.), महिला स्वास्थ्य विजिटर (एल.एच.वी.) पुरूष बहुउद्देशीय कार्यकर्ता, परम्परागत दाइयां, ग्राम स्वास्थ्य गाइड और चिकित्सा अधिकारी।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उपलब्ध आंकड़ों से पता चलता है कि जहां तक गर्भनिरोधकों की मांग का संबंध है, परियोजना जिलों तथा गैर परियोजना जिलों के कार्यनिष्पादन में कोई विशेष अंतर नहीं है। यह इस बात के कारण हो सकता है कि परियोजना के डिजाइन में निर्माण और

कर्मचारियों के वेतन के लिए परियोजना परिव्यय अधिक रखा गया है जबकि सूचना, शिक्षा तथा संचार और प्रशिक्षण क्रियाकलापों के लिए अपेक्षाकृत बहुत कम ही व्यवस्था की गई है। मूल्यांकन एजेंसियों ने जो दूसरा कारण बताया है वह यह है कि इस परियोजना के क्रियाकलापों के प्रभाव के बारे में कोई निश्चित निष्कर्ष देने के लिए 5 से 6 वर्ष की अवधि अपेक्षाकृत बहुत ही कम समय है।

## हस्तशिल्प की वस्तुओं का निर्यात

*186. **श्री श्रीकांत दत्त नरसिंहराज वाडियर:** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान कितने मूल्य की हस्तशिल्प की वस्तुओं का निर्यात किया गया; और

(ख) सरकार द्वारा हस्तशिल्प की वस्तुओं के निर्यात में वृद्धि करने हेतु कौन से विभिन्न कदम उठाए गए है अथवा उठाने का विचार है?

**वस्त्र मंत्री तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा):** (क) पिछले वर्षों के दौरान हस्तशिल्प कालीनों सहित हस्तशिल्प की वस्तुओं के निर्यातों का मूल्य नीचे दिया गया है:

| वर्ष | मूल्य (करोड़ रु० में) (अनन्तिम) |
|---|---|
| 1986-87 | 415.47 |
| 1987-88 | 540.94 |
| 1988-89 (अप्रैल-अक्तूबर) | 451.47 |

(ख) हाथ से गांठ लगे कालीनों सहित हस्तशिल्प की वस्तुओं का निर्यात बढ़ाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

| क्रमांक | निर्यात उत्पाद | एफ ओ बी मूल्य पर सी सी एस की % दर |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| **1.** | **नकद मुआवजा सहायता सुविधा:** | |
| | 1. हस्तशिल्प | 10 |
| | 2. हाथ से गांठ ऊनी ऊनी कालीन | |
| | (क) 650 रु० प्रति वर्ग मीटर से अधिक एफ ओ बी मूल्य | 18 |
| | (ख) 250 रु० से अधिक परन्तु 650 रु० प्रति वर्ग मीटर तक एफ ओ बी मूल्य | 15 |
| | (ग) 250 रु० प्रति वर्ग तक एफ ओ बी मूल्य | 8 |
| | 3. ऊनी नमदे तथा दरियां | 8 |
| | 4. हाथ से गांठ लगे रेशमी कालीन | 12 |
| **2.** | **शुल्क वापसी सुविधा** | |
| | 1. नकली जरी के उत्पादन | एफ ओ बी मूल्य का 14% |

| 1. | 2. | 3. |
|---|---|---|
| | 2. पीतल की वस्तुएं तथा ई पी एन एस | एफ ओ बी मूल्य का 30% न्यूनतम 21 रु० तथा अधिकतम 33.50 रु० प्रति किग्रा के अध्यधीन। |
| | 3. हाथ से बने ऊनी/रेशमी/ सूती कालीन | एफ ओ बी मूल्य का 3% |
| आयात प्रतिपूर्ति सुविधा | | |
| | 1. हस्तशिल्प | एफ ओ बी मूल्य का 6% से 40% हस्तशिल्पों की किस्म के आधार पर |
| | 2. हाथ से गांठ लगे ऊनी कालीन, दरियां आदि। | एफ ओ बी मूल्य का 15% |
| | 3. रेशमी कालीन | एफ ओ बी मूल्य का 25% से 40% जो कि कालीनों में रेशम के भाग पर निर्भर करता है। |

4. खुले सामान्य लाइसेंस (ओ जी एल) के अन्तर्गत सीमा शुल्क की 5% यथा मूल्य की रियायती दर पर कच्चे ऊन के आयात की अनुमति दी गई है।

5. खुले सामान्य लाइसेंस (ओ जी एल) के अन्तर्गत अनिर्मित हाथीदांत के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति दी जाती है।

6. हाथ से गांठ लगे कालीनों सहित हस्तशिल्प की वस्तुओं का निर्यात बढ़ाने के लिए दो निर्यात संवर्धन परिषदों अर्थात् कालीन निर्यात संवर्धन परिषद तथा हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद् ने बाजार संभाव्यताओं का पता लगाने के लिए बिक्री सह-अध्ययन दल भी प्रायोजित किए हैं। इन दलों ने स.रा.अमरीका, पश्चिम यूरोप, मध्य पूर्व, आस्ट्रेलिया, कोरिया तथा जापान का दौरा किया।

## यौन सम्पर्क से फैलने वाले रोग

*189 प्रो॰ रामकृष्ण मोरे : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विश्व स्वास्थ्य सगंठन के अनुमानानुसार विश्व में और भारत यौन सम्पर्क से फेलनै वाले रोगों से ग्रस्त लोगों की संख्या क्या है;

(ख) यदि हां तो क्या सरकार ने देश में यौन सम्पर्क से फैलने वाले लोगों पर काबू पाने हेतु कोई कदम उठाए हैं; और

(ग) यदि हां तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे):** (क) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में विश्व स्वास्थ्य संगठन से ऐसी कोई सूचना उपलब्ध नहीं हुई है। तथापि, एस० टी० डी० क्लीनिकों द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार वर्ष 1987 के दौरान यौन सम्पर्क के फैलने वाले रोगों से ग्रस्त रोगियों की कुल संख्या 13,14,723 है।

(ख) और (ग) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, राष्ट्रीय यौन संचारित रोग नियन्त्रण कार्यक्रम शत-प्रतिशत केन्द्रीय सहायता पर पूर्णतः केन्द्रीय क्षेत्र प्लान स्कीम के रूप में कार्यान्वित किया जा रहा है जिसमें शिक्षण, प्रशिक्षण, जानपदिक रोग विज्ञान संबंधी अनुसंधान और एस० टी० डी० केन्द्रों के क्षेत्र में स्वास्थ्य और सामुदायिक शिक्षा पर जोर दिया जाता है। एस० टी० डी० केन्द्रों में (i) क्षेत्रीय एस० टी० डी० शिक्षण एवं प्रशिक्षण केन्द्र (ii) क्षेत्रीय एस० टी० डी० संदर्भ प्रयोगशाला और (iii) क्षेत्रीय सर्वेक्षण एवं मोबाइल एस० टी० डी० यूनिटें जोनल आधार पर सेवा प्रदान करने की लिए दिल्ली, कलकत्ता, हैदराबाद, मद्रास और नागपुर में स्थापित की गई है।

इसके अलावा, देश में 378 एस० टी० डी० क्लीनिक कार्य कर रहे हैं जहां रोगियों को मुफ्त उपचार, सलाह और नैदानिक सुविधाएं दी जाती हैं।

## आयातित खाद्य तेल के राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के कोटे में कटौती

*193. **श्री वक्कम पुरुषोत्तमन : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के आयातित खाद्य तेल के कोटे में हाल ही में कोई कटौती की गई है;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के कोटे मे कितनी कटौती की गई है ;

(ग) उसके क्या कारण है ; और

(घ) क्या सरकार का किसी राज्य का कोटा बहाल करने का विचार है ?

**खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम):** (क) से (घ) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आयातित खाद्य तेलों का आवंटन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की कुल मांग को पूरा करने हेतु नहीं बल्कि खुले बाजार में उपलब्ध देशीय तेलों की अनुपूर्ति के लिए किया जाता है। 1988-89 के दौरान तिलहनों की प्रत्याशित भारी फसल से बाजार में देशीय तेलों की उपलभ्यता में वृद्धि हुई है तथा तेलों के दाम भी काफी नीचे आ गए हैं। देशीय तेलों का यथासंभव सीमा तक बेहतर उपयोग करने के लिए, जिससे कि तिलहन उगाने वालों के हितों की सुरक्षा हो सके, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आयातित तेल का आबंटन दिसम्बर, 1988 से काफी कम कर दिया गया है। नवम्बर, 1988 और फरवरी, 1989 के महीनों के दौरान तेलों का राज्य-वार आवंटन दर्शाने वाला विवरण, जिसमे की गई कटौती की मात्रा दिखाई गई है, संलग्न है। देशीय तेलों की बढ़ी हुई उपलभ्यता और उसके फलस्वरूप आयात में की गई कमी की मौजूदा स्थिति में नवम्बर, 1988 में किए आवंटनों के स्तर पर तेलों का आवंटन पुनः बहाल करना वाछंनीय नहीं है।

### विवरण

| क्रम संख्या | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | नवम्बर, 88 आवंटन | फरवरी, 89 आवंटन | कुल कटौती |
|---|---|---|---|---|
| 1. | आन्ध्र प्रदेश | 8000 | 2800 | 5200 |
| 2. | अरूणाचल प्रदेश | 50 | 20 | 30 |
| 3. | असम | 350 | 100 | 250 |

| क्रम संख्या | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | सितम्बर, 88 आबंटन | जनवरी, 89 आबंटन | कुल कटौती |
|---|---|---|---|---|
| 4. | बिहार | 400 | 400 | — |
| 5. | गोवा | 600 | 500 | 100 |
| 6. | गुजरात | 13000 | 1000 | 12000 |
| 7. | हरियाणा | 1000 | 200 | 800 |
| 8. | हिमाचल प्रदेश | 1000 | 600 | 400 |
| 9. | जम्मू व कश्मीर | 900 | 960 | (+)60 |
| 10. | कर्नाटक | 5000 | 1750 | 3250 |
| 11. | केरल | 5000 | 3700 | 1300 |
| 12. | मध्य प्रदेश | 4000 | 1600 | 2400 |
| 13. | महाराष्ट्र | 15500 | 8400 | 7100 |
| 14. | मणिपुर | 500 | 200 | 300 |
| 15. | मेघालय | 350 | 140 | 210 |
| 16. | मिजोरम | 500 | 350 | 150 |
| 17. | नागालैण्ड | 450 | 325 | 125 |
| 18. | उड़ीसा | 1300 | 520 | 780 |
| 19. | पंजाब | 1000 | 300 | 700 |
| 20. | राजस्थान | 1000 | 300 | 700 |
| 21. | सिक्किम | 200 | 80 | 120 |
| 22. | तमिलनाडु | 9000 | 3600 | 5400 |
| 23. | त्रिपुरा | 350 | 100 | 250 |
| 24. | उत्तर प्रदेश | 2500 | 80. | 1700 |
| 25. | पश्चिम बंगाल | 9000 | 7600 | 1400 |
| 26. | अंडमान व निकोबार द्वीप समूह | 140 | 70 | 70 |
| 27. | चंडीगढ़ | 150 | 60 | 90 |
| 28. | दादरा व नगर हवेली | 80 | 40 | 40 |
| 29. | दिल्ली | 4250 | 1200 | 3050 |
| 30. | दमन | 40 | 40 | — |
| 31. | दीव | 30 | 30 | — |
| 32. | लक्षद्वीप | 50 | 30 | 20 |
| 33. | पांडिचेरी | 540 | 450 | 90 |
| | योग | 86230 | 38265 | 47965 |

## वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत बोर्ड का गठन

[हिन्दी]

*194. श्री हरीश रावत : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार ने वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के उपबन्धों के अन्तर्गत निर्माण कार्यों की अपेक्षित मंजूरी प्रदान करने के लिए एक बोर्ड का गठन किया है ;

(ख) यदि हां, तो बोर्ड के सदस्यों के नाम क्या है और इस क्षेत्र में उनकी योग्यता क्या है ; और

(ग) यदि कोई जन प्रतिनिधि इस बोर्ड का सदस्य है तो उसका नाम क्या है?

**वस्त्र मंत्री तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा)**: (क) केन्द्र सरकार को निम्नलिखित के बारे में सलाह देने की लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा 3 के प्रावधानों के तहत एक सलाहकार समिति गठित की गई है:

(1) अधिनियम की धारा 2 के तहत मंजूरी देना ; और

(2) वन संरक्षण से संबंधित कोई अन्य मामला जिसे केन्द्र सरकार द्वारा इस समिति को भेजा जाय।

(ख) और (ग) एक विवरण सभा पटल पर रखा गया है।

**विवरण**

| | | |
|---|---|---|
| अध्यक्ष | - | वन महानिरीक्षक<br>पर्यावरण और वन मंत्रालय<br>(भारतीय वन सेवा के अधिकारी) |
| सदस्य (सरकारी) | - | (1) अपर वन महानिरीक्षक<br>पर्यावरण और वन मंत्रालय<br>(भारतीय वन सेवा के अधिकारी)<br>(2) संयुक्त आयुक्त, भू संरक्षण<br>कृषि मंत्रालय |
| सदस्य (गैर- सरकारी) | - | (1) श्री चण्डी प्रसाद भट्ट<br>देश के एक प्रख्यात पर्यावरणविद<br>(2) डा.एस.एम. मोहनत<br>एक प्रख्यात प्राणिविज्ञानी<br>प्रणि विज्ञान, विभाग<br>जोधपुर विश्वविद्यालय<br>(3) डा.टी.एम. वर्गीज<br>एक प्रख्यात वनस्पति विज्ञानी और<br>अध्यक्ष, वनस्पति. विभाग,<br>हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय। |
| सदस्य-सचिव | - | उप वन महानिरीक्षक (वन संरक्षण)<br>पर्यावरण और वन मंत्रालय<br>(भारतीय वन सेवा के अधिकारी) |

**राष्ट्रीय वन आयोग**

[अनुवाद]

*195. **श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव:** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोचीन विज्ञान और प्रोद्योगिकी विश्वविद्यालय ने केन्द्रीय सरकार को भेजी अपनी रिपोर्ट में एक स्वायत्तशासी राष्ट्रीय वन आयोग गठित करने का सुझाव दिया है ;

(ख) यदि हां तो की गई सिफारिशों की मुख्य बातें क्या है ; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

***वस्त्र मंत्री तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा)***: (क) जी, हां।

(ख) एक विवरण सभा पटल पर प्रस्तुत है।

(ग) सरकार राष्ट्रीय वन आयोग की स्थापना करना जरूरी नहीं समझती है।

**विवरण**

**कोचीन यूनिवर्सिटी आफ साइन्स एंड टेक्नोलोजी द्वारा अध्ययन की सिफारिशें**

सिफारिशों की मुख्य विशेषताएं नीचे दी गई है :—

1. एक स्वतन्त्र राष्ट्रीय वन आयोग की स्थापना की जानी चाहिये, जिसमें पर्यावरणविद, वकील, प्रशासक और वानिकी विशेषज्ञ शामिल हों। आयोग को कार्य करने की स्वतन्त्रता होनी चाहिये तथा उसके पास बल प्रयोग (कोईयर्सिव) और कार्यान्वयन के लिए प्रभावी मशीनरी होनी चाहिए।

2. इसके पास तीन स्तरीय प्रशासनिक व्यवस्था होनी चाहिए अर्थात स्थानीय वन परिषद, क्षेत्रिय परिषद और राष्ट्रीय आयोग। विभिन्न राज्यों द्वारा हाल ही में नियुक्त वन कर्मचारियों को आयोग मे रख लिया जाना चाहिये।

3. इसके पास राष्ट्रीय वन सुरक्षा बल के रुप में प्रवर्तन बल होना चाहिए।

4. आयोग के पास वनों से संबंधित अपराधों से निपटने के लिए न्यायिक-अर्ध न्यायिक शक्तियां होनी चाहिए।

5. इसे परियोजनाओं के पर्यावरणीय प्रभावों के विभिन्न पहलुओं की जांच करनी चाहिए।

6. इस आयोग के मुख्य कार्य इस प्रकार है :

वन सम्बन्धी पर्यावरण से सम्बन्धित नीति तैयार करना, इस नीति के अनुसार सम्पूर्ण वन क्षेत्र का प्रबन्ध करना, वन क्षेत्रों में आदिवासी और अधिसूचित क्षेत्रों को छोड़कर, आदिवासी कल्याण कार्यक्रम का समन्वय और पर्यवेक्षण, वानिकों में प्रशिक्षण और अनुसंधान तथा वन संबधी आंकड़े एकत्रित करना, तैयार और वितरित करना।

## सहकारी समितियों के लिए पैनल

**[हिन्दी]**

*196. **श्री बलवंत सिंह रामूवालिया :**
**श्री दिनेश गोस्वामी :**

क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या दिल्ली प्रशासन ने दिल्ली विकास प्राधिकरण की आवास सरकार योजना के अंतर्गत पर्जीकृत सहकारी ग्रुप आवास समितियों को भूमि के आवंटन में सहायता देने हेतु एक नया उच्चशक्ति प्राप्त पैनल गठित करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां तो इसका इस पैनल को गठित करने का औचित्य क्या है और इसके मुख्य कृत्य क्या होगें ; और

(ग) सभी पर्जीकृत सहकारी ग्रुप आवास समितियों को कब तक जमीन दिये जाने की संभावना है ;

**शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह):**(क)और(ख) न्यू पैटर्न स्कीम,1979 के पंजीकृत को "आवास साकार योजना" के अन्तर्गत सहकारी सामूहिक आवास समितियाँ बनाने और पंजीकृत करने में सहायता देने के लिये दिल्ली विकास प्राधिकरण में एक विशेष डैस्क की स्थापना की गई है।

(ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण के पास भूमि की सीमित उपलब्धता और पंजीकृतों के बड़ी संख्या में पिछले बकाया को ध्यान में रखते हुए इस स्तर पर वह समय सीमा दर्शाना कठिन है जब पंजीकृत सहकारी सामूहिक आवास समितियों की भूमि की आवश्यकता को समायोजित करना सम्भव होगा। तथापि "आवास साकार योजना" के अन्तर्गय पंजीकृत समितियों को भूमि आवंटन में उच्च प्राथमिकता दैने का प्रस्ताव है।

## अस्पतालों .को जीवन रक्षक औषधियों की सप्लाई

**[अनुवाद]**

*197. **श्रीमती प्रभावती गुप्ता:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के अस्पतालों को जीवन रक्षक औषधियों की पर्याप्त सप्लाई नहीं की जाती है ;

**(ख) यदि हां तो इसके क्या कारण हैं; और**

(ग) सरकारी अस्पतालों को इन औषधियों की र्प्याप्त सप्लाई करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं अथवा उठाने का विचार है?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे):** (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग): प्रश्न नहीं उठते।

## वायुमंडल पर "ग्रीन हाऊस इफैक्ट" के कारण चिन्ता

*198. **श्री सोमनाथ रथ :** क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "ग्रीन हाऊस इफेक्ट" के कारण पृथ्वी के वायुमंडल का संतुलन बिगड़ रहा है और इस पर संपूर्ण विश्व को चिन्ता हो रही है;

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस संबंध में क्या नीति है तथा इस समस्या को हल करने हेतु क्रियान्वित किये जा रहे कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है; और

(ग) रासायनिक प्रदूषण के कारण "ओजोन" को हो रही क्षति को रोकने हेतु कौन से विशिष्ट कदम उठाये जा रहे हैं?

**वस्त्र मंत्री तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री(श्री राम निवास मिर्धा):** (क) और (ख): वैज्ञानिकों के अनुसार, ग्रीन हाउस इफैक्ट और विश्व व्यापी संकट के लिए वायुमंडल में कार्बनडाई आक्साइड और अन्य ग्रीन हाउस गैसों में हुई वृद्धि और भविष्य में इनमें होने वाली संभावित वृद्धि उत्तरदायी होंगे। इस विश्व व्यापी संकट से होने वाले क्षेत्रीय प्रभावों की सही जानकारी नहीं है। सरकार को ग्रीन हाउस इफैक्ट की समस्या की पूरी जानकारी है और इसके कारणों और प्रभावों का मूल्यांकन करने और उपयोगी योजनाएं तैयार करने के लिए वह अन्तर्राष्ट्रीय विचार-विमर्शों में सक्रिय रूप से भाग ले रही है। इस विश्वव्यापी समस्या के हल के लिए भारत का योगदान बहुत कम है लेकिन फिर भी, भारत ने इस योगदान में अपनी कमी को पूरा करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं :—

(1) वनों के कटान पर कठोर नियंत्रण,

(2) वनरोपण कार्यक्रम

(3) ऊर्जा का संरक्षण

(4) ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों का विकास, और

(5) प्रदूषण नियंत्रण।

(ग) ओजोन परत में मुख्यतया क्लोरोफ्लूरोकार्बनों और हालोन के उत्सर्जन से ह्रास हो रहा है। इन रसायनों का उपयोग मुख्यतया वातानुकूलन, प्रशीतन, अग्निशमन और एरोसोल में किया जाता है। लगभग 1.2 मिलियन टन की वार्षिक विश्वव्यापी खपत की तुलना में, भारत प्रतिवर्ष केवल लगभग 5000 टन की खपत करता है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के तत्वावधान में ओजोन में ह्रास लाने वाले पदार्थों के उत्पादन और खपत को। कम करने के लिए कुछ देशों ने 1987 में एक प्रोतोकोल पर हस्ताक्षर किए। भारत इस प्रोतोकोल में भाग लेने के मुद्दे पर विचार कर रहा है।

## शहरी विकास मंत्रालय के पुनर्गठन के प्रयोजनार्थ नियुक्त दल

*199. **श्री एच॰ एन॰ नंजे गौडा:**
**श्री लक्ष्मण मलिक:**

**क्या शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय शहरीकरण आयोग की सिफारिश के अनुसार शहरी विकास मंत्रालय के पुनर्गठन की संभाव्यता की जांच करने के प्रयोजनार्थ एक दल नियुक्त किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) प्रस्तावित दल द्वारा सरकार को अपनी रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत किए जाने की संभावना है;

**शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह):** (क) और (ख): शहरी विकास का प्रबन्ध करने के लिए सांस्थानिक व्यवस्था के संबंध में राष्ट्रीय शहरीकरण आयोग की सिफारिशों का जांच करने हेतु अधिकारियों तथा विशेषज्ञों के एक दल का गठन किया गया है शहरी विकास के लिए केन्द्रीय अभिकरणों के पुनर्गठनार्थ और शहरी विकास नीति तथा कार्यक्रमों को तैयार करने हेतु एक स्थायी सांस्थानिक यंत्रावली के लिए आयोग के सुझावों पर आगे विचार करने के लिए इस दल से कहा गया है।

(ग) इस दल द्वारा अपनी रिपोर्ट तीन माह के भीतर प्रस्तुत करने की आशा है।

## दिल्ली में ताप विद्युत केन्द्रों द्वारा प्रदूषण

*200 **श्री विष्णु मोदी:** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली में ताप विद्युत केन्द्रों से बहुत अधिक मात्रा में "फलाई ऐश" निकलती है, जिससे दिल्ली के वातावरण में प्रदूषण बढ़ रहा है;

(ख) क्या इस अपशिष्ट पदार्थ का उपयोग करने हेतु किसी तकनीक का विकास करने के लिए कोई अध्ययन किया गया है, यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या औद्योगिक कारखानों को इस अपशिष्ट पदार्थ का प्रयोग करने हेतु कोई प्रोत्साहन देने पर विचार किया जा रहा है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**वस्त्र मंत्री तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा):** (क) जी, हां।

(ख) हमारे देश में केन्द्रीय भवन अनुसधान संस्थान, रूड़की, केन्द्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान, दिल्ली, राष्ट्रीय सीमेंन्ट एंव भवन सामग्री परिषद, फरीदाबाद, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम और राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम जैसे विभिन्न संगठनों द्वारा निर्माण कार्य में फ्लाई ऐश का उपयोग करने के बारे में प्रौद्योगिकी को विकसित करने के लिए कुछ अध्ययन किए गए हैं।

(ग) फ्लाई ऐश का प्रयोग करने के लिए औद्योगिक इकाइयों को निम्नलिखित प्रोत्साहन दिए जाते हैं/दिए जाने का प्रस्ताव है:—

दिल्ली में स्थित ताप विद्युत संयत्रों द्वारा उत्पन्न फ्लाई ऐश की निःशुल्क सप्लाई।

फ्लाई ऐश से ईंटें बनाने के लिए ठेकेदारों को राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा जानकारी मुहैया कराना ।

— फ्लाई ऐश का प्रयोग करने वाले उद्योगों को दिल्ली में ताप विद्युत संयंत्रों के समीप लम्बी अवधि के पट्टे पर भूमि मुहैया कराना।

[हिन्दी]

## खान अब्दुल गफ्फार खां का स्मारक

*201. **श्री चन्द्रशेखर त्रिपाठी :** क्या शहरी विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फार खां के स्मारक का निर्माण करने के लिए भूमि आवंटित करने की मांग की गई है;

(ख) क्या सरकार ने इस मांग पर विचार किया है ;

(ग) यदि हां, तो स्मारक के निर्माण हेतु स्थान पर तथा कब तक भूमि आवंटित किये जाने का विचार है.

**शहरी विकास मंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवई)** (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते ।

## बम्बई में कपड़ा मिलें

[अनुवाद]

*202. डा॰ दत्ता सामन्त : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बम्बई में कितनी और कौन-कौन सी कपड़ा मिलें 1985 से 1988 के दौरान बंद की गई तथा इन मिलों के बन्द होने से कितने श्रमिक प्रभावित हुए हैं;

(ख) इन मिलों को पुनः चालू करने हेतु सरकार द्वारा क्या प्रयास किये गये हैं; और

(ग) इन मिलों को पुनः चालू करने हेतु राज्य सरकार द्वारा क्या-क्या सुझाव दिये गये हैं और इन पर क्या कार्यवाही की गई है?

**वस्त्र मंत्री तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा)**: (क) 1985-88 की अवधि के दौरान बम्बई में बन्द पड़ी सूती मानव निर्मित फाईबर वस्त्र मिलों के सम्बन्ध में जानकारी निम्नलिखित है:—

| मिल का नाम | प्रभावित कामगार |
|---|---|
| 1. न्यू ग्रेट ईस्टर्न स्पि॰ एण्ड वी॰ कं॰ लि॰, बम्बई | 1275 |
| 2. मार्डन मिल्स लि॰, नं॰ 2 | 2426 |
| 3. कमला मिल्स लि॰, बम्बई | 3050 |

(ख) देश में सम्भाव्य अर्थक्षम वस्त्रों के लिए पुनर्स्थापना पैकेजों की व्यवस्था करने के लिए जो नोडल एजेंसी स्थापित की गई थी उसने 31-12-1988 को बन्द पड़ी इन तीन मिलों में से दो मिलों की जांच की और उन्हें गैर-अर्थक्षम पाया। इन तीनों एककों के मामले ओद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण के लिए अब बोर्ड के पास है।

(ग) वस्त्र उद्योग की समस्याओं पर विचार करने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने विभिन्न हितों का प्रतिनिधित्व करने वाली, एक उच्चस्तरीय समिति की स्थापना का सुझाव दिया है। इस प्रकार की समिति श्री आबिद हुसैन की अध्यक्षता में पहले ही गठित कर दी गई है।

## पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय कपड़ा निगम की रूग्ण मिलों के विलय का निर्णय

*203. श्री बसुदेव आचार्य: क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय कपड़ा निगम के कुछ रूग्ण एककों का विलय करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या इन एककों के आधुनिकीकरण का भी प्रस्ताव है?

**वस्त्र मंत्री तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा)** (क): जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) आधुनिकीकरण निरन्तर चलने वाला कार्य है। पश्चिम बंगाल में एन टी सी मिलों का आधुनिकीकरण करने में 31-12-1988 तक लगभग 24 करोड़ रू० की राशि का निवेश किया जा चुका है।

## महाराष्ट्र में सहकारी कताई मिलों को सहायता

1734. **प्रो० मधु दंडवते:** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने विदर्भ, महाराष्ट्र और खंडेश के कपास उत्पादक क्षेत्रों में स्थित सहकारी कताई-मिलों को आवधिक ऋण सुविधाएं प्रदान करने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा मंत्रालय की सिफारिश के बावजूद निर्माणाधीन मिलों को उत्पादन शुरू करने के लिए अभी भी मियादी ऋण मंजूर नहीं किया जाता?

(ग) यदि हां, तो लगभग छह करोड़ रूपये के सदस्य-अंशदान के शीघ्र उपयोग के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

**वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रफीक आलम):** (क) जी, हां।

(ख) और (ग): वर्तमान नीति के अनुसार, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक तथा अन्य वित्तीय संस्थाएं नई आधारभूत कताई एककों का वितपोषण नहीं कर रहे हैं।

## होम्योपैथी औषधियों के लिए बजट में धन का आबंटन

1735. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह:** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या दो वर्षों के दौरान होम्योपैथी के लिए बजट में धन के आबंटन में वृद्धि की गई है; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) उपर्युक्त अवधि के दौरान राज्यों द्वारा इस धन-राशि के उपयोग का, राज्य-वार, ब्यौरा क्या है?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे)** (क) और (ख): विभिन्न राज्य सरकारों से अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और उसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा ।

## रूई का निर्यात और आयात

1736. **श्री प्रकाश वी० पाटिल:** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वर्ष 1987-88 के दौरान कितनी मात्रा में तथा किस किस्म की रूई का आयात किया गया;

(ख) इस अवधि के दौरान किस किस्म की रूई का निर्यात किया गया;

(ग) क्या ऐसे नये बाजारों का पता लगाया जाएगा जहां रूई की अतिरिक्त मात्रा का निर्यात किया जा सके; और

(घ) क्या ऐसे उत्पादन क्षेत्र विनिर्दिष्ट किये गये हैं जहां से रूई का उत्पादन केवल निर्यात के लिये किया जायेगा और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रफीक आलम)** (क) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) भारतीय कपास निगम लि० द्वारा बंगाल देशी रूई की 4,999 गोठें निर्यात की गई थीं।

(ग) रूई वर्ष 1987-88 के दौरान, चूंकि स्टैपल रूई के निर्यात स्थगित रहे इस लिए नए बाजारों का पता नहीं लगाया जा सका।

(घ) जी नहीं।

## पटसन के सामान के निर्यात के लिए बाजार सहायता योजना

1737. **श्री परसराम भारद्वाज** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने गैर-पारस्परिक पटसन सामान के निर्यात के लिए विदेश बाजार सहायता योजना को लागू करने का फैसला किया है; और

(ख) यदि हां, तो योजना का ब्यौरा क्या है?

**वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रफीक आलम)**: (क) जी हां।

(ख) संगठित पटसन मिलों और विकेन्द्रीकृत हथकरघा। हस्तशिल्प क्षेत्र के लिए अभी हाल में विदेश बाजार सहायता (ई एम ए) योजना शुरू की गई है। इस योजना के कार्यान्वयन के लिए पटसन विनिर्माण विकास परिषद को नोडीय अभिकरण बनाया गया है। योजना उन उत्पादों पर लागू होगी जोकि आन्तरिक बाजार सहायता योजना के अंतर्गत कवर होते हैं तथा यह आई एम ए के ही अनुरूप है। ई एम ए को एफ ओ बी वसूली के 10 प्रतिशत की समान दर प्रदान की जाएगी। योजना 31-3-1992 तक वैध है।

## केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के लिए दवाओं की खरीद

1738. **श्रीमती मनोरमा सिंह** :
**श्री एस० डी० सिंह** :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना द्वारा कितनी दवाओं को बड़ी और स्टैंडर्ड कम्पनियों से न खरीद कर स्थानीय दवा निर्माताओं से खरीदा जाता है;

(ख) इस प्रकार की खरीद के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या खरीद के समय इन दवाओं की गुणवत्ता की जांच की जाती है?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे)**: (क) से (ग) फार्मुलरी में सम्मिलित सभी एलोपैथिक दवायें चिकित्सा भंडार संगठन, से प्राप्त की जाती हैं जो पहले से परीक्षण की हुई 100 प्रतिशत एलोपैथिक दवाइयां सप्लाई कर रहा है। फार्मुलरी में सम्मिलित भारतीय चिकित्सा पद्धतियों और होम्योपैथी की दवायें इंडियन मेडिसिन फार्मास्यूटिकल कारपोरेशन लि० (सरकारी क्षेत्र का उपक्रम) से और केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत पंजीकृत फर्मों से प्राप्त की जाती हैं। आयुर्वेदिक और यूनानी दवाइयों की गुणवत्ता की जांच के लिए ऑर्गेनोलेप्टिक परीक्षण का तरीका अपनाया जाता है जबकि होम्योपैथिक दवाइयों की जांच उन्हें स्वीकार करने से पहले होम्योपैथिक फार्माकोपिया प्रयोगशाला गाजियाबाद द्वारा करा ला जाती है।

## भारतीय कपास निगम द्वारा कपास की खरीद

**[अनुवाद]**

1739. **श्री आर० एम० मोर्य** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने पूरे मौसम के दौरान कपड़ा उद्योग को कपास की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु भारतीय कपास निगम को पर्याप्त मात्रा में कपास खरीदने का निर्देश दिया है;

(ख) यदि हां तो निगम द्वारा वर्ष 1987 और 1988 की अवधि के दौरान की गई खरीद का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इससे स्थानीय बाजार में कपास के मूल्य में आई गिरावट को कहां तक नियंत्रित किया गया है?

**वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रफीक आलम):** (क) भारतीय कपास निगम को यह निर्देश दिया गया है कि वह मूल्य समर्थन प्रचालनों के अन्तर्गत उपजकर्त्ताओं के कपास उस समय खरीदे जब बाजार कीमतें न्यूनतम समर्थन स्तर पर हों। निगम को यह भी निर्देश दिया गया है कि वह संस्थागत क्रेताओं को मौजूदा बाजार कीमतों पर आपूर्ति करने के लिए अपने ही जोखिम पर वाणिज्यिक कार्यों की जिम्मेदारी ले।

(ख) और (ग) वाणिज्यिक कार्य के अन्तर्गत निगम ने कपास वर्ष 1987-88 में 6.50 लाख गांठें खरीदीं। चालू कपास वर्ष 1988-89 (सितम्बर, 1988 से 2-3-1989 तक के दौरान निगम ने अब तक 3.96 लाख गांठों की खरीद की। कपास वर्ष 1987-88 के दौरान और चालू कपास मौसम के दौरान भी कीमतें न्यूनतम समर्थन स्तर में काफी ऊपर बनी रहीं और निगम के लिए मूल्य समर्थन प्रचालन का अवसर ही नहीं आया।

## भारतीय खाद्य निगम और हिंदुस्तान वेजिटेबल आयल कार्पोरेशन लिमिटेड में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लोगों के लिए आरक्षण समाप्त करना

1740. **श्री बनवारी लाल बेरवा:** क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 31 दिसम्बर, 1988 की स्थिति के अनुसार भारतीय खाद्य निगम, दिल्ली राज्य नागरिक पूर्ति निगम और हिंदुस्तान वेजिटेबल आयल कार्पोरेशन लिमिटेड में श्रेणी एक, दो और तीन के पृथक-पृथक कितने कर्मचारी कार्यरत थे और उनमें से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के कितने कर्मचारी थे;

(ख) उपर्युक्त निगमों में गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कितने पदों का सीधी भर्ती और पदोन्नति के कोटा में से आरक्षण समाप्त कर दिया गया; और

(ग) सरकार ने उपर्युक्त निगमों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए पदों का आरक्षण समाप्त करने को रोकने हेतु क्या उपाय किए हैं?

**खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री डी॰ एल॰ बैठा):** (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभापटल पर रख दी जाएगी।

## सूती धागे का निर्यात

1741. **श्री गुरुदास कामत:** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सूती धागे के निर्यात की कोई सीमा निश्चित की गई है; यदि हां, तो तत्सम्बंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) वर्ष 1987-88 के दौरान सूती धागे की कितनी मात्रा का निर्यात किया गया और उसका मूल्य कितना था; और

(ग) वर्ष 1988-89 के दौरान इसका कितना निर्यात किये जाने का अनुमान है?

**वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रफीक आलम):** (क) वर्ष 1989 के दौरान 1 से 60 काउन्ट समूह में सूती यार्न के निर्यातों की 40 मिलियन किग्रा अधिकतम वार्षिक सीमा के भीतर अनुमति है। तथापि इस काउन्ट में हैंक यार्न के निर्यातों की अनुमति नहीं है। 61 से ऊपर के काउन्टों के सूती यार्न के निर्यात पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है।

(ख) और (ग) सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद के अनुसार 1987-88 के दौरान सूती यार्न के निर्यात 341.3 करोड़ रु॰ मूल्य के 85.41 मिलियन किग्रा रहे। परिषद के प्राकलन के अनुसार 1988-89 के दौरान सूती यार्न के निर्यात लगभग 40 मिलियन किग्रा रहेंगे।

## सातवीं योजना के दौरान शिशु मृत्यु दर में कमी

1742. प्रो॰ नारायण चन्द पराशर: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शिशु मृत्यु दर में कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो 1 अप्रैल,1985 और 1 जनवरी, 1989 को वास्तविक मृत्यु दर क्या थी और उक्त मृत्यु दर में कमी लाने के लिए क्या विभिन्न कदम उठाए जा रहे हैं तथा प्रत्येक योजना के प्रारम्भ तथा अन्त में मृत्यु दर संबंधी आंकड़ों का तुलनात्मक ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इस मृत्यु दर में तेजी से कमी लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाये जा रहे हैं तथा हमारे देश के संदर्भ में अन्य विकासशील एशियाई देशों के तत्संबंधी आंकड़ों का तुलनात्मक ब्यौरा क्या है?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे):** (क) और (ख) जी हां। भारत के महापंजीयक की नमूना पंजीयन पद्धति के अनुमानों के अनुसार विभिन्न वर्षों की शिशु मृत्यु दर इस प्रकार है —

| वर्ष | दर |
|---|---|
| 1976 | 129.0 |
| 1977 | 130.0 |
| 1978 | 127.0 |
| 1979 | 120.0 |
| 1980 | 113.9 |
| 1981 | 110.4 |
| 1982 | 104.8 |
| 1983 | 104.9 |
| 1984 | 104.0 |
| 1985 | 97.0 |
| 1986 | 96.0 |
| 1987 | 95.0 |

शिशु मृत्यु दर में गिरावट के रूख का कारण लोगों के स्वास्थ्य और पोषण स्तर में सुधार होना और बेहतर प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं का होना है।

(ग) सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में पारम्परिक दाइयों के प्रशिक्षण कार्य को तेज करने, उपकेन्द्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की व्यवस्था को सुदृढ़ करने और अधिक से अधिक लोगों को रोग-प्रतिरक्षण की सुविधाएं प्रदान करने, ओरल रिहाइड्रेशन थिरेपी के बारे में व्यापक रूप से जानकारी देने, स्तन-पान, शिशुओं को दूध छुड़ाने जैसे स्वास्थ्य बनाए रखने संबंधी कार्यों को बढ़ावा देने, पोषण की कमी से होने वाली रक्ताल्पता से रोकथाम और समन्वित बाल विकास सेवा योजना के अन्तर्गत पूरक पोषण की व्यवस्था कर रही है। दक्षिण पूर्व एशिया के चुने हुए अन्य विकासशील देशों में शिशु मृत्यु दर इस प्रकार है —

| | 1986 |
|---|---|
| अफगानिस्तान | 177.0 |
| बंगलादेश | 133.0 |
| नेपाल | 136.0 |
| इंडोनेशिया | 77.0 |
| ईरान | 110.0 |
| मालदीव | 68.0 |
| भूटान | 137.0 |
| पाकिस्तान | 126.0 |
| श्रीलंका | 30.0 |
| बर्मा | 104.0 |
| मलेशिया | 27.0 |
| फिलीपीन्स | 59.0 |
| सिंगापुर | 9.0 |
| थाइलैंड | 52.0 |
| वियतनाम | 69.0 |

## अमृतसर में भारतीय खाद्य निगम का गिरोह

1743. **श्री चिन्तामणि जेना:** क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में पुलिस ने अमृतसर में भारतीय खाद्य निगम में हुए गोलमाल का पर्दाफाश किया है;

(ख) यदि हां, तो भारतीय खाद्य निगम के कितने कर्मचारियों को इसमें शामिल पाया गया और उन में से कितने कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया;

(ग) वर्ष 1988 के दौरान इन व्यक्तियों द्वारा कितने खाद्यान्न की उठाई-गिरी/चोरी की गई; और

(घ) दोषी पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई?

**खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री डी० एल० बैठा) : (क) और (ख)** भारतीय खाद्य निगम ने निम्नानुसार सूचित किया है: पंजाब पुलिस ने 30.1.89 को एक मामला दर्ज किया जिसमें अमृतसर जिले में तरन-तारन में षड्यंत्र करने और भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से खाद्यान्नों की चोरी/गबन करने के आरोप लगाए गए हैं। भारतीय खाद्य निगम के नौ कर्मचारियों, तीन ठेकेदारों, तीन मजदूर पल्लेदारों, एक ट्रक के मालिक और एक ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार किया गया है।

(ग) और (घ) क्या कोई चोरी/हानि हुई है अथवा नहीं अथवा किसी कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी अथवा नहीं, यह सब चोरी/हानि के आरोप सिद्ध होने के बाद तथा स्टाक की प्रत्यक्ष जांच करने पर निर्भर करेगा।

## आवश्यक वस्तु अधिनियम तथा खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के अंतर्गत मुकदमे

1744. **श्री शान्ताराम नायक:** क्या खाद्य तथा नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनवरी, 1988 से जनवरी, 1989 तक आवश्यक वस्तु अधिनियम तथा खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के अंतर्गत राज्यवार कितने व्यक्तियों पर मुकदमा चलाया गया?

*खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री डी॰ एल॰ बैठा)*: आवश्यक वस्तु अधिनियम से संबंधित सूचना दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के बारे में सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

**विवरण**

(राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त रिपोर्टों पर आधारित) जनवरी-दिसम्बर, 1988 की अवधि के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत दोषी सिद्ध व्यक्तियों की संख्या

| क्र. सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | दोषी सिद्ध व्यक्तियों की संख्या |
|---|---|---|
| 1. | आंध्र प्रदेश | 50 |
| 2. | असम | 8 |
| 3. | अरुणाचल प्रदेश | शून्य |
| 4. | बिहार | प्रा. न. |
| 5. | गुजरात | 22 |
| 6. | हरियाणा | शून्य |
| 7. | हिमाचल प्रदेश | शून्य |
| 8. | गोवा | शून्य |
| 9. | जम्मू तथा कश्मीर | 47 |
| 10. | कर्नाटक | शून्य |
| 11. | केरल | 97 |
| 12. | मध्य प्रदेश | 65 |
| 13. | महाराष्ट्र | 1 |
| 14. | मणिपुर | 2 |
| 15. | मेघालय | शून्य |
| 16. | मिजोरम | शून्य |
| 17. | नागालैण्ड | शून्य |
| 18. | उड़ीसा | 1 |
| 19. | पंजाब | शून्य |
| 20. | राजस्थान | 12 |
| 21. | सिक्किम | शून्य |
| 22. | तमिल नाडु | 42 |
| 23. | त्रिपुरा | 8 |
| 24. | उत्तर प्रदेश | 73 |
| 25. | पश्चिम बंगाल | शून्य |
| 26. | अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह | शून्य |
| 27. | चंडीगढ़ | 1 |
| 28. | दादरा तथा नगर हवेली | शून्य |
| 29. | दिल्ली | 32 |
| 30. | दमन तथा दीव | शून्य |
| 31. | लक्षद्वीप | शून्य |
| 32. | पांडिचेरी | 26 |

जनवरी, 1989 के बारे में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से आंकड़े प्राप्त नहीं हुए है।

## बिना दावे वाली कर्मचारी भविष्य निधि की राशि

1745. **श्री अनन्त प्रसाद सेठी:** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 31 दिसम्बर, 1988 की स्थिति के अनुसार दावा न की गई कर्मचारी भविष्य निधि की राज्य-वार अनुमानतः कितनी धनराशि सरकार के पास जमा है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष वार दावे वाली भविष्य निधि की कितनी धनराशि का भुगतान किया गया; और

(ग) सरकार द्वारा बकाया राशियों का भुगतान करने हेतु अंशदाताओं और उनके आश्रितों का पता लगाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है?

**श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री राधाकिशन मालवीय):** (क) 31 दिसम्बर, 1988 की स्थिति के अनुसार सूचना सहज उपलब्ध नहीं है। तथापि, 31.3.88 को स्थिति के अनुसार राज्य-वार सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान अदावाकृत भविष्य निधि राशि निम्नानुसार है:-

| वर्ष | भुगतान की गई राशि (रु० लाखों में) |
|---|---|
| 1985-86 | 15.18 |
| 1986-87 | 26.14 |
| 1987-88 | 45.05 |

(ग) कर्मचारी भविष्य निधि प्राधिकारी उचित प्रचार करके तथा अदावाकृत जमा राशि के ब्यौरे कारखानों/प्रतिष्ठानों के नोटिस बोर्डों पर लगा कर तथा ऐसे कारखानों और प्रतिष्ठानों में कार्यरत ट्रेड यूनियनों के सहयोग प्राप्त करके भी अंशदाताओं/उपयुक्त दावेदारों का पता लगाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं।

### विवरण

| क्रमांक | क्षेत्र का नाम | 31.3.1988 को अदावाकृत भविष्य निधि की राशि (रु० करोड़ों में) |
|---|---|---|
| 1. | आन्ध्र प्रदेश | 3.00 |
| 2. | बिहार | 0.08 |
| 3. | दिल्ली | 4.89 |
| 4. | गुजरात | 0.99 |
| 5. | हरियाणा | 3.44 |
| 6. | कर्नाटक | 2.30 |
| 7. | केरल | 0.06 |

| क्रमांक | क्षेत्र का नाम | 31.3.1988 को अदावाकृत भविष्य निधि की राशि (रु० करोड़ों में) |
|---|---|---|
| 8. | महाराष्ट्र | 5.05 |
| 9. | मध्य प्रदेश | 0.16 |
| 10. | उत्तर-पूर्वी क्षेत्र | 0.25 |
| 11. | उड़ीसा | 0.07 |
| 12. | पंजाब | 3.14 |
| 13. | राजस्थान | 0.23 |
| 14. | तमिलनाडु | 0.20 |
| 15. | उत्तर प्रदेश | 0.08 |
| 16. | पश्चिम बंगाल | 1.89 |
| | | कुल 25.83 |

## वाराणसी में रेशम वस्त्र उद्योग

1746. **श्री मुरलीधर माने:** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वाराणसी में रेशम वस्त्र उद्योग बंद होने की स्थिति में है; और

(ख) यदि, हां, तो केन्द्रीय सरकार द्वारा इस उद्योग को पुनर्जीवित करने तथा बुनकरों की सहायता करने हेतु कौन से कदम उठाये गये हैं?

**वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रफीक आलम):** (क) जी नहीं।

(ख) सरकार ने रेशम यार्न की कीमत वृद्धि को रोकने के उद्देश्य से स्वदेशी खपत हेतु केन्द्रीय रेशम बोर्ड की मार्फत 100 मी० टन कच्चे रेशम के आयात की अनुमति दे दी है। 36 मी० टन कच्चा रेशम पहले ही पहुंच गया है और वाराणसी के बुनकरों सहित वास्तविक प्रयोक्ताओं को सप्लाई हेतु अभिज्ञात बुनकर संगठनों को आबंटित कर दिया गया है।

## उड़ीसा में डोलोमाइट खानों में कार्यरत श्रमिक

1747. **श्रीमती जयन्ती पटनायक:**
**श्री हरिहर सोरन:**

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उड़ीसा स्थित विभिन्न डोलोमाइट खानों में लगभग कितने श्रमिक कार्य कर रहे हैं;

(ख) इन श्रमिकों के कल्याण के लिए तैयार की गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन योजनाओं के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों के दौरान कितने श्रमिकों को सहायता दी गई?

**श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री राधाकिशन मालवीय):** (क) उड़ीसा में डोलोमाइट खानों में कार्यरत कर्मकारों की अनुमानित संख्या 3,300 है।

(ख) और (ग) खान कर्मकारों और उनके परिवारों को (1) चिकित्सा (2) आवास (3) शिक्षा (4) मनोरंजन और (5) जल आपूर्ति सुविधाएं प्रदान करने के लिए चूना पत्थर और डोलोमाइट खान श्रम

कल्याण निधि के अंतर्गत अनेक स्कीमें कार्यान्वित की जा रही हैं। इस स्कीमों के अंतर्गत लाभ प्राप्त कर्मकारों के ब्यौरे नहीं रखे जाते।

## "लैक आफ फन्डस हिट्स हैल्थ स्कीमस" शीर्षक से समाचार

1748. **श्री जितेन्द्र प्रसादः** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या-सरकार का ध्यान 2 फरवरी, 1989 के "टाइम्स आफ इंडिया" में "लैक आफ फन्डस हिट्स हैल्थ स्कीम्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के लिए निर्धारित वर्तमान धनराशि में वृद्धि करने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे):** (क) सरकार ने यह समाचार देखा है।

(ख) और (ग) वर्ष 1989-90 के लिए योजना आयोग द्वारा अस्थायी रूप से निम्न प्रकार धन राशि आंबंटित की गई है:-

| | (करोड़ रु० में) वार्षिक प्लान आवटन | |
|---|---|---|
| क. **स्वास्थ्य क्षेत्र** | 1988-89 | 1989-90 |
| (1) केन्द्रीय | 228 | 240 |
| (2) राज्य/संघ राज्यक्षेत्र | 640 | अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है किन्तु चालू वर्ष के स्तर से अधिक आबंटित किए जाने की संभावना है |
| ख. **परिवार कल्याण क्षेत्र** | 600 | 653 |

## खानों में जिन्दा दफन हुए व्यक्ति

**[हिन्दी]**

1749. **श्री कमला प्रसाद रावतः** क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) दिनांक 1 जनवरी, 1988 से 31 जनवरी, 1989 तक विभिन्न खानों में कितने व्यक्ति जिन्दा दफन हो गए;

(ख) क्या मृतकों के आश्रितों को पूरा मुआवजा दे दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो प्रत्येक मामले में मुआवजे की कितनी धनराशि का भुगतान किया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और मुआवजे का कब तक भुगतान किया जाएगा?

**श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री राधाकिशन मालवीय)** (क) से (घ): पहली जनवरी, 1988 से 31 जनवरी, 1989 तक विभिन्न खानों में ग्राउन्ड गिरने से 49 व्यक्तियों की घटना स्थल पर मृत्यु हो गई तथा 67 व्यक्ति उनको लगी चोटों के बाद मर गए। कर्मकार प्रतिकर अधिनियम 1923 के अधीन मुआवजा दिया जाता है । इस अधिनियम की व्यवस्था, राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा की जाती है। इस संबंध में सूचना नहीं रखी जाती है।

## असम में रोपण श्रमिकों की कल्याण सुविधाएं

**[अनुवाद]**

1750. **श्री पीयूष तिरकीः** क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या चाय बागान श्रमिकों को उपलब्ध वर्तमान कल्याण सुविधाएं अभी तक असम के चाय बागानों में कार्यरत श्रमिकों को नहीं दी गयी हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इन सुविधाओं को उन्हें शीघ्र देने हेतू क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

**श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री राधाकिशन मालवीय)** (क) से (ग): बागान श्रम अधिनियम, 1951 का प्रवर्तन करने का उत्तरदायित्व संबंधित राज्य सरकार का है। सूचना असम सरकार से एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

## विद्युत करघा क्षेत्र के लिए कृतिक बल की सिफारिश

1751. **श्री सैयद शाहबुद्दीनः** क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने विकेन्द्रित विद्युत करघा क्षेत्रों की ऋण संबंधी आवश्यकताओं का अध्ययन करने के लिए मई 1987 में गठित किये गए अध्ययन दल की सिफारिशों पर विचार किया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा ऋण में वृद्धि करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या विद्युत करघा क्षेत्रों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए है, जिनमें उन्होंने सरकार से अनुरोध किया है कि उन्हें सरकार से और अधिक सुविधायें उपलब्ध की जायें और उन्हें प्रोत्साहन देने के उपाय किये जायें; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार ने क्या उत्तर दिया है?

**वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रफीक आलम)** (क) से (घ) : कार्यदल की सिफारिशें विचाराधीन हैं। इन सिफारिशों में कमोबेश रूप में वे सभी विषय शामिल हैं जो पावरलूम एसोसिएशनों आदि द्वारा समय-समय पर उठाए गए।

## सामुदायिक स्वास्थ्य मार्गदर्शकों को मेडिकल किटों की सप्लाई न किया जाना

1752. **श्री डी॰बी॰ पाटिल:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत दो वर्षों से पूरे देश में सामुदायिक स्वास्थ्य मार्गदर्शकों को मेडिकल किटों की सप्लाई नहीं की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण है; और

(ग) उपरोक्त अवधि के दौरान सामुदायिक स्वास्थ्य मार्गदर्शकों को मानदेय के रूप में कितनी राशि दी गई?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री ( कुमारी सरोज खापर्डे):** (क) और (ख) साधनों की कठिनाई के कारण पिछले दो वर्षों के दौरान ग्राम स्वास्थ्य गाइडों और औषधों के लिए धन के लिए धन का आबंटन करना संभव नहीं हो सका है।

(ग) पिछले दो वर्षों के दौरान ग्राम स्वास्थ्य गाइडों को मानदेय का भुगतान करने के लिए राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों को 2166.11 लाख रु॰ की राशि रिलीज की गई है।

## कपड़ा उद्योग संबंधी गुजरात समिति की सिफारिशें

1753. **डा॰ ए॰के॰ पटेल:** क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कपड़ा उद्योग संबंधी गुजरात समिति ने किन प्रमुख क्षेत्रों का पता लगाया है;

(ख) केन्द्रीय सरकार ने समिति की किन सिफारिशों को स्वीकार किया है;

(ग) किन सिफारिशों को लागू किया है; और

(घ) इन से क्या परिणाम निकले हैं?

**वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रफीक आलम):** (क) गुजरात सरकार द्वारा गठित त्रिपक्षीय समिति ने इन तीन थ्रस्ट क्षेत्रों का पता लगाया:-

(1) अन्य मिलें बन्द करने के जोखिम को कम करना तथा उन मिलों को पुनः खोलना जिन्हें अर्थक्षम बनाया जा सकता है;

(2) जो कामगार बेरोजगार हो गए हैं उनकी वैधानिक बकाया राशि तथा अन्य राहतों का भुगतान;

(3) रोजगार के वैकल्पिक स्त्रोतों का सृजन।

(ख) से (घ). समिति की सिफारिशों की उचित कार्रवाई के लिए जांच की गई है। कुछ मामलों में पहले ही कार्रवाई की जा चुकी है जबकि अन्य मामलों को स्वीकार्य नहीं पाया गया। अन्य मंत्रालयों से संबंधित सिफारिशों को राज्य सरकार द्वारा सम्बंद्ध मंत्रालयों के साथ उठाया गया है। कुछ मामलों में कार्रवाई राज्य सरकार द्वारा ही की जानी है।

## राज्यों को खाद्य तेलों का आवंटन

1754. **श्री उत्तम राठौड़:** क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1988-89 के दौरान अब तक आयातित खाद्य तेल के महीनेवार आवंटन का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या महाराष्ट्र सरकार ने आयातित खाद्य तेलों के आवंटन में वृद्धि करने का अनुरोध किया है; और

(ग) यदि हां, तो इस पर केंद्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

**खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री डी० एल० बैठा):** (क) एक विवरण संलग्न है, जिसमें तेल वर्ष 1988-89 के दौरान आयातित खाद्य तेलों का राज्यवार, माहवार आवंटन दर्शाया गया है।

(ख) जी हाँ।

(ग) देशीय तेलों की अधिक मात्रा में उपलभ्यता और उसके फलस्वरूप आयात में की गई कटौती की वर्तमान स्थिति में महाराष्ट्र को आयातित खाद्य तेलों के मासिक आवंटन में वृद्धि करनी संभव नहीं है।

## विवरण

तेल वर्ष 1988-89 (नवम्बर-अक्तूबर) के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों को दिए गए आवंटन को दर्शाने वाला विवरण

(मात्रा मी. टन में)

| क्र० सं० | राज्य / संघ राज्य क्षेत्र का नाम | नवम्बर, 1988 | दिसम्बर, 1988 | जनवरी, 1989 | फरवरी, 1989 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | आन्ध्र प्रदेश | 8000 | 2800 | 2800 | 2800 |
| 2. | अरूणाचल प्रदेश | 50 | 20 | 20 | 20 |
| 3. | असम | 350 | 100 | 100 | 100 |
| 4. | बिहार | 400 | 160 | 160 | 400 |
| 5. | गोवा | 600 | 600 | 400 | 500 |
| 6. | गुजरात | 13000 | 4550 | 2550 | 1000 |
| 7. | हरियाणा | 1000 | 400 | 400 | 200 |
| 8. | हिमाचल प्रदेश | 1000 | 400 | 600 | 600 |
| 9. | जम्मू और कश्मीर | 900 | 360 | 760 | 960 |
| 10. | कर्नाटक | 5000 | 1750 | 1750 | 1750 |
| 11. | केरल | 5000 | 3500 | 3500 | 3700 |
| 12. | मध्य प्रदेश | 4000 | 1600 | 1600 | 1600 |
| 13. | महाराष्ट्र | 15500 | 6400 | 8400 | 8400 |
| 14. | मणिपुर | 500 | 200 | 200 | 200 |
| 15. | मेघालय | 350 | 140 | 140 | 140 |
| 16. | मिजोरम | 500 | 350 | 350 | 350 |
| 17. | नागालैण्ड | 450 | 315 | 315 | 325 |
| 18. | उड़ीसा | 1300 | 520 | 520 | 520 |
| 19. | पंजाब | 1000 | 400 | 400 | 300 |
| 20. | राजस्थान | 1000 | 400 | 400 | 300 |
| 21. | सिक्किम | 200 | 80 | 80 | 80 |
| 22. | तमिल नाडु | 9000 | 6300 | 6300 | 3600 |
| 23. | त्रिपुरा | 350 | 140 | 140 | 100 |
| 24. | उत्तर प्रदेश | 2500 | 1000 | 1000 | 800 |
| 25. | पश्चिम बंगाल | 9000 | 3600 | 5600 | 7600 |
| 26. | अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह | 140 | 56 | 56 | 70 |
| 27. | चंडीगढ़ | 150 | 60 | 60 | 60 |
| 28. | दादरा तथा नगर हवेली | 80 | 32 | 32 | 40 |

| क्र० सं० | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम | नवम्बर, 1988 | दिसम्बर, 1988 | जनवरी, 1989 | फरवरी, 1989 |
|---|---|---|---|---|---|
| 29. | दिल्ली | 4250 | 1700 | 1700 | 1200 |
| 30. | दमन | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 31. | दीव | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 32. | लक्षद्वीप | 50 | 20 | 20 | 30 |
| 33. | पांडिचेरी | 540 | 500 | 390 | 450 |
| | योग: | 86230 | 38523 | 40673 | 38265 |

## कुवैत में भारतीय निर्माण कामगारों द्वारा हड़ताल

1755. **श्री पी.एम. सईद:** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को कुवैत में भारतीय निर्माण कामगारों द्वारा हड़ताल किये जाने के बारे में कोई रिपोर्ट प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि भारतीय नियोजकों ने कामगारों को महीनों तक मजदूरी नहीं दी और यदि हां, तो इस संबंध में नवीनतम स्थिति क्या है; और

(घ) मजदूरी के निपटारे के लिए क्या कदम उठाये गए हैं?

**श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री राधाकिशन मालवीय):** (क) जी, हां।

(ख) से (घ): कुवैत में भारतीय दूतावास द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के अनुसार, समान प्रोपराइटर अर्थात मैसर्स अल-वरदाह ट्रेडिंग एंड डेवल्पमेंट कं. और मैसर्स अल फावारेस कन्स्ट्रक्शन एंड डेवेल्पमेंट कम्पनी के अधीन कुवैत के अल-क्वाराइन क्षेत्र में एक आवास योजना पर काम के लिए कुवैत की दो कम्पनियों द्वारा भर्ती किए गए लगभग 1000 भारतीय कर्मकारों ने मजदूरी का भुगतान न किए जाने के कारण जनवरी, 1989 माह के तीसरे सप्ताह से काम करना बन्द कर दिया। भारतीय मिशन ने कुवैत के नियोजक तथा उप-ठेकेदारों के साथ तत्परता से मध्यस्थता की और समस्या के निपटान के लिए कुवैत सरकार के साथ मामले को भी उठाया। मिशन ने कर्मकारों के प्रतिनिधियों, प्रबंधतंत्र और उप-ठेकेदारों के साथ निरन्तर सम्पर्क बनाए रखा और यह कुवैत सरकार के साथ मामले की पैरवी कर रहा है। इस मामले को कुवैत के विदेश राज्य मंत्री के साथ उनके हाल ही के भारत दौरे के दौरान भी उठाया गया है।

## चीनी लाइसेंस नीति की पुनरीक्षा

1756. **श्री शान्ति लाल पटेलः**
**श्री एस०एम० गुरड्डीः**

**क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का चीनी मिल की प्रारम्भिक क्षमता और नई चीनी फैक्टरी तथा मौजूदा चीनी फैक्टरी के बीच अपेक्षित दूरी के संबंध में चीनी लाइसेंस नीति की पुनरीक्षा करने का विचार है;

(ख) क्या 11 दिसम्बर, 1988 को मद्रास में साउथ इंडियन शूगरकेन एण्ड शुगर टेक्नोलोजिस्ट एसोसिएशन की एक विचार गोष्ठी हुई थी :

(ग) यदि हां, तो उस विचार गोष्ठी में किन-किन विषयों पर चर्चा हुई; और

(घ) सरकार द्वारा इस दिशा में क्या अनुवर्ती कार्यवाही की गई?

**खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री डी०एल० बैठा):** (क) केन्द्रीय सरकार सातवीं योजनावधि के लिए चीनी लाइसेंस नीति की विशेषतया औद्योगिक रूप से पिछड़े हुए इलाकों में स्थापित की जाने वाली नयी चीनी फैक्ट्रियों के लिए 2500 टी० सी० डी० की आरम्भिक क्षमता तथा नयी चीनी फैक्ट्रियों तथा वर्तमान चीनी फैक्ट्रियों के बीच 40 किलोमीटर कीअरीय दूरी के संबंध में सीमित समीक्षा करने पर विचारकर रही है। इस संबंध में अभी अन्तिम रूप सेनिर्णय लिया जाना है।

(ख) और (ग): साउथ इंडियन शुगरकेन एंड शुगर टैक्नोलाजिस्ट्स एसोसिएशन का एक सेमीनार 11.12.1988 को मद्रास में आयोजित किया गया था। इस सेमीनार में निम्नलिखित दो विषयों पर विचार-विमर्श किया गया:—

(1) 1250 टी०सी०डी० के प्लांट का विस्तार कर उसे 2500 टी०सी०डी० प्लोट बनाना; और

(2) गन्ने की पर्याप्त आपूर्ति करने के लिए किए जाने वाले उपाय जिनसे फैक्ट्रियां वर्ष में कम से कम 180 दिनों के लिए पिराी कर सकें।

(घ) इस सैमीनार का आयोजन प्राइवेट संस्था द्वारा किया गया था। इस सेमीनार में यदि कोई सिफारिशें की गई थी तो उनके बारे में सरकार को सूचित नहीं किया गया है।

## पेय जल में कीटनाशक दवाएं

1757. **श्री पी० आर० एस० वेंकटेशन** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या शहरों में सप्लाई किये जाने वाले पेय जल में कीटाणुओं का पता लगाने के लिए जांच की जाती है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे):** (क) और (ख) पेय जल के भौतिक तथा रासायनिक मानक शहरी विकास मंत्रालय द्वारा प्रकाशित "मैनुअल ऑन वाटर सप्लाई एंड ट्रीटमेंट" में निर्धारित किए गए हैं। शहरों में पानी की आपूर्ति का कार्य देख रहे राज्य सरकारों के स्थानीय निकायों से आशा की जाती है कि वे पेय जल की नियमित मानीटरिंग करें।

देश में जल स्रोतों में प्रदूषण रोकने और नियंत्रित करने के लिए केन्द्रीय तथा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भी जल संबंधी अधिनियम को कार्यान्वित कर रहे हैं।

## कोला पेयों का स्वास्थ्य पर प्रभाव

1758. **श्री पी॰ आर॰ कुमारमंगलम्** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अन्य विभिन्न देशों की तरह भारत में भी कोला पेयों का स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव की जांच एवं अध्ययन किया गया और

(ख) यदि नहीं, तो क्या ऐसा अध्ययन किए जाने का प्रस्ताव है?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे)**: (क) और (ख) जी, हां। स्वास्थ्य पर कोला पेयों के प्रभाव पर अध्ययन किया गया है और यह पाया गया है कि इससे बुरा प्रभाव पड़ने की सम्भावना नहीं है।

## दो औषधियों में "एड्स वाइरस" का पाया जाना

1759. **श्री एम॰ रघुमा रेड्डी:**
**श्री धर्म पाल सिंह मलिक:**
**श्री वी॰ तुलसी राम:**
**श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन:**
**श्री बालासाहिब विखे पाटिल:**

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या औषध नियंत्रक, बम्बई का एक फर्म द्वारा एड्स वाइरसयुक्त उत्पादित दो औषधियों का प्रयोग न करने हेतु अस्पतालों और चिकित्सकों को सतर्क किया है जैसाकि 11 फरवरी 1989 के "इंडियन एक्सप्रेस" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो औषध नियंत्रक द्वारा प्रतिबंधित की गई इन औषधियों का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या इन औषधियों को प्रयोग हेतु पारित करते समय विशेषज्ञों द्वारा औषधियों में एड्स वाइरस की अनदेखी की गई थी;

(घ) यदि हां, तो 1987 के दौरान वर्ष-वार और राज्यवार इन औषधियों के प्रयोग से कितने रोगी प्रभावित हुए हैं; और

(ङ) उन सभी के खिलाफ जो इस प्रकार की खतरनाक असावधानी के लिये उत्तरदायी हैं क्या कार्यवाही की गई है/की जा रही है?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे)**: (क) से (ग) और (ङ): अखिल भारतीया आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली में जांच किए गए एन्टी आर॰ एच॰ ओ॰ डी॰ इम्यूनों लोबुलिन के दो नमूनों में से मैसर्स भारत सीरम वैक्सीन्स प्रा॰ लि॰, बम्बई द्वारा निर्मित एन्टी॰आर॰एच॰ओ॰डी॰ इम्यूनोग्लोबुलिन बैच संख्या 6/88 का एक नमूना एच॰आई॰वी॰ प्रतिपिण्डों की दृष्टि से पॉजिटिव पाया गया था। आयुक्त, खाद्य एवं औषध प्रशासन, महाराष्ट्र, ने जिनके क्षेत्राधिकार में विर्निमाता स्थित है, मैसर्स भारत सीरम एण्ड वैक्सीन्स द्वारा विनिर्मित सभी रक्त उत्पादों के उत्पादन, वितरण और बिक्री को निलम्बित कर दिया। राज्य औषध नियंत्रण प्राधिकारियों से कहा गया था कि औषध के सारे स्टॉक को जब्त कर लिया जाए और सरकारी अस्पतालों तथा उपचर्या गृहों आदि को सप्लाई की गई औषध वापिस उठा ली जाए।

(घ) यद्यपि ए॰टी॰डी॰ इम्यूनोग्लोबुलिन के टीके लगाए गए व्यक्तियों की संख्या बतला सकना संभव नहीं है तथापि, इस फर्म द्वारा बैच संख्या 6/88 से संबंधित अलग-अलग शक्तियों वाली निर्मित, वितरित और बाद में वापिस उठा ली गई शीशियों का एक विवरण संलग्न है।

**विवरण**

| शक्ति | निर्मित (शीशियों को संख्या) | वितरित (शीशियों की संख्या) | फर्म द्वारा वापिस उठाई गई (शीशियों की संख्या) |
|---|---|---|---|
| 100 मि.ग्रा. | 339 | 240 | 75 |
| 250 मि. ग्रा. | 442 | 228 | 57 |
| 350 मि.ग्रा. | 383 | 383 | 165 |
| 400 मि.ग्रा. | 819 | 463 | 18 |

**"परती भूमि का सर्वेक्षण"**

1760. **श्री भट्टम श्रीराममूर्ति:** क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में परती भूमि के बारे में कोई सर्वेक्षण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो परती भूमि का राज्यवार कुल क्षेत्र कितना है;

(ग) परती भूमि को खेती योग्य बनाने के लिये तैयार की गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि हां, तो परती भूमि को खेती योग्य बनाने के बारे में किए गए प्रयासों का ब्यौरा क्या है और उसके क्या परिणाम निकले?

**वस्त्र मंत्री तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री रामनिवास मिर्धा):** (क) और (ख) देश में परती भूमि का अनुमान राज्यवार ब्यौरों के साथ संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) वनीकरण और परती भूमि के विकास के लिए केन्द्र और राज्य क्षेत्र की कई परियोजनाएं हैं। सातवीं योजनावधि के दौरान वर्षवार योजना परिव्यय और उपलब्धियां नीचे दी गई है:-

| वर्ष | आबंटन (रु.करोड़ों में) | लक्ष्य (मिलियन | उपलब्धि हैक्टेयर में) |
|---|---|---|---|
| 1985-86 | 384.94 | 1.45 | 1.51 |
| 1986-87 | 492.49 | 1.71 | 1.76 |
| 1987-88 | 540.83 | 1.79 | 1.77 |
| 1988-89 (दिसबर, 88 तक) | 620.00 | 2.00 | 1.90 |

## विवरण

### भारत में परती भूमि का अनुमान

(लाख हैक्टेयर में)

| राज्य/संघ शासित क्षेत्र | योग |
|---|---|
| आन्ध्र प्रदेश | 114.16 |
| असम | 17.30 |
| बिहार | 54.58 |
| गुजरात | 78.36 |
| हरियाणा | 24.78 |
| हिमाचल प्रदेश | 19.58 |
| जम्मू एंव कश्मीर | 15.65 |
| कर्नाटक | 91.65 |
| केरल | 12.79 |
| मध्य प्रदेश | 201.42 |
| महाराष्ट्र | 144.01 |
| मणिपुर | 14.38 |
| मेघालय | 19.18 |
| नागालैण्ड | 13.86 |
| उड़ीसा | 63.84 |
| पंजाब | 12.30 |
| राजस्थान | 199.34 |
| सिक्किम | 2.81 |
| तमिलनाडु | 44.01 |
| त्रिपुरा | 9.73 |
| उत्तर प्रदेश | 80.61 |
| पश्चिम बंगाल | 25.36 |
| संघ शासित क्षेत्र | 36.04 |
| योग | 1295.74 |

नोट : उक्त अनुमान देश में सभी परती भूमि के देश व्यापा सर्वेक्षण पर आधारित नहीं है।

### दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा "कम्पलीशन" सर्टिफिकेट प्रदान करने की प्रक्रिया

1761. **श्री जी० एस० बासवराजू:**

**श्री एस० एम० गुरड्डी:**

क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा कम्पलीशन सर्टिफिकेट प्रदान करने की प्रक्रिया को सरल बनाने तथा अनेक नये नियम लागू करने के परिणाम स्वरूप मकानों के निर्माण में तेजी आ गई है;

(ख) यदि हां, तो लागू किये गये प्रमुख नियमों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) राजधानी में मकानों के निर्माण में तेजी लाने में वे कहां तक सहायक सिद्ध हुये हैं;

**शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह):** (क) से (ग): 500 वर्ग मीटर माप तक के रिहायशी प्लाटों के लिए सेवाओं की जांच से सम्बन्धित फार्म सी एवं डी को जारी करने की प्रक्रिया को सरल बना दिया गया है। जांच/प्रमाणीकरण की सरल प्रक्रिया के अन्तर्गत लाइसेन्स शुदा वास्तुकों द्वारा उपलब्ध कराई गई सेवाओं को सी एवं डी फार्म प्रदान करने के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा स्वीकार किया जाएगा। हालाँकि इससे आवास गतिविधि को बढ़ाने में स्वयं तीव्रता नहीं लाई जा सकती है फिर भी इससे आवास निर्माताओं को असुविधा तथा सम्भावित उत्पीड़न से छुटकारा मिलेगा।

### कंट्रोल के कपड़े तथा जनता कपड़े की उत्पादन लागत

1762. **श्री के० प्रधानी** : क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केंट्रोल तथा जनता कपड़े के उत्पादन के लिये एक हथकरघा बुनकर को प्रतिदिन कितनी मजदूरी मिलती है;

(ख) नैशनल टैक्सटाइल कारपौरेशन की मिलों में ऐसे कपड़ों की उत्पादन लागत कितनी है; और

(ग) हथकरघा क्षेत्र में ऐसे कपड़े की उत्पादन लागत कितनी है?

**वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रफीक आलम):** (क) हथकरघा क्षेत्र में जनता कपड़ा योजना के अंतर्गत विभिन्न राज्यों में जनता कपड़े की कई किस्मों का उत्पादन हो रहा है। इस लिए राज्यों में जनता कपड़े के उत्पादन मे लगे हथकरघा बुनकरों को एकरूप दरों पर मजदूरी नहीं दी जाती है। जनता कपड़े के उत्पादन में लगे हथकरघा बुनकर 14 रु० से लेकर 32 रु० प्रति दिन तक औसत मजदूरी प्राप्त कर लेते है। हथकरघा क्षेत्र में कंट्रोल का कपड़ा नहीं बनाया जाता है।

(ख) और (ग): एन टी सी मिलों द्वारा बनाए गए कंट्रोल के कपड़े तथा हथकरघा क्षेत्र में उत्पादित जनता कपड़ा की लागत नीचे दर्शायी गयी है:—

| क्रमांक | मद | औसत उत्पादन लागत प्रति वर्ग, मीटर | |
|---|---|---|---|
| | | कंट्रोल का कपड़ा | जनता कपड़ा |
| 1. | धोती | 8.66 रु० | 7.50 रु० |
| 2. | साड़ी | 8.89 रु० | 8.03 रु० |
| 3. | लट्ठा | 8.67 रु० | 8.29 रु० |

### "कृतिक बल की स्थापना"

1763. **श्री टी० वी० चन्द्रशेखरप्पा:**

**श्री शांति लाल पटेल:**

क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों से वन भूमि पर अवैध कब्जे और वृक्षों के अवैध कटान को रोकने के लिए एक पृथक कृतिक बल स्थापित करने का कहा है; और

(ख) यदि हां, तो किन-किन राज्यों ने इस प्रकार के कृतिक बल स्थापित कर लिए हैं।

**वस्त्र मंत्री तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा)**: (क) और (ख) : भारत सरकार ने वन क्षेत्रों पर अवैध कब्जों की समस्या का अध्ययन करने और स्थिति पर नियंत्रण करने के लिए उपाय सुझाने हेतु 1983 में एक कृतिक बल की स्थापना की थी। केन्द्र सरकार ने इस प्रयोजन के लिए राज्य सरकारों को पृथक कृतिक बल स्थापित करने के लिए नहीं कहा है।

## गुजरात में बन्द कपड़ा मिलें

1764. **श्री मोहनभाई पटेल** : क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) अहमदाबाद और गुजरात के अन्य नगरों में अब तक कितनी कपड़ा मिले बन्द हुई हैं;

(ख) इसके कारण कितने कामगार बेरोजगार हो गए हैं;

(ग) राष्ट्रीय कपड़ा निगम ने ऐसी कितनी मिलों को अधिग्रहण कर उन्हें पुनः चालू किया है;

(घ) ऐसी कितने मिलें अभी भी बन्द पड़ी हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा शेष मिलों के अधिग्रहण और उन्हें पुनः चालू करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

**वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रफीक आलम)** (क) से (ङ) : दिनांक 31-12-1988 की स्थिति के अनुसार 35 वस्त्र मिलें गुजरात में बन्द पड़ी थीं जिनमें 59882 श्रमिक कार्यरत थे। राष्ट्रीय वस्त्र निगम इन मिलों का अधिग्रहण नहीं कर रहा है क्योंकि, जैसाकि वस्त्र नीति में बताया गया है, अधिग्रहण या राष्ट्रीयकरण रूग्ण मिलों का समस्या का समाधान नहीं है।

## आन्ध्र प्रदेश को चीनी की सप्लाई

1765. **श्री वी० तुलसीरामः** क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) गत छह महीनों के दौरान आन्ध्र प्रदेश राज्य को महीना-वार कितनी मात्रा में चीनी की सप्लाई की गई;

(ख) क्या सरकार का चीनी की सप्लाई बढ़ाने में वृधि करने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री डी०एल० बैठा)** (क) से (ग) : इस समय, प्रत्येक राज्य और संघ शासित प्रदेश का लेवी चीनी का कोटा फरवरी, 1987 से 1-10-1986 को परियोजित जनसंख्या के लिए कम से कम 425 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रति मास की उपलब्धता के एक-समान मानदण्ड के आधार पर है। तदनुसार, आंध्र प्रदेश को आवंटित किया गया लेवी-चीनी का मासिक कोटा 25281.0 मीटरी टन है। इसके अतिरिक्त, त्यौहार कोटे के रूप में अक्तूबर और नवम्बर, 1988 के प्रत्येक मास के लिए 3807.0 मीटरी टन चीनी की मात्रा आवंटित की गई थी।

## भारतीय औद्योगिक वित्त निगम द्वारा कपड़ा मिलों के आधुनिकीकरण के लिए मंजूर की गई धनराशि

1766. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्र:** क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या भारतीय औद्योगिक वित्त निगम ने राष्ट्रीय कपड़ा निगम के मिलों के आधुनिकीकरण के लिए वर्ष 1988 के दौरान कोई धन राशी मंजूर की है ;

(ख) यदि हां, तो मंजूर की गई धनराशी का ब्यौरा क्या है ;

(ग) किन-किन मिलों का आधुनिकीकरण किया जाएगा ;

(घ) क्या मिलों को मंजूर की गई धन राशि का उपयोग कर लिया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो विशेष रूप से कन्नानोर कताई और बुनाई मिलों का आधुनिकीकरण करने के संदर्भ में धनराशी के उपयोग का ब्यौरा किया है ?

**वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रफीक आलम)** : (क) से (ग) जी हां। वर्ष 1988 के दौरान,12 एन० टी० सी० एककों के अधुनिकीकरण के लिए आई डी बी आई/आई एफ सी आई द्वारा 45.98 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गयी है। आधुनिकीकरण किए जाने वाले एन टी सी एककों के नाम तथा मिल-वार स्वीकृत राशि के ब्यौरों को दशनि वाला एक विवरण संलग्न है।

(घ) और (ङ) : जी नहीं।

**विवरण**

एन टी सी एककों के सम्बन्ध में आई डी बी आई/आई एफ सी आई द्वारा स्वीकृत विनियोजन प्रस्तावों के ब्यौरे।

| क्रम सं० | एकक का नाम | प्रस्तावित परिव्यय (आई डी बी आई/आई एफ सी आई द्वारा स्वीकृत) |
|---|---|---|
| 1. | अलगप्पा टैक्सटाइल्स (कोचीन) | 265.00 |
| 2. | कन्नानौर स्पि० मिल्स, माहे | 388.00 |
| 3. | केरल लक्ष्मी मिल्स | 248.00 |
| 4. | तिरुपति कॉटन मिल्स, चित्तूर (आन्ध्र प्रदेश) | 423.00 |
| 5. | पार्वती मिल्स, क्विलोन | 1250.00 |
| 6. | मैसूर प्रोसैसिंग, बंगलौर | 226.00 |
| 7. | बलराम वर्मा टैक्सटाइल्स | 150.00 |
| 8. | कोयम्बतूर मुरुगन मिल्स | 177.00 |
| 9. | श्री सारदा मिल्स | 204.00 |
| 10. | सोमसुन्दरम मिल्स | 260.00 |
| 11. | स्वदेशी कॉटन मिल्स, पांडेचेरी | 682.00 |
| 12. | कन्नानौर स्पि० एंड वीविंग मिल्स कन्नानौर | 325.00 |
| | योग : | 4598.00 |

## आवास योजनाओं के लक्ष्य और उनकी उपलब्धियां

1767. **श्री जगन्नाथ पटनायक:** क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:—

(क) सातंवी पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रत्येक राज्य में विभिन्न आवास योजनाओं के अंतर्गत वर्ष-वार क्या लक्ष्य निर्धारित किये गये थे और इनमें से अभी'प्तक कितने लक्ष्य प्राप्त किये गये हैं;

(ख) क्या सरकार का इस बड़ी समस्या को हल करने हेतु आवास कार्यों में लगे स्वयंसेवी संगठनों तथा अन्य प्राइवेट एजेंसियों का भी सहयोग लेने का विचार है?

**शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह):** (क) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 31 जनवरी, 1989 तक 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत आवास योजनाओं के सबन्ध में निर्धारित किए गए लक्ष्य तथा (राज्यवार और वर्षवार) उपलब्धियां दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[ग्रन्थालय में रखा गया, देखिए संख्या एल० टी० 7496/89]**

(ख) इसका उल्लेख राष्ट्रीय आवास नीति मे किया गया है। तथापि, राज्य का विषय होने के नाते सभी सामाजिक आवास योजनाओं का कार्यान्वयन राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा अपनी अपेक्षाओं और प्राथमिकताओं के अनुसार किया जा रहा है।

## पाम आयल का उत्पादन

1768. **प्रो० पी० जे० कुरियन :** क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चालू वर्ष के दौरान पाम आयल का उत्पादन कितना हुआ है;

(ख) क्या सरकार ने और अधिक क्षेत्र को पाम आयल की खेती के अन्तर्गत लाने के लिए कोई योजना तैयार की है;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस योजना के लिए राज्यवार कुल कितनी धन राशि का नियतन किया गया है?

**खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री डी० एल० बैठा):** (क) चालू वर्ष के दौरान ताड के तेल का उत्पादन 2,000 मी. टन के लगभग होने का अनुमान है।

(ख) से (घ): जी हाँ, भारत सरकार ने महाराष्ट्र, आन्ध्र प्रदेश तथा कर्नाटक की राज्य सरकारो के साथ संयुक्त रूप से उक्त प्रत्येक राज्य में 1000—1000 हैक्टेयर के क्षेत्र में पाँच वर्ष की अवधि के लिए (1988-89 से 1992-93) एक तेल तोड़ प्रदर्शन परियोजना प्रारम्भ की है। इनमें से प्रत्येक परियोजना के लिए राज्यवार आबंटन निम्नवत है:

(लाख रुपये में)

| राज्य | परियोजना की कुल लागत | भारत सरकार द्वारा किए गए आबंटन | राज्य सरकार द्वारा किया गया आबंटन | संस्थागत वित्त का अंश |
|---|---|---|---|---|
| महाराष्ट्र | 820.34 | 260.17 | 260.17 | 300.00 |
| आन्ध्र प्रदेश | 580.83 | 140.415 | 140.415 | 300.00 |
| कर्नाटक | 705.48 | 202.74 | 202.74 | 300.00 |

## जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने हेतु कानून

1769. **श्री ई० अय्यपू रेड्डी:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1988 के दौरान देश में कितने शिशु उत्पन्न हुए;

(ख) क्या सरकार को जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने हेतु कानून बनाने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे):** (क) अनुमान है कि 1988 में देश में लगभग 2.38 करोड़ जीवित बच्चे पैदा हुए होंगे।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

**[हिन्दी]**

## उत्तर प्रदेश में विद्युत करघों का आधुनिकीकरण

1770. **श्री राज कुमार राय:** क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ राज्यों में नए हथकरघों की स्थापना और वर्तमान विद्युत करघों के आधुनिकीकरण का कोई प्रस्ताव है, और यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में उत्तर प्रदेश में क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश में स्थापित किए गये नए विद्युत करघों का ब्यौरा क्या है?

**वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रफीक आलम):** (क) और (ख). **विकेन्द्रीकृत** विद्युत चालित करघा क्षेत्र में मौजूदा करघों का आधुनिकीकरण और नए करघे स्थापित कने का कार्य राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों के प्रशासनों के अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत आता है। इन क्षेत्रों में विशिष्ट कदम संबंधित राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों के प्रशासनों द्वारा उठाए जाते हैं।

(ग) उपलब्ध जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश में जनवरी, 1986 से जनवरी, 1989 तक की अवधि के दौरान 26,101 विद्युत-चालित करघे स्थापित करने के लिए 8875 आवेदन-पत्र प्राप्त हुए थे।

**[अनुवाद]**

## कैंसर रोधी औषध "एटोपोसाइड" का निर्माण

1771. **श्री के० रामचन्द्र रेड्डी:**
**श्री उत्तम राठौड़:**

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या श्रेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला, हैदराबाद के **वैज्ञानिकों** ने फेफड़े और वृषण-कैंसर के उपचार के लिए प्रयोग किए गए एक कैंसर-रोधी औषध "एटोपोसाइड" तैयार करने की नूतन प्रक्रिया विकसित की है;

(ख) क्या कैंसर के उपचार के लिए यह प्रक्रिया कारगर है;

(ग) इस प्रक्रिया को पूरी तरह कारगर बनाने में कितना समय लगेगा;

(घ) क्या कैंसर-रोधी टीके तैयार करने के लिए भी अनुसंधान और विकास कार्य भी किया जा रहा है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे):** (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

## राष्ट्रीय कपड़ा निगम को फालतू भूमि बेचने की अनुमति

1772. क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने राष्ट्रीय कपड़ा निगम को अपने मिलों के आधुनिकीकरण के लिए धनराशि जुटाने हेतु अपने फालतू भूखण्डों को बेचने की अनुमति दी है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार अब तक दी गई अनुमति का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके लिए राज्य-वार किन-किन मिलों को अनुमति देने का विचार है?

**वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रफीक आलम):** (क) से (ग). सरकार ने देश भर में स्थित एन टी सी मिलों को अपनी आवश्यकता से अधिक भूमि को सरकार द्वारा निर्धारित क्रियाविधि के अनुसार बेचने की अनुमति दे दी है। इस क्रियाविधि में यह व्यवस्था की गई है कि सरकारी विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अलावा अन्य पार्टियों को की जाने वाली बिक्रियों के लिए सरकार का पूर्वानुमोदन आवश्यक है।

**[हिन्दी]**

## हिमाचल प्रदेश सरकार को भवनों का हस्तांतरण

1773. **श्री के० डी० सुल्तानपुरी:** क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि शिमला में हिमाचल प्रदेश के भवन, जो भारत सरकार के नियन्त्रण में हैं, राज्य सरकार के अनुरोध पर कब तक उन्हें हस्तांतरित कर दिये जायेंगे?

**शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह):** हस्तांतरित की जाने वाली सम्पत्तियां हिमाचल प्रदेश सरकार के नियंत्रण में है तथा सम्पत्तियों का स्वामित्वाधिकार हस्तांतरित करने के आदेश पहले ही जारी कर दिए गए हैं।

**[अनुवाद]**

## नदियों की सफाई

1774. **डा० गौरी शंकर राजहंस:** क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1989 और 1990 के दौरान केन्द्रीय सरकार का किन-किन नदियों की सफाई करने का विचार है; और

(ख) सफाई का कार्य कब तक आरंभ होने की संभावना है?

**वस्त्र मंत्री तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा):** (क) और (ख). * गंगा कार्य योजना के अलावा, 1988-89 और 1989-90 की वार्षिक योजनाओं में नदियों को साफ करने के लिए कोई अन्य प्रस्ताव नहीं है। तथापि, सरकार द्वारा 14 बड़ी नदियों के विस्तृत नदी-बेसिन अध्ययन और 310 निगरानी केन्द्र के नेटवर्क के जरिये जलगुणवत्ता की निगरानी सहित नदियों में जल प्रदूषण को रोकने के लिये कई उपाय किये जा रहे हैं।

## आन्ध्र प्रदेश से खाड़ी के देशों को भेजे गये श्रमिक

1775. **श्री सी० सम्बु:** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आन्ध्र प्रदेश से गत दो वर्षों के दौरान वर्ष वार खाड़ी के देशों में देश वार कितने मजदूर गए;

(ख) उक्त अवधि के दौरान खाड़ी के देशों में स्थित भारतीय दूतावासों में अपनी समस्याओं के समाधान हेतु कितने श्रमिकों ने अपनी शिकायतें दर्ज कराई थी;

(ग) कितनी शिकायतों का समाधान किया गया; और

(घ) कितनी शिकायतें अभी तक लम्बित पड़ी हैं और इसके क्या कारण हैं और श्रमिकों की शिकायतों को शीघ्रता से निपटाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

**श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री राधाकिशन मालवीय):** (क) विदेश भेजे गए कर्मकारों के आंकड़े राज्यवार नहीं रखे जाते हैं।

(ख) से (घ). यह सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी।

## मुर्गी पालन एककों को धान की भूसी प्रदान करना

1776. **श्री एस० बी० सिदनाल:**
**श्री शांतिलाल पटेल:**

**क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने पंजाब सरकार से मुर्गी पालन उद्योग को धान की भूसी की सप्लाई 40 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत करने के संबंध में आग्रह किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर पंजाब सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

**खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री डी० एल० बैठा):** (क) और (ख). पंजाब सरकार से अनुरोध किया गया था कि वह चावल की भूसी पर लेवी के आदेश को वापिस लेने की संभावना पर विचार करे। इस बारे में राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ एक बैठक भी की गई थी।

तथापि पंजाब सरकार ने कुक्कुट आहार हेतु चावल की भूसी की आपूर्ति को कम करने के बारे में इस आधार पर अपनी हिचकिचाहट व्यक्त की है कि चावल की भूसी से कुक्कुटों की पोषण सम्बन्धी ज़रूरतों की पूर्ति उचित मूल्यों पर हो जाती है।

## न्यूनतम मजदूरी

1777. **श्री के० पी० उन्नीकृष्णन:** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल में हथकरघा, बीड़ी और काजू उद्योग में तय की गई न्यूनतम मजदूरी का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या केरल में मजदूरी की दर अधिक है जिसके परिणामस्वरूप कई उद्योग केरल से पड़ोसी राज्यों को स्थानान्तरित हो गये हैं; और

(ग) क्या केरल सरकार ने केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है कि वह पूरे देश में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अंतर्गत समान न्यूनतम मजदूरी तय करने के लिए कार्यवाही करें?

**श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री राधाकिशन मालवीय)** (क) से (ग). उपलब्ध सूचना के अनुसार आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु तथा केरल में हथकरघा, बीड़ी और काजू उद्योगों के लिए निर्धारित न्यूनतम मजदूरी की दरें संलग्न विवरण में दी गई हैं। केरल राज्य में ये दरें अन्य तीन राज्यों की तुलना में अधिक हैं। मजदूरी में भिन्नता तथा इसके परिणामस्वरूप उद्योग को एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जाने और राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी/क्षेत्रीय न्यूनतम मजदूरी तैयार करने के प्रश्न पर विभिन्न मंचों पर विचार-विमर्श किया गया है। नवम्बर, 1985 में हुए भारतीय श्रम सम्मेलन ने सिफारिश की कि राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी व्यवहार्य होने तक यह वांछनीय होगा कि क्षेत्रीय न्यूनतम मजदूरी तैयार की जाये जिसके संबंध में केन्द्रीय सरकार दिशा-निर्देश निर्धारित करें। इन दिशा निर्देशों को अंतिम रूप दे दिया गया है तथा सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को भेज दिया गया है। 9-10-87 को मद्रास में हुए दक्षिणी क्षेत्रीय श्रम मंत्री सम्मेलन द्वारा की गई सिफारिशों के अनुसार, एक समिति गठित की गई है जो विशेष नियोजनों जिनमें हथकरघा, बीड़ी तथा काजू उद्योग शामिल हैं, के लिए क्षेत्रीय न्यूनतम मजदूरी के प्रश्न की जांच करेगी।

**विवरण**

| क्रमांक | राज्य | न्यूनतम मजदूरी | | |
|---|---|---|---|---|
| | | बीड़ी | हथकरघा | काजू |
| 1. | आन्ध्र प्रदेश | 8.40 रु० से 9.30 रु० (1987) | कार्य की मात्रा तथा श्रेणी के अनुसार 0.25 पैसे से 6.35 रु० के बीच उजरती दरें (1984-जारी) | 11.00 रु० (1987) |
| 2. | कर्नाटक | 11.50 रु० (1986) | मजदूरी निर्धारित नहीं की गई है। | 12.30 रु० (1987) |
| 3. | तमिलनाडु | 11.60 रु० (1987) | 2.25 रु० से 3.88 रु० प्रति मीटर (कॉटन) 129.55 रु० से 377.72 रु० प्रति 16.5 मीटर (सिल्क) (1987) | 7.00 रु० (1987) |
| 4. | केरल | 1000 बीड़ी के लिए 24.20 रु० (1987) | 21.01 रु० से 23.26 रु० (1987) | 13.69 रु० (1987) |

टिप्पणी: कोष्ठकों में दी गई संख्या न्यूनतम मजदूरी के निर्धारण का वर्ष दर्शाती है।

## कपास के निर्यात हेतु दीर्घकालिक नीति

1778. **श्री एस० एम० गुरड्डी:**
**श्रीमती उषा चौधरी:**

क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कपास उत्पादकों ने कपास का आयात बन्द करने एवं इसके निर्यात के लिए एक दीर्घकालिक नीति बनाने की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या निर्णय लिया गया; और

(ग) यदि कोई दीर्घकालिक नीति बनाई गई है, तो इसका ब्यौरा क्या है?

**वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रफीक आलम)** (क) से (ग): हांलाकि रूई उपजकर्ता सामान्यतः रूई के किसी भी आयात के विरुद्ध रहे हैं फिर भी घरेलू कमी को पूरा करने के लिए तथा रूई कीमतों की उत्तरोत्तर वृद्धि को रोकने के लिए कभी-कभी इनका आयात करना आवश्यक हो जाता है। सरकार पहले ही रूई के लिए दीर्घावधि निर्यात नीति की घोषणा कर चुकी है जिसके अन्तर्गत रूई वर्ष 1986-87 से शुरू होकर लगातार तीन वर्षों की अवधि के लिए प्रति वर्ष रूई की 6 लाख गाठें निर्यात करने का प्रावधान है। फिर भी, घरेलू कमी की वजह से जुलाई, 1987 से रेशे वाली रूई के निर्यात स्थगित रहे हैं।

## प्रति व्यक्ति के लिए प्रतिदिन कैलोरी की आवश्यकता

1779. **श्री डी० के० नायकर:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि विशेषज्ञों की राय के अनुसार, देश में किसी व्यक्ति की कार्य क्षमता को बनाए रखने के लिए प्रतिदिन 3600 कैलोरी की आवश्यकता होती है;

(ख) क्या देश में 67 प्रतिशत जनसंख्या द्वारा उपभोग किए जाने वाले दैनिक भोजन में केवल 1200 कैलोरी होती है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार का औसत भारतीयों में कैलारीज की प्राप्ति की कमी को दूर करने के लिए क्या उपाय करने का विचार है?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे):** (क) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के पोषण दल ने हर रोज निम्नांकित कैलोरियां लेने की सिफारिश की है:-

| | पुरुष | महिलाएं |
|---|---|---|
| बैठे-बैठे कार्य करने वाले | 2400 | 1900 |
| मध्यम कार्य करने वाले | 2800 | 2200 |
| भारी कार्य करने वाले | 3900 | 3000 |

(ख) राष्ट्रीय पोषण निगरानी कार्यालय जिसने दस राज्यों में आहार आदि पोषण संबंधी अध्ययन किए हैं,की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार कैलोरी सेवन का औसत 2243 है। विभिन्न व्यक्तियों में कैलोरी अपर्याप्तता कर्नाटक में 22.1 प्रतिशत से लेकर पश्चिम बंगाल मे 51 प्रतिशत के बीच है।

(ग) भारत सरकार द्वारा कैलोरियों के इस अन्तर को पाटने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गये है:-

(1) लोगों की कार्यशक्ति बढ़ाने के लिए गरीबी हटाने संबंधी कार्यक्रम चलाना।

(2) खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि और बेहतर वितरण, प्रणाली।

(3) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए कम कीमत पर अनिवार्य खाद्य सामग्री उपलब्ध करना।

(4) स्थानीय रूप से उपबन्ध खाद्यान्नों के उपयोग को बढ़ावा देने के विशिष्ट संन्दर्भ में पोषण शिक्षा देना ताकि वर्तमान परिस्थितियों के भीतर पोषण स्तर में सुधार लाया जा सके।

(5) कमजोर वर्गों जैसे स्कूल पूर्व आयु के बच्चों तथा प्रजनन आयुवर्ग की माताओं के लिए पोषण प्रयास कार्यक्रम। इनमें से अधिकांश कार्यक्रमों में पूरक पोषण के घटक मौजूद है जिससे जनसंख्या के कमजोर वर्गों में कैलोरी अन्तराल को दूर किया जा सके।

## कोयला क्षेत्र प्राधिकरण द्वारा उड़ीसा में प्रदूषण पैदा करना

1780. **श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही:** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उड़ीसा स्थित इब घाटी कोयला क्षेत्र प्राधिकरण ने वायु प्रदूषण को रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाए हैं;

(ख) क्या उक्त प्रदूषण के कारण कोयला क्षेत्र के आसपास रहने वाले लोग तपेदिक आदि बीमारियों से पीड़ित हैं, और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इब घाटी कोयला क्षेत्र प्राधिकरण को तत्काल वायु-प्रदूषण नियंत्रण संबंधी उपाय करने के लिए क्या निर्देश दिए गए हैं?

**वस्त्र मंत्री तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा):** (क) इब घाटी कोयला क्षेत्र प्राधिकरण ने वायु प्रदूषण के नियंत्रण के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं जिनमें निम्नलिखित शामिल है:-

- ढुलाई सड़कों और विभिन्न अन्तरण स्थलों पर जल का छिड़काव करना;
- उपकरण का समुचित रख-रखाव;
- मिट्टी काटने वाली भारी मशीनों से उत्पन्न गैस निकास पर नियंत्रण;
- सड़कों की ब्लैक टोपिंग करना; और
- पर्यावरण प्रबन्ध योजना तैयार करना।

तथापि, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इन उपायों को अपर्याप्त मानता है।

(ख) इस प्रकार की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) तथापि, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने प्रदूषण नियंत्रण के लिए प्राधिकरण को प्रभावशाली कदम उठाने के निर्देश दिए हैं।

## पश्चिम बंगाल को चावल के आवंटन में कटौती

1782. **श्री हन्नान मोल्लाह:** क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चालू वर्ष के दौरान पश्चिम बंगाल को चावल के आवंटन में और अधिक कटौती की गई है; यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) वर्ष 1988 और 1989 के दौरान पश्चिम बंगाल को प्रतिमाह औसतन कितनी मात्रा में चावल का आवंटन किया गया; और

(ग) क्या सरकार को राज्य को घटिया किस्म का चावल सप्लाई किये जाने की जानकारी है; यदि हाँ, तो अच्छी किस्म का चावल सप्लाई करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

**खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री डी० एल० बैठा):** (क) केन्द्रीय पूल में स्टाक की समूची उपलब्धता, विभिन्न राज्यों की सापेक्ष आवश्यकताओं, चावल की नयी फसल की आमद पर बाजार उपलब्धता में हुई वृद्धि और यह तथ्य कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली की की जा रही आपूर्ति केवल अनुपूरक स्वरूप की होती है, को ध्यान में रखकर विभिन्न राज्यों / संघ शासित प्रदेशों के चावल के आवंटन की समीक्षा फरवरी, 1988 मे की गई। इस समीक्षा के फलवरुप,पश्चिम बंगाल सहित अधिकाशं राज्यों के चावल के, कोटों को एक - समान रूप से 20 प्रतिशत कम कर दिया गया।

(ख) पश्चिम बंगाल सरकार को 1988 के दौरान 89,167 मीटरी टन और 1989 के दौरान (मार्च तक) 69,333 मीटरी टन चावल का औसत मासिक आंटन किया गया।

(ग) जी हां, पंजाब हरियाणा में शिथिलित विनिर्दिष्टयों के अधीन अधिप्राप्त किए गए चावल के स्टाफ को निर्मुक्त करने की तरफ सरकार का ध्यान दिलाया गया था जिसके बारे में राज्य सरकारों को उपयुक्त रूप से सूचित कर दिया गया है। भारतीय खाद्य निगम ने अपने सभी जोनल प्रबंधकों / वरिष्ट क्षेत्रीय प्रबंधकों को अनुदेश जारी किए हैं कि वे यह सुनिश्चित करें कि आवंटनों के प्रति केवल खरीद विनिर्दिष्टियों के अनुरूप चावल ही जारी किया जाता है।

## धान का निर्यात

**[हिन्दी]**

1783. **चौधरी अख्तर हसन:** क्या **खाद्य तथा नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ देशों ने हमारे देश से धान का आयात करने मे रुचि दिखाई है; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विशेष रूप से संयुक्त अरब अमीरात को धान का निर्यात करने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री डी० एल० बैठा)** (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) आयात-निर्यात नीति, अप्रैल 1988 मार्च, 1991 के अनुसार धान का निर्यात करने की अनुमति नहीं है।

**[अनुवाद]**

## भारत में स्वास्थ्य की स्थिति का संकलन

1784. **डा० जी० विजयरामा राव:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या "वालेंटरी हैल्थ एसोसियेशन आफ इंडिया" ने भारत में स्वास्थ्य की स्थिति का व्यापक संकलन किया है; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या इस संबंध में विभिन्न सरकारी एजेंसियां अपना सहयोग दे रही है?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे):** (क) वालेंटरी हैल्थ एसोसिएशन आर्फ इण्डिया ने सूचित किया है कि स्वास्थ्य क्षेत्र के विशेषज्ञों की सहायता से वे भारत में स्वास्थ्य की स्थिति संबंधी रिपोर्ट पर एक दस्तावेज पर एक दस्तावेज प्रकाशित करेंगे। इस रिपोर्ट में नागरिकों के विचार प्रस्तुत किए जाएगें जो निम्नतम स्तर पर विश्वसनीय आकड़ों और अनुभव पर आधारित होंगे।

(ख) इस संबंध में वित्तीय सहायता के लिए वालेंटरी हैल्थ एसोसिएशन आर्फ इंडिया ने सरकार से सम्पर्क नहीं किया है।

## राष्ट्रीय कपड़ा निगम को घाटा

1785. **डा॰ कृपासिंधु भोई:** क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय कपड़ा निगम के अन्तर्गत घाटे में चल रही कपड़ा यूनिटों का पता लगाया है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1987-88 और 1988-89 के दौरान राष्ट्रीय कपड़ा निगम के नियंत्रणाधीन कौन-कौन सी यूनिटों को घाटा हुआ;

(ग) उक्त वर्षों के दौरान इन यूनिटों में से प्रत्येक यूनिट को कितना-कितना घाटा हुआ; और

(घ) इन यूनिटों के कार्यकरण में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

**वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रफीक आलम):** (क) से (ग): राष्ट्रीय वस्त्र निगम (एन. टी. सी.) के अन्तर्गत अधिकाशं मिलें घाटा उठा रही हैं। वर्ष 1987-88 और 1988-89 (अप्रैल-दिसम्बर 1988 के दौरान एन॰ टी॰ सी॰ के अन्तर्गत मिलों द्वारा उठाया गया निवल घाटा क्रमशः 266 करोड़ रुपए और 232 करोड़ रुपए (अनन्तिम) है।

(घ) राष्ट्रीय वस्त्र निगम ने घाटा उठा रहे एककों का कार्य निष्पादन सुधारने के लिए संस्थागत वित्त की मदद से चुनिन्दा आधुनिकीकरण, उत्पाद सुधार और विविधिकरण आदि पर आधारित एक नई व्यापक नीति बनाई है।

[हिन्दी]

## मध्य प्रदेश में वनरोपण

1786. **श्री कम्मोदी लाल जाटव:** क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मध्य प्रदेश में उन जिलों के क्या नाम हैं जहां वर्ष 1950 से वनरोपण कार्य को बढ़ावा देने के लिए वृक्ष उगाने हेतु बीजों का छिड़काव किया गया था;

(ख) इस कार्य में कितनी सफलता मिली है और इस पर कितना व्यय किया गया है; और

(ग) लक्ष्य प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है?

**वस्त्र मंत्री तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा):** (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के सभा-पटल पर प्रस्तुत की जाएगी।

[अनुवाद]

## स्वदेशी रक्त उत्पादों के लिए एड्स मुक्त प्रमाण-पत्र

1787. **श्री खुर्शीद अहमद:**
**श्री मोहम्द महफूज अली खां:**

**क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जब कि आयातित रक्त एवं रक्त उत्पादों के मामले में एड्स मुक्त प्रमाण-पत्र पर जोर दिया जाता है, इसी प्रकार की सावधानियां स्वदेशी रत एवं रक्त उत्पादों के मामले में नहीं बरतीं जाता है;

(ख) यदि हां तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का एड्स रोग के लिए स्वदेशी रक्त एवं रक्त उत्पादों की जांच को अनिवार्य करने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हो, तो इस दिशा में क्या कदम उठाये गये हैं/उठाने का विचार है?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे)** (क) से (घ): सभी मानव रक्त का अब एच० आई० बी० एण्टीबाडीज के लिए परीक्षण किया जाना आवश्यक है।

6 मई, 1966 को भारत के औषध नियंत्रक द्वारा सभी राज्य औषध नियंत्रकों को इस आशय के प्रशासनिक अनुदेश जारी कर दिए गए थे कि व्यावसायिक रक्तदाताओं द्वारा एच० आई० वी० संक्रमण से मुक्त होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही रक्त स्वीकार करें। इसके पश्चात् 14 फरवरी, 1989 को स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय द्वारा सभी राज्य औषध नियंत्रकों को उन शहरों जहां भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा निगरानी केन्द्र स्थापित किए गए हैं, के रक्त बैंकों के सभी यूनिटों जिनमें रक्त प्राप्त किया जाता है, की जांच करने के बारे में ब्यौरेवार मार्ग निदेश जारी किए गए हैं।

प्रत्येक रक्त निमार्ता के लिए एक लाइसेंस लेना आवश्यक होता है जो औषध और प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 के अर्न्तगत जारी किया जाता है। औषध और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के अन्तर्गत प्रारूप नियम तैयार कर लिए गये हैं और 21 दिनों के भीतर सुझाव मांगते हुए उन्हें सरकारी राजपत्र में प्रकाशन के लिये भारत सरकार के मुद्रणालय को भेज दिया गया है। प्रारूप नियमों में यह व्यवस्था की गई है कि रक्त बैंक का प्रत्येक लाईसेंसधारी इस उद्देश्य के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित की गई ऐसी प्रयोगशालाओं से एच० आई०वी० एण्टी वाडी से मुक्त रक्त के लिए परीक्षण किये गये प्रत्येक रक्त युनिट का नमूना प्राप्त करेगा। इस परीक्षण को करने की तारीख उस आधीन पात्र के लेबल पर दर्ज की जाएगी।

## अमृत बाजार पत्रिका समूह, कलकत्ता द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि की राशि जमा करना

1788. **श्री सी० जंगा रेड्डी:** क्या श्रम मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि:

(क) अमृत बाजार पत्रिका समूह, कलकत्ता द्वारा वर्ष 1986-87, 1987-88 में और वर्ष 1988-89 के दौरान अब तक अपने कर्मचारियों से कर्मचारी भविष्य निधि की कितनी राशि वसूल की गई;

(ख) इस सुमह द्वारा अब तक इस मद में कितनी राशि जमा की गई है; और

(ग) इस सम्मूह से बकाया राशि वसूल करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

**श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्रीराधाकिशन मालवीय)**: (क) से (ग): मांगी गई सूचना एकत्र की जा रही है तथा यथा समय सभा के पटल पर रख दी जायेगी।

## तम्बाकू के इस्तेमाल में कटौती करने हेतु कार्यवाही

1789. **डा॰ फूलरेणु गुहा:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या भारत में बहुत बड़ी संख्या में लोगों की तम्बाकू के इस्तेमाल के कारण मृत्यु हो जाती है; और

(ख) यदि हां, तो तम्बाकू की खपत में कटौती करने हेतु सरकार द्वारा क्या कार्यवाही करने का विचार है?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे)**: (क) यह अनुमान है कि भारत में तम्बाकू से होने वाले रोगों के कारण हर वर्ष लगभग 6 से 10 लाख लोगों की मृत्यु हो जाती है।

(ख) तम्बाकू वाले उत्पादों के उपभोज्य को कम करने के लिए जो उपाय किए गये हैं उनमें निम्नलिखित उपाय शामिल हैं:

(i) लोगों को तम्बाकू उत्पादों के उपयोग के विरुद्ध शिक्षा देना जिसमें हृदवाहिका रोगों उच्च रक्त दाब, मुखोय तथा फेफडों के कैंसर आदि जैसे रोगों का स्वास्थ्य पर पड़ने वाले बुरे प्रभावों पर प्रकाश डाला जाता है।

(ii) सिगरेट के पैकटों, होर्डिंगों आदि पर सांविधिक चेतावनी।

(iii) जन प्रचार साधनों, खेल स्टेडियमों आदि में सिगरेट और तम्बाकू के विज्ञापनों पर प्रतिबंध।

(iv) सार्वजनिक स्थानों, बैठकों, सेमिनारों आदि में धूम्रपान पर प्रतिबंध।

## पटसन निर्यात देशों द्वारा गठित संघ

1790. **श्री भद्रेश्वर तांती:** क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पटसन उद्योग सिंथेटिक धागे के उपयोग किए जाने अथवा किसी अन्य तथ्य के कारण संकट का सामना कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पटसन निर्यात हेतु नए बाजारों का पता लगाने के लिए पटसन निर्यात देशों ने किसी संघ का गठन किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रफीक आलम)** (क) और (ख): पटसन उद्योग संश्लिष्ट स्थानापत्रों के कारण घरेलू और अन्तर्राष्ट्रीय दोनों बाजार में संश्लिष्टों से कड़ी प्रतियोगिता का सामना कर रहा है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

## पर्यावरण पुनर्गठन समिति

1791. **श्रीमती डी० के० भंडारी:** क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दून घाटी में पर्यावरण पुनर्गठन समिति का गठन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा समिति के विचारार्थ विषय क्या है;

(ग) क्या हिमालय के निचले क्षेत्रों में पर्यावरण समस्याओं को दूर करने के लिए कुछ कार्यक्रम बनाए गए हैं; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या हिमालय क्षेत्र के राज्यों में पर्यावरण संबंधी समस्याओं को दूर करने हेतु कुछ केन्द्रीय पायोजित योजनाएं शुरू की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो विशेष रूप से सिक्किम के संदर्भ में तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**वस्त्र मंत्री तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री श्री राम निवास मिर्धा** (क) दून घाटी और गंगा व यमुना के निकटवर्ती जल संभर क्षेत्रों के पर्यावरणीय प्रबन्ध के लिए 1981 में एक बोर्ड का गठन किया गया था। 1985 और 1988 में बोर्ड का पुनर्गठन किया गया।

(ख) बोर्ड के गठन और उसके विचारार्थ विषय संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) जी, हां। इस क्षेत्र के लिए निम्नलिखित कार्यक्रम (परियोजनाएं) तैयार किए गए हैं और इनको क्रियान्वित किया जा रहा है:—

(1) दून घाटी में खनिज क्षेत्रों में वनरोपण;

(2) उत्तर प्रदेश के हिमालय में खनन हेतु पर्यावरणीय योजनाएं; और

(3) समन्वित जलसंभर प्रबन्ध परियोजना।

(घ) और (ङ): जी हां। पर्वतीय क्षेत्र में निम्नलिखित केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें चल रही है:—

1. बाढ़ प्रवण नदियों-ऊपरी यमुना और ऊपरी गंगा के जलग्रहण क्षेत्रों का जलसभर प्रबन्ध,
2. रामगंगा नदी के जलग्रहण क्षेत्र का भूसंरक्षण,
3. ग्रामीण ईंधन की लकड़ी की पौधरोपण और वनरोपण,
4. लोगों की विकेन्द्रीकृत नर्सरियां,
5. लघु वन उत्पाद के लिए पौधरोपण; और
6. हिमालय में आपरेशन सॉयल वाच के तहत भू, जल और वृक्ष संरक्षण।

इन स्कीमों में कमजोर पारि-प्रणाली की सुरक्षा, अवक्रमित भूमि का विकास, जलावन की लकड़ी/चारा उत्पादन को प्रोत्साहन देकर और उत्तम किस्म के घास और चारे का संवर्धन कर वन सम्पदा पर चराई के दबाव को कम करना, फल के वृक्ष, बांस, बेंत, तेंदु, औषधीय पौधे आदि लगाना और जल प्रबन्ध सहित मृदा आर्द्रता संरक्षण उपाय अपनाने पर विचार किया गया है।

इनमें से तीन स्कीमों-ग्रामीण जलावन की लकड़ी की पौधरोपण व वनरोपण, लोगों की विकेन्द्रीकृत नर्सरियां, और आपरेशन सॉयल वाच के तहत हिमालय में भू, जल और वृक्ष संरक्षण को अन्य हिमालयी राज्यों के अतिरिक्त सिक्किम में भी कार्यान्वित किया जा रहा है।

### विवरण

दिनांक 14 जुलाई, 1988 के संकल्प के तहत दून घाटी और गंगा व यमुना नदी के निकटवर्ती जल संभर क्षेत्र संबंधी बोर्ड के गठन और उसके विचारणीय विषयः

बोर्ड का गठन निम्न प्रकार से हैः—

1. श्री जेड० आर० अन्सारी, — अध्यक्ष
   पर्यावरण और वन मंत्री,
   नई दिल्ली।
2. श्री बी० बी० वोहरा, — सदस्य
   अध्यक्ष, ऊर्जा सलाहकार बोर्ड,
   नई दिल्ली
3. पर्वतीय विकास मंत्री, — सदस्य
   उत्तर प्रदेश सरकार,
   लखनऊ।
4. शहरी विकास मंत्री, — सदस्य
   (शहर और ग्राम योजना),
   उत्तर प्रदेश सरकार,
   लखनऊ।
5. वन मंत्री, — सदस्य
   उत्तर प्रदेश सरकार,
   लखनऊ।
6. श्री अरूण सिंह, — सदस्य
   23-ए, निजामुद्दीन वेस्ट,
   नई दिल्ली।
7. मुख्य सचिव, — सदस्य
   उत्तर प्रदेश सरकार,
   लखनऊ।
8. श्री ब्रह्म दत्त, — सदस्य
   पेट्रोलियम राज्य मंत्री,
   भारत सरकार,
   नई दिल्ली।
9. सचिव, — सदस्य
   पर्यावरण और वन मंत्रालय,
   भारत सरकार,
   नई दिल्ली।
10. सचिव, — सदस्य
    ग्रामीण विकास विभाग,
    कृषि मंत्रालय, भारत सरकार,
    नई दिल्ली।

11. वन महानिरीक्षक, — सदस्य
पर्यावरण और वन मंत्रालय,
भारत सरकार,
नई दिल्ली।

12. श्री गुलाब रामचन्दानी, — सदस्य
दून स्कूल, देहरादून।

13. श्री अवधेश कौशल, — सदस्य
अध्यक्ष, ग्रामीण वाद और अधिकार केन्द्र,
देहरादून।

14. निदेशक/उप सचिव, —सदस्य सचिव
संबंधित विषय के प्रभारी,
पर्यावरण और वन मंत्रालय,
भारत सरकार,
नई दिल्ली।

बोर्ड के विचारणीय विषय निम्नलिखित हैः—

1. इस क्षेत्र में प्रस्तावित विकास परियोजनाओं का अध्ययन व सर्वेक्षण पैकेज और क्षेत्रीय संसाधनों के इष्टतम उपयोग के लिए पर्यावरणीय प्रबन्ध हेतु मार्गदर्शी सिद्धान्त मुहैया करना;
2. पर्यावरण के और आगे अवक्रमण को रोकने और पर्यावरण में सुधार लाने के लिए प्रशासक/सुधारक उपाय अमल में लाने हेतु एक प्रभावशाली कार्यान्वयन तंत्र विकसित करना;
3. प्रदूषक उद्योगों को दूर-दूर स्थापित करने हेतु मार्गदर्शन प्रदान करना और गैर-प्रदूषक उद्योगों को आकर्षित करने के लिए प्रोत्साहन का सुझाव देना;
4. दून घाटी के साथ-साथ निकटवर्ती जल संभर क्षेत्रों के दीर्घकालिक विकास के लिए सुस्पष्ट नीति तैयार करना और
5. कोई अन्य मामला जिसे बोर्ड न्यूनतम पर्यावरणीय अवक्रमण से दीर्घकालीन विकास हासिल करने के लिए आवश्यक समझे।

### "पंजाब में प्रवासी पक्षियों की मृत्यु"

1792. **श्री प्रतापराव बी॰ भोंसले:** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कीटनाशी दवाइयों के छिड़काव के कारण पंजाब और अन्य स्थानों में भारी संख्या में प्रवासी पक्षियों की मृत्यु हो रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) प्रवासी पक्षियों की इस प्रकार होने वाली मौतों को रोकने के लिए सरकार द्वारा किये जाने वाले उपायों का ब्यौरा क्या है?

**वस्त्र मंत्री तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) (क) से (ग):** राज्य सरकार से सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

### गुजरात में रुग्ण कपड़ा मिलें

1793. **श्री रणजीत सिंह गायकवाड़:** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गुजरात में कितनी रुग्ण कपड़ा मिलें हैं और 31 दिसम्बर, 1988 को इनमें से जो कपड़ा मिलें बंद थीं उनके क्या नाम हैं; और

(ख) रुग्ण कपड़ा मिलों को आर्थिक दृष्टि से सक्षम बनाने के लिये कितनी धनराशि की आवश्यकता है और भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा इस प्रयोजन हेतु कितनी धन राशि व्यय की जायेगी?

**वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रफीक आलम):** (क) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 30 जून, 1987 को रुग्ण रूप में वर्गीकृत 47 गैर-एस० एस० आई० वस्त्र मिलों में से 22 मिलें 31-1-1989 की स्थिति के अनुसार बन्द पड़ी थीं (संलग्न विवरण के अनुसार)।

(ख) रुग्ण वस्त्र मिलों को अर्थक्षम बनाने हेतु अपेक्षित राशि और इस प्रयोजन के लिए आई डी बी आई द्वारा व्यय की जाने वाली संभावित राशि बताना संभव नहीं है क्योंकि यह अर्थक्षम मिलों के संबंध में पुनर्स्थापना पैकेजों की संख्या तथा किस्म पर निर्भर करती है।

**विवरण**

31 जनवरी, 1989 की स्थिति के अनुसार बन्द पड़े सूती/मानव निर्मित रेशा-वस्त्र के गैर-एस एस आई रुग्ण एककों के नाम

1. आर्योदय स्पिनिंग एण्ड वीविंग कं० लि०
2. न्यू गुजरात सिंथैटिक्स लि०, यूनिट सं० 1
3. न्यू गुजरात सिंथैटिक्स लि०, यूनिट सं० 2
4. अहमदाबाद मैन्यु० एण्ड कैलिको
5. दि आर्योदय जि० एण्ड मैन्यु कं० लि०
6. भारत सुर्योदय मिल्स कं० लि०
7. अहमदाबाद श्री रामकृष्ण मिल्स कं० लि०
8. बोराच टैक्सटाइल मिल्स लि०
9. गायकवाड मिल्स लि०
10. गांधी धाम स्पि० एण्ड मैनु० कं० लि०
11. दि महाराना मिल्स लि०
12. माण्डवी स्पि० मिल्स लि०
13. दि नवजीवन मिल्स लि०
14. नवज्योति मिल्स लि०
15. कमर्शियल अहमदाबाद मिल्स लि०
16. स्टार आफ गुजरात टैक्सटाइल मिल्स लि०
17. श्री बंसीधर स्पि० एण्ड वी० मिल्स लि०
18. श्री यमना मिल्स कं० लि०
19. विजय मिल्स कं० लि०
20. पी जी टैक्सटाइल मिल्स लि०

21. प्रसाद मिल्स लि०
22. ओमैक्स इन्वेस्टर्स लि०

## रेशम उद्योग को रियायतें

[हिन्दी]

1794. **श्री शांति धारीवाल:** क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस समय देश में रेशमी कपड़े की कितनी मिलें कार्य कर रही हैं तथा उनकी वित्तीय स्थिति का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इन दिनों रेशम उद्योग को गम्भीर संकट का सामना करना पड़ रहा है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का रेशमी कपड़े की ऐसी मिलों को रियायतें देने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो कब और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रफीक आलम):** (क) इस समय संगठित क्षेत्र में कार्य कर रही रेशम मिलों की संख्या निम्नलिखित है:—

| | |
|---|---|
| 1) स्पन रेशम मिलें - | 6 |
| 2) रेशम बुनाई मिलें - | 1 |
| 3) 100 प्र० श० निर्यातोन्मुख योजना के अंतर्गत रेशम मिलें | 3 |

इन मिलों के उत्पादन को तो मानीटर किया जाता है किन्तु इन की वित्तीय स्थिति से संबंधित आंकड़े समेकित नहीं किए जा रहे हैं।

(ख) जी नहीं।

(ग) और (घ): प्रश्न नहीं उठते।

## भारतीय कपास निगम में लगी आग

[अनुवाद]

1795. **श्री कमल चौधुरी:** क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1987 तथा 1988 के दौरान भारतीय कपास निगम को आग लगने के कारण कितनी हानि हुई;

(ख) क्या आग लगने से नष्ट हुई कपास के लिए अग्नि बीमा कराया गया था; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके लिए किसी को जिम्मेदार ठहराया गया है और यदि हां, तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

**वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रफीक आलम):** (क) सी०सी०आई० को इस अवधि के दौरान आग लगने से करीब 1.09 करोड़ रु० का नुकसान हुआ है।

(ख) जी, हां।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

## "महाराष्ट्र के समुद्र तट पर प्रदूषण"

1796. **श्री प्रकाश वी॰ पाटिल:** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र में तटवर्ती क्षेत्र में समुद्र में अन्य देशों के तेल के टैंकों से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थों और हमारे जहाजों के कारण पुनः प्रदूषण फैल रहा है;

(ख) यदि हां, तो इससे कितना प्रदूषण हो रहा है;

(ग) क्या यह बढ़कर स्वास्थ्य के लिये खतरनाक सिद्ध होने लगा है; और

(घ) इस समस्या के समाधान के लिए क्या कदम उठाये गये/उठाने का विचार है?

**वस्त्र मंत्री तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा):** (क) महाराष्ट्र तट के निकट से होकर कोई बड़ा टैंकर मार्ग नहीं गुजरता है। तथापि, तटीय यातायात और बंदरगाह में प्रवेश करने वाले जहाजों से तेल के विसर्जन को नकारा नहीं जा सकता।

(ख) जहाजों से होने वाला तेल प्रदूषण मुख्यतया स्थानीय और कम अवधि का होता है।

(ग) ऐसे किसी प्रतिकूल प्रभाव की खबर नहीं है, जिससे स्वास्थ्य के लिए संकट पैदा हो।

(घ) उठाए गए कदमों में निम्नलिखित शामिल हैं:—

1. व्यापारी जहाजरानी अधिनियम, 1958 में जहाजों से होने वाले तेल प्रदूषण से निपटने और उसको नियंत्रित करने की व्यवस्था है।
2. इस अधिनियम के प्रदूषण-रोधी उपबंधों की समय-समय पर समीक्षा की जाती है और जहाजों से उत्पन्न प्रदूषण को रोकने के लिए नियमों को और अधिक सख्त बनाया गया है।
3. तेल के छलकाव को रोकने के लिए भारतीय तटरक्षक को केंद्रीय एजेंसी पदनामित किया गया है। अनेक एजेंसियों/विभागों को तेल के छलकाव से होने वाले प्रदूषण के निवारण, निगरानी और नियंत्रण का कार्य सौंपा गया है।
4. भारतीय तटरक्षक विशिष्ट आर्थिक अंचल के भीतर नियमित गश्त लगाते समय समुद्र में जहाजों द्वारा संभावित तेल-छलकाव के लिए भी निगरानी करते हैं।

## वस्त्र निर्यात में हथकरघा क्षेत्र का योगदान

1797. **श्री प्रकाश वी॰ पाटिल:** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1986, 1987 और 1988 के दौरान वस्त्र-निर्यात में हथकरघा क्षेत्र का कितना योगदान रहा है;

(ख) इसमें से प्रत्येक वर्ष महाराष्ट्र का योगदान कितना रहा;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने हथकरघा वस्तुओं में अद्यतन डिजाइनों के उपयोग के लिए कोई विशेष प्रयास किए हैं ताकि वे उत्तर विदेशी बाजार में बिक सकें; और

(घ) यदि हां, तो महाराष्ट्र में ऐसे कितने डिजाइन संस्थान खोले गए हैं?

**वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रफीक आलम):** (क) सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद के अनुसार सूती वस्त्रों (फेब्रिक्स और मेडअप्स) के निर्यात में सूती हथकरघा वस्त्र (फेब्रिक्स और मेडअप्स का योगदान मूल्य के रूप में 1986 में 26.83%, 1987 में 25.89% तथा 1988 में 25.58% का रहा।

(ख) राज्य वार निर्यात आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

(ग) और (घ): भारत सरकार ने अनेक बुनकर सेवा केन्द्र स्थापित किए हैं, इनमें से दो महाराष्ट्र में हैं, जो निर्यातकों को हथकरघा उत्पादों के डिजाइन/नमूने प्रदान करते हैं। इसके अलावा हथकरघा निर्यात संवर्धन परिषद, मद्रास हथकरघा निर्यातकों को भी डिजाइन/फैशन/रंगों की जानकारी भी संवितरण कर रहा है जो भारत व्यापार केन्द्र, ब्रसेल्स तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रीय निकायों से प्राप्त जानकारी पर आधारित होती है।

## महाराष्ट्र में विद्युत करघे

1798. **श्री प्रकाश वी॰ पाटिल:** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) महाराष्ट्र में गत एक वर्ष से अधिक समय से कितने विद्युत करघे बंद पड़े हुये हैं और उसके क्या कारण हैं;

(ख) इसके परिणामस्वरूप कितने उत्पादन की हानि हुई;

(ग) कितने व्यक्ति बेरोजगार हो गये;

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार विद्युत करघा क्षेत्र के विकास पर कड़ी निगरानी रखती है; और

(ङ) यदि हां, तो इन्हें फिर से चालू करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

**वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रफीक आलम):** (क) से (ङ): देश में अधिक बुनाई क्षमता के संदर्भ में विकेन्द्रीकृत बिजली करघा क्षेत्र में बुनाई क्रियाकलाप-स्तर में समय समय पर परिवर्तन आता रहता है जो यार्न की कीमतों, कपड़े के उठान तथा अन्य विभिन्न बातों पर निर्भर करता है। इस क्षेत्र की बुनाई कार्यकलापों की लाभप्रदता सूती यार्न की कीमतों तथा कपड़े की मांग आदि बातों पर निर्भर करती है। चूंकि यह उद्योग विकेन्द्रीकृत किस्म का है, अतः जिन बिजली करघों ने बुनाई क्रियाकलाप बंद कर दिए हैं उनकी संख्या बताना और बिजली करघों के बंद हो जाने के परिणाम स्वरूप उत्पादन में होने वाली क्षति का अनुमान बताना संभव नहीं है। सरकार जब कभी आवश्यक हो उस समय सुधारात्मक कार्रवाई हेतु विकेन्द्रीकृत बिजली करघा क्षेत्र में मौजूदा स्थिति को नियमित रूप से मानीटर करती है। सरकार ने जुलाई, 1987 से रेशे वाली रूई का निर्यात बंद कर दिया है। यह बात सुनिश्चित करने के लिए कि सूती यार्न के निर्यात की वजह से इस यार्न की घरेलू उपलब्धता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़े, सूती यार्न, सूती फैब्रिकों तथा तैयार माल के निर्यात के बदले रूई के आयात की अग्रिम लाइसेंसिंग आधार पर अनुमति है। सरकार यार्न के उत्पादन आदि के लिए आवश्यक रूई की उपलब्धता पर भी बराबर निगरानी रखे हुए है।

## राष्ट्रीय मातृ एंव शिशु स्वास्थ्य संस्थान

1799. **प्रो॰ मधु दंडवते:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का एक राष्ट्रीय मातृ एंव शिशु स्वास्थ्य संस्थान की स्थापना करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो क्या महाराष्ट्र सरकार ने नागपुर में इसकी स्थापना करने तथा इसके लिए सभी प्रकार की सहायता देने का प्रस्ताव किया था; और

(ग) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार इस परियोजना को नागपुर में स्थापित करने तथा इसका नाम स्वर्गीय पंडित जवाहर लाल नेहरु के नाम पर रखने संबंधी महाराष्ट्र सरकार के सुझाव पर सहमत है?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे):** (क) और (ख): राष्ट्रीय मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य संस्थान की स्थापना का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

(ग) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रीय मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य संस्थान स्थापित नहीं किया जा सका क्योंकि इस प्रयोजन के लिए धनराशि उपलब्ध नहीं की जा सकी।

## जन्म पूर्व परीक्षण तकनीक के प्रयोग पर नियंत्रण लगाने के लिये कानून

1800. **प्रो॰ मधु दंडवते:** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार अधिनियम के अनुरूप जन्मपूर्व परीक्षण तकनीक के प्रयोग पर नियंत्रण लगाने के लिए एक अखिल भारतीय कानून बनाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो क्या प्रस्तावित कानून में परीक्षण करने से पहले परीक्षण के दुरूपयोग के विरुद्ध इस घोषणा का प्रावधान होगा कि "लड़की के जन्म से गर्भवती माता के मानसिक स्वास्थ्य पर किसी भी स्थिति में गहरा आघात नहीं पहुंचेगा"?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे)** (क) जी, हां।

(ख) इस प्रस्ताव के ब्यौरों पर अभी विचार किया जा रहा है।

## कम मूल्य के मिश्रित कपड़े के उत्पादन की योजना

1801. **श्री आर॰एम॰ भोये:** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार हथकरघा क्षेत्र में कम मूल्य के मिश्रित कपड़े के उत्पादन के लिये राज्यों द्वारा कार्यान्वयन हेतु कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस कपड़े का कितना मूल्य निर्धारित किया गया है?

**वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रफीक आलम)** (क) जी, हां।

(ख) 'सुसमान कपड़ा योजना' के अंतर्गत शुल्क मुक्त पोलियस्टर फाइबर तथा शुल्क रियायती पोलियस्टर फिलामेंट यार्न के साथ मिश्रित यार्न प्रयोग करने वाले हथकरघे पर कम कीमत के फैब्रिक के उत्पादन की तमिलनाडु, आन्ध्र प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक और केरल राज्यों में तथा संघ शासित पांडिचेरी में स्वीकृति दे दी गयी है। यह योजना केवल शीर्ष सहकारी समितियों और इसके लिए अनुमोदित केन्द्रीय या राज्य हथकरघा विकास निगमों द्वारा ही चलायी जाएगी।

(ग) शुल्क मुक्त पोलियस्टर फाइबर का प्रयोग करके बनाए गए फैब्रिकों की खुदरा कीमतें शर्टिंग के लिए सामान्यता 25 रुपये और सूटिंग के लिए 40 रुपये प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से होगी। शुल्क रियायती पोलियस्टर फिलामेंट यार्न का प्रयोग करके बनाए गए फैब्रिकों की कीमत धोती के लिए 30 रुपये प्रति वर्ग मीटर तथा शर्टिंग, ड्रेस मेटीरियल, ब्लाउज मैटीरियल साड़ी तथा लुंगी के लिए 35 रुपये प्रति वर्ग मीटर तथा सूटिंग के लिए 55 रुपये प्रति वर्ग मीटर होगी।

## केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालयों में दवाइयों की कमी

1802. **श्री श्रीकांत दत्त-नरसिंहराज वाडियर:** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालयों में दवाइयों की कमी हो गई है।

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है, और

(ग) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालयों को दवाइयों की पर्याप्त मात्रा में सप्लाई करने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे):** (क) से (ग) भारतीय चिकित्सा पद्धतियों और होम्योपैथी की औषधों की कोई कमी नहीं है। किन्तु कुछ एलोपैथिक दवाइयों की कुछ अस्थाई कमी हुई है। विशेषज्ञ द्वारा कोई एलोपैथिक दवाई यदि अत्यावश्यक निर्धारित की जाती है

*और वह औषधालय में उपलब्ध नहीं होती है। तो उसे मेसर्स सुपर बाजार/प्राधिकृत स्थानीय केमिस्ट से खरीद* कर लाभार्थियों को प्रदान किया जाता है। आपाती स्थिति में लाभार्थियों को बिना किसी भुगतान के सुपर बाजार से दवाई प्राप्त करने के लिए दस्ती प्राणधिकार-पत्र दिया जाता है। सुपर बाजार में दवाई के उपलब्ध न होने की स्थिति में लाभार्थी को इसे खुले बाजार से खरीदने और इसकी प्रतिपूर्ति लेने के लिए भी प्राधिकृत किया जाता है।

**हिमाचल प्रदेश में "अनाज बचाओ अभियान" के लिए एक अलग क्षेत्रीय / उप-कार्यालय**

1803. **प्रो॰ नारायण चन्द पराशर:** क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का हिमाचल प्रदेश में अनाज बचाओ अभियान का एक अलग क्षेत्रीय / उप-कार्यालय स्थापित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय लिया गया तथा यह कार्यालय कब तक खोला जायेगा और

(ग) यदि नहीं, तो कार्यालय खोलने हेतु कब तक निर्णय लिया जायेगा तथा कार्यालय खोला जायेगा?

**खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री डी॰एल॰ बैठा):** (क) जी नहीं।

(ख) और (ग): प्रश्न ही नहीं उठते। हिमाचल प्रदेश में अन्न सुरक्षा अभियान का कोई केन्द्रीय यूनिट स्थापित करने का फिलहाल कोई विचार नहीं है।

**खानों में दुर्घटनाओं की संख्या**

1804. **श्रीमती प्रभावती गुप्त:** क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1987 और 1988 के दौरान देश में राज्य-वार कितनी खान दुर्घटनाएं हुईं;

(ख) इन दुर्घटनाओं में कितने लोग प्रभावित हुए; और

(ग) खान कामगारों की जीवनरक्षा के लिए क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

**श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री राधाकिशन मालवीय):** (क) और (ख): वर्ष 1987 और 1988 के दौरान देश में खान दुर्घटनाओं की राज्यवार संख्या और इन दुर्घटनाओं से प्रभावित व्यक्तियों की संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) खानों में नियोजित कर्मकारों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण से संबंधित उपबंध खान अधिनियम, 1952 और उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों में निहित हैं। इन उपबंधों का खान प्रबंधतंत्रों द्वारा अनुपालन किया जाना होता है। खान सुरक्षा महानिदेशक, धनबाद और उसके अधिकारी सांविधिक उपबंधों को लागू करने के लिए खानों का नियतकालिक निरीक्षण करते हैं तथा दुर्घटनाओं और अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन करने के उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध खान अधिनियम, 1952 में दी गई व्यवस्था अनुसार कार्रवाई करते हैं। खान सुरक्षा महानिदेशक खानों के प्रबंधतन्त्रों को सुरक्षा उपायों में सुधार के लिए समय-समय पर परिपत्रों के रूप में दिशानिर्देश भी जारी करते हैं। खान सुरक्षा महानिदेशालय के अधिकारी प्रत्येक घातक दुर्घटना की छानबीन करते हैं और दुर्घटना के लिए उत्तरदायी ठहराये गए व्यक्तियों के विरुद्ध उचित कार्रवाई करते हैं। स्थिति की गंभीरता पर निर्भर करते हुए, कतिपय गंभीर दुर्घटनाओं की उनके द्वारा छानबीन भी की जाती है।

विवरण

वर्ष 1987 तथा 1988 के दौरान खानों में हुई दुर्घटनाओं तथा इनसे प्रभावित व्यक्तियों की संख्या के राज्यवार ब्यौरे

| राज्य | दुर्घटनाओं की संख्या | | | | प्रभावित व्यक्तियों की संख्या | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | घातक | | गंभीर | | मारे गए | | गंभीर रूप से घायल | |
| | 1987 | 1988* | 1987 | 1988* | 1987 | 1988* | 1987 | 1988* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| आंध्र प्रदेश | 30 | 19 | 329 | 227 | 33 | 20 | 340 | 235 |
| अरुणाचल प्रदेश | 1 | — | 1 | 2 | 1 | — | 1 | 2 |
| असम | 7 | 4 | 38 | 21 | 7 | 4 | 38 | 21 |
| बिहार | 68 | 76 | 236 | 201 | 72 | 80 | 246 | 212 |
| दिल्ली | 1 | — | — | — | 1 | — | 1 | — |
| गोवा | — | 2 | 7 | 1 | — | 2 | 7 | 1 |
| गुजरात | 3 | 8 | 10 | 2 | 3 | 13 | 10 | 3 |
| हरियाणा | — | 3 | 1 | — | — | 4 | 1 | — |
| हिमाचल प्रदेश | 3 | 1 | — | 1 | 3 | 1 | — | 1 |
| जम्मू और कश्मीर | — | 1 | 1 | | — | 1 | 1 | — |
| कर्नाटक | 10 | 12 | 116 | 93 | 10 | 13 | 118 | 94 |
| केरल | — | 1 | 1 | 2 | — | 1 | 1 | 2 |
| मध्य प्रदेश | 37 | 33 | 218 | 179 | 40 | 36 | 227 | 186 |
| महाराष्ट्र | 17 | 16 | 81 | 87 | 18 | 17 | 84 | 91 |
| उड़ीसा | 8 | 10 | 47 | 45 | 8 | 10 | 48 | 46 |
| राजस्थान | 12 | 7 | 104 | 73 | 15 | 9 | 109 | 76 |
| तमिलनाडु | 6 | 5 | 20 | 16 | 7 | 7 | 22 | 15 |
| उत्तर प्रदेश | 2 | 5 | 4 | 6 | 2 | 5 | 4 | 9 |
| पश्चिम बंगाल | 25 | 30 | 98 | 100 | 30 | 36 | 102 | 105 |

* वर्ष 1988 के आंकड़े अनन्तिम हैं

## उपदान की भुगतान सीमा

1805. **श्री अनन्त प्रसाद सेठी:** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उपदान संदाय (संशोधन) अधिनियम, 1987 के अन्तर्गत उपदान के भुगताम की अधिकतम सीमा 50,000 रुपये निर्धारित करना सरकार के 20 सूत्री कार्यक्रम के अनुरूप है; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या पहले की तरह कामगारों को 20 महीने का वेतन उपदान के रूप में देने संबंधी लाभ को पुनः आरंभ करने का कोई प्रस्ताव है?

**श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री राधाकिशन मालवीय):** (क) उपदान संदाय अधिनियम के अंतर्गत उपदान का भुगतान 20 सूत्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं आता।

(ख) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

## राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रमों के लिये स्वयंसेवी एजेंसियों द्वारा सहायता का प्रस्ताव

1806. **श्री पी० आर० कुमारमंगलम:** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय स्वयंसेवी स्वास्थ्य एसोसिएशन ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रमों का प्रचार करने के लिए व्यावसायिक सहायता देने का प्रस्ताव किया था;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) क्या सरकार का इस संबंध में विभिन्न स्वयं सेवी एजेंसियों की सहायता प्राप्त करने का विचार है?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे):** (क) और (ख) जी, हां। भारतीय स्वयं सेवी स्वास्थ्य संघ ने दो विशेष परियोजनाओं की पेशकश की है अर्थात्:—

(i) "कुम्भ मेला" में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण से संबंधित विषयों पर शिक्षण और सूचना वितरित करना, जिसमें दृश्य फिल्मों के साथ प्रचार सामग्री प्रदान की गई है । निःशुल्क परामर्श प्रदान करने के लिए 40,000 रुपये की रकम मंजूर की गई है।

(ii) वीडियो फिल्म का निर्माण करना।

(ग) जी, हां।

## राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान में 'डीन' की नियुक्ति

1807. **श्री जी० भूपति:**
**श्री मानिक रेड्डी:**
**श्री ए० जे० वी० वी० महेश्वर राव:**

**क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस समय राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान, नई दिल्ली में कितने 'डीन' कार्यरत हैं तथा उनके उत्तरदायित्व क्या है;

(ख) उनकी नियुक्ति की प्रक्रिया क्या है;

(ग) इस संस्थान के निदेशक तथा संयुक्त निदेशक के वेतनमान क्या है ;और

(घ) क्या 'डीन' पद और हैसियत की दृष्टि से संयुक्त निदेशक के बराबर होता है?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे):** (क) राष्ट्रीय स्वास्थ्य

और परिवार कल्याण संस्थान मे पाठ्क्रम नियोजन, विभिन्न विभागों के क्रियाकलापों के पर्यवेक्षण तथा उनमे तालमेल बैठाने और एम डी (सामुदायिक स्वास्थ्य प्रशासन) पाठ्यक्रम संबंधी दूसरे मामलों की देखरेख के लिए इस समय अध्ययन विभाग का केवल एक ही डीन है।

(ख) डीन की नियुक्ति राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान के वरिष्ठ प्रोफेसरों (मोडिसन) में से बारी-बारी से तीन वर्ष की अवधि के लिए की जाती है।

(ग) वेतमान हैं:

निदेशकः रु० 7300-100-7600 तथा 900 / रु० प्रैक्टिस बंदी भत्ता।

संयुक्त निदेशक-रु० 4500-150-5700-200-7300 तथा 900/रु० प्रैक्टिस बंदी भत्ता।

(घ) जी नहीं।

## रुग्ण मिलों के लिए पुनर्स्थापन योजना

1808. **श्री भद्रेश्वर तांती:** क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या नई कपड़ा नीति के अन्तर्गत रुग्ण कपड़ा एककों को, पुनर्जीवित करने हेतु उनकी पात्रता के आधार पर, पुनःस्थापित करने की योजना बनाई गई है ;

(ख) यदि हां, तो गत वर्ष इस दिशा में कितनी प्रगति हुई है; और

(ग) किन-किन रुग्ण एककों को इस योजना के अन्तर्गत पुनर्स्थापित किया गया?

**वस्त्र मंत्रालय मे राज्य मंत्री (श्री रफीक आलम):** (क) जी, हां।

(ख) और (ग) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

## बाल श्रम संबंधी तकनीकी सलाहकार समिति की सिफारिशें

1809. **प्रो० रामकृष्ण मोरे:**

**श्री बनवारी लाल पुरोहित:**

क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने बाल श्रम संबंधी तकनीकी सलाहकार समिति की सिफारिशें स्वीकार कर ली हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने कौन सी सिफारिशें स्वीकार की हैं;

(ग) इनमें से कितनी सिफारिशें अब तक कार्यान्वित की गई हैं; और

(घ) इन सिफारिशों में से किसी भी सिफारिश के कार्यान्वयन हेतु जारी किए गए आदेशों का उल्लंघन करने वाले लोगों के विरुद्ध क्या कदम उठाने का विचार है?

**श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री राधाकिशन मालवीय):** (क) और (ख): बाल श्रम तकनीकी सलाहकार समिति (बा.श्र.त.स.स.) की निम्नलिखित सिफारिशें सरकार द्वारा स्वीकार कर ली गई हैः—

(1) निम्नलिखित व्यवसायों / प्रक्रियाओं में बाल श्रम प्रतिषेध

(i) **व्यवसाय**

पटाखे तथा आतिशबाजी बेचने के लिए अस्थायी लाइसेंसों वाली दुकानों में नियोजन।

(ii) **प्रक्रियाएं**

— स्लेट पेन्सिलों का विनिर्माण (इसमें पैकिंग शामिल है)

— गोमेद से उत्पाद का विनिर्माण।

— शीशा, पारा, क्रोनियम, काडनियम, बेन्जीन, पेस्टीसाइड्स तथा एस्बेस्टास जैसी नशीली धातु तथा पदार्थों का प्रयोग करने वाली विनिर्माण प्रक्रियाएं।

(2) एक समयन्वय समिति स्थापित करना जिसे अनुसंधान समन्वय समिति कहा जाएगा जो कतिपय व्यवसायों/प्रक्रियाओं/उद्योगों में आगे महामारी अध्ययन करेगी जिसके आधार पर सरकार को यह सलाह दी जा सके कि इन व्यवसायों/प्रक्रियाओं/उद्योगों में बाल नियोजन पर प्रतिबंध लगाया जाय/विनियमित किया जाय।

(ग) और (घ) : पहली सिफारिश के कार्यान्वयन के लिए, सरकार ने एक अधिसूचना जारी की है जिसमें बाल श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 की अनुसूची में उपयुक्त व्यवसायों तथा प्रक्रियाओं को जोड़ने के अपने इरादे के बारे में तीन माह का नोटिस देने की व्यस्था की गई है। इस अवस्था पर कार्यान्वयन आदेश के उल्लंघन का प्रश्न नहीं उठता क्योंकि इन व्यवसायों तथा प्रक्रियाओं को अभी अनुसूची में जोड़ा जाना है।

बाल श्रम तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार, सरकार ने एक अनुसंधान समन्वय समिति भी गठित की है।

## सिर पर बोझा ढोना

1810. **श्री तम्पन थामसः** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने श्रमिकों द्वारा सिर पर 50 किलो से अधिक बोझा ढोने पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस सिफारिश को मान लिया है?

**श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री राधाकिशन मालवीय):** (क) एक कर्मकार द्वारा लाने ले जाने वाले अधिकतम अनुज्ञेय वजन संबंधी अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के वर्ष 1967 में हुए 51वें अधिवेशन द्वारा स्वीकार किए गए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन अभिसमय संख्या 128 में यह निर्धारित किया गया है कि जहां किसी व्यस्क पुरुष द्वारा हाथ से लाने ले जाने वाला अधिकतम अनुज्ञेय वजन 55 किलोग्राम से अधिक हो, जितनी शीघ्र संभव हो सके इसे अधिकतम अनुज्ञेय वजन स्तर तक कम करने के उपाय किए जाने चाहिएं।

(ख) अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन अभिसमय सदस्य देशों के लिए दिशा निर्देशकों के रूप में है। हालांकि अभिसमय सिद्धान्त रूप में स्वीकार्य है, इसे असंगठित क्षेत्र में व्यवहारिक कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए लागू करना संभव नहीं है। तथापि, जहां तक कारखानों का संबंध है, कारखाना अधिनियम, 1948 के अधीन निर्मित आदर्श नियमों के अंतर्गत किसी वयस्क पुरुष कर्मकार द्वारा उठाए जाने वाला या लाने ले जाने वाला अधिकतम वजन 55 किलोग्राम तक निर्धारित किया गया है।

**ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार पैदा करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की तकनीकी विशेषज्ञता**

1811. **श्री वक्कम पुरुषोत्तमन:**
**श्री टी॰ वी॰ चन्द्रशेखरप्पा:**
**श्री शांति लाल पटेल:**

क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने ग्रामीण क्षेत्रों में और अधिक रोजगार पैदा करने की संभावनाओं का पता लगाने के लिए तकनीकी विशेषज्ञता प्रदान करने की पेशकश की है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधि ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

**श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री राधाकिशन मालवीय):** (क) अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के ए॰ डी॰ जी॰ श्री टी॰ नाकामुरा ने भारत के अपने हाल ही के दौरे के दौरान सामान्य रूप से यह उल्लेख किया कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक रोजगार सृजन की संभावनाओं का पता लगाने के लिए विशेषज्ञ सेवाएं प्रदान करे। तथापि, भारत द्वारा स्वीकृति के लिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने कोई विशिष्ट परियोजना तैयार नहीं की है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

**वर्ष 1988-89 में गेहूं की खरीद का लक्ष्य**

1812. **श्री वक्कम पुरुषोत्तमन:** क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1988-89 के लिए देश में गेहूं की खरीद का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ख) अब तक कितना गेहूँ खरीदा गया है; और

(ग) क्या चालू वर्ष के दौरान खाद्यानों का कुछ और आयात करने का विचार है?

**खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री डी॰ एल॰ बैठा):** (क) कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया जाता है क्योंकि गेहूं की वसूली सरकार की मूल्य समर्थन योजना के अधीन किसानों द्वारा स्वेच्छा से पेश की गई गेहूं से की जाती है।

(ख) 65.4 लाख मीटरी टन।

(ग) भारत सरकार आन्तरिक खाद्य स्थिति पर गहरी निगरानी रख रही है और जब कभी आवश्यक समझा जाएगा तब वह खाद्यानों का आयात करेगी।

**गुजरात में जैव-पर्यावरणीय तकनीकों से समेकित रोगाणुवाहक नियंत्रण**

1813. **श्री वक्कम पुरुषोत्तमन:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने गुजरात में जैव-पर्यावरणीय तकनीकों से समेकित रोगाणुवाहक नियंत्रण संबंधी सफलतापूर्वक जांच करा ली है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार का विचार देश के अन्य भागों में यह कार्यक्रम लागू करने का है?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे):** (क) जी, हां।

(ख) जैव-पर्यावरणीय तकनीकों का इस्तेमाल करके मलेरिया समेकित रोगाणु वाहक नियत्रण 1983 में नाडियाड, जिला खेड़ा, गुजरात में आरम्भ किया गया था। यह अध्ययन गांवों की 25,000 आबादी में शुरू किया गया था और एक वर्ष के बाद 1985 में इसका विस्तार करके इसके अंतर्गत 75,000 आबादी को

लाभान्वित किया गया था। 1986 में मलेरिया की जैव-पर्यावरणीय नियंत्रण नामक एक वैकल्पिक कार्यनीति के अन्तर्गत 3,50,000 आबादी को लाभान्वित किया गया। 1987 में 3,50,000 आबादी वाला एक और नियंत्रण तालुक (कपाडवंज) इस कार्यनीति के अंतर्गत लाभान्वित किया गया । अब तक मिले परिणाम, जैसा कि कीट-विज्ञान तथा जानपदिक रोग विज्ञान संबंधी सूचकों से पता चला है, बहुत ही उत्साहजनक रहे है।

(ग) गुजरात में मिली सफलता के आधार पर उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर, हल्द्वानी, हरिद्वार, शंकरगढ़, उड़ीसा के बरहामपुर, राउरकेला, मध्यप्रदेश के माण्डला, असम के सोनपुर जैसे कुछ ग्रामीण क्षेत्रों तथा मद्रास और दिल्ली के शहरी क्षेत्रों के मलेरिया के स्थानिकमारी वाले क्षेत्रों में इस वैकल्पिक कार्यनीति का विस्तार किया गया। इन फील्ड स्टेशनों में यह अध्ययन अलग-अलग चरणों में शुरू किया गया था और वैकल्पिक कार्यनीति से मलेरिया के नियंत्रण में अब तक मिले परिणाम आशाजनक रहे हैं।

## केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में कनिष्ठ अभियन्ता और सहायक अभियन्ता

1814. **श्री हरीश रावत:** क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान वर्षवार केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कनिष्ठ अभियन्ता और सहायक अभियन्ता (सिविल और इलैक्ट्रिकल्स) के कितने-कितने पदों का परित्याग किया गया और कितने-कितने पदों की वृद्धि की गई; और

(ख) वर्ष 1986 के दौरान अरुणाचल प्रदेश और दिल्ली विकास प्राधिकरण से कितने कनिष्ठ अभियन्ता और सहायक अभियन्ता (सिविल और इलैक्ट्रीकल्स) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग को वापस भेजे गए ?

**शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह)** :(क) और (ख): सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

## जूता उद्योग में प्रशिक्षित कर्मचारियों की कमी

1815. **श्री वी॰ शोभनाद्रीश्वर राव:** क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जूता उद्योग में प्रशिक्षित कर्मचारियों की कमी है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) जूता उद्योग की सहायता हेतु अधिक कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने के लिये क्या कदम उठाने का विचार है?

**श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री राधा किशन मालवीय)**: (क) जी, हाँ ।

(ख) कमी की मात्रा का निर्धारण नहीं किया गया है।

(ग) सरकार का जूता उद्योग के लिए कार्मिकों की विभिन्न श्रेणियों के प्रशिक्षण हेतु और प्रशिक्षण केन्द्र खोलने का प्रस्ताव है। इसके अतिरिक्त, शिल्पकार तथा शिक्षुता प्रशिक्षण योजनाओं के अंतर्गत क्रमशः शिल्पकारों तथा शिक्षुओं के प्रशिक्षण के लिए प्रवेश योग्यता को कम करने के लिए जांच करने का प्रस्ताव है ताकि अधिक संख्या में व्यक्तियो को प्रशिक्षण के लिए आकर्षित किया जा सके।

**"पान मसाला केन कौज यू कैंसर" शीर्षक से प्रकाशित समाचार**

**[हिन्दी]**

1816. **श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया:**
**श्री दिनेश गोस्वामी:**
**श्री महेन्द्र सिंह:**
**श्री अमर सिंह** राठवा:
**श्री वृद्धि चन्द्र जैन:**

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में पान मसाला बनाने वाले कितने एकक हैं;

(ख) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 10 फरवरी, 1989 के "दि हिन्दुस्तान टाइम्स" में "पान मसाला केन कौज यू कैंसर", शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ग) यदि हां, तो क्या गुजरात, **कैंसर अनुसंधान संस्थान में वर्षों शोध करने के बाद यह निष्कर्ष** निकलता **है कि पान मसाले के प्रयोग से कैंसर हो सकता है;**

(घ) यदि हाँ, तो सरकार द्वारा पान मसाले के निर्माण और प्रयोग पर प्रतिबन्ध न लगाए जाने के क्या कारण हैं;

(ङ) इस संबंध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है; और

(च) क्या इस संबंध में सरकार का विचार किसी अन्य अनुसंधान संस्थान का विचार जानने का है?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे):** (क) अखिल भारतीय पान मसाला उत्पादक संघ द्वारा उपलब्ध की गई सूचना के अनुसार देश में पान मसाला/खाने वाले तम्बाकू और महक वाले पदार्थों के 111 मुख्य निर्माता हैं।

(ख) जी, हाँ।

(ग) से (च): गुजरात कैंसर अनुसंधान संस्थान, अहमदाबाद द्वारा पान मसाले के दुष्प्रभाव के संबंध में अध्ययन अभी पूरे किये जाने हैं। सरकार ने भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली से पहले ही परामर्श कर लिया है। और हम परिषद का विचार है कि जब तक नियंत्रित जानपदिक रोग विज्ञान संबंधी सुविचारित अध्ययन नहीं किये जाते तब तक पान मसाले के कैंसर जनक प्रभाव को सिद्ध करना अत्यधिक कठिन है।

**कैंसर के लिये आयुर्वेदिक इलाज**

1817. **श्री बलवंत सिंह रामूवालिया:**
**श्री दिनेश गोस्वामी:**

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विद्या चन्द्र प्रकाश कैंसर रिसर्च फाउंडेशन, मेरठ, ने यह दावा किया है कि उसने कैंसर के लिये आयुर्वेदिक इलाज का पता लगाया;

(ख) क्या सरकार ने उनके दावे की जांच की है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार का इस संबंध में कब तक आवश्यक कार्यवाही करने का प्रस्ताव है?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे):** (क) जी, हाँ।

**(ख)** और (ग) **वैद्य चन्द्र प्रकाश कैंसर** रिसर्च फाउंडेशन, मेरठ के वैद्य बालेन्दु प्रकाश ने केन्द्रीय

औषध अनुसंधान संस्थान लखनऊ के वैज्ञानिकों, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद, केन्द्रीय आयुर्वेद और सिद्ध अनुसंधान परिषद के अधिकारियों, तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधिकारियों के साथ अनेक बैठकें की हैं। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद का यह विचार है कि उनके द्वारा प्रयोग की गई कैंसर-रोधी औषध तैयार करने की परम्परागत/प्रचलित विधियां बहुत ही दुर्वह और अधिक समय लेने वाली हैं उनका यह भी विचार है कि उन्होंने औषध के मानकीकरण और गुणवत्ता नियंत्रण के बारे में कोई प्रयत्न नहीं किया है और उन्होंने जो परियोजना प्रस्तुत की है उसकी लागत बहुत अधिक है। इसलिए उन्होंने यह मांग की है कि वैद्य बालेन्दु प्रकाश को कैंसर के 15 रोगियों के उपचार के लिये पर्याप्त औषध उपलब्ध करनी चाहिए और इस औषध को जब केन्द्रीय औषध अनुसंधान संस्थान पूर्व नैदानिक विषाक्तता संबंधी अध्ययन क्लीयर कर देगी तो उसके पश्चात परिषद इस औषध की प्रायोगिक आधार पर परीक्षण की व्यवस्था करेगी।

वैद्य बालेन्दु प्रकाश से दिसम्बर, 1988 में अनुरोध किया गया था कि वे स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय को यह बताएं कि 15 रोगियों के उपचार के लिये भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद को औषधों की सप्लाई के लिए उन्हें कम से कम कितने धन की आवश्यकता है। उनसे अपने प्रस्ताव का आयुर्वेद साहित्यिक आधार बताने का अनुरोध किया गया था। उन्होंने अभी तक अपेक्षित सूचना नहीं भेजी है।

**दिल्ली विकास प्राधिकरण की आवास साकार योजना**

1818. **श्री बलवंत सिंह रामूवालिया:**
**श्री दिनेश गोस्वामी:**
**श्री वक्कम पुरुषोत्तमन**

क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने **"आवास साकार योजना"** नाम से एक नई योजना आरंभ की है जिसके अंतर्गत न्यू पैटर्न हुडको स्कीम, 1979 के पंजीकृत व्यक्तियों से मकान निर्माण के लिये सहकारी ग्रुप आवास समितियां बनाने को कहा गया है;

(ख) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने इस नई योजना के लिये पंजीकृत व्यक्तियों की राय प्राप्त कर ली था, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस नई योजना के संबंध में पंजीकृत व्यक्तियों की क्या प्रतिक्रिया है; और इस योजना के अंतर्गत कितनी समितियां गठित की जा चुकी हैं अथवा की जा रही हैं; और

(घ) क्या उन व्यक्तियों को भी नई ग्रुप आवास समितियां गठित करने/पंजीकरण कराने की अनुमति देने का कोई प्रस्ताव है जिन्होंने मकान के लिये अभी तक पंजीकरण नहीं कराया है; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह)**: (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) इस प्रयोजन के लिए निर्धारित अंतिम तिथि अर्थात 25.1.89 तक 5642 व्यक्तियों ने ग्रुप आवास समितियों के लिए विकल्प दिया है। अंतिम तिथि के पश्चात और 763 व्यक्तियों ने विकल्प दिया है। इस प्रयोजनार्थ गठित की जाने वाली समितियों की संख्या के बारे में विकल्पों की जांच के पश्चात निर्णय लिया जाएगा।

(घ) 1983 तक पंजीकृत 1281 ग्रुप आवास समितियों को भूमि आवंटन हेतु सहकारी समितियों के पंजीकार ने सिफारिश की थी। दिल्ली विकास प्राधिकरण के पास उपलब्ध भूमि की कमी के कारण इन समितियों को भूमि आवंटन के मामले में यथेष्ट प्रगति प्राप्त कर लिए जाने के पश्चात ही किसी नई ग्रुप आवास समिति के गठन/पंजीकरण पर विचार किया जा सकेगा।

## गरीब परिवारों में अन्धेपन को रोकने के उपाय

[अनुवाद]

1819. **श्रीमती प्रभावती गुप्तः क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में राज्यवार अन्धे व्यक्तियों की संख्या कितनी है;
(ख) क्या गरीब परिवारों में अन्धेपन में वृद्धि हो रही है;
(ग) यदि हाँ, तो उसके क्या कारण हैं; और
(घ) गरीब परिवारों में अन्धेपन को रोकने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे): (क)** भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा 1971-73 में किए गए सर्वेक्षण के अनुसार देश में लगभग 90 लाख दृष्टिहीन व्यक्ति होने का अनुमान है। दृष्टिहीन व्यक्तियों के राज्य-वार ब्यौरे उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) और (ग): ऐसे कोई संकेत नहीं हैं।

(घ) भारत सरकार ने देश भर में 1976-77 में एक राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम शुरू किया है। इस नीति में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्तर पर आधारभूत ढांचे की स्थापना करना, दूर दराज क्षेत्रों में शिविर लगाना तथा स्वास्थ्य शिक्षा उपाय करना शामिल है। इसके अतिरिक्त परिवार कल्याण विभाग के जच्चा-बच्चा स्वास्थ्य कार्यक्रम द्वारा विटामिन "ए" रोग निरोधक कार्यक्रम चलाया जा रहा है। आदिवासी क्षेत्रों, ज्यादातर सूखे से प्रभावित होने वाले क्षेत्रों, अन्य पिछड़े क्षेत्रों, आइ० सी० डी० एस० ब्लाकों और नगरीय गंदी बस्तियों में रहने वाले बच्चों को विशेष प्राथमिकता दी जाती है।

## "राष्ट्रीय वन नीति"

1820. **श्री सोमनाथ रथः क्या पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में राष्ट्रीय वन नीति का मसौदा तैयार किया है;
(ख) यदि हाँ, तो क्या इस मसौदे को राज्य सरकारों को उनके विचार जानने हेतु भेजा गया है; और
(ग) यदि हाँ, तो इस संबंध में राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है?

**वस्त्र तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा): (क) से (ग).** केन्द्र सरकार ने दिसम्बर, 1988 में राष्ट्रीय वन नीति, 1988 की घोषणा की थी। इसे आवश्यक कार्यवाही के लिए राज्य सरकारों को परिचालित किया गया है।

## दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा आवंटित भूमि पर मकान न बनाये जाने के लिये दंड का बढ़ाया जाना

1821. **श्री विष्णु मोदीः** क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने उन लोगों के लिए दंड बढ़ाने का निर्णय लिया है जो दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा आवंटित भूमि पर मकान बनाने में असफल रहते हैं; यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या जिन व्यक्तियों ने अपने मकानों का निर्माण पूरा करने के बाद निर्माण कार्य पूर्ण प्रमाणपत्र वर्ष 1974 और 1975 में आवेदन किया था; उन्हें किसी न किसी बहाने पर ऐसे प्रमाणपत्र अभी तक जारी नहीं किये गए हैं; यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या ऐसे प्रमाण पत्र शीघ्र जारी करने के लिए संबद्ध अधिकारियों को कोई मार्गनिर्देश जारी करने का विचार है?

**शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह):** (क) जी, हां। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने 10 तथा 15 वर्षों के अन्त में क्रमशः चालू मार्किट दरों पर भूखण्ड का मूल्य का 10 प्रतिशत तथा 20 प्रतिशत अथवा बोली/प्रीमियम का 50 प्रतिशत इनमें जो अधिक हो, जुर्माना बढ़ा दिया है और यह 1-1-90 से प्रभावी होगा। सन् 1989 तक निर्माण के लिए 10 और 15 वर्षों के अंत में क्रमशः पूर्वनिर्धारित दरों के 15 प्रतिशत तथा 25 प्रतिशत की दर पर अथवा बोली/प्रीमियम राशि का 50 प्रतिशत अतिरिक्त जुर्माना लिया जाएगा। जुर्माने की वृद्धि का यह कारण है कि बड़े पैमाने पर भूमि का अर्जन, उसका विकास एवं विक्रय की मूल योजना में यह विचार किया गया था कि आवंटी प्लाटों पर 3 वर्ष की अवधि के भीतर निर्माण पूर्ण कर लेंगे, जिसमें माफी अवधि भी शामिल है। पिछला अनुभव यह है कि आवंटी प्लाटों को सट्टे के प्रयोजनार्थ रोके हुए हैं तथा इस प्रकार योजना के उद्देश्य को विफल कर रहे हैं।

(ख) ऐसी एक सम्भावना है कि आवंटी / मालिक, जिन्होंने कब्जे के प्रमाण पत्र के लिए वर्ष 1974 और 1975 में आवेदन किए थे, उन्हें अभी भी कब्जा प्रमाण पत्र जारी नहीं किए गए हैं। प्रायः ऐसे मामलों में विलम्ब के निम्नलिखित कारण हैं:—

(i) विलम्बित निर्माण के लिए समय वृद्धि, प्राप्त नहीं की गई है।

(ii) गैर समाधेय मदों के संशोधन नहीं किए गए हैं।

(iii) समाधेय मदों के लिए जुर्मानों का भुगतान न करना।

(ग) उपर्युक्त भाग (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

## गठिया के इलाज हेतु नई औषध

1822. **श्री विष्णु मोदीः** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड ने अपनी अनुसंधान और विकास गतिविधियों के द्वारा गठिया की एक नई प्रभावी औषध का विकास किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस औषध की इसके प्रयोग के बाद होने वाले प्रभावों की जांच करने के बाद विभिन्न सरकारी अस्पतालों में सप्लाई की गई है; और

(घ) यदि नहीं तो, इसके क्या कारण हैं?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे)**: (क) जी, हां।

(ख) से (घ) मैसर्स इण्डियन ड्रग्स फार्मास्युटिकल लिमिटेड, हैदराबाद ने देश में एक नया नॉन-स्टेरॉयडल प्रदाहक-रोधी एजेन्ट "आई० डी० पी० एल०-82-61" विकसित किया है जिसका रुमेटाइड संधिशोथ के उपचार में प्रभावकारी होने का दावा किया है। पशुओं पर किए गए प्रयोगात्मक अध्ययनों से पता चला है कि इस औषध में महत्वपूर्ण प्रदाहरोधी और ज्वरहर गुण हैं।

देश में इस औषध के मानवों पर क्लिनिकल परीक्षण किए जा रहे हैं और इसे अभी तक देश के बाजारों में बेचे जाने के लिए अनुमोदित नहीं किया गया है।

## रुग्ण कपड़ा मिलें

1823. **डा० दत्ता सामंत**: क्या वस्त्र मंत्री यह बताने का कृपा करेंगे किः

(क) ऐसी गैर लघु कपड़ा मिलों की संख्या क्या है जिन्हें रुग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशेष प्रावधान) अधिनियम 1985 के अन्तर्गत रुग्ण घोषित किया गया है; और इसके क्या कारण हैं;

(ख) इससे कितने कामगार प्रभावित हुए हैं; और

(ग) इन मिलों द्वारा बैंकों को कुल कितनी वित्तीय देनदारियां शेष हैं?

**वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रफीक आलम)**: (क) से (ग): जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

## जापानी मस्तिष्क ज्वर पर नियंत्रण पाने की योजना

1824. **श्री जी० एस० बासवराजु:**
**श्री एस० बा० सिदनाल:**

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने विशेषज्ञों द्वारा की गयी सिफारिशों के आधार पर वर्ष 1989 के दौरान जापानी मस्तिष्क ज्वर की रोकथाम के लिए कोई विशेष कार्यक्रम तैयार किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे)**: (क) और (ख): जी, हां। जापानी एन्सेफलाइटिस की रोकथाम के लिए विशेष कार्यक्रम के मुख्य संघटक इस प्रकार हैं;

— प्रहरी निगरानी।
— कीटनाशकों का चुनिन्दा छिड़काव और लार्वारोधी उपायों समेत वैक्टर नियंत्रण।
— उपचार और पुनर्वास प्रशिक्षण और अनुसंधान जिसमें स्वदेशी जापानी एन्सेफलाइटिस वैक्सीन के क्षेत्रीय परीक्षण भी शामिल है।
— स्वास्थ्य शिक्षा।

राष्ट्रीय मलेरिया उन्मुलन कार्यक्रम के समग्र योजना परिव्यय में से जापानी एन्सेफलाइटिस स्थानिकमारी वाले राज्यों को 50 × 50 की लागत की भागीदारी के आधार पर नकद और सामग्री, दोनों के रूप में केन्द्रीय सहायता प्रदान की जा रही है।

## "सामाजिक वानिकी योजना के अन्तर्गत महिला श्रमिकों को रोजगार"

1825. **श्री के॰ प्रधानी:** क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में सामाजिक वानिकी कार्यक्रम के अन्तर्गत महिला श्रमिकों को रोजगार देने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है?

**वस्त्र मंत्री तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा):** (क) से **(ग):** सामाजिक वानिकी कार्यक्रम के अन्तर्गत सभी परियोजनाएं जिनमें ग्रामीण विकास विभाग की रोजगार उत्पन्न करने वाली परियोजनाएं भी सम्मिलित हैं, महिलाओं को रोजगार प्रदान कर रही हैं तथा पौधशालाएं उगाने जैसे कार्यकलापों के लिए उनको प्राथमिकता दी जाती है। इसके अतिरिक्त बाह्य सहायता प्राप्त सामाजिक वानिकी प्रायोजनाओं के अन्तर्गत आन्ध्र प्रदेश और उड़ीसा में ग्रामीण वन कार्यकर्ताओं के रूप में महिलाओं की भर्ती की विशेष व्यवस्था है।आन्ध्र प्रदेश में ग्रामीण वन कार्यकर्ताओं के रूप में 112 महिलाओं को भर्ती किया गया है। उड़ीसा में 80 महिलाओं को ग्रामीण वन कार्यकर्ताओं के रूप में तथा 3 महिलाओं को सामाजिक वानिकी पर्यवेक्षक के रूप में भर्ती किया गया है।

## रेबीज रोधी नए टीके का विकास

1826. **श्री प्रकाश चन्द्र:**
**श्री धर्मपाल सिंह मलिक:**
**श्री एम॰ रघुमा रेड्डी:**

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) नव विकसित रेबीज-रोधी टीके को देश के सभी प्रमुख अस्पतालों में कब तक उपलब्ध कराया जायेगा; और

(ख) इस समय कुत्ता काटने के मामले में लगाये जाने वाले टीके एवं नवविकसित टीके में क्या अन्तर है?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे):** (क) इस समय यह वैक्सीन प्रयोगशाला में विकास के वैज्ञानिक चरण में है। अस्पतालों को उपलब्ध करने से पहले इस पर सुरक्षा और लायसैंस की दृष्टि से व्यापक अध्ययन करने की जरूरत है।

(ख) नई वैक्सीन गोशीतला वायरस पर आधारित है और संरक्षी जलातंक प्रोटीन के लिए जीन वहन करने के लिए इसे आनुवंशिक इंजीनियरी द्वारा तैयार किया जाता है। इसका त्वचा में एक ही इंजेक्शन लगाया जाता है जबकि इस समय 10-14 इंजेक्शन लगाये जाते हैं।

**''फ्लैट से श्री नन्दा का सामान बाहर फेंका जाना'' शीर्षक से समाचार**

1827. **श्री प्रकाश चन्द्र:**
**श्री धर्मपाल सिंह मलिक:**
**श्री एम० रघुमा रेड्डी:**

क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 8 फरवरी, 1989 के ''इंडियन एक्सप्रेस'' में नन्दाज बिलोंगिग ''थ्रोन आउट आफ फ्लैट'' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

**शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह):** (क) जी, हां।

(ख) और (ग): मकान नं०ए-331, डिफेन्स कालोनी के संबंध में मकान मालिक और किरायेदार के मध्य कोर्ट में एक सिविल विवाद था। मकानमालिक मामला जीत गया और उसने अपर किराया नियंत्रक के आदेशों के अनुसरण में न्यायालय के बेलिफ की सहायता से मकान खाली करवाया। चूंकि मकानमालिक और किरायेदार के मध्य विवाद सिविल प्रकृति का था, इसलिए सरकार द्वारा किसी प्रकार की जांच करने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

**आवास निगम की आठवीं नेशनल कांग्रेस की सिफारिशें**

1828. **श्री प्रकाश चन्द्र:**
**श्री धर्मपाल सिंह मलिक:**
**श्री एम० रघुमा रेड्डी:**

क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आवास निगम की आठवीं नेशनल कांग्रेस ने हाल ही में आठवीं योजना अवधि के दौरान हाउसिंग निगम के लिए प्रमुख भूमिका की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) उसमें और क्या सिफारिशें की गई हैं; और

(घ) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

**शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह):** (क) से (घ). आवास सहकारिता की आठवीं राष्ट्रीय कांग्रेस 4 तथा 5 फरवरी, 1989 को हुई थी, जिसने आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वित्तीय निर्धारण तथा भूमि आवंटन के लिए आवास सहकारिता को अहम भूमिका निभाने की आवश्यकता पर बल दिया है। राष्ट्रीय आवास नीति में विभिन्न तरीकों से सहकारी आन्दोलन को सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता पर बल दिया गया है।

## औषध नियंत्रण के लिए एक स्वतंत्र निकाय की स्थापना

1829. **श्री बी॰ तुलसीरामः**

**श्री बालासाहिब विखे पाटिलः**

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार औषधियों के गुणवत्ता नियंत्रण हेतु एक स्वतंत्र निकाय स्थापित करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, इसके सदस्य कौन होंगे तथा उनके क्या कार्य होंगे; और

(ग) यह निकाय कब तक स्थापित किया जाएगा?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे):** (क) से (ग). एक राष्ट्रीय औषध नियंत्रण प्राधिकरण स्थापित करने के प्रस्ताव की जांच की जा रही है।

## नीम हकीमों द्वारा चिकित्सा किया जाना

1830. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रनः**

**श्री के॰ रामचन्द्र रेड्डीः**

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश में चिकित्सा व्यवसाय में लगे नीम हकीम डाक्टरों की संख्या का पता लगाने हेतु कोई अध्ययन किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में प्राप्त रिपोर्ट का ब्यौरा क्या है?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे):** (क) जी, हां।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

## औषध निरीक्षकों की कमी

1831. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रनः** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या प्रत्येक राज्य में प्रशिक्षित औषध निरीक्षकों की कमी है;

(ख) औषध निरीक्षकों की यह कमी कब से विद्यमान है;

(ग) क्या इस कमी के कारण औषधों की गुणवत्ता पर कड़ी निगरानी नहीं रखी जा रही है; और

(घ) यदि हां, तो उनके रिक्त स्थानों को शीघ्र भरने के लिए क्या उपाय किये जा रहे हैं?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे):** (क) और (ख): स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 1982 में गठित कार्यदल की रिपोर्टों के अनुसार प्रत्येक राज्य में काफी अर्से से औषध निरीक्षणों की कमी है।

(ग) जी, हां।

(घ) पर्याप्त संख्या में औषध निरीक्षकों की नियुक्ति के लिए आवश्यक कार्रवाई करने हेतु इस कार्यदल की सिफारिशें प्रत्येक राज्य/संघ राज्यक्षेत्र को भेजी गई हैं। केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद द्वारा प्रत्येक राज्य में पर्याप्त परीक्षण सुविधाओं और औषध निरीक्षणालय कर्मचारियों की व्यवस्था करने के बारे में समय-समय पर प्रस्ताव भी पारित किए गए हैं। राज्यों के औषध निरीक्षकों से इन सिफारिशों को लागू करने के लिए नियमित रूप से कहा जा रहा है।

आठवीं पंचवर्षीय योजना में राज्यों को परीक्षण सुविधाओं का विस्तार करने/व्यवस्था करने तथा औषध निरीक्षकों की नियुक्ति हेतु केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के अन्तर्गत सहायता प्रदान करने के प्रस्ताव विचाराधीन हैं।

### समुद्र तटों का संरक्षण और विकास

1832. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रनः** क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्रीय सरकार ने समुद्र तटों के संरक्षण और विकास के लिए वैज्ञानिक अथवा अन्य कौन-कौन से उपाय किये हैं; और

(ख) क्या इस प्रयोजन के लिए केन्द्रीय सरकार ने तटीय राज्यों को कोई धनराशि आवंटित की है?

**वस्त्र मंत्री तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा):** (क) पर्यावरण विभाग ने समुद्र तटों के विकास के लिए 1983 में पर्यावरणीय मार्गदर्शी सिद्धांत तैयार किए और मार्गदर्शी सिद्धांतों को तटीय राज्यों को परिचालित किया। वर्ष 1984 में तटीय राज्यों से उनके अपने-अपने राज्यों में पर्यावरणीय स्थिति रिपोर्ट और संरक्षण प्रबन्ध नीति तैयार करने का अनुरोध किया गया था। 1988 में स्थिति की समीक्षा करने के पश्चात्, मंत्रालय ने इन राज्यों को अन्य उपायों के साथ-साथ निम्नलिखित उपाय करने की सलाह दी है:—

(1) पर्यावरणीय प्रबन्ध योजना में संरक्षण, परिरक्षण और विकास के क्षेत्रों को निर्धारित करने के लिए वर्तमान व भावी विकास और भूमि उपयोग का पता लगाना;

(2) समुद्री/समुद्रतटीय प्रदूषण के निवारण और शमन के लिए समुचित कदम उठाने के लिए इसका मूल्यांकन करना;

(3) समुद्र तटों के संरक्षण और परिरक्षण में उनके निहितार्थ के लिए समुद्रतटों पर स्थित ग्रामों के मछुआरों को शामिल करने के लिए उनके गांवों के वैधानिक और सामाजिक आर्थिक स्तर का मूल्यांकन करना;

(4) शहरीकरण, समुद्री दोहन गतिविधियों, कृषि और पत्तन विकास के संदर्भ में समुद्री कटाव सुरक्षा उपायों का मूल्यांकन करना; और

(5) स्थानीय प्रजातियों के संदर्भ में समुद्रतटीय पारि-प्रणाली का मूल्यांकन करना।

(ख) इस प्रयोजन के लिए तटीय राज्यों को कोई धनराशि आवंटित नहीं की गई है।

### ईंटें बनाने के लिए कोयले की राख का प्रयोग

1833. **श्री पी.एम. सईदः** क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ईंटें बनाने के लिए ताप विद्युत केन्द्रों के एक अपशिष्ट कोयले की राख का प्रयोग करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो कोयले की राख से ईंटें बनाने से क्या लाभ होने की सम्भावना है;

(ग) क्या इस प्रयोजन के लिए आवश्यक प्रौद्योगिकी विकसित की गई है; और

(घ) क्या इससे ईंटों का मूल्य कम होने की सम्भावना है।

**शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह):** (क) चिकनी मिट्टी और उड़न राख से बनी ईंटों, चूना व उड़न राख से बनी ईंटों तथा सैलूलर कंक्रीट के उत्पादन में उड़न राख का पहले ही इस्तेमाल किया जा रहा है।

(ख) ईंटों के उत्पादन में उड़न राख के उपयोग का परिणाम अपशिष्ट सामग्री के उपयोग में होगा, जिससे पर्यावरणीय प्रदूषण कम होगा, मृदा का संरक्षण तथा ईंधन की खपत में बचत होगी।

(ग) भारत में केन्द्रीय भवन अनुसंधान संस्थान, रुड़की, राष्ट्रीय सीमेन्ट तथा भवन सामग्री परिषद, दिल्ली, केन्द्रीय वन अनुसंधान संस्थान, सिन्दरी और नेवेली लिग्राइट कारपोरेशन विभिन्न अनुसंधान संस्थाओं में चूना-उड़न राख तथा चिकनी मिट्टी से बनी उड़न-राख ईंटों के उत्पादन में आवश्यक प्रौद्योगिकी विकसित की गई है।

(घ) उड़न राख से बनी ईंटों की कीमतों में प्रतियोगिता होने की सम्भावना हो सकती है यदि यह इकाई ताप बिजली संयंत्रों के निकट स्थित हों।

**एड्स रोग से संक्रमित डी-रोघी टीके का उपयोग करने वाले मरीजों की जांच**

1834. **श्री पी०एम० सईद:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा संभावित प्रतिक्रिया का पता लगाने के लिए उन मरीजों की पूरी तरह जांच की है जिन्होंने एड्स रोग प्रतौषध से संक्रमित डी-रोघी टीकों का उपयोग किया है;

(ख) यदि हां तो इसके क्या निष्कर्ष निकले हैं;

(ग) अब तक ऐसे कितने मरीजों का पता लगाया गया है जिन्हें ये टीके लगाये गये थे; और

(घ) क्या उन लोगों को कोई सुधारात्मक उपाय बताये गए हैं जिन्हें ये टीके लगाये गये थे?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे):** (क) से (घ): मैसर्स भारत सीरम एण्ड वैक्सीन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा निर्मित एन्टि-डी इम्यूनोग्लोबुलिन टीके के जिन दो नमूना की जांच की गई थी उन्हें एच०आई०बी० प्रतिपिण्डों की दृष्टि से पॉजिटिव पाया गया था। एन्टि-डी इम्यूनोग्लोबुलिन इंजेक्शनों के सभी बैचों को वापिस उठा लेने तथा मैसर्स भारत सीरम एण्ड वैक्सीन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा निर्मित समस्त रक्त उत्पादों के निर्माण तथा वितरण को रोकने संबंधी आवश्यक आदेश जारी किए जा चुके हैं। इस वैक्सीन के वितरण का ब्यौरा राज्य औषध नियंत्रकों को दे दिया गया था और उन्हें इसके सारे स्टॉक को जब्त करने और सरकारी अस्पतालों तथा उपचर्या गृहों से स्टॉक को वापिस उठा लेने की बात सुनिश्चित करने का भी अनुरोध किया गया था।

राज्य स्वास्थ्य प्राधिकारियों को यह सलाह देने की बात सोची जा रही है कि उन सभी व्यक्तियों की अनुवर्ती जांच और प्रयोगशाला परीक्षण किये जाएं जिन्होंने एच०आई०बी० प्रतिपिण्डों वाली एन्टी-डी वैक्सीन प्राप्त की थी।

**विशाखापत्तनम पत्तन न्यास से स्वास्थ्य के लिए उत्पन्न खतरे**

1835. **श्री भट्टम श्रीराममूर्ति:** क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि विशाखापत्तनम पत्तन में कोकिंग कोल स्टाक यार्ड की उस क्षेत्र में व्यवस्था की जानी है जहां बाहय बन्दरगाह क्षेत्र में स्थित सामान्य माल गोदी (जनरल कार्गो बर्थ) से कन्वेयरों द्वारा मैंगनीज अयस्क एकत्र किया जाता है ;

(ख) क्या कोलये के चूरे से प्रदूषण फैलता है हालांकि वहां पानी का छिड़काव किया जाता है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार जनता के स्वास्थ्य के लिये उत्पन्न खतरे को ध्यान में रखते हुए इस मामले पर पुनः जांच करने का है ?

**वस्त्र मंत्री तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा):** (क) जी, हां। इस्पात मंत्रालय का बाहरी बन्दरगाह में स्थापित की जाने वाली यंत्रीकृत कोयला संचालन प्रणाली की स्थापना के भाग के रूप में मैंगनीज अयस्क के ढेरों में एक ढकी हुई कोयला स्टाकयार्ड के निर्माण का प्रस्ताव है ।

(ख) पानी का छिड़काव करने के बाद भी, उस क्षेत्र में कोयले के चूरे का प्रदूषण कुछ सीमा तक बरकरार रह सकता है । अतएव, जल के छिड़काव के अलावा, चूरे से उत्पन्न प्रदूषण के नियंत्रण के लिए प्रस्तावित उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं :—

(1) बैग फिल्टरों की व्यवस्था;

(2) भंडार शालाओं को ढकना;

(3) कन्वेयरों को ढकना; और

(4) अनलोडरों के लिए बाड़े की व्यवस्था

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

## इराक को जनशक्ति का निर्यात

1836. **प्रो० पी० जे० कुरियन:** क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने इराक को कुशल जनशक्ति का निर्यात करने के लिए इराकी सरकार के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इराक कों जनशक्ति का निर्यात बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है ?

**श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री राधा किशन मालवीय):** (क) जी, नहीं ।

**(ख) और (ग):** प्रश्न नही उठते।

## "केरल में सामाजिक वानिकी योजना"

1837. **प्रो० पी० जे० कुरियन:** क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केरल में किसी सामाजिक वानिकी योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इस योजना के अन्तर्गत प्राप्त उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर अब तक कितनी धनराशि व्यय की गयी है ?

**वस्त्र मंत्री तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री रामनिवास मिर्धा):** (क) जी, हां।

(ख) और (ग) सातवीं योजना के अंतिम तीन वर्षों (1985-86 से 1987-88) के दौरान केरल राज्य में सामाजिक वानिकी सहित समस्त वनीकरण कार्यकलापों पर कुल 44.21 करोड़ रूपये खर्च किए गए और 2.12 लाख हैक्टेयर क्षेत्र का वनीकरण किया गया । वर्ष 1988-89 के लिए 23.74 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं और दिसंबर, 1988 तक की उपलब्धि 67, 627 हैक्टेयर थी।

## "महाराष्ट्र में रासायनिक उद्योग"

1838. **श्री ई० अय्यपु रेड्डी:** क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को इस बात की जानकारी है कि भोपाल त्रासदी के पश्चात् महाराष्ट्र सरकार द्वारा नियुक्त की गई एक सात सदस्यीय उच्च शक्ति प्राप्त समिति ने खतरनाक और गैर-खतरनाक दोनों प्रकार के रसायनों का भंडारण करने के लिए "एंटोप हिल" बम्बई में भंडारागारों की स्थापना किए जाने के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया है ; और

(ख) क्या सरकार का घनी आबादी वाले नगरों और शहरों की सुरक्षा के लिए खतरनाक

रासायनिक उद्योगों की सुरक्षित स्थानों पर स्थापना और उनके विकास के लिए कोई दीर्घकालिक योजना तैयार करने का विचार है?

**वस्त्र मंत्री तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा):** (क) 13 मार्च, 1987 को प्रस्तुत प्रथम रिपोर्ट में समिति ने "एंटोप हिल" में खतरनाक रसायनों के भण्डार करने के लिए भण्डारगारों की स्थापना के प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया । जुलाई, 1987 में प्रस्तुत की गई परवर्ती रिपोर्ट में पुनर्विचार करने पर समिति ने उन 55 रसायनों का उनकी मात्रा के साथ पता लगाया जिन्हें "एंटोप हिल" भण्डारगार परिसर में संचय किया जा सकता था।

(ख) राज्यों में स्थल मूल्यांकन समितियां औद्योगिक स्थान निर्धारण नीति और पर्यावरणीय मार्गदर्शी सिद्धान्तों को ध्यान में रखते हुए खतरनाक रसायनिक उद्योगों के स्थान निर्धारण का अनुमोदन करती हैं ।

## चिकित्सा कर्मियों द्वारा कुष्ठ रोग संबंधी कार्य करने के प्रति अनिच्छा

1839. **श्री ई॰ अय्यपू रेड्डी:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में कुष्ठ रोगियों की अनुमानित संख्या कितनी है;

(ख) क्या इन रोगियों की देखभाल करने वाले चिकित्सा कार्मिकों की संख्या अपर्याप्त है;

(ग) क्या सामाजिक लांछन के कारण चिकित्सा कार्मिक कुष्ठ रोग संबंधी कार्य करने के प्रति अनिच्छुक रहते हैं ; और

(घ) यदि हां, तो क्या कुष्ठ रोग के क्षेत्र में कार्यरत चिकित्सा कार्मिकों और नर्सों को विशेष प्रोत्साहन देने का विचार है ?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे)**: (क) देश में कुष्ठ रोगियों की अनुमानित संख्या लगभग 40 लाख है ।

(ख) और (ग): जी, नहीं ।

(घ) स्थानिकमारी वाले जिलों में, जहां बहु औषध उपचार परियोजना प्रारम्भ की गई है, कुष्ठ रोगियों का पता लगाने और उनका उपचार करने में लगे कर्मचारियों को प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं ।

(2) भारत सरकार ने राज्यों/संघ क्षेत्रों की सरकारों से कुष्ठ रोगी कार्यकलापों में लगे चिकित्सा और अंध चिकित्सा कार्मिकों को कुष्ठ भत्ता देने का भी अनुरोध किया है ।

**[हिन्दी]**

## राज्य हथकरघा क्षेत्रीय यूनियन उत्तर प्रदेश को राज सहायता

1840. **श्री राज कुमार राय:** क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान राज्य हथकरघा क्षेत्रीय यूनियन, उत्तर प्रदेश को राज सहायता के रूप में कितनी धनराशि दी गई ;

(ख) इस योजना के अन्तर्गत कितने बुनकरों को लाभ हुआ ; और

(ग) उत्तर प्रदेश में प्रत्येक क्षेत्रीय हथकरघा यूनियन द्वारा अनुमानतः कितनी मात्रा में जनता कपड़े का उत्पादन किया गया ?

**वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रफीक आलम)** (क) से (ग): उत्तर प्रदेश में जनता कपड़ा योजना के कार्यान्वयन में कोई हथकरघा क्षेत्रीय यूनियन भाग नहीं ले रही है ।

## उत्तर प्रदेश में कर्मचारी राज्य बीमा निगम के अस्पताल

1841. **श्री राज कुमार राय:** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1989-90 और 1990-91 के दौरान उत्तर प्रदेश में कर्मचारी राज्य बीमा निगम के कितने अस्पतालों का निर्माण करने का प्रस्ताव है ; और

(ख) इन अस्पतालों का निर्माण कहां-कहां किया जायेगा ?

**श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री राधाकिशन मालवीय)** : (क) और (ख) मिर्जापुर जिले में पिपरी और वाराणसी में एक-एक अस्पताल निर्माणाधीन है । वर्ष 1989-90 और 1990-91 में उत्तर प्रदेश में अन्य किसी अस्पताल के निर्माण का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

[अनुवाद]

## वनरोपण कार्यक्रम हेतु आबंटन

1842. **डा॰ गौरीशंकर राजहंस:**
**श्री वी॰एस॰ विजयराघवन:**
**श्री सुरेश कुरुप:**

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान वनरोपण के लिए आबंटित धनराशि का राज्यवार ब्यौरा क्या है तथा इसमें से वास्तव में प्रयोग की गई धनराशि का राज्यवार तथा वर्षवार ब्यौरा क्या है; और

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान वनरोपण कार्यक्रम के अन्तर्गत शामिल किये गए क्षेत्र का राज्यवार तथा वर्षवार ब्यौरा क्या है?

**वस्त्र मंत्री तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा)** (क) विगत तीन वर्षों (1985-86 से 1987-88 तक) के दौरान वनीकरण कार्यों के लिए आबंटित और उपयोग की गई धनराशि का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-1 में दिया गया है।

(ख) विगत तीन वर्षों (1985-86 से 1987-88 तक) के दौरान वनीकरण कार्यों के अन्तर्गत लाए गए क्षेत्र का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-2 में दिया गया है।

### विवरण—1

(लाख रुपये में)

| क्रम संख्या | राज्य/संघ शासित क्षेत्र | आबंटित धनराशि | | | उपयोग की गई धनराशि | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1985-86 | 1986-87 | 1987-88 | 1985-86 | 1986-87 | 1987-88 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 2630.00 | 3312.60 | 3582.55 | 2004.59 | 3436.01 | 3172.03 |
| 2. | अरूणाचल प्रदेश | 409.60 | 431.00 | 428.50 | 329.48 | 386.56 | 396.77 |
| 3. | असम | [illegible] | 1725.75 | 1892.75 | 1303.07 | 1616.51 | 1628.54 |
| 4. | बिहार | 3254.20 | 4066.37 | 4178.75 | 7633.56 | 2363.12 | 3841.96 |
| 5. | गोवा | 119.20 | 119.50 | 131.65 | 100.68 | 110.35 | 112.20 |
| 6. | गुजरात | 2411.40 | 2837.97 | 3469.50 | 2445.56 | 2997.31 | 2989.86 |
| 7. | हरियाणा | 1247.40 | 1288.27 | 1459.75 | 1337.58 | 1395.27 | 1343.43 |
| 8. | हिमाचल प्रदेश | 1352.20 | 1762.30 | 1932.75 | 1561.97 | 1675.47 | 1952.48 |
| 9. | जम्मू और कश्मीर | 708.00 | 892.00 | 1007.5[illegible] | 706.33 | 851.68 | 960.76 |
| 10. | कर्नाटक | 1965.80 | 2372.24 | 2353.[illegible]5 | 2536.31 | 2259.54 | 1713.95 |
| 11. | केरल | 1618.40 | 1757.50 | 2003.00 | 928.82 | 1789.26 | 1703.55 |
| 12. | मध्य प्रदेश | 3144.60 | 4269.99 | 4687.75 | 2714.65 | 4650.82 | 4059.17 |
| 13. | महाराष्ट्र | 2935.00 | 3955.37 | 4062.50 | 2539.31 | 2158.63 | 3401.37 |
| 14. | मणिपुर | 231.60 | 246.25 | 303.50 | 199.38 | 226.07 | 307.41 |
| 15. | मेघालय | 507.60 | 557.00 | 670.50 | 518.32 | 413.88 | 623.59 |
| 16. | मिजोरम | 363.60 | 497.00 | 512.50 | 363.74 | 531.49 | 535.48 |

| क्रम संख्या | राज्य/संघ शासित क्षेत्र | आवंटित धनराशि | | | उपयोग की गई धनराशि | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1985-86 | 1986-87 | 1987-88 | 1985-86 | 1986-87 | 1987-88 |
| 17. | नागालैंड | 290.60 | 352.50 | 506.75 | 337.64 | 387.13 | 492.86 |
| 18. | उड़ीसा | 1659.00 | 1964.59 | 2687.70 | 1340.46 | 2051.12 | 2538.51 |
| 19. | पंजाब | 717.40 | 696.00 | 873.75 | 813.97 | 863.85 | 859.20 |
| 20. | राजस्थान | 1444.60 | 2723.17 | 2939.25 | 1536.80 | 3376.13 | 2847.84 |
| 21. | सिक्किम | 215.60 | 199.75 | 233.25 | 182.26 | 171.06 | 199.20 |
| 22. | तमिलनाडु | 2890.40 | 3299.40 | 3606.00 | 2557.92 | 2703.21 | 3167.20 |
| 23. | त्रिपुरा | 411.00 | 435.50 | 395.50 | 355.36 | 369.73 | 424.34 |
| 24 | उत्तर प्रदेश | 3974.80 | 6617.14 | 7217.25 | 3817.86 | 5582.39 | 6023.12 |
| 25. | पश्चिम बंगाल | 2065.00 | 2559.79 | 2609.20 | 1464.12 | 2796.26 | 2025.56 |
| 26. | अण्डमान और | 136.20 | 122.00 | 143.50 | 104.20 | 127.54 | 153.36 |
| | निकोबार द्वीप समूह | | | | | | 23.55 |
| 27. | चण्डीगढ़ | 26.60 | 23.25 | 24.35 | 26.85 | 21.25 | 97.97 |
| 28. | दादरा और नगर | 62.80 | 46.50 | 68.25 | 54.06 | 52.09 | 88.10 |
| | हवेली | | | | | | 12.48 |
| 29. | दिल्ली | 80.40 | 82.75 | 108.80 | 43.78 | 100.35 | 6.56 |
| 30. | दमन और द्वीप | — | — | — | — | — | 43.63 |
| 31. | लक्षद्वीप | 3.60 | 4.25 | 4.75 | 3.28 | 7.98 | |
| 32. | पांडिचेरी | 22.60 | 31.00 | 38.50 | 22.18 | 36.82 | |
| | योग | 38494.20 | 49248.70 | 54083.50 | 39884.09 | 45508.86 | 47746.03 |

## विवरण—2

वर्ष 1985-86 से 1987-88 तक वनीकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत लाए गए क्षेत्र का राज्यवार विवरण।

(क्षेत्र हैक्टेयर में)

| क्रम संख्या | राज्य/संघ शासित क्षेत्र | 1985-86 | 1986-87 | 1987-88 |
|---|---|---|---|---|
| 1. | आंध्र प्रदेश | 157800.00 | 143707.50 | 152567.00 |
| 2. | असम | 19800.00 | 31275.00 | 24893.50 |
| 3. | बिहार | 76150.00 | 135550.00 | 157600.00 |
| 4. | गुजरात | 124850.00 | 113550.00 | 107075.00 |
| 5. | हरियाणा | 46850.00 | 37079.00 | 19000.00 |
| 6. | हिमाचल प्रदेश | 33600.00 | 33564.00 | 30754.50 |
| 7. | जम्मू और कश्मीर | 23350.00 | 28526.00 | 20000.03 |
| 8. | कर्नाटक | 127300.00 | 115837.00 | 157610.50 |
| 9. | केरल | 58300.00 | 75962.00 | 77772.00 |
| 10. | मध्य प्रदेश | 175050.00 | 196000.00 | 204523.00 |
| 11. | महाराष्ट्र | 108250,00 | 119085.00 | 153998.00 |
| 12. | मणिपुर | 6250.00 | 7440.00 | 9012.50 |
| 13. | मेघालय | 6550.00 | 7900.00 | 11878.50 |
| 14. | नागालैंड | 13450.00 | 27175.00 | 10000.00 |
| 15. | उड़ीसा | 96500.00 | 116336.00 | 117002.00 |
| 16. | पंजाब | 29500.00 | 28379.50 | 24776.00 |
| 17. | राजस्थान | 47900.00 | 67051.50 | 58693.50 |
| 18. | सिक्किम | 4100.00 | 5751.50 | 6693.50 |

(क्षेत्र हैक्टेयर में)

| क्रम संख्या | राज्य/संघ शासित क्षेत्र | 1985-86 | 1986-87 | 1987-88 |
|---|---|---|---|---|
| 19. | तमिलनाडु | 60750.00 | 99064.00 | 95587.00 |
| 20. | त्रिपुरा | 10000.00 | 13150.00 | 13356.50 |
| 21. | उत्तर प्रदेश | 177400.00 | 243250.00 | 221035.50 |
| 22. | पश्चिम बंगाल | 55750.00 | 70800.00 | 69554.00 |
| 23. | अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह | 4750.00 | 6116.00 | 5021.50 |
| 24. | अरूणाचल प्रदेश | 5150.00 | 6254.00 | 6352.00 |
| 25. | चण्डीगढ़ | 76.00 | 191.50 | 179.50 |
| 26. | दादरा और नगर हवेली | 1550.00 | 1700.00 | 1561.00 |
| 27. | दिल्ली | 1250.00 | 3151.50 | 903.00 |
| 28. | गोवा, दमन और द्वीव | 2250.00 | 3396.50 | 3761.50 |
| 29. | लक्षद्वीप | 12.50 | 14.50 | 12.00 |
| 30. | मिज़ोरम | 35000.00 | 23902.50 | 13875.00 |
| 31. | पांडिचेरी | 550.00 | 649.50 | 516.00 |
| | योग | 1510038.50 | 1761869.00 | 1775564.030 |

प्रति हैक्टेयर 2000 पौद की दर से काल्पनिक रूप से परिकलित क्षेत्र।

## कपड़ा उद्योग को रियायतें तथा उपभोक्ताओं को इनके लाभ

1843. **डा॰ गौरीशंकर राजहंस:** यह **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1985 से 1988 की अवधि के दौरान सामान्य रूप से कपड़ा उद्योग को तथा विशेषरूप से मानव निर्मित एवं तंतु धागा उद्योग को दी गई रियायतों का ब्यौरा क्या है;

(ख) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं कि इससे होने वाले लाभ उपभोक्ता तक पहुंचा सकें, और

(ग) क्या इस उद्योग को कोई अन्य राहत देने पर विचार किया जा रहा है?

**वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रफीक आलम)**: (क) विवरण-1 संलग्न॰ है।

(ख) सरकार ने पालिएस्टर फाइबर, पालिएस्टर फिलेमेंट यार्न और नायलोन फिलेमेंट यार्न की बिक्री कीमतों की मानीटरी करने के लिए एक समिति स्थापित की है। समिति इन मदों की कीमत प्रवृतियों पर निगरानी रखती है तथा अनुचित कीमत वृद्धि होने की स्थिति में उपचारी उपायों के बारे में सरकार को परामर्श देती है।

(ग) बजट (1989-90) में दी गई राहतों को दर्शाने वाला विवरण-2 संलग्न है।

विवरण-1

वर्ष 1985-86 के दौरान सामान्यतः वस्त्र उद्योग को तथा विशेषतः मानव निर्मित और फिलेमेंट यार्न उद्योग को दी गयी उत्पाद शुल्क/आयात शुल्क रियायतों में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:—

1 अगस्त, 1985 से पालिएस्टर स्टेपल फाइबर पर उत्पाद शुल्क 45 रु० प्रति किग्रा से घटा कर 25 रु० प्रति किग्रा कर दिया गया था। वर्ष 1988-89 के बजट में इसे दुबारा 25 रु० प्रति किग्रा से घटा कर 15.66 रु० प्रति किग्रा कर दिया गया है।

2. अगस्त, 1985 से एक्रैलिक स्टेपल फाइबर पर उत्पाद शुल्क 17.50 रु० प्रति किग्रा से घटा कर 10 रु० प्रति किग्रा कर दिया गया था। वर्ष 1988-89 के बजट में इसे दुबारा 10 रु० प्रति किग्रा से घटा कर 8.35 रु० प्रति किग्रा कर दिया गया है।

3. अगस्त, 1985 से पालिएस्टर/सूती ब्लैंडिड यार्न (40 प्रतिशत से अधिक लेकिन 70 प्रतिशत से कम मात्रा वाले पोलिएस्टर) पर उत्पादक शुल्क 5 रु० प्रति किग्रा से घटा कर 2 रु० प्रति किग्रा कर दिया गया। 1-3-1988 से इसे दुबारा बढ़ा कर 3.41 रु० प्रति किग्रा कर दिया गया। वर्ष 1988-89 के बजट में इसे दुबारा 1-3-1988 से बढ़ा कर 3.56 रु० प्रति किग्रा कर दिया गया।

4. पोलिएस्टर स्टैपल फाइबर को उत्पाद/अतिरिक्त शुल्क से पूरी छूट दी गई है यदि इसका प्रयोग हथकरघा पर बुने कम कीमत के फैब्रिक्स के उत्पादन के लिए किया जाना है और साथ ही दिनांक 28-8-1985 की सीमा शुल्क संबंधी अधिसूचना संख्या 276/85, दिनांक 24-6-1986 की अधिसूचना संख्या 368/86 और 357/86 तथा 191/85 सी ई में निर्धारित शर्तें पूरी की जाएं।

5. पालिएस्टर स्टेपल फाइबर को उत्पाद शुल्क से पूरी छूट दी गई है यदि इसका प्रयोग कम कीमत के फैब्रिक्स के उत्पादन के लिये किया जाना हो और साथ ही दिनांक 28-8-1985 की केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिसूचना संख्या 191/85 में निर्धारित शर्तें पूरी की जायें। कम कीमत के फैब्रिक्स के उत्पादन के लिए पोलिएस्टर स्टैपल फाइवर का भारत में आयात करने पर उसको अतिरिक्त शुल्क से पूरी छूट दी जाती है बशर्ते कि दिनांक 28-8-1985 की सीमा शुल्क अधिसूचना सं० 276/85 में निर्धारित शर्तें पूरी की जायें।

6. वर्ष 1988-89 के बजट में सूती ब्लैंड के लिए विस्कोस स्टैपल फाइबर पर उत्पाद शुल्क 7 रु० प्रति किग्रा से घटा कर 5.22 रु० प्रति किग्रा कर दिया गया है।

7. वर्ष 1988-89 के बजट में पोलिएस्टर फिलामेंट यार्न पर उत्पाद शुल्क 83.75 रु० प्रति किग्रा से घटा कर 56.12 रु० प्रति किग्रा कर दिया गया है।

8. वर्ष 1988-89 के बजट में नायलोन फिलामेंट यार्न पर उत्पाद शुल्क 70 रु० प्रति किग्रा से घटा कर 41.76 रु० प्रति किग्रा कर दिया गया है।

9. नायलोन फिलामेंट यार्न पर उत्पाद शुल्क 70 रु० प्रति किग्रा से घटा कर 10.50 रु० प्रति किग्रा कर दिया गया है यदि उसका प्रयोग नायलोन/सूती ब्लैंडिड साड़ियों के उत्पादन के लिए किया जाए तथा साथ ही 11-9-1987 की केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिसूचना सं० 208/87-सी ई में निर्धारित शर्तें पूरी की जायें।

10. पंजीकृत हथकरघा सहकारी समितियों को सप्लाई किए गए विस्कोस फिलामेंट यार्न पर अन्य प्रयोक्ताओं के लिए निर्धारित शुल्क के 50 प्रतिशत का भुगतान करना होगा। (बजट 1988-89)

11. वर्ष 1987-88 के बजट में पोलिएस्टर/ऊनी ब्लैंडिड पर उत्पाद शुल्क 30 रु० प्रति किग्रा से घटा कर 15 रु० प्रति किग्रा कर दिया गया।

12. (1-3-1988 से) कुछ शर्तों पर वस्त्र उद्योग द्वारा अनुमोदित कार्यक्रम के अंतर्गत शुल्क ऋण योजना को तहत फैब्रिक्स का उत्पादन करने के लिए पोलिएस्टर फिलामेंट यार्न पर 43.75 रु० प्रति किग्रा की छूट दी जाएगी।

13. (2-5-1988 से) आगे तक एम ई जी के आयात शुल्क को 155 प्रतिशत से घटा कर 90 प्रतिशत कर दिया गया है।

14. पोलिएस्टर / विस्कोस ब्लैंडिड यार्न(40% से अधिक लेकिन 70% से कम पोलिएस्टर (पर उत्पादन शुल्क अगस्त, 1985 में 10 रु० प्रति किग्रा से कम कर के 4 रु० प्रति किग्रा कर दिया गया था। यह शुल्क 1-3-1986 से पुनः बढ़ाकर 6.82 रु० प्रति किग्रा कर दिया गया है। इसे 1-3-88 से और बढ़ाकर 7.12 रु० प्रति किग्रा० कर दिया गया है।

15. 600 डी तक के विस्कोस फिलामेंट यार्न पर आयात शुल्क 1988-89 बजट में 55% से कम करके 45% कर दिया गया है।

16. डी एम टी/पी टी ए पर आयात शुल्क 7-5-1987 से 190% + 3 रु० प्रति किग्रा से घटाकर 190% कर दिया गया है।

17. 1988-89 के बजट में पोलिएस्टर फिलामेंट यार्न पर उत्पादन शल्क 230% से घटाकर 205% कर दिया गया है।

18. 1988-89 के बजट में 833 डी तक के नायलोन फिलामेंट यार्न पर आयात शुल्क 145% से घटाकर 130% कर दिया गया है।

19. 1988-89 के बजट में पोलिएस्टर स्टेपल फाइबर पर आयात शुल्क 190% + 9 रु० प्रति किग्रा से घटाकर 180% + 7 रु०प्रति किग्रा कर दिया गया है।

20. 1988-89 के बजट में एक्रैलिक स्टेपल फाइबर पर आयात शुल्क 155% + 12.50 रु० प्रति किग्रा से घटाकर 145% + 10 रु० प्रति किग्रा कर दिया गया है।

21. **सूती धागा:** 1988-89 के बजट में सूती धागे पर उत्पादन शुल्क कम कर दिया गया है। (यह कमी एक पैसे तथा उससे अधिक है जो धागे के काउन्टों पर निर्भर करती है)।

22. सूती वस्त्रों की प्रोसैसिंग पर उत्पादन शुल्क को सुव्यवस्थित कर दिया गया है और 1987-88 के बजट में सामान्यतः रियायतें दी गई थीं।

23. 1987-88 से वूल टाप को उत्पादन शुल्क से छूट दी गई थी।

24. कच्ची ऊन पर आयात शुल्क 1986-87 से 40% से कम कर के 20% कर दिया गया था। 1989-90 से यह शुल्क बढ़ाकर 25% कर दिया गया है। तथापि, पंजीकृत शीर्ष हथकरघा सहकारी समितियों, राज्य हथकरघा विकास निगम द्वारा आयातित कच्चे ऊन पर 1988-89 से उत्पादन शुल्क से मुक्त कर दिया गया है।

25. हथकरघों पर बुने हुए ऊनी वस्त्रों को जिन्हें स्वतंत्र प्रोसेस द्वारा प्रोसेस किया जाता है और हथकरघों के लिए विकास आयुक्त की सिफारिश भारत सरकार द्वारा स्वीकृत किया जाता है, 1988-89 से

मुक्त कर दिया गया है।

26. शोडी यार्न (जिसके वर्सेटिड यार्न न हो) के बने ऊन के बुने हुए वस्त्रों पर उत्पादन शुल्क की छूट की मूल्य सीमा 16-6-86 से 25 रु० प्रति वर्ग मीटर से बढ़ाकर 40 रु० प्रति वर्ग मीटर कर दी गई है और उस 1-3-1987 से और बढ़ाकर 60 रु० प्रति वर्ग मीटर कर दी गई है।

27. 1987-88 में संशिष्ट रैग्स पर आयात शुल्क की प्रभावी दर 80% यथामूल्य से कम करके 20% यथामूल्य कर दी गई थी और 1988-1989 के बजट में उसे बढ़ाकर 25% कर दिया गया है।

**विवरण- 2**

1989-90 के बजट में वस्त्र उद्योग उत्पाद/आयात शुल्क में दी गई रियायतों मे अन्य बातों के साथ साथ निम्नलिखित सम्मिलित हैं :-

1. पालीप्रापलीन पर उत्पाद शुल्क 8.30 प्रति से घटाकर 5.00 रु० प्रति किग्रा कर दिया गया है ।

2. खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा आयात की गई कच्ची उन पर सीमा शुल्क 25% से घटा कर शून्य कर दिया गया है ।

3. घटिया सिन्थेटिक यार्न से बने कम्बलों पर उत्पाद शुल्क शून्य कर दिया गया है, विशेंत कि मूल्य 60 रु० प्रति वर्गमी० से अधिक ना हो।

4. डी एम टी/पी टी ए हेतु कच्चे माल पैराक्सीलीन पर सीमा शुल्क 120% एडीवील से घटाकर 90% एडीवी. एल कर दिया गया है ।

**भारतीय कपास निगम तथा राष्ट्रीय कपड़ा निगम के बीच विवाद**

1844. **डा० गौरी शंकर राजहंसः** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय कपास निगम द्वारा राष्ट्रीय कपड़ा मिल को सप्लाई किये गये कपास के भुगतान के बारे में दोनों के बीच कोई विवाद है, जैसा कि 1 अगस्त, 1988 के "इकानामिक्स टाइम्स" में प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस मामले पर सरकार ने क्या सुधारात्मक कदम उठाये हैं?

**वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रफीक आलम):** (क) जी, नहीं।

**(ख) और (ग): प्रश्न नहीं उठते।**

**नई खनन परियोजनाओं को पर्यावरणिक मंजूरी से संबंधित मार्गनिर्देश**

1845. **श्रीमती जयन्ती पटनायकः** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने नई खनन परियोजनाओं की स्थापना के लिए आवश्यक पर्यावरणिक मंजूरी प्रदान करने हेतु कुछ मानदंड निर्धारित किये हैं; और

(ख) यदि हां, तो राज्य सरकारों को इस संबंध में जारी मार्गनिर्देशों का ब्यौरा क्या है?

**वस्त्र मंत्री तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा):** (क) और (ख) पर्यावरण और वन मंत्रालय ने खनन परियोजनाओं के पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्त तैयार किए हैं। पर्यावरणीय मंजूरी देने के लिए इन खनन परियोजनाओं की जांच करते समय इन मार्गदर्शी सिद्धान्तों का पालन किया जाता है। इन मार्गदर्शी सिद्धान्तों को राज्य सरकारों सहित संबंधित प्राधिकारियों को परिचालित कर दिया गया है।

मार्गदर्शी सिद्धांतों की मुख्य विशेषताओं में निम्नलिखित शामिल हैं:—
— खनन कार्य के विभिन्न चरणों के लिए भूमि उपयोग योजना तैयार करना;
— अपशिष्ट / अधिभार निपटान के उपाय;
— खनन कार्य के साथ-साथ खनित क्षेत्र का भूमि सुधार;
— खान के जल का शोधन;
— वायु प्रदूषण नियंत्रण के उपाय; और
— प्रभावित लोगों का पुनर्वास।

**सरदार सरोवर परियोजना के कारण पर्यावरण और वनों का नुकसान**

1846. प्रो० मधु दंडवते : **क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:**

**(क) सरदार सरोवर परियोजना के कारण पर्यावरण और वनों को हुई क्षति का ब्यौरा क्या है और इससे कुल कितना नुकसान हुआ है;**

**(ख) पर्यावरण और वनों की क्षति से हुए नुकसान को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है;**

**(ग) इस प्रयोजना के लिए कितनी धनराशि की आवश्यकता है; और**

**(घ) क्या इस प्रयोजन के पहले ही वित्तीय प्रावधान किया जा चुका है?**

**वस्त्र मंत्री तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा)**: (क) सरदार सरोवर परियोजना के निमज्जन और निर्माण कार्यों के लिए अनुमानतः कुल 39134 हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता है जिसमें 13385.45 हेक्टेयर वन भूमि शामिल है। 237 गांवों में बसे 66675 लोग विस्थापित होंगे। परियोजना का वन्यजीव, आदिवासियों, क्षेत्र के वनस्पतिजात और प्राणिजात और ऐतिहासिक महत्व के स्मारकों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

(ख) परियोजना प्राधिकारी प्रतिकूल पर्यावरणीय प्रभावों को कम करने के लिए निम्नलिखित पर कार्य योजनाएं तैयार करने हेतु क्षेत्रीय सर्वेक्षण और अध्ययन कर रहे हैं:—
— वेदखलियों का पुनर्वास;
— चरणबद्ध जल ग्रहण क्षेत्र उपचार;
— क्षतिपूरक वनरोपण;
— कमान क्षेत्र विकास;
— दुलर्भ और खतरे में पड़ी वनस्पतिजात और प्राणिजात को बचाना;
— महत्वपूर्ण स्मारकों को बचाना;
— जलाशय प्रेरित भूकंपीयता; और
— स्वस्थ वहन प्रणाली।

नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण के कार्यक्षेत्र को व्यापक बनाया गया है और पर्यावरणीय कार्य योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए पर्यावरण पर एक विशेष उप दल गठित किया गया है।

(ग) और (घ) विस्तृत पर्यावरण कार्य योजनाओं को तैयार करने के लिए विविध अध्ययन और सर्वेक्षण कार्य अब भी चल रहे हैं। विस्तृत कार्य योजनाओं के तैयार होने के पश्चात कुल वित्तीय आवश्यकता का आंकलन किया जा सकता है।

## परिवार कल्याण कार्यक्रमों के लिये अनुदान

1847. **श्री आर॰ एम॰ भोये: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1987-88 के दौरान परिवार कल्याण कार्यक्रमों / परिवार नियोजन हेतु राज्यवार स्वीकृत अनुदानों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) प्रत्येक राज्य द्वारा इस अवधि के दौरान अब तक कितनी धनराशि खर्च की गई है?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) :(क) और (ख):** यह सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

### विवरण

| | राज्य का नाम | वर्ष 1987-88 के दौरान रिलीज की गई नकद सहायता | वर्ष 1987-88 के दौरान राज्य सरकार द्वारा सूचित किया गया व्यय |
|---|---|---|---|
| 1. | आंध्र प्रदेश | 418.04 | 4642.65 |
| 2. | असम | 1061.55 | 1134.24 |
| 3. | बिहार | 2789.33 | 3480.67 |
| 4. | गुजरात | 2083.48 | |
| 5. | हरियाणा | 843.47 | 823.22 |
| 6. | हिमाचल प्रदेश | 413.76 | 429.74 |
| 7. | जम्मू और कश्मीर | 289.55 | 313.47 |
| 8. | कर्नाटक | 3914.23 | 3828.58 |
| 9. | केरल | 2414.73 | 2178.11 |
| 10. | मध्य प्रदेश | 2832.00 | 3174.29 |
| 11. | महाराष्ट्र | 5063.78 | 4986.00 |
| 12. | मणिपुर | 181.36 | 232.33 |
| 13. | मेघालय | 117.63 | 129.56 |
| 14. | नागालैंड | 48.88 | 159.89 |
| 15. | उड़ीसा | 2443.33 | 2069.62 |
| 16. | पंजाब | 1646.88 | 1090.94 |
| 17. | राजस्थान | 2558.18 | 2345.21 |
| 18. | सिक्किम | 53.05 | 52.65 |
| 19. | तमिलनाडु | 3125.61 | 2295.60 |
| 20. | त्रिपुरा | 140.28 | 95.43 |
| 21. | उत्तर प्रदेश | 7077.29 | 8869.62 |
| 22. | पश्चिम बंगाल | 2631.47 | 2975.47 |
| 23. | अरुणाचल प्रदेश | 22.42 | 22.40 |
| 24. | गोवा | 97.84 | 61.41 |
| 25 | मिजोरम | 60.27 | 71.10 |
| 26. | पांडिचेरी | 25.17 | 54.28 |
| | योग | 46122.56 | 48936.82 |

## तालाबन्दी के कारण बर्बाद हुए कार्य दिवस

1848. **श्री एस॰ एम॰ गुरड्डी:**
**श्री शांति लाल पटेल:**

क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि देश में वर्ष 1987 की तुलना में वर्ष 1988 के दौरान हुई तालाबन्दी और हड़ताल के कारण अधिक कार्य दिवस **बर्बाद** हुए थे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तुलनात्मक ब्यौरा क्या है; और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) तालाबन्दी और हड़ताल की घटनाओं को कम करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है?

**श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री राधाकिशन मालवीय) : (क) और (ख)** उपलब्ध नवीनतम सूचना के आधार पर वर्ष 1987 तथा 1988 के दौरान हड़तालों और तालाबन्दियों के कारण नष्ट हुए श्रम दिवस दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ग) सरकार देश में औद्योगिक **संबंधी** स्थिति पर कड़ी तथा सतत निगरानी रखे हुए है। केन्द्र तथा राज्यों में औद्योगिक संबंधतंत्र निवारण उपायों, संराधन कार्यवाही तथा न्यायनिर्णयन के माध्यम से विवादों को निपटाने और कामबन्दी में कमी लाने के लिए कदम उठा रहे हैं।

### विवरण

वर्ष 1987 तथा 1988 के दौरान हड़तालों तथा तालाबन्दियों के कारण नष्ट हुए श्रम दिवस (दस लाख में):—

| वर्ष | हड़ताल | तालाबन्दी | कुल |
|---|---|---|---|
| 1987 | 14.03 | 21.33 | 35.36 |
| 1988 (जनवरी-नवम्बर) (अनंतिम) | 10.87 | 18.43 | 29.30 |

**स्रोत:** श्रम ब्यूरो, शिमला।

## मच्छरों से फैलने वाले रोगों के कारण मृत्यु

1849. **श्री पी॰ आर॰ एस॰ वेंकटेशन:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मच्छरों से फैलने वाले रोगों से अब भी भारी संख्या में लोगों की मृत्यु होती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में कौन से उपचारात्मक उपाय किये गये हैं तथा किये जाएगें?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे):** (क) मच्छरों से फैलने वाले मलेरिया, फ़ाइलेरिया और जापानी एन्सेफलाइटिस जैसे रोगों में जापानी एन्सेफलाइटिस के कारण मृत्यु दर अधिक है।

**(ख)** 1986 से 1988 तक देश में मच्छरों से फैलने वाले रोगों जैसे मलेरिया, जापानी एन्सेफलाइटिस और फाइलेरिया के कारण हुई मौतों की संख्या नीचे दी गई है:—

**मलेरिया**

| | रोगी | मौतें | सी॰एम॰आर॰ (प्रति हजार रोगी) |
|---|---|---|---|
| 1986 | 1792167 | 323 | 0.182 |
| 1987 | 1663284 | 188 | 0.113 |
| 1988 | 1472059 | 165 | 0.112 |
| **फाइलेरिया** | | | |
| 1986 | शून्य | | |
| 1987 | शून्य | | |
| 1988 | शून्य | | |
| **जापानी मस्तिष्क शोथ** | | | |
| 1986 | 7500 | 2627 | 3.50 |
| 1987 | 3515 | 1346 | 3.83 |
| 1988 | 5920 | 2009 | 3.39 |

**टिप्पणी:**— सी॰ एम॰ आर॰-केस मॉरटेलिटी रेट

(ग) मच्छरों से फैलने वाले रोगों से होने वाली मौतों को रोकने के लिए जो कदम उठाए गए हैं वे इस प्रकार हैं:—

**मलेरिया**

1. **टेमीफोस, फेन्थीयन और पेरिसग्रीन जैसा लार्वानाशी द्वारा** मच्छर प्रजनन वाले स्थानों में नियमित रूप से **लार्वा-रोधी उपाय** करना।

2. मच्छरों के पैदा होने के स्रोत को कम करने और गन्दी नालियों के रख-रखाव के लघु इंजीनियरिंग उपाय करना।

3. मलेरिया पॉजिटिव वाले घरों के आसपास पाइरेथ्रम का छिड़काव करना।

4. मच्छर के पैदा होने वाले मौसम के दौरान मलाथिअन फॉगिंग आपरेशन।

5. लार्वीवोइस मछली के इस्तेमाल से जैविक नियन्त्रण।

6. मलेरिया रोगियों का शीघ्र पता लगाना और उनका उपचार करना।

7. वैयक्तिक रोग निरोधी उपायों के बारे में स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करना।

**फाइलेरिया**

स्व-परिजीवियों का पता लगाना और डी॰ई॰सी॰ से रोगियों का उपचार करना।

वेक्टर नियन्त्रण के लिए लार्वा-रोधी उपाय करना।

यह कार्यक्रम 203 नियन्त्रण यूनिटों, 27 सर्वेक्षण यूनिटों और 186 फाइलेरिया क्लिनिकों के माध्यम से चलाया जा रहा है।

**जापानी एन्सेफलाइटिस**

1. जापानी एन्सेफलाइटिस के सभी रोगियों को लाक्षणिक उपचार प्रदान किया जा रहा है।

2. प्रभावित जिलों में वी॰एच॰सी॰ और डी॰डी॰टी॰ के साथ कीटनाशकों का छिड़काव किया जा रहा है और लार्वा-रोधी कार्यों को तेज कर दिया गया है।

3. प्रभावित क्षेत्रों में मलाथियन से छिड़काव कार्य किया जा रहा है।

4. सभी प्रभावित जिलों में जापानी एन्सेफलाइटिस के उपचार के लिये आम औषधियों का पर्याप्त भंडारण सुनिश्चित किया गया है।

5. प्रचार के माध्यम से पर्याप्त स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।

जापानी एन्सेफलाइटिस के नियंत्रण के लिए एक विशेष कार्यक्रम भी तैयार किया गया है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के समग्र योजना परिव्यय में से 50:50 लागत वहन करने के आधार पर नगद और सामग्री के रूप में केन्द्रीय सहायता प्रदान की जा रही है।

## नेत्र चिकित्सा क्षेत्र में कार्यशील स्वैच्छिक संगठन

1850. **श्री पी॰ आर॰ एस॰ वेंकटेशन:** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में नेत्र चिकित्सा के क्षेत्र में कार्यशील संगठनों की राज्य-वार संख्या क्या है और उन्होंने कितने लोगों की नेत्र चिकित्सा की है;

(ख) क्या नेत्र चिकित्सा के क्षेत्र में कार्यशील इन स्वैच्छिक संगठनों की क्षमता का कोई मूल्यांकन किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे): (क) से (ग):** राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत नेत्र चिकित्सा के क्षेत्र में कार्यरत स्वयंसेवी संगठनों को

नेत्र शिविर लगाने के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा सूचीबद्ध किया जाता है। उनके द्वारा उन स्वयंसेवी संगठनों को, इस बात की तसल्ली हो जाने पर कि वे नेत्र शिविरों के सुरक्षित एवं वैज्ञानिक संचालन के निर्धारित किए गए दिशा निर्देशों का पालन करते हैं, सहायता अनुदान दिया जाता है। ऐसे स्वयंसेवी संगठनों का ब्यौरा इस मंत्रालय द्वारा नहीं रखा जाता।

## राष्ट्रीय नेत्रहीन संस्था द्वारा प्रस्तुत परियोजना

1851. **श्री उत्तम राठौड़:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय नेत्रहीन संस्था, भारत ने आठवीं पचंवर्षीय योजना के दौरान कार्यान्वयन हेतु 500 करोड़ रूपयों की लागत वाली एक परियोजना प्रस्तुत की है;

(ख) यदि हां, तो परियोजना की मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस पर विचार कर लिया है; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में क्या निर्णय लिया गया है?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे):** (क) ऐसा कोई भी प्रस्ताव इस मंत्रालय में प्राप्त नहीं हुआ है।

**(ख) से (घ):** ये प्रश्न नहीं उठते।

## स्वीडन की सहायता से कपड़ा मिलों का आधुनिकीकरण

1852. **श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही:** क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय कपड़ा निगम के नियन्त्रण में चल रही कुछ कपड़ा मिलों का आधुनिकीकरण करने के लिए कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो उक्त आधुनिकीकरण कार्यक्रम पर कितनी लागत आने का अनुमान है; और

(ग) क्या राष्ट्रीय कपड़ा निगम की इन मिलों के आधुनिकीकरण के लिए स्वीडन की सहायता ली जाएगी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रफीक आलम): (क) और (ख):** एन टी सी के अन्तर्गत आने वाली वस्त्र मिलों का आधुनिकीकरण एक सतत प्रक्रिया है। वर्ष 1988-89 के दौरान, एन टी सी मिलों में आधुनिकीकरण श्रम सुव्यवस्थीकरण के लिए 20 लाख रूपये प्रदान किए गए हैं।

(ग) स्विटजरलैंड की सहायता से वस्त्र मशीनरी के आयात का प्रस्ताव गवेषणा स्तर-पर है।

## पाकिस्तान से कपास का आयात करने का प्रस्ताव

1853. **श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही:** क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का पाकिस्तान से कपास का आयात करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो कपास की कितनी गांठें आयात करने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या पाकिस्तान ने वर्ष 1988-89 में भी भारत को कपास का निर्यात किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रफीक आलम):** (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और **(घ):** कपास वर्ष 1988-89 (जनवरी, 1989 तक) के दौरान पाकिस्तान से हैंक यार्न के

उत्पादन के लिए शुल्क मुक्त कपास की लगभग 62,000 गांठें तथा अग्रिम लाइसेंसिंग योजना के अर्न्तगत, कपास की लगभग 35,000 गांठें आयात की गई थीं।

### राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम द्वारा विकसित कम्प्यूटर

1854. **श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही:** क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम ने देश में ही कम्प्यूटर का विकास किया है;

(ख) क्या राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम द्वारा विकसित कम्प्यूटर का प्रयोग आरम्भ किया गया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं; और

(घ) हथकरघा उद्योग के विकास के लिए क्या कदम उठाये गए हैं?

**वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रफीक आलम):** (क) जी, नहीं।

**(ख) और (ग):** प्रश्न नहीं उठता।

(घ) एक विवरण संलग्न है।

#### विवरण

सरकार हथकरघा उद्योग के विकास हेतु निम्नलिखित योजनाएं क्रियान्वित करती है:-

1. प्राथमिक बुनकर सहकारी सोसायटियों को शेयर पूंजी सहायता;
2. शीर्षस्थ बुनकर सहकारी सोसायटियों को शेयर पूंजी सहायता;
3. राज्य हथकरघा विकास निगमों को शेयर पूंजी सहायता;
4. करघों की खरीद/आधुनिकीकरण /नवीकरण हेतु सहायता;
5. प्राथमिक हथकरघा बुनकर सहकारी सोसायटियों में वेतनभोगी सचिवों की नियुक्ति हेतु प्रबंधकीय आर्थिक सहायता;
6. करघा पूर्व तथा करघा पश्चात् की प्रोसेसिंग सुविधाओं के सृजन हेतु सहायता;
7. हथकरघा बुनकरों के लिए वर्कशेड-सह-आवास योजना;
8. अंशदायी थ्रिफ्ट फंड योजना;
9. पर्वतीय क्षेत्रों में हथकरघा क्षेत्र के विकास हेतु विशेष परियोजनाएं;
10. हथकरघा कपड़े की बिक्री संबंधी विशेष छूट योजना; और
11. जनता कपड़ा योजना।

### सामाजिक वानिकी को प्रोत्साहन

1855. **प्रो॰ नारायण चन्द पराशर:** क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने सातवीं योजना के दौरान सामाजिक वानिकी को प्रोत्साहन देने के लिए कोई सकारात्मक कदम उठाये हैं;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजन के लिये प्रत्येक राज्य / संघ राज्य क्षेत्र को वर्षवार आवंटित धनराशि के विवरण सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और राज्यों की इस संबंध में क्या उपलब्धियां रही हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और क्या सातवीं योजना के अंतिम वर्ष और आठवीं योजना के दौरान सामाजिक वानिकी को प्रोत्साहित करने के लिये राज्यों को समुचित सकारात्मक प्रोत्साहन दिये गये हैं और तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं?

**वस्त्र मंत्री तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री रामनिवास मिर्धा):** (क) और (ख). सामाजिक वानिकी को बढ़ावा देने के लिए सातवीं योजनावधि में कई कदम उठाए गए हैं। इनमें जो अधिक महत्वपूर्ण है उनका उल्लेख संलग्न विवरण-1 में किया गया है। धनराशि के आवंटन और उपलब्धियों का ब्यौरा संलग्न विवरण-2 और विवरण-3 में दिया गया है।

(ग) पहले से शुरू किए गए उपायों को सातवीं योजना के अंतिम वर्ष (1989-90) के दौरान भी जारी रखा जा रहा है तथा वनीकरण (सामाजिक वानिकी सहित) का लक्ष्य बढ़ाकर 540 करोड़ पौध (लगभग 2.7 मिलियन हैक्टेयर क्षेत्र वृक्षारोपण के बराबर) कर दिया गया है। आठवीं योजना के प्रस्तावों को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है अतः अभी उसका ब्यौरा दिया जाना संभव नहीं है।

**विवरण-1**

**सामाजिक वानिकी को बढ़ावा देने के लिए सातवीं योजनावधि के दौरान उठाए गए महत्वपूर्ण कदम**

1. वनीकरण कार्य, जिसमें सामाजिक वानिकी भी सम्मिलित है, को प्रमुख कार्यक्षेत्र मानकर 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत इसे विशिष्ट मद के रूप में शामिल किया गया है।
2. केनदरर में, राष्ट्रीय परती भूमि विकास बोर्ड, जिसकी स्थापना मई, 1985 में की गई थी, को सामाजिक वानिकी सहित समस्त वनीकरण कार्यों को बढ़ावा देने, उनके समन्वय तथा अनुवीक्षण की प्रमुख जिम्मेदारी सौंपी गई है।
3. सामाजिक वानिकी को बढ़ावा देने के लिए राज्यों को समय-समय पर मार्गदर्शी रूपरेखाएं जारी की गई हैं।
4. कार्य की गति में तेजी लाने के लिए प्रतिवर्ष उच्चतर लक्ष्य रखे गए हैं जिसके परिणामस्वरूप सातवीं योजना (1985-86 से 1987-88 तक) के अंतिम 3 वर्षों के दौरान उपलब्धि 5.04 मिलियन हैक्टेयर रही है जबकि सम्पूर्ण छठी योजनावधि (1980-85) के दौरान उपलब्धि केवल 4.65 मिलियन हैक्टेयर तथा 1950 से 1980 तक 3.56 मिलियन हैक्टेयर थी। ऐसा अनुमान है कि सातवीं योजना के अंत तक पंचवर्षीय योजना अवधि में कुल उपलब्धि लगभग 10.0 मिलियन हैक्टेयर हो जाएगी।
5. योजना परिव्यय में वृद्धि की गई है। विगत तीन वर्षों (1985-86 से 1987-88 तक) में समस्त वनीकरण कार्यकलापों, जिनमें सामाजिक वानिकी भी शामिल है, के लिए 1418 करोड़ रूपए आवंटित किए गए जबकि सम्पूर्ण छठी योजनावधि (1980-85) के दौरान 926 करोड़ रूपए तथा 1950 से 1980 तक 241 करोड़ रूपए आवंटित किए गए थे। वर्ष 1988-89 के लिए 620 करोड़ रूपए आवंटित किए गए हैं।
6. ग्रामीण रोजगार परियोजनाओं (राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम तथा ग्रामीण श्रम रोजगार गांरटी कार्यक्रम) के अन्तर्गत सामाजिक वानिकी के लिए निर्धारित धनराशि को 25 प्रतिशत तक बढ़ा दिया गया है।
7. विकेन्द्रित जन-पौधशालाओं, ईंधन लकड़ी और चारा की क्षेत्रोन्मुखी प्रायोजनाओं, लघु वनोत्पाद वृक्षारोपण, सिल्वी चारागाह विकास तथा बीज विकास को बढ़ावा देने के लिए नई और अभिनव केन्द्रीय प्रायोजित परियोजनाएं लागू की गई हैं।

8. देश के 14 राज्यों में विश्व बैंक, सीडा आदि जैसे विदेशी प्रदाताओं की आर्थिक सहायता से सामाजिक वानिकी प्रायोजनाएं शुरू की गई हैं।
9. देश के विभिन्न भागों में स्वैच्छिक एजेंसियों के माध्यम से जन सहभागिता को बढ़ावा देने के लिए 22.56 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय से 286 प्रायोजनाएं शुरू की गई हैं।
10. नाबार्ड के माध्यम से सामाजिक वानिकी प्रायोजनाओं में प्रयोग किए जाने हेतु संस्थागत वित्त उपलब्ध कराया जा रहा है। 5 राज्यों में वृक्ष उत्पादक सहकारिताएं स्थापित की जा रही हैं।
11. कई अध्ययन, कार्यशालाएं तथा संगोष्ठियां आयोजित की गई हैं। विस्तार कार्यकलापों की ओर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

## विवरण-2

### वनीकरण हेतु धनराशि का राज्यवार आवंटन और उपयोग

रुपये लाखों में

| क्र०सं० | राज्य/संघ शा०क्षेत्र | आवंटित धनराशि | | | | उपयोग की गई धनराशि | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1985-86 | 1986-87 | 1987-88 | *1988-89 | 1985-86 | 1986-87 | 1987-88 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | आन्ध्र प्रदेश | 2630.00 | 3312.60 | 3582.55 | 3538.00 | 2004.59 | 3436.01 | 3172.03 |
| 2. | अरूणाचल प्रदेश | 409.60 | 431.00 | 428.50 | 451.75 | 329.48 | 386.56 | 396.77 |
| 3. | असम | 1595.00 | 1725.75 | 1892.75 | 2188.00 | 1303.07 | 1616.51 | 1628.54 |
| 4. | बिहार | 3254.20 | 4066.37 | 4178.75 | 5298.00 | 7633.56 | 2363.12 | 3841.96 |
| 5. | गोआ | 119.20 | 119.50 | 131.65 | 118.00 | 100.68 | 110.35 | 112.20 |
| 6. | गुजरात | 2411.40 | 2837.97 | 3469.50 | 3168.00 | 2445.56 | 2997.31 | 2989.86 |
| 7. | हरियाणा | 1247.40 | 1288.27 | 1459.75 | 1921.50 | 1337.58 | 1395.27 | 1343.43 |
| 8. | हिमाचल प्रदेश | 1352.20 | 1762.30 | 1932.75 | 2257.50 | 1561.97 | 1675.47 | 1952.48 |
| 9. | जम्मू एवं कश्मीर | 708.00 | 892.00 | 1007.50 | 1124.63 | 706.33 | 851.68 | 960.76 |
| 10. | कर्नाटक | 1965.80 | 2372.24 | 2353.25 | 2710.50 | 2536.31 | 2259.54 | 1713.95 |
| 11. | केरल | 1618.40 | 1757.50 | 2003.00 | 2374.00 | 928.82 | 1789.26 | 1703.55 |
| 12. | मध्य प्रदेश | 3144.60 | 4269.99 | 4687.75 | 4672.00 | 2714.65 | 4650.82 | 4059.17 |
| 13. | महाराष्ट्र | 2935.00 | 3955.37 | 4062.50 | 4194.25 | 2539.31 | 2158.63 | 3401.37 |
| 14. | मणिपुर | 231.60 | 246.25 | 303.50 | 703.50 | 199.38 | 226.07 | 307.41 |
| 15. | मेघालय | 507.60 | 557.00 | 670.50 | 756.00 | 518.32 | 413.88 | 623.59 |
| 16. | मिजोरम | 363.60 | 497.00 | 512.50 | 658.00 | 363.74 | 531.49 | 535.48 |
| 17. | नागालैण्ड | 290.60 | 352.50 | 506.50 | 518.00 | 337.64 | 387.13 | 492.86 |
| 18. | उड़ीसा | 1659.00 | 1964.59 | 2637.70 | 2667.25 | 1340.46 | 2051.12 | 2538.51 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19. | पंजाब | 717.40 | 696.00 | 873.75 | 1035.25 | 813.97 | 863.85 | 859.20 |
| 20. | राजस्थान | 1444.60 | 2723.17 | 2939.25 | 3202.00 | 1536.80 | 3376.13 | 2847.84 |
| 21. | सिक्किम | 215.60 | 199.75 | 233.25 | 235.00 | 182.26 | 171.06 | 199.20 |
| 22. | तमिलनाडु | 2890.40 | 3299.40 | 3606.00 | 3479.50 | 2557.92 | 2703.21 | 3167.20 |
| 23. | त्रिपुरा | 411.00 | 435.50 | 395.50 | 462.75 | 355.36 | 369.73 | 424.34 |
| 24. | उत्तर प्रदेश | 3974.80 | 6617.14 | 7217.25 | 7589.75 | 3817.86 | 5582.39 | 6023.12 |
| 25. | पश्चिम बंगाल | 2065.00 | 2559.79 | 2609.20 | 3292.88 | 1464.12 | 2796.26 | 2025.56 |
| 26. | अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह | 136.20 | 122.00 | 143.50 | 259.50 | 104.20 | 127.54 | 153.36 |
| 27. | चण्डीगढ़ | 26.60 | 23.25 | 24.35 | 23.50 | 26.85 | 21.25 | 23.55 |
| 28. | दादरा एवं नगर हवेली | 62.80 | 46.50 | 68.25 | 111.25 | 54.06 | 52.09 | 97.97 |
| 29. | दिल्ली | 80.40 | 82.75 | 108.80 | 85.50 | 43.78 | 100.35 | 88.10 |
| 30. | दमन एवं द्वीप | - | - | - | 45.00 | - | - | 12.48 |
| 31. | लक्षद्वीप | 3.60 | 4.25 | 4.75 | 7.25 | 3.28 | 7.98 | 6.56 |
| 32. | पांडिचेरी | 22.60 | 31.00 | 38.50 | 48.00 | 22.18 | 36.82 | 43.63 |
| | कुल: | 38494.20 | 49248.70 | 54083.50 | 59196.01** | 39884.09 | 45508.88 | 47746.03 |

* इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय परती भूमि विकास बोर्ड तथा कृषि मंत्रालय की केन्द्रीय प्रायोजित परियोजनाओं के अन्तर्गत 28 करोड़ रुपए की धनराशि आबंटित की गई है।

** वास्तविक उपयोग की गई धनराशि वित्तीय वर्ष के अंत में ज्ञात हो सकेगी।

## विवरण-3

वर्ष 1985-86 से 1987-88 तक वनीकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत शामिल किया गया राज्यवार क्षेत्र

(क्षेत्र हैक्टेयर में)

| क्रम संख्या | राज्य/संघ शासित क्षेत्र | 1985-86 | 1986-87 | 1987-88 | 1988-89 (दिसंबर-1988 तक) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | आंध्र प्रदेश | 157,800.00 | 143,707.50 | 152,567.00 | 128,543.50 |
| 2. | असम | 19,800.00 | 31,275.00 | 24,893.50 | 22,275.00 |
| 3. | बिहार | 76,150.00 | 135,550.00 | 57,600.00 | 161,150.00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4. | गुजरात | 124,850.00 | 113,550.00 | 107,075.00 | 200,680.50 |
| 5. | हरियाणा | 46,850.00 | 37,079.00 | 19,000.00 | 26,919.00 |
| 6. | हिमाचल प्रदेश | 33,600.00 | 33,564.00 | 30,754.50 | 29,514.00 |
| 7. | जम्मू और कश्मीर | 23,350.00 | 28,526.00 | 20,000.03 | 7,951.50 |
| 8. | कर्नाटक | 127,300.00 | 115,837.00 | 157,610.50 | 143,601.00 |
| 9. | केरल | 58,300.00 | 75,962.00 | 77,772.00 | 67,627.50 |
| 10. | मध्य प्रदेश | 175,050.00 | 196,000.00 | 204,523.00 | 212,050.00 |
| 11. | महाराष्ट्र | 108,250.00 | 119,085.00 | 153,998.00 | 201,439.50 |
| 12. | मणिपुर | 6,250.00 | 7,440.00 | 9,012.50 | 9,948.00 |
| 13. | मेघालय | 6,550.00 | 7,900.00 | 11,878.50 | 16,488.50 |
| 14. | नागालैंड | 13,450.00 | 27,175.00 | 10,000.00 | 11,500.00 |
| 15. | उड़ीसा | 96,500.00 | 116,336.00 | 117,002.00 | 137,506.00 |
| 16. | पंजाब | 29,500.00 | 28,379.50 | 24,776.00 | 23,609.50 |
| 17. | राजस्थान | 47,900.00 | 67,051.50 | 58,693.50 | 62,950.00 |
| 18. | सिक्किम | 4,100.00 | 5,751.00 | 6,693.50 | 5,567.50 |
| 19. | तमिलनाडु | 60,750.00 | 99,064.00 | 95,587.00 | 66,036.50 |
| 20. | त्रिपुरा | 10,000.00 | 13,150.00 | 13,356.50 | 13,350.00 |
| 21. | उत्तर प्रदेश | 177,400.00 | 243,250.00 | 221,035.50 | 265,597.50 |
| 22. | पश्चिम बंगाल | 55,750.00 | 70,800.00 | 69,554.00 | 55,000.00 |
| 23. | अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह | 4,750.00 | 6,116.00 | 5,021.50 | 5,281.50 |
| 24. | अरुणाचल प्रदेश | 5,150.00 | 6,254.00 | 6,352.00 | 1,572.00 |
| 25. | चण्डीगढ़ | 76.00 | 191.50 | 179.50 | 160.50 |
| 26. | दादरा और नागर हवेली | 1,550.00 | 1,700.00 | 1,561.00 | 1,916.00 |
| 27. | दिल्ली | 1,250.00 | 3,151.50 | 903.00 | 2,881.00 |
| 28. | गोवा, दमन और द्वीव ** | 2,250.00 | 3,396.50 | 3,761.50 | 3,644.00 |
| 29. | लक्षद्वीप | 12.50 | 14.50 | 12.00 | 110.50 |
| 30. | मिज़ोरम | 35,000.00 | 23,902.50 | 13,875.00 | 15,000.00 |
| 31. | पांडिचेरी | 550.00 | 649.50 | 516.00 | 281.00 |
| | योग | 1,510,038.50 | 1,761,869.00 | 1,775,564.03 | 1,900,151.50 |

* प्रति हैक्टेयर 2000 पौद की दर से काल्पनिक रूप से परिकलित क्षेत्र।

** संघ शासित क्षेत्र दमन और द्वीव भी सम्मिलित है।

## पटसन मिलें बन्द होना

1856. **श्री हन्नान मोल्लाह:** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन पटसन मिलों का राज्यवार ब्यौरा क्या है जो बन्द हो गई हैं अथवा जिनमें तालाबन्दी चल रही है; और

(ख) केन्द्रीय सरकार ने उन्हें पुनः चालू करने के लिए क्या कदम उठाये हैं अथवा उठाने का विचार है?

**वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रफीक आलम):** (क) और (ख): इस समय नौ जूट बन्द पड़ी हैं। प्रत्येक मिल का विवरण नीचे दिया गया है:-

1. **श्री अम्बिका:** यह मिल पश्चिमी बंगाल में है और 25.8.1986 से बंद पड़ी है। प्रबंध समिति द्वारा तीव्र वित्तीय संकट मिल बंद पड़े रहने का वास्तविक कारण बताया गया है। प्रबंध समिति ने आई आर बी आई और बैंक ऑफ इंडिया से अनुरोध किया कि मिल का पुनः खोलने के लिए उन्हें आवश्यक वित्त प्रदान करें। मिल 27-3-1985 से परिसमापन के अधीन है और राजकीय परिसमापक के अधिग्रहण में है।

2. **तप्फार चंदरा:** यह मिल पश्चिम बंगाल में है और 24.3.1987 से बंद पड़ी है। दिनांक 31.8.87 की स्थिति के अनुसार मिल का संचित घाटा 187.52 लाख रु० था। इस मिल को 31.3.1988 को आधुनिकीकरण के लिए 340 लाख रुपये का ऋण तथा पटसन आधुनिकीकरण निधि योजना से 65 लाख रुपयों का विशेष ऋण मंजूर किया गया। मिल ने अभी तक इस राशि के भुगतान के लिए अनुरोध नहीं किया है।

3. **कनारिया जूट:** यह मिल पश्चिम बंगाल में है और 20-9-1987 से बंद पड़ी है मिल को 12.9.1988 को 268 लाख रुपयों का आधुनिकीकरण ऋण, 49 लाख रूपयों का पुनर्वास ऋण और जे एम एफ एस के अधीन 53 लाख रूपयों का विशेष ऋण मंजूर किया गया। इस मिल को अभी भुगतान किया जाना है।

4. **ईस्टर्न:** यह मिल पश्चिम बंगाल में है और 5.3.1988 से बंद पड़ी है। मिल की वित्तीय स्थिति से प्रकट होता है कि मिल को वर्ष 1986-87 के दौरान 75.42 लाख रुपये का नकद घाटा हुआ और 31.3.1987 की स्थिति के अनुसार 567.54 लाख रुपये का संचयी घाटा हुआ। इस आई एफ आर की परिभाषा के अनुसार मिल एक रुग्ण एकक है।

5. **नुद्दिया:** यह मिल पश्चिम बंगाल में है और 22.6.1988 स बद पड़ी है। मिल को 31.12.1986 तक 332.93 लाख रुपये का घाटा हो चुका था। मिल ने जे एम एफ के अंतर्गत वित्तीय सहायता के लिए आवेदन किया था। परन्तु उसका प्रार्थना पत्र सहायता योग्य नहीं कराया गया और इस कारण मिल बंद कर दी गई।

6. **केल्विन:** यह मिल पश्चिम बंगाल में है और 29.1.1989 से बंद पड़ी है। मिल को 1986-87

के दौरान 83.66 लाख रुपयों का नकद घाटा तथा 31.5.1987 की स्थिति के अनुसार 1157.72 लाख रुपये का संचयी घाटा हो चुका था। एस आई एफ आर की परिभाषा के अनुसार मिल एक रुग्ण एकक है। मिल को 211 लाख रूपये का आधुनिकीकरण ऋण, 65 लाख रुपये का पुनर्वास ऋण और जे एम एफ एस तथा जे डी एफ एस के अधीन 172 लाख रुपयों का (जी डी एफ एस के अधीन 177 लाख रुपये का और जे एम एफ एस के अन्तर्गत 55 लाख रु० का) विशेष ऋण मंजूर किया गया। अभी तक कोई भुगतान नहीं किया गया है।

7. **कानपुर:** यह मिल उत्तर प्रदेश में है और 13.9.1987 से बंद पड़ी है। तालाबंदी का मुख्य कारण गंभीर वित्तीय संकट है। कंपनी को मार्च 1987 तक 260 लाख रुपये का घाटा हो चुका था। कंपनी का मामला बी आई एफ आर को भेजा गया था जिसमें आई आर बी आई को प्रचलन अधिकरण नियुक्त किया था । आई आर बी आई ने अपना प्रतिवेदन बी आई एफ आर को प्रस्तुत कर दिया है जिस पर विचार किया जा रहा है।

8. **कटिहार:** यह मिल बिहार में है और 24.12.1987 से बंद है। दिनांक 3.4.1984 से मिल परिसमापन की कार्रवाई में है। मिल को बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम ने 1985 से पट्टे पर ले लिया है।

9. **श्री बजरंग:** यह मिल आंध्र प्रदेश में है। और 2.5.1988 से बंद है। मिल को 30.8.1986 तक 110.26 लाख रुपये का संचयी घाटा तथा 1985-86 के दौरान 20.27 लाख रु० का नकद घाटा हो चुका है।

बंद पड़ी जूट मिलों का पुनः खोलना राज्य का विषय है। फिर भी भारत सरकार ने जूट सैक्टर को पुनर्जीवित करने के लिए समग्र रूप से अनेक कदम उठाये हैं जैसे लगभग 150 करोड़ रु० का पटसन आधुनिकीकरण निधि योजना का सृजन 100 करोड़ रु० का विशेष जूट विकास निधि का सृजन और कई उपभोक्ता उद्योगों में एक विशिष्ट प्रतिशत तक जूट पैकेजिंग मैटीरियल के अनिवार्य प्रयोग के लिए एक अधिनियम का पास करना।

## खुले बाजार से चावल और गेहूं की खरीद करने की अनुमति

1857. **श्री डी० बी० पाटिल :** क्या खाद्य तथा नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से भविष्य में वितरित करने के लिये खुले बाजार से चावल और गेहूं खरीदने की केन्द्रीय सरकार से अनुमति मांगी है; और

(ख) यदि हां, तो क्या अनुमति दे दी गई है और यदि नहीं, तो देरी के क्या कारण है?

**खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री डी० एल० बैठा):** (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

## पटसन मिलों का आधुनिकीकरण

1858. **श्री राधाकांत डिगाल :** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ पटसन मिलों का आधुनिकीकरण करने का विचार किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उन पटसन मिलों का ब्यौरा क्या है जिनका आधुनिकीकरण किया जाएगा;

(ग) क्या इन पटसन मिलों के आधुनिकीकरण से छटनी होनी की आशंका है; और

(घ) यदि नहीं तो पटसन मिलों के आधुनिकीकरण से कामगारों पर प्रमुख रूप से क्या प्रभाव पड़ेगा?

**वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रफीक आलम) : (क)** जी, हां ।

**(ख)** एक विवरण संलग्न है ।

(ग) और (घ). वित्तीय संस्थाओं को अब तक प्राप्त संसाधित आवेदन-पत्रों में श्रमिकों की छटनी का विचार नहीं है। कुछ मामलों में ऐसा विचार किया गया है कि उन श्रमिकों को जो पहले ही सेवा निवृत्ति की आयु प्राप्त कर चुके हैं, भविष्य निधि उपदान आदि के जरिए उनके सामान्य बकाया राशि का भुगतान कर सेवा-निवृत्ति किया जा सकता है । पटसन मिलों के आधुनिकीकरण का मुख्य प्रभाव होगा पटसन मिलों की लम्बी अवधि के लिए अर्थ क्षमता, जिससे मिलें कामगारों की मजदूरी तथा अन्य लाभों के अतिरिक्त संभावित रोजगार क्षमता बनाए रखने में सक्षम होगी, इस स्कीम में, अन्य बातों के साथ साथ आवश्यकता पर आधारित सहायता का भी प्रावधान है, जो पटसन मिलों द्वारा कामगारों की रक्षा/सुरक्षा के लिए प्राप्त की जा सकती है ।

### विवरण

पटसन आधुनिकीकरण निधि स्कीम के तहत प्राप्त आवेदन पत्रों की सूची नीचे दी गई है:—

1. एंग्लो इंडिया जूट मिल्स कं० लि०
2. हेस्टिंग्स मिल्स (जूट प्रभाग श्री दिग्विजय सीमेंट कं० लि०)
3. कनोरिया जूट एण्ड इंडस्ट्रीज लि०
4. कल्विन जूट कं० लि०
5. बिरला जूट इंडस्ट्रीज लि०
6. नैहाती जूट मिल्स कं० लि०
7. एकता लि०
8. इंडिया जूट एण्ड इंडस्ट्रीज लि०
9. नफ्फर चन्द्र जूट मिल्स लि०
10. जे० के० जूट मिल्स कं० लि०
11. बज बज कं० लि०
12. कलेडोनियन जूट एण्ड इंड लि०
13. गंगज मैन्यु० कं० लि०
14. विजय श्री लि०
15. हावड़ा मिल्स कं० लि०
16. फोर्ट विलियम कं० लि०

17. कोणार्क जूट लि०
18. फोर्टग्लोस्टर इंड लि०
19. कनकीनरराह कं० लि०
20. श्री बजरंग जूट मिल्स लि०
21. नेलीमर्ला जूट मिल्स कं० लि०
22. हुकुमचन्द जूट एण्ड इंड० लि०
23. नूइंडिया मिल्स कं० लि०
24. चितवलसाह जूट मिल्स (यूनिट आफ विलार्ड इंडिया लि०)
25. न्यू सेन्ट्रल जूट मिल्स कं० लि०
26. गंस कं० लि०
27. श्री हनूमान जूट मिल्स लि०
28. कलकत्ता जूट मैन्यु० कं० लि०
29. यौरिपुर कं० लि०
30. हावड़ा मिल्स कं० लि०
31. चेवियोत कं० लि०
32. कामरहट्टी कं० लि०
33. एलियन्स मिल्स (लैसेस) लि०
34. राजस्थान रोप वकर्स (प्रा०) लि०

**केन्द्रीय क्षेत्र के अंतर्गत राज्यों में अस्पतालों और औषधालयों की स्थापना करना**

1859. **श्री राधाकांत डिगाल:** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार केन्द्रीय क्षेत्र के अंतर्गत कुछ राज्यों में कुछ अस्पतालों और औषधालय स्थापित करने का है;

(ख) क्या उड़ीसा में आदिवासी क्षेत्रों में केन्द्रीय क्षेत्र के अंतर्गत ऐसे कोई अस्पताल और औषधालय स्थापित किये गये हैं; और

(ग) यदि हां, तो ऐसे अस्पतालों और औषधालयों कहां स्थापित किये गए हैं?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे):** (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) ये प्रश्न नहीं उठते।

**प्रवासी भारतीयों के लिये मेडिकल कालेजों में सीटों का आरक्षण**

1860. **श्री भद्रेश्वर तांती:** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या प्रवासी भारतीयों और विदेशों में रह रहे अन्य भारतीयों के लिए भारतीय मेडिकल कालेजों में सीटों का आरक्षण किया जाता है?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे):** भारत सरकार द्वारा प्रवासी भारतीयों और विदेशों में बसे अन्य भारतीयों के लिए देश के चिकित्सा कालेजों में सीटें आरक्षित नहीं की जाती। तथापि, हम उन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से, जिनमें चिकित्सा कालेज हैं, सीटों की उपलब्धता के अनुसार कुछ सीटें लेकर प्रतिवर्ष विदेश, मानव संसाधन विकास, गृह और वित्त मंत्रालयों को आवंटित कर देते हैं जिन पर भारतीय विदेशी मिशनों में कार्य कर रहे भारतीय कर्मचारियों के आश्रितों और छात्रों के अन्य वर्गों को प्रवेश दिया जाता है।

## गुरदे और पित्ताशय के उपचार के लिये फ्रांस से उपकरण का आयात

1861. **श्रीमती डी॰ के॰ भंडारी:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में गुरदे और पित्ताशय की पथरी के उपचार के लिए फ्रांस से अत्याधुनिक उपकरण का आयात किया गया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इस उपकरण के संचालन का अध्ययन कर लिया गया है और यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले; और

(ग) क्या उक्त उपकरण को केन्द्रीय सरकार के अस्पतालों में उपलब्ध कराने का विचार है जिससे गरीब रोगियों को इस सुविधा का लाभ मिल सके; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे):** (क) जहां तक सरकारी अस्पतालों का सम्बन्ध है, गुर्दे और पित्ताशय की पथरी के लिए फ्रांस से किसी अत्याधुनिक उपकरण का आयात नहीं किया गया है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता।

## केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के कार्यरत फार्मेसिस्टों की हड़ताल

**[हिन्दी]**

1862. **श्री काली प्रसाद पांडेय:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना में कार्यरत फार्मेसिस्टों ने हड़ताल की थी और उन्होंने हाल ही में निर्माण भवन के सामने एक प्रदर्शन किया था, यदि हां तो उनकी मुख्य मांगे क्या हैं।

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगें स्वीकार करने तथा उन्हें लागू करने में क्या-क्या कठिनाइयां हैं और इस संबंध में सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई है, और

(ग) उनकी सभी मांगें कब तक पूरी कर ली जायेंगी?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे):** (क) से (ग): केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना में कार्य कर रहे फार्मेसिस्टों ने 10 फरवरी, 1989 को निर्माण भवन के सामने प्रदर्शन किया और 21 फरवरी, 1989 से बारी-बारी से भूख हड़ताल शुरू की।

मुख्य मांगें और उन पर की गई कार्रवाई दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है। निश्चित समय देना संभव नहीं है क्योंकि इसके लिए भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों से परामर्श लेने की आवश्यकता है।

**विवरण**

| | | |
|---|---|---|
| 1. | भारतीय केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना फार्मेसिस्ट संघ को मान्यता देना | कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा मान्यता के नियमों को अन्तिम रूप देने के बाद मांग पर विचार किया जाएगा। |
| 2. | पदोन्नति के अवसर | कार्यवाई पहले ही चल रही है। |
| 3. | चयन ग्रेड | तदैव |
| 4. | केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के फार्मेसिस्टों को जेखिम या फार्मेसी भत्ता। | संघ से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। |

**"जामा मस्जिद क्षेत्र के विकास की योजना ठण्डे बस्ते में" शीर्षक से प्रकाशित समाचार**

**[अनुवाद]**

1863. **श्री विजय कुमार यादव : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:**

(क) क्या उनका ध्यान दिनांक दिनांक 25 मई, 1988 के "नवभारत टाइम्स" (दिल्ली) में "जामा मस्जिद क्षेत्र के विकास की योजना ठण्डे बस्ते में" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं; और

(ग) इस क्षेत्र के विकास के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है अथवा किये जाने का विचार है;

**शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क)** जी, हां ।

(ख) और (ग): पूर्वी दिल्ली में गाज़ियाबाद में मछली, मुर्गी एवं अंडों की थोक मार्किट का विकास करने के लिए दिल्ली कृषि विपणन बोर्ड ने 15 एकड़ माप का एक प्लाट लिया है । जामा मस्जिद में स्थित मार्कीट सहित विद्यमान कुछ थोक मार्किटों को वहां स्थानान्तरित करने का प्रस्ताव है । इस परियोजना की लागत 10-12 करोड़ रुपये आंकी गई है तथा इसके 1992-93 तक पूर्ण हो जाने की सम्भावना है ।

दिल्ली परिवहन निगम ने सूचित किया है कि जामा मस्जिद से आरम्भ होने वाले विभिन्न रूटों की सेवाओं को दिल्ली यातायात पुलिस की पहल पर 14-5-1937 से लाल किला/सुभाष पार्क में स्थानान्तरित कर दिया था।

## उभरते नगरों के विकास के लिए वृहद योजना

1864. **प्रो० नारायण चन्द्र पराशर** : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में उप-नगरीय क्षेत्रों सहित उभरते शहरों के विकास के लिए राष्ट्रीय शहरीकरण आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के अनुसार ऐसे स्थानों का निर्धारण करने के पश्चात कोई व्यापक योजना तैयार की गई है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे नगरों/शहरों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है और इस प्रयोजन हेतु राज्य-वार तैयार किये गये कार्यक्रम/योजना तथा वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या ऐसी कोई योजना तैयार की जायेगी और उसे कब तक अंतिम रूप दिया जायेगा?

**शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह)** : (क) से (ग): शहरी केन्द्रों के लिए जैसा कि आयोग ने पता लगाया है, कार्यक्रमों तथा वित्तीय सहायता के बारे में अभी तक कोई विशिष्ट निर्णय नहीं लिया गया है । तथापि, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को इस आशय की सूची भेजी गई है कि क्या वे उसमें कुछ जोड़ना या निकालना चाहेंगे। छोटे तथा मध्यम दर्जे के शहरों के एकीकृत विकास के लिए केन्द्र द्वार प्रवर्तित चल रहे कार्यक्रम में आयोग द्वारा पता लगाये गये बहुत से प्राथमिक केन्द्रों को शामिल किया गया है।

## आन्ध्र प्रदेश में आवास योजनाएं

1865. **श्री के. नारायण स्वामी** : क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आवास तथा शहरी विकास निगम (हुडको) द्वारा 30 जनवरी, 1989 तक आंध्र प्रदेश की कितनी आवास योजनाओं को मंजूरी दी है;

(ख) क्या वर्ष 1989-90 के दौरान आन्ध्र प्रदेश के लिए और अधिक आवास योजनाओं को मंजूरी देने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह)** : (क) 31-1-89 तक आवास तथा नगर विकास निगम ने आन्ध्र प्रदेश के राज्य में 778 योजनाएं स्वीकृत की है।

(ख) और (ग): हर वर्ष राज्यों की आवश्यकताओं तथा निधियों की उपलब्धता के अनुसार योजनाएं स्वीकृत की जाती हैं । वर्ष 1988-89 के दौरान, 30.38 करोड़ रुपये के वार्षिक नियतन की तुलना में, आवास तथा नगर विकास निगम ने (23-2-89 की स्थिति के अनुसार) पहले ही 47.22 करोड़ रुपये की ऋण राशि के लिए योजनाएं स्वीकृत की हैं, जो कि नियतित राशि से बहुत अधिक है ।

## दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा सी० और डी० फार्मों को समाप्त करना

1866. **श्री राम पूजन पटेल** : क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा छोटे प्लाट मालिकों के लिए सी० और डी० फार्म लेने की औपचारिकता समाप्त कर दी गई है, यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है और इस औपचारिकता के समाप्त किये जाने से इन प्लाट मालिकों को क्या राहत मिलने की सम्भावना है; और

(ख) क्या उक्त रियायत उन लोगों को भी उपलब्ध कराई जाएगी जिनके भवनों के नक्शे 31 दिसम्बर, 1988 से पूर्व मंजूर कर दिये गये थे लेकिन जिन का निर्माण अभी पूरा नहीं हुआ है; यदि नहीं; तो इसके क्या कारण हैं?

**शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह)** : (क) 500 वर्गमीटर माप तक के रिहायशी प्लाटों के लिए सेवाओं की जांच से सम्बन्धित फार्म सी० एवं डी० को जारी करने की प्रक्रिया को सरल बना दिया गया है। जांच/प्रमाणीकरण की सरल प्रक्रिया के अन्तर्गत लाइसेंसशुदा वास्तुकों द्वारा उपलब्ध कराई गई सेवाओं को सी० एवं डी० फार्म प्रदान करने के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा स्वीकार किया जायेगा।

(ख) जी, हां ।

## अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, और पी०जी०आई०एम०ई०आर० चण्डीगढ़, के संकायों के लिये संशोधित वेतनमान लागू करना

1867. **श्री महेन्द्र सिंह:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयुर्विज्ञान संस्थानों और पी०जी०आई०एम०ई०आर०, चण्डीगढ़ के संकायों के लिये संशोधित वेतनमानों और पदनामों को लागू कर दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे)** (क) और (ख) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली और स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, चण्डीगढ़ के संकाय पदों के वेतनमानों को 1.1.1986 से लागू करने के लिये परिशोधित किया गया है। उनके परिशोधित वेतनमानों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

| पद का नाम | प्रैक्टिसबन्दी भत्ते सहित मौजूदा वेतनमान | परिशोधित वेतनमान |
|---|---|---|
| 1. व्यवसायता | | |
| चिकित्सा | 1500-60-2040 रुपये | समाप्त |
| गैर-चिकित्सा | 900-50-1600 रुपये | समाप्त |

| पद का नाम | प्रैक्टिसबन्दी भत्ते सहित मौजूदा वेतनमान | परिशोधित वेतनमान |
|---|---|---|
| 2. सहायक प्रोफेसर | 1800-75-2100-100-2400 रुपये | 3500-125-4500 रुपये + प्रैक्टिसबंदी भत्ता |
| चिकित्सा | 1300-60-1720 रुपये | 3500-125-4500 रुपये |
| गैर-चिकित्सा | | |
| 3. एसोसिएट प्रोफेसर | 2100-75-2625 रुपये | 4100-125-4850-150-5300 रुपये + प्रैक्टिसबंदी भत्ता |
| चिकित्सा | 1600-60-2020 रुपये | 4100-125-4850 रुपये |
| गैर-चिकित्सा | | |
| 4. अपर प्रोफेसर | मौजूद नहीं है | 5900-200-7300 रुपये + प्रैक्टिसबंदी भत्ता |
| चिकित्सा | -तदैव- | 5900-200-7300 रुपये |
| गैर-चिकित्सा | | |
| 5. प्रोफेसर | 2500-100-3200 रुपये | 5100-150-6300 रुपये + प्रैक्टिसबंदी भत्ता |
| चिकित्सा | 1700-75-2525 रुपये | 5100-150-6300 रुपये |
| गैर-चिकित्सा | | |
| 6. प्रतिष्ठित प्रोफेसर | 3550/- रुपये निर्धारित | 7300-100-7600 रुपये + प्रैक्टिसबंदी भत्ता |
| चिकित्सा | | |
| गैर-चिकित्सा | 2750/- रुपये निर्धारित | 7300-100-7600 रुपये + प्रैक्टिसबंदी भत्ता |
| 7. निदेशक | 3500/- रुपये निर्धारित | 8000/- रुपये + प्रैक्टिसबंदी भत्ता |

## भारतीय खाद्य निगम द्वारा माल चढ़ाने-उतारने पर व्यय की गई धनराशि

1868. **श्री के॰पी॰ उन्नीकृष्णन :** क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय खाद्य निगम द्वारा वर्ष 1985-86, 1986-87 और 1987-88 के दौरान प्रति वर्ष कितनी मात्रा में खाद्यान्न चढ़ाया-उतारा गया और विभिन्न प्रकार के उतारे-चढ़ाये गए खाद्यान्नों का ब्यौरा क्या है;

(ख) भारतीय खाद्यनिगम द्वारा गेहूं, चावल और अन्य खाद्यान्नों, यदि कोई हो, को चढ़ाने-उतारने में प्रति टन कितनी धनराशि व्यय की गई; और

(ग) इन वर्षों के दौरान भारतीय खाद्य निगम द्वारा माल चढ़ाने-उतारने के लिए लाभ या घाटे के प्रतिशत के रूप में कितनी धनराशि व्यय की गई ?

**खाद्य ..गरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री डी॰एल॰ बैठा):** (क) भारतीय खाद्य निगम द्वारा 1985-86 से 1987-88 के दौरान हैंडल किए गए खाद्यान्नों की मात्रा नीचे दी गई है :—

(मात्रा लाख मीटरी टन में)
(खरीद + बिक्री)

| वर्ष | गेहूं | चावल (चावल के हिसाब से धान सहित) | अन्य | जोड़ |
|---|---|---|---|---|
| | मात्रा | मात्रा | मात्रा | मात्रा |
| 1985-86 | 215.79 | 150.77 | 0.87 | 367.43 |
| 1986-87 | 224.88 | 170.42 | 0.38 | 395.68 |
| 1987-88 | 241.02 | 160.98 | 0.05 | 402.05 |

(ख) भारतीय खाद्य निगम द्वारा वसूली और वितरण पर खर्च किए गए हैंडलिंग प्रभारों की स्थिति नीचे दी गई है :—

वसूली प्रभार

(दर रुपये/क्विंटल)

| | गेहूं | चावल | धान |
|---|---|---|---|
| 1985-86 | 31.61 | 15.18 | 32.40 |
| 1986-87 | 34.81 | 12.98 | 34.19 |
| 1987-88 | 34.13 | 13.16 | 31.50 |

वितरण लागत

गेहूं, चावल और अन्य के लिए एकीकृत

| | | दर/रुपये/क्विंटल |
|---|---|---|
| 1985-86 | — | 53.19 |
| 1986.87 | — | 61.23 |
| 1987-88 | — | 62.05 |

(ग) निगम केन्द्रीय पूल के लिए खाद्यान्नों की वसूली करता है और उन्हें केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित किए गए मूल्यों पर जारी करता है । चूंकि सरकार द्वारा निर्धारित किए गए निर्गम मूल्य खाद्यान्नों को हैंडल करने की पूरी लागत को कवर नहीं करते हैं इसलिए सरकार द्वारा भारतीय खाद्य निगम को सोची-समझी कल्याण नीति के रूप में आर्थिक लागत और निर्गम मूल्यों के बीच के अन्तर की राजसहायता के रूप में प्रतिपूर्ति की जाती है।

## मैरिडियन होटल और भारत होटल पर लाइसेंस फीस और ब्याज की बकाया राशि

1869. **श्री सी० जंगा रेड्डी:** क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मैरिडियन होटल और भारत होटल के लिए लाइसेंस फीस और ब्याज की अदायगी हेतु मंजूर की गई स्थगन अवधि क्रमशः सितम्बर और नवम्बर, 1988 में समाप्त हो गई है;

(ख) प्रत्येक द्वारा लाइसेंस फीस और ब्याज की कितनी राशि की अदायगी की जानी शेष है; और

(ग) बकाया राशि की वसूली के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए हैं और उनके क्या परिणाम निकले हैं?

**शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) :** (क) बताया जाता है कि नई दिल्ली नगर पालिका द्वारा मैरिडियन होटल और भारत होटल की स्वीकृत स्थगन अवधि सितम्बर और नवम्बर, 1983 में समाप्त हो गई है।

(ख) नई दिल्ली नगरपालिका ने सूचित किया है कि मैसर्ज पी०जे० इन्टरनेशनल (मैरिडियन होटल) से चालू वर्ष के लिए अग्रिम लाइसेंस फीस सहित लाइसेंस फीस के बकाये की 18.76 करोड़ रूपये की राशि देय है तथा सितम्बर, 1988 तक उनसे 7.79 करोड़ रूपये की राशि ब्याज के रूप में देय है। मैसर्ज भारत होटल लिमिटेड के मामले में लाइसेंस फीस के बकाया और चालू वर्ष की अग्रिम लाइसेंस फीस का 8.70 करोड़ रूपये की राशि देय है तथा नवम्बर, 1988 तक 3.01 करोड़ रूपये की राशि ब्याज के रूप में देय है।

(ग) नई दिल्ली नगर पालिका ने सूचित किया है कि उन्होंने मैसर्ज सी०जे० इन्टरनेशनल होटल लि० को देय राशि का भुगतान करने के लिए नोटिस जारी किया गया है और उनसे पत्र-व्यवहार चल रहा है। उन्होंने सूचित किया है कि भारत होटल ने एक और वर्ष के लिए स्थगन अवधि की अनुमति के लिए अनुरोध किया है क्योंकि अभी भी यह होटल पूर्ण नहीं हुआ है और न ही पूर्ण रूप से चालू हुआ है तथा यह अनुरोध नई दिल्ली नगरपालिका के विचाराधीन है।

## राष्ट्रीय उद्यान

1870. **श्रीमति एन.पी.झांसी लक्ष्मी:** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य-वार कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं।

(ख) क्या कुछ और अधिक राष्ट्रीय उद्यान स्थापित करने का कोई प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन है; और

(ग) यदि हां, जो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रयोजन के लिए कितनी धनराशि नियत की गई है?

**वस्त्र मंत्री तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा)** (क). देश में राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश-वार राष्ट्रीय उद्यानों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग). राष्ट्रीय उद्यान, संबंधित राज्य सरकारों द्वारा स्थापित किये जाते हैं। एक उद्यान के स्थापित होने के पश्चात् केन्द्रीय सरकार द्वारा उसके विकास के लिए दी जाने वाली वित्तीय सहायता प्रत्येक मामले की खूबी पर निर्भर करती है।

## विवरण

### भारत में राष्ट्रीय उद्यान

| क्रम संख्या | उद्यान का नाम | राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश | जिले (में) | क्षेत्र वर्ग किलोमीटर में उद्यान | राज्य के लिए कुल |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | मेरिन | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | अण्डमान | 281.50 | |
| 2. | मिडिल बटन | | ,, | .44 | |
| 3. | माउण्ट हैरित | ,, | ,, | 46.62 | |
| 4. | नार्थ बटन | ,, | ,, | .44 | |
| 5. | सेडल पीक | ,, | ,, | 32.54 | |
| 6. | साउथ बटन | ,, | ,, | .03 | 361.57 |
| 7. | मौलिंग | अरुणाचल प्रदेश | सियांग | 500.00 | |
| 8. | नामदफा (बाघ रिजर्व) | ,, | तिराप | 1807.82 | 2307.82 |
| 9. | काजीरंगा | असम | जोरहाट | 430.00 | |
| 10. | मानस (बाघ रिजर्व) | ,, | कामरूप गोलपाड़ा | 390.00 | 820.00 |
| 11. | बेटला (बाघ रिजर्व) | बिहार | पलामू | 213.00 | 213.00 |
| 12. | भगवान महावीर | गोवा | गोवा | 107.00 | 107.00 |
| 13. | गिर | गुजरात | जूनागढ़ | 258.71 | |
| 14. | मेरिन | गुजरात | जामनगर | 162.89 | |
| 15 | वांसदा | ,, | बलसाड़ | 24.00 | |
| 16. | वेलावदार | ,, | भावनगर | 34.08 | 479.68 |
| 17. | ग्रेट हिमालयन | हिमाचल प्रदेश | कुल्लू | 1736.00 | |
| 18. | पिन घाटी | ,, | लाहोल स्पीति | 675.00 | 2411.00 |
| 19. | सिटी फारेस्ट | जम्मू और काश्मीर | श्रीनगर | 9.07 | |
| 20. | दाचीगम | ,, | ,, | 141.00 | |
| 21. | हेमिस-हाई अल्टीच्यूट | ,, | लेह | 3350.00 | |
| 22. | किश्तवार | ,, | किश्तवार | 310.00 | 3810.07 |
| 23. | अनसी | कर्नाटक | उत्तर कन्नड़ | 250.00 | |
| 24. | बांदीपुर (बाघ रिजर्व) | ,, | मैसूर | 874.20 | |
| 25. | बेन्नेर घाटा | ,, | बंगलौर | 104.27 | |
| 26. | कुद्रेमुख | ,, | दक्षिण कनारा/चिकमंगलूर | 600.32 | |
| 27. | नागर होल | ,, | मैसूर/कूर्ग | 643.39 | 2472.18 |
| 28. | इरावीकुलम | केरल | इदुक्की | 97.00 | |
| 29. | पेरियार (बाघ रिजर्व) | ,, | ,, | 350.00 | |
| 30. | शांत घाटी | ,, | पालघाट | 89.51 | 536.51 |
| 31. | बांधवगढ़ | मध्य प्रदेश | शहडोल | 448.84 | |
| 32. | फॉसिल | | मांडला | 0.27 | |
| 33. | इन्द्रावती (बाघ रिजर्व) | | बस्तर | 1258.00 | |
| 34. | कांगर | | बस्तर | 200.00 | |

| क्रम संख्या | उद्यान का नाम | राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश | जिले (में) | क्षेत्र वर्ग कि० मी० में उद्यान | राज्य के लिए कुल |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 35. | कान्हा (बाघ रिजर्व) | " | बालाघाट | 940.00 | |
| 36. | माधव | मध्य प्रदेश | शिवपुरी | 156.15 | |
| 37. | पन्ना | " | पन्ना/छतरपुर | 543.00 | |
| 38. | पेंच | " | शिवनी | 292.85 | |
| 39. | संजय | " | सिधी/सरगुजा | 1938.00 | |
| 40. | सतपुड़ा | " | होशंगाबाद | 524.37 | |
| 41. | वन विहार | " | भोपाल | 4.45 | 6305.93 |
| 42. | गुगामल (बाघ रिजर्व) | महाराष्ट्र | अमरावती | 27.07 | |
| 43. | नवगांव | " | भंडारा | 133.88 | |
| 44. | पेंच | " | नागपुर | 257.26 | |
| 45. | संजय गांधी | " | बम्बई/थाणे | 86.96 | |
| 46. | तडोबा | " | चन्द्रपुर | 116.55 | 621.72 |
| 47. | केबूल लामजाओ | मणिपुर | इम्फाल/ विष्णुपुर | 40.00 | |
| 48. | सिरोही | " | पूर्व जिला | 41.30 | 81.30 |
| 49. | बालफकरम | मेघालय | पश्चिम गारो पहाड़ियां | 220.00 | |
| 50. | नोरकेक | " | पश्चिम गारो पहाड़ियां | 68.01 | 288.01 |
| 51. | उत्तर सिमलीपाल (बाघ रिजर्व) | उड़ीसा | मयूरभंज | 845.70 | |
| 52. | भितर कनिका | " | कटक | 367.00 | 1212.70 |
| 53. | केवलादेव घाना | राजस्थान | भरतपुर | 25.73 | |
| 54. | रणथम्भौर (बाघ रिजर्व) | " | सवाईमाधोपुर | 392.00 | |
| 55. | सरिस्का (बाघ रिजर्व) | राजस्थान | अलवर | 273.80 | 691.53 |
| 56. | कंचनजंघा | सिक्किम | उत्तर सिक्किम | 850.00 | 850.00 |
| 57. | गुइण्डी | तमिलनाडु | मद्रास | 2.76 | |
| 58. | इन्दिरा गांधी | " | कोयम्बटूर/ अन्ना | 118.08 | |
| 59. | मेरिन | " | तिरूनावेली/ रामनाथपुरम (मन्नार की खाड़ी) | | 120.84 |
| 60. | कर्बेट (बाघ रिजर्व) | उत्तर प्रदेश | गढ़वाल/नैनीताल | 520.82 | |
| 61. | दुधवा (बाघ रिजर्व) | " | लखीमपुर | 498.29 | |
| 62. | नन्दा देवी | " | चमोली | 630.33 | |
| 63. | फूलों की घाटी | " | देहरादून/ सहारनपुर | 87.50 | |
| 64. | राजाजी | " | पौड़ी गढ़वाल | 831.53 | 2568.53 |
| 65. | नेओरा घाटी | पश्चिम बंगाल | दार्जिलिंग | 86.89 | |

| क्रम संख्या | उद्यान का नाम | राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश | जिले (में) | क्षेत्र वर्ग किमी॰ में उद्यान | राज्य के लिए कुल |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 66. | सिंगालिला | " | दार्जिलिंग | 78.60 | |
| 67. | सुन्दरवन (बाघ रिजर्व) | " | 24-परगना | 1330.10 | 1495.59 |
| | कुलः | | | 27754.92 . | 27754.92 |

## सरकारी प्रिंटिंग प्रेसों तथा स्टेशनरी डिपुओं का बंद होना

**1871. श्री हन्नान मोल्लाह :** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्तमान प्रिंटिंग प्रेस तथा स्टेशनरी डिपुओं में से कुछ को बन्द करने के अपने पूर्व निर्णय की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इस बारे में अन्तिम निर्णय कब तक लिया जायेगा;

**शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह)** : (क) से (ग): भारत सरकार मुद्रणालयों को बन्द करने के बारे में इस प्रस्ताव की समीक्षा की जा रही है। भारत सरकार लेखन-सामग्री कार्यालय संबंधी मामला न्यायाधीन है। इसलिए इस अवस्था पर समय-सीमा इंगित करना संभव नहीं है।

## ओवरसीज डेवेलपमेंट अथॉरिटी द्वारा गन्दी बस्तियां हटाने के लिए अनुदान

**1872. श्री भद्रेश्वर तांती:** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ओवरसीज डेवलपमेंट अथॉरिटी ने विभिन्न राज्यों में गन्दी बस्तियां हटाने के लिए कोई अनुदान दिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

**शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह)**: (क) और (ख) : ब्रिटेन स्थित औवरसीज डेवेलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन (ओ॰डी॰ए॰) विभिन्न आवास (हेबीटाट) सुधार परियोजनाओं की वित्त व्यवस्था करता रहा है जिनमें मूलभूत सुविधाओं का प्रावधान करके शहरी मलिनबस्तियों के पर्यावरणीय सुधार पर विचार किया गया है इसके ब्यौरे इस प्रकार हैः-

**(1) हैदराबाद हैबीटाट परियोजना**

चरण-ii-जिसमें 15.57 करोड़ रुपये की संशोधित लागत से 207 मलिनबस्तियों के लाभान्वयन पर विचार किया गया है. पूर्ण हो गई है।

चरण-iii-62.34 करोड़ रुपये की कुल अनुमानित लागत से पता लगायी गयी 330 मलिनबस्तियों के 8 लाख परिवारों को लाभान्वित किया गया है। इस परियोजना की वित्त व्यवस्था के लिए ओ॰ डी॰ ए॰ ने 150 लाख पौंड की नियतन किया है।

**(2) विशाखापट्टनम हैबीटाट परियोजना**

19.00 करोड़ रुपये की लागत से विशाखापट्टनम में 170 मलिनबस्तियों का उन्नयन इस परियोजना के लिए ओ.डी.ए. ने 97 लाख पौंड के नियतन का अनुमोदन किया है।

**(3) इन्दौर हैबीटाट परियोजना**

37.92 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से 183 मलिनबस्तियों का उन्नयन इस परियोजना के लिए ओ.डी.ए. ने 144 लाख पौंड की सहायता की नियतन करने की मंजूरी दी है।

## कर्मचारी राज्य बीमा निगम को धनराशि का आवंटन

**1873. श्री हरिहर सोरन:** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान कर्मचारी राज्य बीमा निगम को प्रत्येक वर्ष कितनी धनराशि आवंटित की गई;

(ख) क्या कर्मचारी राज्य बीमा निगम के कर्मचारियों पर बढ़ते व्यय को ध्यान में रखते हुए इस निगम को अधिक धनराशि आवंटित करने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री राधाकिशन मालवीय)** (क): कर्मचारी राजय बीमा निगम की आय मुख्यतः नियोक्ताओं तथा कर्मचारियों से प्राप्त अंशदान से होती है। पिछले तीन वर्षों के दौरान उनकी अंशदान आय निम्नानुसार थी:—

| वर्ष | रुपये करोड़ों में |
|---|---|
| 1985-86 | 311.60 |
| 1986-87 | 323.40 |
| 1987-88 | 324.12 |

(ख) निगम की मौजूदा आय उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बिल्कुल पर्याप्त है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

## हिन्दुस्तान प्री फेब लिमिटेड में अनियमिततायें

**1874. प्रो० मधु दंडवते:** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उनके मंत्रालय के नियंत्रणाधीन सरकारी क्षेत्र के एक उद्यम "हिन्दुस्तान प्री फेब लिमिटेड का कर्मचारी एसोसिएशन उसमें व्याप्त अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के बारे में बार-बार शिकायत करता हा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस एसोसिएशन ने अपने आरोपों को सिद्ध करने के लिए अपेक्षित सामग्री प्रस्तुत करने की पेशकश की है; और

(ग) यदि हां, तो इन आरोपों के बारे में जांच करने के लिए क्या कदम उठाये गये;

**शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह):** (क) और (ख): हिन्दुस्तान प्री फेब लि० की स्टाफ एसोसिएशन, जो मान्यता प्राप्त नहीं है, अनियमितताओं तथा भ्रष्टाचार के बारे में बारम्बार शिकायतें लिखती रही है। कुछ पत्रों में एसोसिएशन ने लिखा था कि यदि आवश्यक हो, तो वह अपने आरोपों को सिद्ध करने के लिए सबूत उपलब्ध करा सकती है।

(ग) निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार शिकायतें निपटाई गई थीं तथा सत्यापन योग्य आरोपों पर विभागीय तथा केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा तहकीकात की गई थी।

**श्रम कल्याण गतिविधियां बढ़ाना**

1875. **श्री लक्ष्मण मलिक:** क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या श्रम कल्याण गतिविधियां और सामाजिक सुरक्षा बढ़ाने तथा कार्य दशा सुधारने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में यदि कोई अध्ययन किया गया है जो उसका ब्यौरा क्या है; तथा उसमें क्या सुझाव दिए गए हैं और

(ग) इस संबंध में सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है?

**श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री राधाकिशन मालवीय):** (क) से (ग): श्रमिकों के कल्याण, उनकी सामाजिक सुरक्षा तथा कामकाज की दशाओं के बारे में विभिन्न श्रम कानूनों और योजनाओं की समय समय पर पुनरीक्षा की जाती है। फलस्वरूप, जब कभी आवश्यक समझा जाता है, आवश्यक परिवर्तन किए जाते हैं।

**"सिटी पार्क्स-ए पिक्चर ऑफ निग्लेक्ट" शीर्षक से समाचार**

1876. **श्री प्रकाश चन्द्र :**
**श्री हाफिज मोहम्मद सिद्दीक:**

क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या उनका ध्यान 4 फरवरी, 1989 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में "सिटी पार्क्स-ए पिक्चर ऑफ निग्लेक्ट" शीर्शक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई अथवा किये जाने का विचार है;

**शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह):** (क) से (ग). पार्कों की अनदेखी के समाचार के बारे में सरकार का ध्यानाकर्षित किया गया है। पार्कों के अनुरक्षण से जुड़े विभिन्न संगठनों को पार्कों के अनुरक्षण के लिए लगाये गए कर्मचारियों के बेहतर परवेक्षण और पार्कों का असन्तोषजनक अनुरक्षण सुनिश्चत करने की सलाह दी गई है।

**दिल्ली के लिए "मास रेपिड ट्रांजिट सिस्टम"**

1877. **श्री एच॰एन॰ नन्जे गौड़ा :**
**प्रो॰ राम कृष्ण मोरे:**

क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान ने दिल्ली के लिए "मास रेपिड ट्रांजिट सिस्टम" के लिए कोई योजनाएं प्रस्तुत की है; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का इन योजनाओं को स्वीकार करने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाने का विचार है; और

(घ) दिल्ली में परिवहन प्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है;

**शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह):** (क) और (ख). केन्द्रीय सड़क

अनुसंधान संस्थान ने इस समस्या का 1971 में अध्ययन किया था। इसके बाद अनुवर्ती वर्षों में विभिन्न अभिकरणों द्वारा इसी प्रकार के अध्ययन किये गये थे। इस प्रकार के सभी अध्ययनों में विनिर्दिष्ट सिफारिशों का अद्यतन बनाने की आवश्यकता है। दिल्ली में पूर्व-पश्चिम में कारिडोर, जिसकी प्रारम्भिक सी धाई पूर्व में विवेक विहार से पश्चिम में विकास पूरी तक लगभग 36 किलोमीटर की दूरी है, के विशेष संदर्भ में तीव्र जन परिवहन प्रणाली का विस्तृत व्यवहारिक अध्ययन करने की निर्णय लिया गया है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(घ) दिल्ली की भावी वृहत योजना 2001 के प्रारूप में दिल्ली में बहुरूपात्मक जन परिवहन प्रणाली को लागू करने की सिफारिश की गई है। दिल्ली में दिल्ली परिवहन की बसों की संख्या में 1978-79 में 2283 से बढ़ कर दिसम्बर, 1988 के अन्त तक 4247 तक वृद्धि हुई है। दिल्ली नगर निगम पुरानी दिल्ली के भीड़-भाड़ वाले क्षत्रों के लिये भू-गत कार पार्किंग परियोजना आरम्भ कर रहा है। इस प्रकार परिवहन प्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाने के प्रश्न पर निरन्तर समीक्षा की जा रही है और समय-समय पर उचित उपाय किये जाते हैं।

## शहरी परिवहन के लिए भारत-फ्रांस समझौता

**1878. श्री पी॰एम॰ सईद:**
**श्री बालासाहिब विखे पाटिल :**
**श्री वी॰ तुलसीराम :**

क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत में शहरी परिवहन में नवीनतम प्रौद्योगिकी लाने के लिए एक संगठन की स्थापना हेतु भारत और फ्रांस की कुछ परिवहन फर्मों के बीच समझौता हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मख्य ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उन शहरों के नाम क्या हैं जिनमें ऐसी परिवहन व्यवस्था शुरू किए जाने की संभावना है;

**शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह)**: (क) और (ख). रेल इंडिया टेक्नीकल एंड इकानमिक सर्विसेज लिमिटेड (राइट्स) नई दिल्ली ने भारत में और विदेशों में शहरी परिवहन प्रणालियों के विकास के बारे में परामर्शी कार्यों को करने के लिए संयुक्त उद्यम स्थापित करने के लिए फ्रांस के मैसर्ज सोफरेट के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसे अभी पंजीकृत किया जाना है।

(ग) हमारे महानगरीय शहरों में द्रुतगामी जन परिवहन प्रणाली को आरम्भ करने की आवश्यकता निरंतर महसूस की जा रही है। कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में मैट्रो रेल प्रणालियों के निर्माण का कार्य पहले ही प्रगति पर है । कलकत्ता में इस प्रणाली का एक भाग पहले ही चालू हो गया है। जहां तक दिल्ली का संबंध है, एक चुनींदा कॉरीडोर के बारे में एक विस्तृत व्यवहार्यता अध्ययन करने का प्रस्ताव है। कुछ अन्य महानगरीय शहरों के संबंध में व्यवहार्यता अध्ययन विभिन्न सोपानों में हैं। इन योजनाओं का कार्यान्वयन और प्रगति आगामी वर्षों में संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर होगा ।

## दिल्ली में पानी का कनेक्शन लेने की प्रक्रिया में परिवर्तन

1879. **श्री पी.एम. सईद:** क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली जल प्रदाय तथा मल व्ययन संस्थान ने राजधानी में पानी के कनेक्शन स्वीकृत करने के बारे में कुछ **प्रक्रियात्मक** परिवर्तन किये हैं ;

(ख) यदि हां, तो वर्तमान प्रक्रिया के मुकाबले में परिवर्तित प्रक्रिया का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या जल प्रदाय, जल व्ययन और तत्संबंधी अन्य मामलों के बारे में शिकायतें दर्ज करने तथा उन्हें दूर करने के लिये कोई पृथक कार्यलय स्थापित करने का विचार है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह):** (क) और (ख)  पुरानी पद्धति में, आवेदक को स्वीकृत भवन नक्शा, सी एण्ड डी फार्म, स्वामित्व/किरायेदारी, कब्जा प्रमाण पत्र, सीवर कनैक्शन अनुमति आदि प्रस्तुत करनी पड़ती थी और सरलीकृत संशोधित पद्धति के अन्तर्गत पानी के कनैक्शन के लिये आवेवक को आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेज जमा कराने पड़ते हैं :-

(क) राशन कार्ड की सत्यापित फोटो प्रतिलिपि।

(ख) निर्धारित फार्म में शपथ पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि।

(ग) स्वीकृत नक्शे की सत्यापित प्रतिलिपि (ग्रामीण क्षेत्रों, पुनर्वास कालोनियों और नियमित की गई अनधिकृत कालोनियों और पुरानी संरचनाओं में लागू नहीं।

(घ) विक्रिय विलेख /पट्टा विलेख/आवंटन पत्र/ मुख्तारनामा की सत्यापित प्रतिलिपि।

(ङ) ट्रेड लाइसेंस अथवा इसके लिए अवेदन की जाने वाली सत्यापित प्रतिलिपि (केवल गैर-घरेलू कनैक्शनों क सम्बन्ध में लागू) सरलीकृत पद्धति के अन्तर्गत सड़क को ठीक करने के प्रभार पानी के कनैक्शन प्रभारों के साथ ही "सिंगल विण्डों स्कीम" के अन्तर्गत एक समान दर पर एकत्र किये जायेंगे।

(ग) और (घ) : जोनल कार्यालयों में जल आपूर्ति, बिल आदि से सम्बन्धित कठिनाईयों/शिकायतों की सुनवाई सम्बन्धित जोनल इंजीनियरों/सहायक राजस्व अधिकारी दवारा ही की जाती रहेगी इसके अतिरिक्त, जल आपूर्ति के बारे में सभी जल शोधन संयंत्रों/बड़े पम्पिंग स्टेशनों पर स्थित पूछताछ कार्यलयों पर भी शिकायतें प्राप्त की जायेंगी।

## एड्स के रोगियों को हृदय रोग

1880. **श्री पी॰ आर॰ कुमारमंगलम :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एड्स के रोगियों को समान आयु समूह के अन्य लोगों की तुलना में हृदय रोग होने की तीस गुना अधिक सम्भावना बनी रहती है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या भारत में ऐसे ही परिणामों का पता लगा है ?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे):** (क) एड्स के रोगी सामान्यतया अत्यधिक समनुवर्ती संक्रमण या प्रतिरक्षण की कमी के कारण हुई दुर्दमताओं से ग्र

जाते हैं। हृदयगति का रुक जाना एड्स के रोगियों की मौत का आम कारण नहीं है। किन्तु, एड्स के रोगियों को तंत्रिका-विज्ञान-संबंधी बीमारियां हो सकती हैं।

(ख) भारत में अब तक एड्स के 29 रोगियों का पता लगा है। इनमें से 11 विदेशी और 18 भारतीय थे। 7 रोगियों को तांत्रिका संबंधी रोग हुए थे। हालांकि एड्स से पीड़ित किसी भी भारतीय रोगी की हृदय रोग होने अथवा उसकी हृदय गति रुकने के कारण मृत्यु नहीं हुई।

## गैर-सरकारी भवन निर्माताओं द्वारा स्वयं वित्त योजना के अन्तर्गत दिल्ली विकास प्राधिकरण के फलैटों का निर्माण

1881. **श्रीमती जयन्ती पटनायक :** क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने स्वय वित्त योजना के अन्तर्गत फलैटों का निर्माण हेतु गैर-सरकारी भवन-निर्माताओं तथा इस्टेट प्रोमोटरों से पेशकश की थी ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्यां कारण है ; और

(ग) गैर-सरकारी भवन निर्माताओं तथा इस्टेट प्रोमोटरों के लिए दिल्ली विकास प्राधिकारण द्वारा निर्धारित किये गये मार्गनिर्देशों का ब्यौरा क्या है ;

**शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) :** (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

## अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान तथा पी० जी० आई० एम० ई० आर० चण्डीगढ़, में चौथे वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करना

**1882. श्री महेन्द्र सिंह:** क्या **स्वास्थय और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा स्वीकृत चौथे वेतन आयोग की सिफारिशों, को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली तथा पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल हण्ड रिसर्च, चण्डीगढ़ में विभिन्न श्रेणियों के गैर-संकल्प पदों के संबंध में लागू किया गया है;

(ख) किन-किन पदों के संबंध में इन सिफारिशों को पूरी तरह लागू नहीं किया गया है;

(ग) क्या चौथे वेतन आयोग की सिफारिश के अनुसार केन्द्रीय सरकार के सचिवों अथवा समान अधिकारियों के निजी सचिवों को बढ़े हुए ग्रेड का वेतनमान दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो क्या यही वेतनमान अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली तथा पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजूकेशन एण्ड रिसर्च, चण्डीगढ़ में समान समझे जाने वाले पदों के लिए भी दिया गया है; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं तो उक्त संस्था में बढ़े हुए ग्रेड का वेतनमान लागू करने में विलम्ब के क्या कारण हैं?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे):** (क) और (ख): जी हां, भारत सरकार द्वारा स्वीकृत चौथे वेतन आयोग की सिफारिशें अखिल भारतीय आयुविज्ञान संस्थान और स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, चण्डीगढ़ में विभिन्न श्रेणियों के गैर-संकाय पदों के लिए लागू कर दी गई है

(ग) से (ङ): केन्द्र सरकार के सचिवों के निजी सचिव के पद अथवा केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा में इसके समतुल्य पदों के वेतनमान में संशोधन कर लिया गया है। तथापि,

यह वेतनमान केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के बाहर के पदों के लिए लागू नहीं है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली और स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, चण्डीगढ़ में कार्य कर रहें निजी सचिवों के पदों के लिए उपयुक्त एवजी वेतनमान दिए गए हैं।

## मयूर विहार विस्तार क्षेत्र में बाह्य सुविधाएं

1833. **प्रो॰ रामकृष्ण मोरे:** क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने मयूर विहार **एक्सटेंशन** क्षेत्र में स्थित सहकारी ग्रुप आवास समितियों को आवंटित भूमि में बाह्य सेवाएं प्रदान करने की गति तेज कर दी है; और

(ख) यदि हां, तो यह कार्य कब तक पूरा हो जायेगा?

**शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह):** (क) जी, हां।

(ख) जल पूर्ति तथा मल निर्यास योजनायें प्रगति पर हैं और 31-3-89 तक इनके पूर्ण होने की आशा है, सिवाय उस क्षेत्र के जो अतिक्रमणाधीन है, जिसके सम्बन्ध में न्यायालय ने रोकादेश जारी किये हैं। अतिक्रमणों को हटाने और अतिक्रमणाधीन क्षेत्र के लिये कार्य पूर्ण करने के प्रयास किये जा रहे हैं। सड़कों तथा नालियों से सम्बन्धित कार्य के जून, 89 तक पूर्ण हो जाने की आशा है। जहां तक बिजली का सम्बन्ध है, दिल्ली विकास प्राधिकरण ने दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान को भुगतान कर दिया है। दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान ने सूचित किया है कि वे मकानों की निर्माण तथा अन्य सुविधाओं को प्रगति के साथ-साथ कार्य करने में समर्थ होंगे यद्यपि ये अधिकतर गति पर निर्भर करेगा जिसके प्रति समितियां अनुमानित लागत में अपने अंश का भुगतान कर सकेंगे और अन्य औपचारिकतायें पूर्ण कर सकेंगे।

## शिंधोवानी झील, महाराष्ट्र में काले सारसों का पाया जाना

1884. **श्री प्रतापराव बी॰ भोंसले:** क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बतोन की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र स्थित सिन्धोवानी झील में कुछ काले सारस पाए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इनके स्वभाव का अध्ययन करने के लिए इस दुर्लभ जाति के कुछ सारसों को पकड़ा गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार का इस दुर्लभ जाति को लुप्त होने से बचाने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है?

**वस्त्र मंत्री तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा)** (क) से (ङ) महाराष्ट्र सरकार से सूचना प्राप्त की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

## आवंटितियों को रोहिणी में विकल्प के रूप में भूखंड प्रदान करना

**[हिन्दी]**

1885. **श्री शांति धारीवाल** : क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली नगर निगम के जल और विद्युत के संबंधित विभागों ने दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा आवंटित रोहिणी के भूखण्ड के लिए लाइनें बिछा दी हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार की नीति है कि आवंटित भूखंडों में इन लाइनों को बिछाने के बाद इन्हें हटाया नहीं जाता है ;

(ग) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने रोहिणी आवास योजना में निम्न आय वर्ग के कई भूखंडों के आवंटन रद्द कर दिये हैं और आवंटितियों को अन्य भूखंड आवंटित किये हैं ; यदि हां, तो इस का क्या कारण है ; और

(घ) इस संबंध में अपनाये गये मानदंडों की सामान्य बातें क्या हैं ;

**शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह )**: (क) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी।

(ख) एक बार बिछाई गई बिजली की लाइनों को आमतौर पर तब तक नहीं हटाया जाता है जब तक उनको हटाने या दूसरे स्थान पर लगाने के लिये इच्छुक पार्टी दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान को औपचारिक अनुरोध नहीं करती है और इस पर होने वाले व्यय का भुगतान नहीं करती है।

(ग) और (घ) निम्न आर्य वर्ग के किसी प्लाट के किसी आवंटन को निरस्त नहीं किया गया है। तथापि, मध्यम आय वर्ग के अंर्तगत चार प्लाटों के संबंध में पाकेट-1, ब्लाक ए" सेक्टर-15 में उच्च वोल्टता लाइन के विन्यास नक्शे में संशोधन के कारण स्थान में परिर्वतन किया गया था।

## दिल्ली में स्लम क्षेत्रों के निवासियों को फ्लैटों का आवंटन

**[अनुवाद]**

1886. **श्रीमती डी॰के॰ भंडारी**: क्या **शहरी विकास** मंत्री दिल्ली में स्लम क्षेत्र के निवासियों के फ्लैट का आवंटन के बारे में 16 नवम्बर, 1988 के अतारांकित प्रश्न संख्या 824 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या फरवरी, 1989 के अन्त तक कुछ बने हुए फ्लैट सामान्य श्रेणी के पंजीकृत व्यक्तियों को आवंटित किये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है ; और

(ग) सभी पंजीकृत व्यक्तियों को कब तक फ्लैट आवंटित किये जाने की संभावना है ?

**शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह)**: (क) जी, हां।

(ख)

| | | |
|---|---|---|
| 1. | विवेकानन्द पुरी | 76 |
| 2. | जहागीर पुरा | 103 |
| 3. | रघुवीर नगर | 97 |
| 4. | मादीपुर | 614 |
| | | 890 |

(ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण को शेष पंजीकृत व्यक्तियों को 1995 तक फ्लैट आवंटित कर दिए जाने की आशा है।

## रोहिणी आवास योजना के अन्तर्गत प्लाटों का आवंटन

1887. **श्रीमती डी॰ के॰ भंडारी:** क्या **शहरी विकास** मंत्री रोहिणी आवास योजना के अन्तर्गत प्लाटों के आवंटन के बारे में 16 नवम्बर, 1988 के अतारांकित प्रश्न संख्या 825 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या फरवरी, 1989 के अन्त में कुछ और प्लाट पंजीकृत व्यक्तियों को आवंटित किये गये है;

(ख) यदि हां, तो अब तक आवंटित किये गये प्लाटों का श्रेणी-वार, ब्यौरा क्या है ;

(ग) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा सामान्य श्रेणी के पंजीकृत व्यक्तियों को अब तक कुल कितने प्लाट आवंटित किये गये हैं ;

(घ) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने प्रतीक्षा सूची के व्यक्तियों को प्लाट देने के लिए कोई और कार्यक्रम तैयार किया है ; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह):** (क) जी, हां ।

(ख) नीचे दिये गये ब्यौरों के अनुसार :-

| | | |
|---|---|---|
| आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग/जनता | — | 900 |
| निम्न आय वर्ग | — | 1740 |
| मध्य आय वर्ग | — | 2064 |
| | योग | 4704 |

(ग) रोहिणी रिहायशी योजना 1981 के अन्तर्गत दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा आवंटित 35436 प्लाटों में से, 4991 प्लाट अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणी को तथा 30445 प्लाट आम श्रेणी को आवंटित किये गये है।

(घ) और (ङ). चालू वर्ष के दौरान दिल्ली विकास प्राधिकरण की 10,000 प्लाट आवंटित करने की योजना है जिसमें से उपयुक्त भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित 4704 प्लाट पहले की जनवरी, 89 में आवंटित कर दिये गये है । भूमि की उपलब्धता पर निर्भर करते हुये शेष पंजीकृत व्यक्तियों को चरणों में 5 वर्ष की अवधि के भीतर भूमि /प्लाट उपलब्ध करा दिये जाने की दिल्ली विकास प्राधिकरण को आशा है।

## केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना को अनिवार्य सुविधायें

1888. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली प्रशासन और दिल्ली नगर निगम के उन कर्मचारियों पर केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना जबरदस्ती लागू की जा रही है, जिनके पति अथवा पत्नियां केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी हैं ;

(ख) दिल्ली प्रशासन और दिल्ली नगर निगम के कर्मचारियों को उनके लिए स्वीकार्य भत्ते से वंचित रखे जाने के क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या सरकार का विचार दिल्ली नगर निगम और दिल्ली प्रशासन के कर्मचारियों के लिए केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना की सुविधा कर्मचारियों को स्वेच्छा से उपलब्ध कराने का है ?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे):** (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त (क) के उत्तर को देखते हुए यह प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) अनुदेश पहले से ही विद्यमान है (प्रतिलिपि विवरण के रूप में संलग्न) ।

### विवरण

**सरकारी कर्मचारियों के लिए केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना की प्रयोजनीयता स्पष्टीकरण के बारे में**

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (आदेश और अनुदेश) के संकलन के अनुसार, कोई सरकारी कर्मचारी केंन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अलावा किसी अन्य का चयन नहीं कर सकता यदि वह इस योजना के अंतर्गत कवर होने का पात्र है। इस संकलन के नियम 4 के अंतर्गत स्पष्टीकरण (क) में यह बताया गया है कि रक्षा या रेल सेवा, राज्य सरकार या निगमों या केन्द्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा आंशिक या पूर्णतः वित्तपोषित निकायों, स्थानीय निकायों और निजी संगठनों में नियुक्त पात्र सरकारी कर्मचारी का पति या पत्नी, जो भी हो, इस योजना के अंतर्गत या अपने नियोक्ता द्वारा दी गई चिकित्सा सुविधाओं में से किसी एक सुविधा का लाभ उठा सकता है। सरकारी कर्मचारी को इस आशय की घोषणा करनी होती है। इस स्पष्टीकरण से पात्र सरकारी कर्मचारी को यह छूट देने की अनुमति नहीं मिल जाती कि वह केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना की सुविधा प्राप्त न करके नियोजक द्वारा उसकी पत्नी/उसके पति को प्रदान की गई चिकित्सा सुविधाओं का लाभ उठाए। स्पष्टीकरण के प्राप्त होने के कारण या अन्य कारण से इस बारे में दी गई किसी भी छूट को शीघ्र वापस लिया जाए ।

**पानी में प्रदूषण**

1889. **श्री पी.आर.एस. वैंकटेशन:** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कारखानों और खेतों से नदी जल में कीटनाशक दवाओं से होने वाले प्रदूषण की निरंतर जांच की जाती है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है ?

**वस्त्र मंत्री तथा स्वास्थ्य और कल्याण मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा):** (क) और (ख) जी, हां। उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल में 27 अलग अलग स्थानों से गंगा नदी और इसकी कतिपय सहायक नदियों से जल के नमूने एकत्र करके नवम्बर, 1986 से मासिक आधार पर 7 कीटनाशी दवाओं की नियमित रूप से निगरानी की जा रही है। केन्द्रीय और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भी दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलाडु और पश्चिम बंगाल में कीटनाशी दवाओं के बहिस्रावों की निगरानी कर रहे हैं। देश की तटीय रेखा के साथ 173 केन्द्रों के तलछटों में आमतौर पर उपयोग में लाए जाने वाली तीन कीटनाशी दवाओं के अवशेषों का भी प्रबोधन किया जाता है।

**दिल्ली में यमुना के विकास की योजना**

1890. **श्री धर्मपाल सिंह मलिक:**
**श्री एम.रघुमा रेड्डी:**

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने मनोरंजक कार्य-कलापों की दृष्टि से दिल्ली में यमुना नदी के विकास की एक महत्वकांक्षी योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्रीय सरकार ने इस प्रयोजन के लिए कितनी धनराशि आवंटित की है?

**शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह):** (क) से (ग) लगभग 50 लाख रुपये की अनुमानित लागत से नदी के बहाव को चैनेलाइज करने तथा विभिन्न उपयोगों के लिए अधिकतम भूमि के परिमाप को संरक्षित करने की सम्भाव्यता की जांच करने का अध्ययन सम्बन्धी कार्य दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा केन्द्रीय जल विद्युत अनुसंधान केन्द्र (सी.डब्ल्यू.पी.आर.एस) पूना को सौंपा गया है।

**कुष्ठ निवारण उपायों की समीक्षा**

1891. **श्री बृजमोहन महंती:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुष्ठ निवारण उपायों की कोई समीक्षा की गई है, यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले;

(ख) क्या उड़ीसा में कुष्ठ रोग से प्रभावित लोगों की संख्या का पता लगाने के लिए कोई ठोस उपाय किये गये हैं, यदि हां, तो गत तीन वर्षों में कुष्ठ रोगियों की संख्या कितनी थी;

(ग) क्या इस रोग की रोकथाम के लिए उड़ीसा में कोई विशेष रोकथाम उपाय किये जा रहे हैं, यदि हां, तो तत्सम्बनधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या उड़ीसा में, विशेष रूप से पुरी जैसे तीर्थस्थलों में कुष्ठ रोगियों के लिए पुनर्वास के उपायों की समीक्षा की गई है तथा इन्हें पर्याप्त पाया गया है; यदि नहीं, तो सरकार का इनमें सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे)** (क) से (ग) **कुष्ठरोधी** उपायों की समय-समय पर समीक्षा की जाती है राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम के अधीन निम्नलिखित **कुष्ठ-रोधी** उपाय किए गये हैं:—

(1) शीघ्र पता लगाना और नियमित उपचार।

(2) स्थानिकमारी वाले जिलों को चरणवार ढंग से बहु-औषध उपचार के अधीन लाना।

(3) स्वास्थ्य शिक्षा गतिविधियों को गहन बनाना।

(4) स्वयंसेवी संगठनों को कुष्ठ रोगियों के सर्वेक्षण, शिक्षा, उपचार और पुनर्वास के काम में सक्रिय रुप से लगाना।

(5) कुष्ठ रोगियों को औषध निशुल्क सप्लाई करना।

पिछले तीन वर्षों के दौरान उड़ीसा राज्य में कुष्ठ रोगियों का वर्षवार ब्यौरा नीचे दिया गया है:—

| **वर्ष** | **कुष्ठ रोगियों की संख्या** |
|---|---|
| 1985-86 | 31,114 |
| 1986-87 | 33,303 |
| 1987-88 | 39,955 |

उड़ीसा के पुरी, कटक, गंजम, बलसौर और संबलपुर जिलों में **बहु-औषध** उपचार शुरु किया जा चुका है।

(घ) कल्याण मंत्रालय द्वारा विकलांगों के लिए शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आर्थिक पुनर्वास की सेवाओं का विकास करने के लिए विकलांग व्यक्तियों के संगठनों को सहायता की स्कीम के अधीन सहायता प्रदान की जा रही है। लेकिन, जहां तक ठीक हो गये कुष्ठ रोगियों का संबंध है, राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम के अधीन पुनर्वासीय सेवाएं प्रदान करने के लिए कुष्ठ पुनर्वास उन्मूलन यूनिटों की स्थापना करने की एक स्कीम है। सरकार आवर्ती और अनावर्ती खर्च के लिए प्रत्येक यूनिट को 41.33 लाख रुपये की वित्तीय सहायता दे रही है। उड़ीसा में दो कुष्ठ पुनर्वास उन्मूलन यूनिटें, एक पुरी में तथा दूसरी औलतपुर में ठीक हो गये कुष्ठ रोगियों की पुनर्वासीय समस्याओं को हल करने के लिए मंजूर की जा चुकी है।

## मध्य प्रदेश में सुपर बाजारों का कार्यकरण

1892. **श्री अजय मुशरान:** क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि मध्य प्रदेश में सुपर बाजार तथा अन्य उपभोक्ता समितियां कुशलतापूर्वक कार्य नहीं कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस प्रकार की सभी परेशानियों को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है?

**खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री डी॰ एल॰ बैठा):** (क) से (ग). जी नहीं।

नागरिक पूर्ति विभाग को मध्य प्रदेश में सुपर बाजारों के कार्य के बारे में जानकारी नहीं है सहकारिता राज्य का विषय है अतः इसकी देख-रेख राज्य सरकार द्वारा की जानी अपेक्षित है।

### संयुक्त राष्ट्र संघ पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत प्राप्त धनराशि

1893. **श्री अनादि चरण दासः क्या पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का पर्यावरण प्रदूषण संबंधी कोई महत्वाकांक्षी योजना और उसकी बुनियादी ढांचे की लागत प्राप्त करने के लिए कोई योजना कार्यान्वित करने का विचार है;

(ख) संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत पिछले दो वर्षों के दौरान कितनी धनराशि प्राप्त हुई और उसका राज्यों को किए गए वितरण का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले दो वर्षों के दौरान उड़ीसा को कितनी धनराशि आवंटित की गई; और

(घ) उड़ीसा राज्य सरकार द्वारा सुझाई गई ऐसी पर्यावरण संबंधी परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जिनको चालू वर्ष के दौरान सहायता दी गई अथवा सहायता देने का विचार है?

**वस्त्र मंत्री तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा):** (क) केन्द्रीय और राज्य सरकारें बहिस्राव और उत्सर्जन मानक अधिसूचित करके इन मानकों की निगरानी और इन्हें लागू करके केन्द्रीय और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों के जरिए जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 और वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 को कार्यान्वित करती हैं। केन्द्रीय सरकार केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, राज्य पर्यावरण विभाग और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को उनके कार्यान्वयन संबंधी आधारभूत ढांचे को सहायता देने और मजबूत बनाने के लिए अनुदान देती है।

(ख) और (ग): सरकार को पर्यावरण सूचना सेवा प्रदान करने के लिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम से पिछले दो वर्षों में केवल 5000 अमेरिकी डालर की राशि प्राप्त हुई है।

(घ) उड़ीसा राज्य सरकार द्वारा कोई पर्यावरण परियोजना नहीं सुझाई गई है। तथापि, बाघ परियोजना, राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों का विकास, वन्यजीवों के चोरी-छिपे शिकार और अवैध व्यापार तथा शिक्षा की स्कीमों के तहत उस सरकार को केन्द्रीय वित्तीय सहायता दी जाती है। वर्ष 1988-89 में इस प्रयोजन के लिए कुल 22.87 लाख रुपये की सहायता बंटित की गई।

**[हिन्दी]**

### बंद कपड़ा मिलों के छंटनी किए गए श्रमिकों का कल्याण

1894. **श्री कमला प्रसाद रावत:** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि देश में कपड़ा मिलों और कताई मिलों के बन्द हो जाने से बहुत सारे श्रमिक बेकार हो गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इन बेरोजगार श्रमिकों के पुनर्वास तथा कल्याण हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

**श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री राधाकिशन मालवीय):** (क) और (ख): कपड़ा मंत्रालय से प्राप्त सूचना के अनुसार, 31 जनवरी, 1989 को बंद पड़ी / तालाबंदी हुई टैक्सटाइल मिलों की संख्या 140 थी।

(ग) सरकार ने कामबंदियों को रोकने तथा रुग्ण टैक्सटाइल मिलों को पुनः स्थापित करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। टैक्सटाइल नीति, 1985 की घोषणा के पश्चात, सरकार ने 1986 में नोडल एजेंसी स्थापित की। जिसमें वित्तीय संस्थानों के साथ परामर्श करके रुग्ण टैक्सटाइल मिलों के लिए पुनर्वास पैकेज

की व्यवस्था है। बंद पड़ी टैक्सटाइल मिलों के कर्मकारों को पनुर्वासित करने के दृष्टिकोण से, कपड़ा कर्मकार पुनर्वास निधि की स्थापना की गई थी, जिसे सितम्बर, 1986 में लागू किया गया था। इस निधि से अब तक 1.33 करोड़ रुपये की राशि बांटी गई है।

## मेडिकल स्टोर डिपो, करनाल के कर्मचारियों द्वारा आंदोलन

**[अनुवाद]**

1895. **श्री राजकुमार राय:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मेडिकल स्टोर डिपो, करनाल के कर्मचारी काफी समय से आन्दोलन कर रहे हैं जैसा कि 17 जनवरी, 1989 के "नवभारत" में प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो उन कर्मचारियों की मांगों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उनकी मांगों को पूरा करने हेतु सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे):** (क) केवल कुछेक कर्मचारी अक्तूबर, 1988 से कुछ मुद्दें उठाते रहे हैं।

(ख) इस मंत्रालय को दिए गए अपने अभ्यावेदनों में सरकारी चिकित्सा सामग्री भण्डार कर्मचारी संघ, करनाल ने सरकारी चिकित्सा सामग्री भण्डार डिपो, करनाल के उन अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाही करने की मांग की है जो कर्मचारियों को परेशान करने (निलम्बन / सेवा समाप्त करना / अनियमित पदोन्नतियों के रूप में, धन के दुर्विनियोग और घटिया तथा नकली औषधों को जमा रखने के लिए रिश्वत ले के लिए कथित रूप से जिम्मेदार हैं। उन्होंने डिपो के स्टाफ के हित के लिए कैंटीन जन-सविधा और साइकिल स्टैंड जैसी आम सुविधाओं की मांग भी की है।

(ग) हालांकि यह संघ एक मान्यता प्राप्त संस्था नहीं है, तथापि, उनकी शिकायतों की जांच की गई है और प्रारम्भिक जांच-पड़ताल से पता चलता है कि नकली / घटिया औषधों को जमा करने के लिए रिश्वत लेने तथा धन का दुर्विनियोग करने के बारे में इन शिकायतों में कोई वास्तविकता नहीं है। डिपो में स्टाफ के हित के लिए आम सुविधाएं पहले ही मौजूद हैं।

## खाद्य और औषध नियंत्रण प्रशासन

1896. **श्रीमती जयन्ती पटनायक:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का खाद्य और औषध नियंत्रण प्रशासन को सुदृढ़ बनाने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे):** (क) और **(ख):** आठवीं पंचवर्षीय योजना में खाद्य और औषध नियंत्रण प्रशासन को सुदृढ़ करने के प्रस्ताव तैयार किए जा रहे हैं।

## सरकारी प्रकाशनों के संबंध में घाटा

1897. **श्री सैयद शाहबुद्दीन:** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा 31 मार्च, 1987 को समाप्त हुए वर्ष की अपनी रिपोर्ट (संघ सरकार सिविल) में प्रकाशन विभाग को हुए घाटे के संबंध में की गई टिप्पणियों की जांच की है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकारी प्रकाशनों के संबंध में विभाग के घाटे को कम करने के लिए कोई कदम उठाए गए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

**शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह):** (क) से (ग). प्रकाशन विभाग से सम्बन्धित विभागीय प्रकाशनों के भण्डारण तथा बिक्री में हुए घाटे के संबंध में भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की 31 मार्च, 1987 को समाप्त हुई 1988 की संख्या 1 की रिपोर्ट में की गई टिप्पणियों की विस्तृत जांच अभी पूर्ण नहीं हो पाई है।

## चीनी उद्योग का संरक्षण और विकास

1898. **श्री सैयद शाहबुद्दीन:** क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन द्वारा चीनी उद्योग के संरक्षण और विकास संबंधी आवश्यक उपायों के बारे में प्रस्तुत किए गए ज्ञापन पर विचार किया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) चीनी उद्योग को संरक्षण और प्रोत्साहन देने के लिए चालू वित्त वर्ष के दौरान क्या कदम उठाए गए हैं ?

**खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री डी० एल० बैठा):** (क) से (ख) हाल ही के महीनों में इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन ने कई ज्ञापन / अभ्यावेदन दिए हैं जिनमें उन्होंने चीनी उद्योग से संबंधित विभिन्न समस्याओं के बारे में सुझाव दिए हैं।

केन्द्रीय सरकार ने वर्तमान चीनी मौसम 1988-89 के लिए चीनी नीति की दिसम्बर, 1988 में पहले ही घोषणा कर दी है। इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन से प्राप्त हुए सुझावों सहित उद्योग से समय-समय पर प्राप्त हुए सुझावों पर विचार किया जाता है। तथापि, पहले ही घोषित कर दी गई नीति में कोई परिवर्तन करने का इरादा नहीं है।

(ग) चीनी उद्योग को सुरक्षा प्रदान करने तथा उसे बढ़ावा देने के लिए वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान सरकार द्वारा उठाए .गए कदमों में निम्नलिखित शामिल हैं:-

(1) 1988-89 मौसम के लिए दिसम्बर, 1987 में गन्ने के घोषित किए गए 19.00 रुपये प्रति क्विंटल के सांविधिक न्यूनतम मूल्य को बढ़ाकर 8.5% की रिकवरी पर 19.50 रुपये प्रति क्विंटल करना;

(2) आगामी मौसम 1989-90 के लिए गन्ने के सांविधिक न्यूनतम मूल्य को अधिक बढ़ाकर 8.5% की रिकवरी पर 20.00 रुपये प्रति क्विंटल कर देने की पेशगी घोषणा करना;

(3) चीनी वर्ष 1988-89 के लिए लेवी से मुक्त बिक्री की चीनी के अनुपात को 50 : 50 से बदलकर 45:55 करना;

(4) नयी स्थापित फैक्ट्रियों और विस्तार परियोजनाओं के लिए नयी प्रोत्साहन योजना की घोषणा करना;

(5) चीनी फैक्ट्रियों को पुनर्वासन / आधुनिकीकरण तथा गन्ना विकास के लिए चीनी विकास निधि से वित्तीय सहायता प्रदान करना।

## आवास साकार योजना के लिये अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों द्वारा विकल्प

1899. **श्रीमती डी॰ के॰ भंडारी:** क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या न्यू पैटर्न हुडको स्कीम, 1979 के अन्तर्गत पंजीकृत अनेक व्यक्तियों ने आवास साकार योजना में सम्मिलित होने का अपना विकल्प दिया है;

**(ख)** यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जनजातियों और सामान्य श्रेणी के पंजीकृत व्यक्तियों का श्रेणीवार विवरण क्या है;

(ग) प्रत्येक श्रेणी में पंजीकृत कितने व्यक्ति इस समय 28 फरवरी, 1989 के अनुसार निर्मित फ्लैटों की प्रतीक्षा में है;

(घ) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने भविष्य में शेष पंजीकृत व्यक्तियों को फ्लैट आवंटित करने के लिये कोई भावी कार्यक्रम तैयार किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

**शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह):** (क) जी, हां।

(ख) ब्यौरे निम्नलिखित है:-

| श्रेणी | सामान्य | अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति | योग |
|---|---|---|---|
| (I) निम्न आय वर्ग | 3789 | 21 | 3810 |
| (II) मध्यम आय वर्ग | 1832 | — | 1932 |
| | 5621 | 21 | 5642 |

(ग)

| श्रेणी | सामान्य | अनुसूचित जाति/अनु-सूचित जनजाति | योग |
|---|---|---|---|
| (I) मध्यम आय वर्ग | 29492 | — | 29492 |
| (II) निम्न आय वर्ग | 46536 | 1323 | 47859 |
| (III) जनता | 26745 | 3048 | 29793 |
| | 102773 | 4371 | 107142 |

(घ) जी, हां।

(ङ) 1.4.88 की स्थिति के अनुसार 51394 मकानों का निर्माण प्रगति पर था तथा 1988-89 के दौरान 15213 नये मकानों का निर्माण शुरू किया गया, इस प्रकार मकानों की कुल संख्या 66,607 हो जायेगी। मकानों के निर्माण की गति में तेजो लाने के भी प्रयास किए जा रहे हैं।

---

12.00 मध्याह्न

[अनुवाद]

**प्रो॰ मधु दंडवते** (राजापुर): मैं एक मुददा उठाना चाहता हूं। कृपया मेरी बात सुनिये।

[हिन्दी]

**अध्यक्ष महोदय:** कोई जरूरत नहीं है उठाने की।

[अनुवाद]

क्योंकि यह लोक लेखा समिति के सभापति पर निर्भर है।

**प्रो॰ मधु दंडवते:** आपको लोक लेखा समिति और संसद की मर्यादा को बनाये रखना चाहिए।

[हिन्दी]

**अध्यक्ष महोदय:** ठीक है।

[अनुवाद]

मुझे अभी तक कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। अगर कोई बात है तो लोक लेखा समिति के सभापति कार्यवाही करेंगे।

**प्रो॰ मधु दंडवते:** मैं इसे आपके ध्यान में लाया हूं ग्रोवर आयोग की रिपोर्ट को लोक लेखा समिति से छिपाया गया है।

**अध्यक्ष महोदय:** यह बताना लोक लेखा समिति का काम है और मुझे अभी तक कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

**प्रो॰ मधु दंडवते:** सभापति यहां बैठे हैं। आप उन से पूछ सकते है। सौभाग्य से इस समय वह यहां बैठे हैं।

**अध्यक्ष महोदय:** मै क्यों पूछूं? वह मुझ से पूछ सकते हैं। वह मुझे कह सकते हैं और हम इसे सुलझा सकते हैं।

**(व्यवधान)**

**अध्यक्ष महोदय:** मैं अपने और लोक लेखा समिति के सभापति के बीच कोई मध्यस्थ नहीं चाहता हूं।

**(व्यवधान)***

**अध्यक्ष महोदय:** अनुमति नहीं है।

**प्रो॰ मधु दंडवते:** मंत्री जी ने कहा है कि यह एक गोपनीय रिपोर्ट है। किन्तु यह राज्य सभा और लोक सभा के रिकार्ड में है।

**अध्यक्ष महोदय:** वह कुछ भी कह सकते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं इस पर यहाँ चर्चा नहीं करुंगा।

**प्रो॰ मधु दंडवते:** इसका समाधान क्या है;

**अध्यक्ष महोदय:** वह मुझ से पूछ सकते हैं। उपाय यह है, लोक लेखा समिति के सभापति समर्थ हैं और वह अध्यक्ष से पूछ सकते हैं।

**प्रो॰ मधु दंडवते:** आपके माध्यम से मैं उनसे अनुरोध करता हूं।

**अध्यक्ष महोदय:** नहीं, नहीं। आप इस तरह सभा का समय क्यों नष्ट कर रहे हैं?

**(व्यवधान)**

**श्री वी॰ शोभनाद्रीश्वर राव** (विजयवाडा): भारतीय खाद्य निगम ने चावल का बिक्री मूल्य बढ़ा दिया है और वे चावल खाने वालों के लिए असुविधा उत्पन्न कर रहे हैं। यह भेदभाव है।

**अध्यक्ष महोदय:** आप मुझे कुछ लिखकर दीजिए। इस तरह नहीं।

**श्री एस॰ जयपाल रेड्डी** (महबूबनगर): विशेषाधिकार समिति की रिपोर्ट में श्री कमलनाथ के गैर-कानूनी बैंक खाते के बारे में जो विगत टिप्पण किया गया है, उस पर और श्री अरुण शोरी के विरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव पर सदन में शीघ्र चर्चा की जानी चाहिये।

**अध्यक्ष महोदय:** आप मुझे एक प्रस्ताव दीजिए। मैं देखूंगा।

**श्री एस॰ जयपाल रेड्डी:** हमें इस पर चर्चा करने के लिए समय निकालना चाहिए।

**श्री पी॰ कुलनदइवेलू** (गोबिचेट्टीपालयम): मैनें एक स्थगन प्रस्ताव दिया है।

**अध्यक्ष महोदय:** स्थगन प्रस्ताव का प्रश्न नहीं है। सरकार ध्यान देगी।

*कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

**श्री पी॰ कुलनदइवेलू:** राज्यसभा के सदस्य श्री गोपालस्वामी पासपोर्ट अधिनियम का उल्लंघन करके श्रीलंका गये थे।

**अध्यक्ष महोदय:** इस पर कानूनी कार्यवाही की जायेगी।

**श्री पी॰ कुलनदईवेलू:** अब श्रीलंका सरकार तमिलनाडु सरकार से पूछ रही है----------

**(व्यवधान)***

**अध्यक्ष महोदय:** अनुमति नहीं है।

**(व्यवधान)**

**अध्यक्ष महोदय:** श्री जयपाल जी, आप अनावश्यक रूप से इसे फिर क्यों उठा रहे हैं? मैंने अपना विनिर्णय दे दिया है।

**श्री एस॰ जयपाल रेड्डी:** वह सहमत है---------

**अध्यक्ष महोदय:** हो सकता है, कोई बात नहीं। मैं आपकी सहमति के अनुसार सभा नहीं चला सकता हूं। मुझे सभा को अपने विनिर्णय के अनुसार चलाना है।

**श्री पी॰ कुलनदइवेलू:** पासपोर्ट अधिनियम का उल्लंघन एक गम्भीर मामला है।

**अध्यक्ष महोदय:** इस पर कानूनी कार्यवाही की जायेगी।

**श्री अमल दत्ता** (डायमंड हार्बर) सरकार प्रेस की आजादी को दबाने के लिए राजस्व विभाग के अधिकारों का दुरुपयोग कर रही है। काल्पनिक आधारों पर छापे मारे गये हैं।

**अध्यक्ष महोदय:** कुछ नहीं है अनुमति नहीं है। यह कानून और व्यवस्था का प्रश्न है।

**(व्यवधान)***

**अध्यक्ष महोदय:** कोई प्रश्न नहीं। अनुमति नहीं है।

**(व्यवधान)***

**अध्यक्ष महोदय:** श्री अमल दत्ता, आप बहुत अनुभवी व्यक्ति हैं। आप को पता होना चाहिए कि कानूनी कार्यवाही में समय लगता है।

**(व्यवधान)**

**अध्यक्ष महोदय:** मैं हस्तक्षेप नहीं करूंगा। मैं कैसे कह सकता हूं कि यह काल्पनिक है या नहीं? मुझे इसका निर्धारण नहीं करना है।

**(व्यवधान)***

**अध्यक्ष महोदय:** अनुमति नहीं है।

**(व्यवधान)***

*कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

**अध्यक्ष महोदय:** आप अपने स्थान पर बैठिये।

(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय:** अनुमति नहीं है। ये भद्रपुरुष बिना वजह तंग कर रहे हैं। अनुमति नहीं है।

(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय:** कृपया, क्या अब आप अपनी सीट पर बैठेंगे? श्री अमल दत्ता, आप सभी नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। मैंने आपको बताया है कि यह कानून और व्यवस्था की समस्या है। इस पर कानूनी कार्यवाही की जा सकती है; अगर कोई उल्लंघन होता है तो उसके लिए न्यायालय हैं। अनुमति नहीं है।

(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय:** प्रेस पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है और इस पर कभी भी रोक नहीं लगायी जायेगी।

(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय:** सदन में और भी लोग हैं। वे भी कुछ कहना चाहते हैं। कृपया सदन के समय पर एकाधिकार मत कीजिए। कृपया बैठ जाइये अन्यथा मैं आपसे सदन से बाहर जाने के लिए कहूंगा।

(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय:** अगर यह अपर्याप्त आधार पर है तो वे न्यायालय में जा सकते हैं।

(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय:** अनुमति नहीं है।

**श्री रणजीत सिंह गायकवाड** (बड़ौदा): आपके निर्देश के अधीन मैंने नियम 377 के अन्तर्गत एक दूसरा नोटिस दिया है जो मैथाइल अल्कोहल लेने के बाद 127 लोगों की मृत्यु के बारे में है।

**अध्यक्ष महोदय:** मैंने आपको नियम 377 के तहत अगले सप्ताह एक विवरण देने की अनुमति दी है।

(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय:** श्री अमल दत्ता, क्या आप सदन से बाहर जाएंगे? अगर आप इस तरह अड़े रहेंगे मैं आपको सदन से बाहर जाने के लिए कहूंगा। कृपया इस तरह न कीजिए। सदन पर आपका एकाधिकार नहीं हो सकता आप सदन का समय अनावश्यक नष्ट कर रहे हो। मैंने आप को स्पष्ट किया है, कानूनी कार्य में समय लगता है। सरकार की किसी कार्यवाही की वैधता और अवैधता को चुनौती देने के लिए न्यायालय है। मैं उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता और मेरा काम यह निर्णय देने का नहीं है कि यह काल्पनिक है या नहीं।

**श्री अमल दत्ता:** एक विवरण दिया जाना चाहिए।

**अध्यक्ष महोदय:** इसमें विवरण क्यों होना चाहिए। इस देश में न्यायालय हैं।

**श्री अमल दत्ता:** क्योंकि इसमें अखबारों की स्वतन्त्रता अन्तर्ग्रस्त है......**(व्यवधान)**

**अध्यक्ष महोदय:** इस देश में प्रेस की स्वतन्त्रता सुनिश्चित है। कोई व्यक्ति इस पर प्रतिबंध लगाने में समर्थ नहीं हुआ है और कोई व्यक्ति इस पर प्रतिबंध नहीं लगा सकेगा।

**(व्यवधान)**

**अध्यक्ष महोदय:** प्रत्येक व्यक्ति कानून की नजरों में समान है। इसमें कोई सन्देह नहीं है।

**(व्यवधान)**

**अध्यक्ष महोदय:** अब बैठ जाइये। अन्यथा। मैं कार्यवाही करूँगा।

**(व्यवधान)**

**श्रीमती वैजयन्ती माला बाली (मद्रास दक्षिण):** जवाहर लाल नेहरू शताब्दी समारोहों के सम्बंध में, जब देश के लिए मैराथन दौड़ हुई थी, लड़कियों और महिलाओं के साथ छेड़छाड़ और उन्हें अपमानित किया गया था। इस दौड़ का क्या फायदा है? यह दौड़ किस लिए थी?.......**(व्यवधान)**

**[हिन्दी]**

**अध्यक्ष महोदय:** आप शोर कर रहे हैं। यह क्या हो रहा है।

**(व्यवधान)**

**[अनुवाद]**

**श्रीमती वैजयन्तीमाला बाली** यह जनशक्ति का दुरुपयोग करने वाली बात है.......**(व्यवधान)**

**अध्यक्ष महोदय:** प्रश्न यह है कि राज्य सरकार को कानून व व्यवस्था सुनिश्चित करनी चाहिए।

**(व्यवधान)**

**श्री एस॰ जयपाल रेड्डी:** कृपया मंत्री जी से इस बारे में विवरण देने के लिए कहिए......**(व्यवधान)**

**श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया** (संगरूर): महोदय, पंजाब में डाक्टर हड़ताल पर हैं। वे गिरफ्तारियां दे रहे हैं.......**(व्यवधान)**

**अध्यक्ष महोदय:** कुछ कहने की अनुमति नहीं है।

**(व्यवधान)**

**[हिन्दी]**

**श्री राम प्यारे पनिका** (राबर्ट्सगंज): अध्यक्ष महोदय, इस समय देश की सारी जनता इस बात से भ्रमित हो रही है कि देश के विरोधी दलों ने जो देश में भ्रम पैदा किया है और बाहर.....**(व्यवधान)**

**अध्यक्ष महोदय:** एक आदमी बोलिये। मुझे कुछ सुनाई नहीं देता है।

**(व्यवधान)**

**अध्यक्ष महोदय:** अब, पत्र सभापटल पर रखे जायेंगे।

12.07 म० प०

# सभापटल पर रखे गये पत्र

## राष्ट्रीय पटसन विनिर्मिति निगम लिमिटेड, कलकत्ता का वर्ष 1987-88 की वार्षिक प्रतिवेदन और कार्यकरण की समीक्षा आदि

**वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रफीक आलम):** मैं निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखता हूं:—

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी सकरण) :—

(एक) राष्ट्रीय पटसन विनिर्मिति निगम लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 1987-88 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) राष्ट्रीय पटसन विनिर्मिति निगम लिमिटेड, कलकत्ता का वर्ष 1987-88 का वार्षिक प्रतिवेदन लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक - महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये देखिये संख्या एल० टी० 7441/89]

## इंडियन मेडिसिन्स फार्मास्यूटिकल्स कारपोरेशन लिमिटेड का वर्ष 1987-88 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा कार्यकरण की समीक्षा और इन पत्रों को सभापटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण और इंस्टिट्यूट आफ-पोस्ट ग्रेज्युएट टीचिंग एन रिसर्च, गुजरात आयुर्वेद यूनिवर्सिटी जामनगर का वर्ष 1987-88 का वार्षिक प्रतिवेदन आदि

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय मे राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे):** मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं:

(1) कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619क के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति

(एक) इंडियन मेडिसिन्स फार्मास्यूटिकल कारपोरेशन लिमिटेड के वर्ष 1987-88 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) इंडियन मेडिसिन्स फार्मास्यूटिकल कारपोरेशन लिमिटेड का वर्ष 1987-88 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिये संख्या एल० टी० 7442/89]

(3) (एक) इंस्टिट्यूट ऑफ- पोस्ट ग्रेज्युएट टीचिंग एण्ड रिसर्च, गुजरात आयुर्वेद यूनिवर्सिटी, जामनगर के वर्ष 1987-88 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंस्टिट्यूट ऑफ पोस्ट-ग्रेज्युएट टीचिंग एण्ड रिसर्च गुजरात आयुर्वेद यूनिवर्सिटी, जामनगर के वर्ष 1987-88 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों का सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। [ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या टी० एल०7443/89]

(5) (एक) दिल्ली, धारवाड़, बड़ौदा, बंगलौर, लखनऊ, पुणे, पटना, करियावत्तम (केरल) तथा गांधीग्राम (तमिलनाडु) स्थित जनसंख्या अनुसंधान केन्द्रों के वर्ष 1987-88 के वार्षिक प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) उपर्युक्त (एक) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजो संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल॰ टी॰ 7452/89]

(6) (एक) विश्वायतन योगाश्रम, नई दिल्ली के वर्ष 1987-88 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण/ तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) विश्वायतन योगाश्रम, नई दिल्ली के वर्ष 1987-88 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया देखिए संख्या एल॰ टी॰ 7453/89]

(8) केन्द्रीय योग अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1987-88 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखाओं को लेखा वर्ष की समाप्ति के पश्चात् 9 महीनों की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखने के कारण स्पष्ट करने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल॰ टी॰ 7454/89]

## आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत और खाद्य निगम अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

**खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री टी॰ एल॰ बैठा):** मैं आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

(1) (एक) दाल, खाद्य तिलहन और खाद्य तेल (भण्डारण नियंत्रण) चौथा संशोधन आदेश, 1988, जो 18 नवम्बर, 1988 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰ आ॰ 1063 (अ) में प्रकाशित हुआ था।

(दो) दाल, खाद्य तिलहन और खाद्य तेल (भण्डारण नियंत्रण) पहला संशोधन आदेश, 1989, जो 2 जनवरी, 1989 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰ आ॰ 3 (अ) में प्रकाशित हुआ था।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल॰ टी॰ 7455/89]

(2) खाद्य निगम अधिनियम, 1964 की धारा 45 की उपधारा (5) के अन्तर्गत भारतीय खाद्य निगम (अंशदायी भविष्य निधि) (दसवां संशोधन) विनियम, 1989, जो 10 फरवरी, 1989 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 48/एफ॰ संख्या 41-1/85-ईपी में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल॰ टी॰ 7456/89]

12.08 म॰ प॰

## गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति

### 60 वां प्रतिवेदन

**श्री एम॰ तम्बि दुराई** (धर्मपुरी): मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का 60 वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

———————

12.08-1/4 म॰ प॰

## लोक लेखा समिति

### 141 वां और 142 वां प्रतिवेदन

**श्री अमल दत्ता** (डायमंड हार्बर): मैं लोक लेखा समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

(1) ब्याज-कर निर्धारण संबंधी एक सौ इकतालीसवां प्रतिवेदन।

(2) महानगर परिवहन परियोजना, कलकत्ता संबंधी एक सौ बयालीसवां प्रतिवेदन।

———————

**(व्यवधान)**

**[हिन्दी]**

**श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया** (संगरूर): डाक्टर धरना देते हैं। दिल्ली में गिरफ्तारियां दे रहे हैं। आप सरकार को डायरैक्शन दीजिए। वे गिरफ्तारियां दे रहे हैं।............**(व्यवधान)**

**[अनुवाद]**

**अध्यक्ष महोदय:** आप इसे मुझे लिखित में दीजिए।

**(व्यवधान)**

**श्री सुरेश कुरूप** (कोट्टायम): महोदय, मेरा एक अलग मामला है। कल भी हमने उसे उठाने का प्रयास किया था **(व्यवधान)**

**अध्यक्ष महोदय:** आप मुझे यह लिखित में दीजिए और मेरे पास आइये।

**(व्यवधान)**

**श्री सुरेश कुरूप:** कुवैत में हजारों भारतीय श्रमिकों को वेतन नहीं दिया गया है। वे वहां पर फंसे हुए हैं..........**(व्यवधान)**

**अध्यक्ष महोदय:** मैंने इस मामले को पहले ही मंत्रालय के सामने उठाया है और वे हमें यह बताएंगें कि वहां क्या हो रहा है। आपको यह पता होना चाहिए कि इस प्रश्न को कैसे उठाएं। आप अनावश्यक रूप से सभा का समय नष्ट कर रहे हैं।

नियम 377 के अन्तर्गत मामले।

12.09 म० प०

## नियम 377 के अधीन मामले

**(एक) संस्कृत भाषा की पढ़ाई को समुचित महत्व दिये जाने तथा बिहार के मिथिला क्षेत्र में संस्कृत के विद्वानों का पता लगाकर उनके पास से लेकर संस्कृत की पुरानी हस्तलिखित पांडुलिपियों का प्रकाशन किये जाने की और संस्कृत विद्वानों की सहायता के लिए बिहार को धनराशि दिये जाने की मांग**

**डा० गौरी शंकर राजहंस** (झंझारपुर): नई शिक्षा नीति में संस्कृत की पढ़ाई को उचित महत्व नहीं दिया गया है। नवोदय स्कूलों में त्रिभाषा फार्मूले में भी संस्कृत को शामिल नहीं किया गया है और न ही उसे वैकल्पिक विषयों में रखा गया है।

संस्कृत भाषा भारतीय इतिहास की तरह ही पुरानी है। संस्कृत साहित्य में मानवीय जीवन के उच्चतम आदर्श और बुनियादी सिद्धान्त मौजूद हैं। संस्कृत के विद्वानों ने सम्पूर्ण विश्व को एक परिवार कहा है। संस्कृत एक धर्म निरपेक्ष भाषा है। यह किसी समुदाय, राष्ट्र अथवा देश से संबंधित नहीं है। यह सम्पूर्ण विश्व के लिए प्रेरणा का एक स्त्रोत है। अतः यह आवश्यक है कि संस्कृत को उचित सम्मान दिया जाए।

उत्तर बिहार में मिथिला हजारों वर्षों से संस्कृत के पठन-पाठन का केन्द्र रहा है। और वर्षों से इसने अनेकों संस्कृत विद्वानों को जन्म दिया है। यहां तक कि आज भी मिथिला में हजारों संस्कृत विद्वान हैं और ऐसे विद्वान कहीं और मिलना कठिन है। दुर्भाग्य वश वे गरीबी की दुर्दशा में जीवन बिता रहे हैं और उनकी ओर कोई ध्यान नहीं देता है। इन संस्कृत विद्वानों में से कुछ के पास बहुत पुरानी और कीमती हस्तलिखित पांडुलिपियां हैं।

भारत सरकार को स्थानीय प्रशासन की सहायता से इन विद्वानों का पता लगाने के लिए विशेषज्ञों के एक दल को वहां भेजना चाहिए, उनसे वे पांडुलिपियां प्राप्त करके उनका प्रकाशन करने का प्रबन्ध करना चाहिए। इन विद्वानों की आर्थिक दशा में पर्याप्त सुधार के लिए विशेष प्रयास किये जाने चाहिए। संस्कृत विद्वानों के लिए बिहार को पर्याप्त धन दिया जाना चाहिए।

**(दो) गवर्नमेंट ओपियम एण्ड एल्कालायड वर्क्स, गाजीपुर (उत्तर प्रदेश) को श्रमिकों के हित में बन्द न होने देने और इसका आधुनिकीकरण किए जाने की मांग**

**श्री जैनुल बशर** (गाजीपुर): गाजीपुर (उत्तर प्रदेश) में गवर्नमेंट ओपियम एण्ड अल्कालायड वर्क्स 100 वर्षों से भी अधिक पुराना है। इस फैक्टरी में लगभग 600 श्रमिक काम करते हैं और बड़ी संख्या में किसान अफीम के उत्पादन में लगे हुए हैं। ऐसी रिपोर्ट है कि पर्यावरण अधिकारियों के आदेशों से इस फैक्टरी को बन्द किया जा रहा है। यह आरोप लगाया गया है कि इस फैक्टरी से निकलने वाला पानी गंगा नदी को प्रदूषित करता है।

12.11 म. प.

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

पर्यावरण अधिकारी काफी समय से फैक्टरी में प्रदूषण रोधी उपकरणों को लगाने की मांग करते रहे हैं लेकिन प्रबन्धक उनके निर्देशों को बार- बार अनदेखा कर रहे हैं। इससे श्रमिकों और किसानों को कठिनाई हो रही है।

प्रबन्धक इस फैक्टरी के आधुनिकीकरण के लिए वांछित कदम नहीं उठा रहे हैं। इस फैक्टरी के आधुनिकीकरण के लिए तीन वर्ष पहले 50 करोड़ रुपए से अधिक मंजूर किये गए थे, लेकिन ऐसा लगता है

[श्री जैनुल बशर]

कि इन मामलों में कुछ भी नहीं किया गया है मुझे डर है कि इस फैक्टरी को सदा के लिए बन्द करने के लिए प्रबन्धक जानबूझकर षडयन्त्र कर रहे हैं।

पर्यावरण अधिकारियों के हाल के आदेशों के कारण श्रमिकों और किसानों में ऐसी आशंका है। मिल प्रबन्धकों ने फैक्टरी में प्रदूषण-रोधी-अस्थाई उपकरण लगाया है।

मैं वित्त मंत्री से अनुरोध करता हूं कि इस मामले पर तत्काल ध्यान दिया जाए जिससे कि फैक्टरी बन्द न हो। पर्यावरण अधिकारियों के सुझाव के अनुसार प्रदूषण-रोधी-उपकरण लगाए जाएं और फैक्टरी का पूरी तरह से आधुनिकीकरण किया जाए और उसका विस्तार किया जाए।

**(तीन) बम्बई में बंद कपड़ा मिलों को पुनः चालू किये जाने तथा भविष्य में ऐसी मिलों को बन्द न होने देने के लिए कदम उठाए जाने की मांग**

**श्री शरद दिघे** (बम्बई उत्तर मध्य): गत गणतन्त्र दिवस को बम्बई में तीन और कपड़ा मिलें अकस्मात बन्द हो गई, उनके नाम है स्वैन मिल (कुरला) स्वैन मिलें (सीवाड़ी) और स्वैन प्रोसेस (सीवाड़ी) इन्हें मिलाकर महाराष्ट्र में बन्द होने वाली कपड़ा मिलों की संख्या 12 हो गई है और इसके परिणामस्वरूप लगभग 25,000 कपड़ा श्रमिक बेरोजगार हो गए हैं। इसके अलावा तीन और मिले जिनमें से दो खटाऊ और एक रघुवंशी मिल है जोकि बम्बई में हैं, बन्द होने की स्थिति में हैं। सरकार को बन्द मिलों को पुनः चालू किये जाने तथा और मिलों को बन्द होने से बचाने के बारे में उपचारात्मक कार्यवाही करने के प्रयास करने चाहिए।

**(चार) उड़ीसा के बोलनगीर और कालाहन्डी जिलों में सूखे की भीषणता का आकलन किये जाने तथा उपचारात्मक उपायों के बारे में सुझाव देने के लिए वहाँ खास केन्द्रीय दल भेजे जाने की मांग**

**श्री नित्यानन्द मिश्र** (बोलनगीर): इस वर्ष कम और अनियमित वर्षा से उड़ीसा के (बोलनगीर) तथा कालाहान्डी के कुछ भाग में सूखे के कारण भयंकर स्थिति पैदा हो गई है और इस वर्ष के भयंकर और व्यापक सूखे का सामने करने के लिए लोगों के पास साधन अथवा साहस नहीं है। ग्रामीणों की आर्थिक स्थिति लड़खड़ा गई है, ग्रामीण बहुत अधिक ऋणग्रस्त हो गए हैं, बेरोजगारी की स्थिति भयंकर है और मेरे निर्वाचन क्षेत्र के लाखों लोग अपने परिवार और घर को छोड़कर रोजगार की तलाश में दूसरे स्थानों पर चले गये हैं। दुर्भाग्यवश, इस सूखा द्रवण क्षेत्र में सिंचाई की बहुत कमी है जहां पर कुल फसल क्षेत्र में केवल 5 प्रतिशत क्षेत्र के लिए सिंचाई सुविधा उपलब्ध है। हालांकि वहां के लोग गत पांच महीनों से सूखे से पीड़ित है, वहां पर राहत अथवा रोजगार प्रदान करने के लिए पर्याप्त उपाय नहीं किये गए हैं। केन्द्रीय सरकार को विशेष योजनाएं बनानी चाहिए और उन योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए पर्याप्त संसाधनों के आवटंन के लिए तत्काल और तुरन्त कदम उठाने चाहिए। कृषि मंत्रालय को सूखे की गंभीरता का अनुमान लगाने के लिए वहां एक केन्द्रीय दल भेजना चाहिए और रोजगारोन्मुख योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए धन मंजूर किया जाना चाहिए सिंचाई क्षमता बढ़ाने के लिए जल-वितरण प्रबंध तन्त्र में सुधार किया जाना चाहिए और छोटी, मझौली और उठाऊ सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण किया जाना चाहिए।

**(पांच) उलूबेरिया कस्बे को धंसने से बचाए जाने के लिए उपाय किए जाने की माँग**

**श्री हन्नाम मोल्लाह** (उलूबेरिया) : महोदय, गंगा नदी (हुगली नदी) के किनारे पर स्थित उलूबेरिया कस्बे के धँसने या अत्यधिक भू-स्खलन होने का भय है। पहले ही एक बहुत बड़ा भाग—लगभग एक किलोमीटर धँस चुका है और तीस से भी अधिक दुकानें जलमग्न हो चुकी हैं। हजारों लोगों का जीवन खतरे में है। पूर्वी तट पर अत्यधिक गाद होने के कारण संकराइल—राजगूंगे से उलूबेरिया तक हुगली नदी के पश्चिमी तट का धँस जाने का खतरा है।

उत्तरी भारत में अत्यधिक भू-स्खलन होने के कारण ऊपरी-धारा से मिटटी और अन्य पदार्थ बह कर आते हैं जिससे गंगा के निचले भाग में अत्याधिक मात्रा में गाद जमा हो जाती है। इससे नदी में नौसंचालन कार्य में कमी हो रही है। फरक्का बेराज के निर्माण और पानी के बंटवारे के लिए भारत-बंगलादेश समझौते के कारण पानी की मात्रा और पानी के प्रवाह में कमी हुई है। अकाल अवधि के दौरान गंगा के निचले भाग में 40,000 क्यूसेक पानी की बजाय केवल 20,000 क्यूसेक पानी ही उपलब्ध होता है। इसके अतिरिक्त पिछले कुछ वर्षों के दौरान इस भाग में तीन बड़े जहाज डूब चुके हैं और कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट ने उन्हें नहीं निकाला। वर्ष भर उनके चारों और गाद इक्टठी हो गई और नदी के तल की गहराई कम हो गई जिससे नदी के स्वाभाविक बहाव में बाधा उत्पन्न हुई।

मान सिंह समिति, पाण्डे आयोग और प्रसिद्ध विशेषज्ञ श्री कपिल भट्टाचार्य ने स्पष्ट रूप से नौसंचालन बनाए रखने के लिए गंगा के निचले भाग का लगातार तलकर्षण किए जाने का सुझाव दिया था। किन्तु वर्ष 1953 से समुचित तलकर्षण का कार्य नहीं हुआ है और यहाँ तक कि सी० पी० टी० गंगा नदी के निचले तल का तलकर्षण नहीं कर रही है।

इतनी मात्रा में गाद जमा होने से उलूबेरिया कस्बे का धँस जाने का डर है। इन स्थितियों में यह अत्यधिक महत्वपूर्ण हो जाता है कि उलूबेरिया कस्बे को धँसने से बचाने के लिए समन्वित कार्रवाई की जाए।

**(छः) प्रस्तावित विजयनगर इस्पात संयंत्र को होसपेट, कर्नाटक में शीघ्र स्थापित किए जाने तथा इसके अतिरिक्त एक ताप संयंत्र स्थापित किए जाने की माँग**

**श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर (बंगलौर दक्षिण)** : महोदय, कर्नाटक की जनता विजय नगर इस्पात संयंत्र जिसका शिलान्यास तत्कालीन प्रधान मंत्री ने वर्ष 1971 में किया था, के अभी तक स्थापित न किए जाने के कारण बहुत अधिक उत्तेजित है। इस इस्पात संयंत्र के साथ स्वीकृत किए गए बहुत से अन्य संयंत्र पहले ही स्थापित किए जा चुके हैं और कार्य कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त एक खराब सूचना यह है कि इस्पात संयंत्र के स्थान पर होसपेट में प्रस्तावित विजयनगर इस्पात संयंत्र की जगह एक ताप संयंत्र स्थापित किया जाएगा। कर्नाटक की जनता इस्पात संयंत्र के बदले में ताप संयंत्र स्वीकार नहीं करेगी। वे इस्पात संयंत्र और ताप संयंत्र दोनों ही चाहते हैं और प्राथमिकता इस्पात संयत्र को ही दी जानी चाहिए।

**(सात) आन्ध्र प्रदेश में किसानों के कष्टों को दूर किए जाने के लिए भारतीय कपास निगम तथा राज्य व्यापार निगम द्वारा वहाँ क्रमशः कपास और लाल मिर्च की खरीद लाभकारी मूल्यों पर किए जाने की माँग**

**श्री सी० जंगा रेड्डी** (हनमकोंडा) : महोदय, आन्ध्र प्रदेश में करीम नगर और आदिलाबाद जिले के किसानों को नियमित मंडियों में कपास का विपणन न होने के कारण समस्यायों का सामना करना पड़ रहा है। पिछले तीस दिनों से किसानों द्वारा लाई जा रही कपास की खरीदारी के लिए कोई खरीददार नहीं है।

[श्री सी॰ जंगा रेड्डी]

कपास व्यापारियों के असहयोग और उनके द्वारा कपास की खरीद न किए जाने तथा भारतीय कपास निगम और भारतीय राज्य व्यापार निगम द्वारा भी कपास की खरीद न किए जाने के कारण वारंगल कृषि मंडी से कपास का सम्पूर्ण व्यापार ठप्प हो गया है। उपर्युक्त जिलों के किसानों ने कपास की खेती के लिए वाणिज्यिक बैंकों, कृषि सहकारी बैंकों से भारी मात्रा में कृषि ऋण लिए हैं। कपास की बुआई के समय नियमित मंड़ियों में खुले बाजार में कपास की प्रति क्विंटल दर 1,000 रुपये से 1,200 रुपये के बीच थी। अब खुले बाजार में कपास के मूल्यों में 500 रूपये से 700 रूपये तक गिरावट आई है। उक्त किसान यहाँ तक कि निवेशित लागत को प्राप्त करने की स्थिति में भी नहीं है।

इसी प्रकार बुआई के समय लाल-मिर्च का भाव 5,000 रुपये प्रति क्विंटल था अब उसमें खुले बाजार में 500 रूपये से 800 रूपये प्रति क्विंटल की गिरावट आई है। राज्य एजेंसियाँ और व्यापारी वर्ग कपास और लाल-मिर्च के लिए लाभकारी मूल्य देने के लिए तैयार नहीं है।

वाणिज्यिक बैंकों, सहकारी बैंकों और कृषि बैंकों द्वारा ऋणों के भुगतान के लिए किसानों को परेशान किया जा रहा है। इसके फलस्वरूप आन्ध्र प्रदेश के करीमनगर जिले के बैंक परिसर में 23 फरवरी, 1989 को एक किसान ने आत्महत्या कर ली।

इन परिस्थितियों में भारतीय कपास निगम को उक्त जिलों में 1,000 रूपये न्यूनतम प्रतिक्विंटल की दर से कपास के सम्पूर्ण उत्पाद को खरीदने के लिए आगे आना चाहिए। राज्य व्यापार निगम को भी उक्त जिलों में न्यूनतम 2,500 रुपये क्विंटल की दर से सम्पूर्ण लाल-मिर्च उत्पाद को खरीदना चाहिए।

[हिन्दी]

### (आठ) सूखा प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्य किए जाने के लिए राजस्थान सरकार को वित्तीय सहायता दिए जाने की मांग

**श्री वृद्धिचन्द्र जैन** (बाड़मेर): उपाध्यक्ष महोदय, गत वर्ष राजस्थान प्रदेश के अधिकांश ग्रामों में भंयकर सूखा था। केन्द्र सरकार ने राजस्थान प्रदेश की विशेषतः बाड़मेर, जैसलमेर , एवं जोधपुर जिले के लोगों की जो शताब्दी के भंयकर सूखे से प्रभावित थे, सहायता की, जिसके लिए उनकी सराहना करते है।

1988 में 15 अगस्त से लेकर सिंतबर तक वर्षा न होने और जुलाई, अगस्त और सिंतबर माह में बाड़मेर, जैसलमेर एवं जोधपुर जिलों में लगातार धूल भरी आंधियों के आने से खरीफ फसल को बहुत नुक्सान पहुंचा है। जिससे 4500 ग्राम सूखे से प्रभावित हैं। बाड़मेर, जैसलमेर एवं जोधपुर जिले की शेरगढ़ तहसील सूखे से अधिक प्रभावित है।

राजस्थान सरकार ने केन्द्र सरकार को 168.41 करोड़ रूपए सहायता के लिए प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है।

राजस्थान सरकार ने इस वर्ष अभी भी अकाल राहत कार्य नहीं खोले हैं क्योंकि इनकी वित्तीय स्थिति सुदृढ़ नहीं है। राहत कार्य नहीं खोले जाने से उपरोक्त जिलों में बेरोजगारी की समस्या गंभीर रूप धारण कर रही है।

अतः केन्द्र सरकार से आग्रहपूर्वक निवेदन है कि वह राजस्थान प्रदेश के मरू क्षेत्र बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, जालोर, बीकानेर एवं सिरोही जिलों में तुरंत ही अध्ययन दल स्थिति की जांच के लिए भेजे और सूखे का मुकाबला करने के लिए 15 मार्च, 1989 से पहले पहले 100 करोड़ रूपये की तुरंत सहायता दे और राजस्थान सरकार की लगातार सूखे से कमजोर वित्तीय स्थिति को देखते हुए 168.41

करोड़ रुपये अनुदान के रूप में सहायता प्रदान करे जिससे अकाल राहत कार्य तुरंत खुल सके और पीने के पानी का माकूल प्रबंध हो सके।

**(नौ) जालन्धर-होशियारपुर-हमीरपुर-मंडी मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में विकसित किए जाने को मंजूरी दिए जाने की मांग**

**[अनुवाद]**

**प्रो० नारायण चन्द पराशर** (हमीरपुर): राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण बनाया जाना सही दिशा में कदम है। देश के सभी राज्यों में परिवहन का आधारभूत ढाँचा प्रदान करना, ताकि सभी क्षेत्रों का संतुलित विकास हो सके, संघ सरकार द्वारा निभाई जाने वाली भूमिका के महत्व को रेखांकित करता है। नए राष्ट्रीय राजमार्गों को मंजूरी देते समय विशेष दर्जे के राज्यों जैसे हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर और सीमा क्षेत्र के राज्य जैसे पंजाब को उच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

मैं केन्द्र सरकार से जालन्धर-होशियारपुर-अम्बाला-नदौन-हमीरपुर-रेबलसर-मंडी मार्ग का राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में विकास करने की मंजूरी दिए जाने की मांग करता हूं। यह पंजाब, हिमाचल प्रदेश और जम्मू और कश्मीर मनाली से लेह तक छोटे और सुरक्षित मार्ग को जोड़ेगा और राष्ट्रीय राज मार्ग संख्या 1 और 21 के बीच सम्पर्क स्थापित करेगा। यह देश की सुरक्षा के लिए सामरिक महत्व का राजमार्ग होगा।

12.20 म० प०

## रेल बजट, 1989-90 सामान्य चर्चा—जारी

उपाध्यक्ष महोदयः अब हम अगले विषय अर्थात वर्ष 1989-90 के लिए बजट (रेलवे) पर और आगे सामान्य चर्चा करेंगे।

शी वक्कम पुरुषोत्तमन ।

**श्री वक्कम पुरुषोत्तमन** (अल्लपी): महोदय, मैं हमारे प्रगतिशील रेलवे मंत्री श्री माधवराव सिंधिया द्वारा इस सदन में वर्ष 1989-90 के लिए प्रस्तुत किए गए रेलवे बजट का समर्थन करता हूं। महोदय, मैं इस बात की प्रशंसा करता हूं कि रेलवे मंत्री को अपने मंत्रालय की सभी घटनाओं की जानकारी है और उन्होंने मंत्रालय की पूर्ण नौकरशाही पर नियंत्रण पा लिया है तथा सम्पूर्ण रेलवे प्रचालन कार्यों पर भी उनकी पकड़ है। अन्य विभागों में इस स्थिति को पाना प्रायः असंभव सा है। महोदय, रेलवे में पिछले चार वर्षों के दौरान प्राप्त की गई उपलब्धियां स्वयं इसका प्रमाण है। रेल मंत्री श्री माधवराव सिंधिया यहां उपस्थित नहीं हैं। किन्तु वे इस सराहना के योग्य हैं।

महोदय, वित्तीय कार्यों के लिए उन्होंने यह कहा है कि 69 करोड़ रुपये बजट अनुमान के बदले 84.29 करोड़ रुपये अधिक प्राप्त किए गए हैं और यह आधिक्य सामान्य राजस्व को किए गए 638.86 करोड़ रुपये के पूर्व लाभांश भुगतान के बाद प्राप्त किया गया है। यह वास्तव में एक असाधारण कार्य है और मैं इसके लिए उनको बधाई देता हूं। महोदय, रेलवे वाणिज्यिक संस्था नहीं है। यह आम जनता की सेवा के लिए है। इसलिए, भारी हानि होने के बावजूद भी देश की जनता के लिए परिवहन सुविधा उपलब्ध कराना सरकार की जिम्मेवारी है और रेलवे सबसे उत्तम और सस्ता परिवहन साधन है, विशेषकर, हमारे जैसे विशाल देश के लिए। एक बात के लिए मैं प्रो० मधु दण्डवते का भी समर्थन करता हूं जिन्होंने बजट पर चर्चा करते समय यह कहा था कि योजना आयोग को रेलवे पर विशेष ध्यान देना चाहिए और देश के विभिन्न भागों में अधिकाधिक रेलों की लोगों की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त धन दिया जाना चाहिए।

[श्री वक्कम पुरुषोत्तमन]

महोदय, मंत्री महोदय द्वारा अपने भाषण में दिए गए आंकड़े कि देश में रेल दुर्घटनाएं बहुत कम होती जा रही हैं ठीक हो सकते हैं, किन्तु महोदय, केरल के लोग रेल में यात्रा करने की बात सोचकर कांप उठते हैं। पेरुमोन की दुर्घटना जिसमें 100 से अधिक लोग मारे गए थे और 200 से अधिक लोग घायल हुए थे आज भी केरल की जनता के लिए दुःस्वप्न सी है। इसके बाद भी दुर्घटनाओं की एक श्रृंखला, जिनमें से अधिकांश मालगाड़ियों के पटरी से उतर जानी की है, घटित हुई है। हालांकि इसमें लोगों की जानें नहीं गई किन्तु भय का वातावरण तो पैदा किया ही। आप जानते ही हैं कि मेरे राज्य में प्रेस बहुत ही संवेदनशील है और वे रेलवे और रेलवे लाइनों की खराब हालत की आलोचना में एक के बाद एक लेख लिख रहे हैं। मैं इस आलोचना पर बहस नहीं करना चाहता किन्तु सत्य यही है कि मेरे राज्य में रेल पटरियाँ वास्तव में बहुत पुरानी हैं और इस मार्ग पर चलने वाली असंख्य रेलों द्वारा अधिक ही प्रयोग की जा चुकी हैं।

महोदय, रेलवे मंत्री ने रेल पटरियों का नवीकरण करने के लंबित कार्य को समाप्त करने के लिए शानदार कार्यक्रम शुरू किया है। यह बहुत ही अच्छा कार्य है, मैं उनको बधाई देता हूं किन्तु मैं उनसे अपने राज्य को अधिमान्यता दिए जाने का अनुरोध करता हूं क्योंकि पिछले एक वर्ष के दौरान हमारे राज्य में बहुत दुर्घटनाएँ हुई हैं।

महोदय, पिछले और इस वर्ष में भी उन्होंने अपेक्षित लोगों को बहुत सी रियायतें दी हैं। और इस वर्ष भी उन्होंने 65 वर्ष से अधिक आयु के वृद्ध लोगों को निश्चित रियायतें दी हैं।

यह एक अच्छी बात है परन्तु मैं रेल मंत्री से यह निवेदन करना चाहता हूं कि बूढ़े लोगों को छूट / रियायतें देने से उन्हें अधिक हानि नहीं होगी क्योंकि 65 वर्ष के आयु के बाद कोई भी बूढ़ा व्यक्ति अकेले रेलगाड़ियों में 500 किलोमीटर से अधिक दूरी की यात्रा नहीं करेगा। अतः यदि वे वास्तव में पात्र बूढ़े लोगों की कुछ सहायता करना चाहते हैं तो उन्हें न्यूनतम दूरी घटाकर 200 किलोमीटर कर देनी चाहिए।

महोदय, क्योंकि मुझे बहुत कम समय दिया गया है, अतः मैं सामान्य बातों का उल्लेख नहीं करूंगा। मैं अपने राज्य के बारे में कुछ निवेदन करना चाहूंगा। सबसे पहले एरणाकुलम-एलेप्पी रेलवे लाईन के बारे में विशेष रूप से ध्यान देने और यह घोषणा करने के लिए कि वह लाईन अगले वित्त वर्ष में यातायात के योग्य हो जाएगी, मैं रेल मंत्री का आभारी हूं। रेल बजट आने के तुरन्त बाद ही केरल के हमारे मुख्य मंत्री ने रेलवे बजट की आलोचना की है—निश्चित रूप से वे जो कुछ कहें मैं उसके बारे में टिप्पणी नहीं करना चाहता—उन्होंने यह भी कहा है कि नई एरणाकुलम-एलेप्पी लाइन का निर्माण कार्य पूरा नहीं होगा क्योंकि उसके लिए पर्याप्त धनराशि की व्यवस्था नहीं की गई है। निश्चित रूप से मैं यह मानता हूं कि उन्हें बजट बनाने के बारे में अधिक जानकारी नहीं है। परन्तु मैं रेल मंत्री से यह अनुरोध करूंगा कि वे इसी जून तक इस कार्य को पूरा करने के लिए, मैं समझता हूं कि ऐसा करना संभव है, सम्बन्धित अधिकारियों को विशेष निर्देश दें। महोदय इस लाईन का पूरा उपयोग तभी हो सकेगा जब एलेप्पी से कायमकुलम तक की लाईन के निर्माण कार्य को पूरा कर दिया जाये। अब मैं समझता हूं कि आपने मद्रास से एरणाकुलम तक की लाईन को दोहरा बनाने का कार्य पूरा कर लिया है और इसे त्रिवेन्द्रम तक दोहरा करने का विचार है। यह लाईन इस दोहरी लाईन का विकल्प होगी। अतः वर्तमान एरणाकुलम-त्रिवेन्द्रम लाईन पर यातायात की भीड़ को कम करने के लिए इस दोहरी लाईन के निर्माण कार्य को यथासम्भव शीघ्र पूरा किया जाना चाहिए। अतः इस एलेप्पी-कायमकुलम रेलवे लाइन को भी यथासम्भव शीघ्र पूरा किया जाना चाहिए। मैं माननीय रेल मंत्री से यह अनुरोध करता हूं कि वे इसे एक वर्ष से भी कम अवधि में पूरा करने के लिए इस लाइन पर विशेष ध्यान दें। शोरनूर से मंगलौर तक की बड़ी लाईन को दोहरा करने की मांग भी की गई है।

वर्तमान सन्दर्भ में यह बात और भी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि रेल मंत्री ने पहले ही कन्याकुमारी से लेकर बम्बई तक पश्चिमी तट लाईन की अवधारणा को अनुमति दे दी है। और इसके परिणामस्वरूप उन्होंने मंगलौर से उदीपी तक नई लाईन के निर्माण को बजट में सम्मिलित कर लिया है। अतः उस सन्दर्भ में मेरा अनुरोध यह है कि इसे दोहरा करने का कार्य भी आरम्भ किया जाये।

मुझे गुरूवयूर मन्दिर के महत्व का बखान करने की आवश्यकता नहीं है जहां हमारे प्रधान मंत्री कई बार गए हैं। गुरूवयूर के महत्व को ध्यान में रखते हुए वर्ष 1987 में त्रिचूर से गुरूवयूर तक एक नई लाईन बिछाने की स्वीकृति दी गई थी। यह दूरी केवल 24 किलोमीटर है। यदि माननीय मंत्री इसमें कुछ विशेष रूचि लें तो इसे बहुत जल्दी पूरा किया जा सकता है। मैं मंत्री महोदय से इसके लिए पर्याप्त धनराशि की व्यवस्था करने का अनुरोध करता हूँ। एल्लेपी को चिरूवला से एक नई लाइन द्वारा जोड़ने की भी एक मांग है। मैं अनुरोध करता हूं कि इस लाइन की व्यवहार्यता के बारे में एक सर्वेक्षण करने के आदेश दिये जायें।

बहुत सी अन्य मागें भी हैं। मैं उन सभी मागों के विस्तार में नहीं जाऊंगा। मुख्य मंत्री सहित लोग यह शिकायत कर रहे हैं कि केरल राज्य को कोई नई रेलवे लाइन नहीं दी गई है और केरल राज्य की उपेक्षा की गई है। राज्य में पहले ही इस बारे में कुछ आंदोलन आरम्भ हो चुका है। मैं इसके विस्तार में नहीं जाना चाहता। अन्ततः मैं माननीय रेल मंत्री से पुनः यह अनुरोध करता हूं कि एरणाकुलम-एलेप्पी रेलवे का मार्ग जून तक पूरा किया जाना चाहिए। इस नई रेलवे लाइन के उद्घाटन के शुभ अवसर पर हम केरल के लोग माननीय रेल मंत्री का भव्य स्वागत करने के लिए उत्सुकतापूर्वक इन्तजार कर रहे हैं।

**श्री अमर रायप्रधान (कूच बिहार): उपाध्यक्ष मोहदय, मुझे खेद है कि मैं इस रेलवे बजट का समर्थन नहीं कर सकता।**

मैं उल्लेख करूंगा कि जब 18 फरवरी को मैं देश की तीव्रतम और प्रतिष्ठित रेलगाड़ी शताब्दी एक्सप्रैस में चढ़ा तो क्या घटना घटित हुई। उस दिन मैं नई दिल्ली जाने वाली गाड़ी में चढ़ा। आगरा छावनी पर वह गाडी 35 मिनट लेट थी और जब वह नई दिल्ली पहुंची तो वह 45 मिनट लेट थी। मैं रेल गाड़ियों की समय की पाबन्दी के बारे में जानता हूँ। हमें रेलगाड़ियों में 1 घन्टा, 2 घन्टे, 8 घन्टे, 16 घन्टे, 24 घन्टे और 32 घन्टे तक देरी की आदत पड़ गई है। एक घन्टा देरी तो ठीक है, यह समय पर ही है। अतः जब एक्सप्रैस गाड़ी नई दिल्ली स्टेशन पर आई तो मैं टैक्सी स्टैंड पर गया। वहां पर बहुत सी टैक्सियां थी परन्तु कोई भी चलने के लिए तैयार नहीं था। मैंने पुलिस को अपने संसद सदस्य होने का पहचान-पत्र भी दिखाया परन्तु वे भी ड्राइवरों को फटकार नहीं सके। रात के सन्नाटे में मैं पैदल चलकर अपने निवास नार्थ एवेन्यू आया। यह स्थिति है। परन्तु मै समय की पाबन्दी और समय सारणी के बारे में टिप्पणी करना नहीं चाहता।

**मुझे यह जानकर हैरानी हुई कि उस रेलगाड़ी में यह घोषणा की गई थी हम मध्य रेलवे की ओर से आप सब लोगों का स्वागत करते हैं। यह मध्य रेलवे की ओर से क्यों? हमारा राजधानी एक्सप्रैस में यात्रा करने का अनुभव है। वे कहते हैं कि भारतीय रेलवे आपका स्वागत करता है। यहां मध्य रेलवे क्यों कहा जाता है। जब 23 फरवरी को रेलवे बजट प्रस्तुत किया गया है। यदि श्री माधवराव सिंधिया को मध्य-प्रदेश सरकार का रेल राज्य मंत्री कहा जाता है तो यह गलत नहीं होगा। मैं यह कह सकता हूं कि इस बजट में सम्पूर्ण पूर्वोत्तर क्षेत्र और पश्चिमी बंगाल क्षेत्र की उपेक्षा की गई है उन्हें संसाधनों से वंचित किया गया है। बजट में इन सभी क्षेत्रों के नामों पूर्वोत्तर क्षेत्र, सिलचर-टिरीबन क्षेत्र लालाबाई-भैरबी क्षेत्र, बालीपारा-भालूपोंगा क्षेत्र और धर्मनगर-कुमारघट क्षेत्र का उल्लेख किया गया है। यदि आप पिछले 10 वर्षों के रेलवे बजटों की जांच करें तो आपको पता चलेगा कि उन सभी बजटों में इन सभी क्षेत्रों का उल्लेख**

[श्री अमर राय प्रधान]

किया गया है और यह एक निरन्तर प्रक्रिया है। परन्तु विशेष रूप से पूर्वोत्तर क्षेत्र में आप कुछ भी कार्य नहीं कर पा रहे हैं। आपने पूर्वोत्तर क्षेत्र के प्रति सौतेला व्यवहार किया है। पूर्वोत्तर सीमा रेलवे देश का सबसे अधिक उपेक्षित रेलवे है। स्वतंत्रता के 42 वर्षों के बाद भी आज तक पूर्वोत्तर सीमा क्षेत्र में एक भी लाईन का विद्युतीकरण नहीं किया गया है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में प्रगति की यह स्थिति है। मालदा-न्यूजलपाईगुड़ी खंड में दोहरी लाइन बनाने का कार्य आरम्भ किया गया था परन्तु वहां प्रगति बहुत धीमी है। इसके लिए इतनी कम धनराशि आबंटित की गई है कि मालदा से गुवाहाटी तक दोहरी लाइन बिछाने में कम से कम सौ साल लगेंगे। आप उस रेलवे जोन से इस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं

रेलगाड़ियों के बारे में मुझे केवल यही कहना है कि हमें रेलगाड़ियों में चढ़ना ही नहीं चाहिए क्योंकि वे इतनी अधिक भरी हुई होती हैं कि चूज़ों के डिब्बे में भी आपको कुछ जगह मिल सकती है परन्तु रेलगाड़ियों में नहीं। उत्तरी बंगाल में गुवाहाटी न्यू जलपाईगुड़ी और कूच बिहार आदि से आने वाली रेलगाड़ियों में खड़ा होने तक की जगह भी नहीं मिलती। यह कितनी खराब स्थिति है?

आपने बहुत सी रेलगाड़ियां दी हैं। आपने 15 नई रेलगाड़ियां चलाई हैं और 5 रेलगाड़ियों की बारम्बारता को बढ़ाया है। परन्तु पूर्वोत्तर क्षेत्र में एक भी नई रेलगाड़ी नहीं चलाई गई है।

आप पूर्वोत्तर रेलवे और पूर्वोत्तर क्षेत्र के लोगों से जिस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं उस पर आपको शर्म आनी चाहिए। आप एक राजनैतिक तरीके और ऐसे संकीर्ण दृष्टिकोण से आगे बढ़ रहे हैं कि आप सम्पूर्ण देश को अपना नहीं समझते। इसमें केवल हमारी ही भलाई नहीं है अपितु इसमें आपकी भी भलाई है।

165 / 166 न्यू बोनगाईगांव-हावड़ा जनता एक्सप्रेस के बारे में श्री सिंधिया ने कितनी बार यह कहा था कि ठीक है जैसे ही उन रेल मार्गों की मरम्मत हो जायेगी, जिन्हें बाढ़ से नुकसान हुआ है। इस कार्य को तुरन्त किया जायेगा। उन्होंने मुझे बहुत से पत्र लिखे और यह कहा कि ठीक है इस कार्य को कर दिया जायेगा और उसके बाद अब जब मैंने उन्हें पत्र लिखा तो उन्होंने कहा कि नहीं, नहीं यह संभव नहीं होगा। इसकी लागत बहुत अधिक आयेगी। मैंने पुनः उनको इस बारे में पत्र लिखा कि 165 न्यू बोनगाईगांव-हावड़ा जनता एक्सप्रेस को आरम्भ करने के बारे में क्या किया गया है क्योंकि उत्तरी बंगाल के लोगों को उत्तरी बंगाल से कलकत्ता ले जाने के लिए यही एक मात्र सुविधाजनक रेलगाड़ी है। आपने बहुत सी रेलगाड़ियों जैसे कोचीन ट्रेन, त्रिवेन्द्रम ट्रेन और बम्बई ट्रेन को आरम्भ किया है परन्तु उससे उत्तरी बंगाल के लोगों को कोई फायदा नहीं हुआ है। दिल्ली से मद्रास और बम्बई जाने वाली ऐसी बहुत सी रेलगाड़ियां हैं जोकि मध्यप्रदेश से होकर जाती हैं परन्तु वहां कोई भी रेलगाड़ी नहीं रुकती है। मध्यप्रदेश के रेलवे यात्रियों की क्या स्थिति होगी।

क्या यह अच्छा होगा? यह निश्चित रूप से अच्छा नहीं होगा। यही वर्तमान स्थिति है।

मंत्री महोदय ने इस बजट में बलूरघाट-एकलाखी लाइन के लिए एक लाख रुपये आबंटित किये हैं। परन्तु 42 करोड़ 85 लाख रुपये की आवश्यकता है। इस कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा? मेरे विचार से यह कार्य 21वीं सदी में भी पूरा नहीं हो पायेगा। इसको पूरा करने के लिए हमें 22वीं सदी तक इन्तजार करना पड़ेगा।

कलकत्ता की मेट्रोरेल के सम्बन्ध में बहुत सी बातें कही गयी हैं। मंत्री महोदय ने केवल 81 करोड़ रुपये आबंटित किये हैं। सरकार इस में कितना समय ले रही है? विगत वर्ष तक 645 करोड़ 26 लाख रुपये खर्च किये जा चुके हैं। परन्तु इसके लिए 863 करोड़ 37 लाख रुपये की आवश्यकता है। इसलिए इस परियोजना को पूरा करने के लिए 137 करोड़ 11 लाख रुपये की और आवश्यकता है। यदि

आप इस तरीके से धनराशि आबंटित करेंगे तो इसमें काफी समय लगेगा। यदि सरकार इस कार्य को पूरा करने में विलम्ब करेगी तो मूल्य वृद्धि के कारण अधिक लागत आयेगी। इसका अभिप्राय है कि मेट्रो रेलवे लाइन के निर्माण में कलकत्ता की जनता को अधिक समय तक कठिनाइयां सहन करनी पड़ेंगी।

कलकत्ता की परिक्रमा रेल के सम्बन्ध में यह कहा गया है कि इस परियोजना के लिए जमीन उपलब्ध नहीं है और पश्चिम बंगाल सरकार इसके लिए जमीन नहीं दे रही है। दमदम और प्रिंसेप घाट के बीच वर्तमान परिक्रमा रेल परिक्रमा रेल जैसी नहीं लगती है। यह द्वितीया के चाँद की तरह लगती है। यह वृत्ताकार नहीं है।

मैं इस समय मंत्री महोदय से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि सरकार ने इस परियोजना को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाये हैं? यदि आप माझेरहाट से प्रिंसेप घाट तक परिक्रमा रेल चलाना चाहते हैं तो आपको डिफेंस की जमीन पर कब्जा करना पड़ेगा। आप हुगली नदी के ऊपर से ऐसा नहीं कर सकते। इसलिए यदि आप इस परिक्रमा रेल को चलाना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आपको डिफेंस की जमीन पर कब्जा करना होगा। रक्षा मंत्रालय आपका सहायक संगठन है। क्या वह जमीन उपलब्ध कर रहा है? मेरे विचार से ऐसा नहीं है। परन्तु मंत्री महोदय इसके बारे में पश्चिम बंगाल सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। इसके विपरीत केन्द्रीय सरकार का सहायक संगठन उसके लिए भूमि उपलब्ध नहीं कर रहा है । पश्चिम बंगाल सरकार ने रेल के लिए आवश्यक जमीन पहले ही आबंटित कर दी है। परन्तु यह सरकार कुछ नहीं कर रही है। इसके अतिरिक्त यह सरकार इस परिक्रमा रेल को पूरा नहीं करना चाहती है। इसलिए मैं इस रेल बजट का समर्थन नहीं कर रहा हूं।

**उपाध्यक्ष महोदय**: अब उप रेल मंत्री महोदय हस्तक्षेप कर सकते हैं।

**[हिन्दी]**

**श्री राम सिंह यादव** (अलवर): उपाध्यक्ष महोदय, कुछ इम्पार्टेन्ट चीजें मिनिस्टर साहब के ध्यान में लानी हैं, अगर हमें पहले टाइम दे देते तो ये उसका जवाब दे सकते थे।

**[अनुवाद]**

**उपाध्यक्ष महोदय**: वह सिर्फ हस्तक्षेप कर रहे हैं।

**[हिन्दी]**

**रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री महाबीर प्रसाद)**: सम्मानित उपाध्यक्ष महोदय, कई दिनों से इस माननीय सदन में रेलवे बजट पर बहस चल रही है। इसमें हस्तक्षेप कर बोलने का आपने मुझे अवसर दिया उसके लिए मैं आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं।

आज तक इसमें कुल 23 माननीय सदस्यों ने अपने विचार यहां पर रखे हैं। उनमें से बहुत से विचार रचनात्मक सुझाव के रूप में हैं, जिनसे हमको आगे मदद मिलेगी और उस पर हमने काफी विचार किया है, रेल सेवाओं में सुधार करने के लिए हर प्रयास किया है और करेंगे । जितने विद्वान माननीय सदस्यों ने इसमें भाग लिया है, उनको मैं बधाई देना चाहता हूं लेकिन बहुत से माननीय सदस्यों ने मालभाड़े की वृद्धि के सम्बन्ध में चिन्ता व्यक्त की है और आलोचना भी की है।

इस संदर्भ में मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे वरिष्ठ सहयोगी सम्माननीय सिंधिया जी जब इस माननीय सदन में रेल बजट प्रस्तुत कर रहे थे तो उन्होंने साफ और स्पष्ट शब्दों में यह कहा था कि मालभाड़े, पार्सल एवं सामान की दरों में जो वृद्धि हुई है, वह वृद्धि साधन सामग्री के लागत मूल्यों में हुई वृद्धि को पूरा करने के लिये तथा योजना निवेश के वित्त पोषण के लिये अधिक आन्तरिक संसाधन जुटाने के लिये आवश्यक थी। साधन सामग्री जो हम भारतीय रेल में उपयोग करते हैं, मैं उसकी विशेष व्याख्या

**[श्री महावीर प्रसाद]**
में जाना नहीं चाहता हू। अब माननीय सदस्य मेरी इस बात से सहमत होंगे कि हम जो वृद्धि करते हैं उससे चालन शक्ति रेलवे की बढ़ती है और उसमें गतिशीलता आती है।

श्रीमन्, इस संदर्भ में आपके माध्यम से माननीय सदन को यह बताना चाहता हूं कि सातवीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम तीन वर्षों की कार्यकुशलता, कार्य-क्षमता एवं कार्य-निष्पादन में चौमुखी सुधार हुआ है। यदि हम इन सब को देखें तो पता लगेगा कि हमने माल की ढुलाई में 27 प्रतिशत की वृद्धि की और अतिरिक्त यात्रियों की ढुलाई में 19 प्रतिशत की वृद्धि की। सिर्फ शुद्ध टन प्रति किलोमीटर प्रति माल डिब्बे और प्रतिदिन के हिसाब से बड़ी लाइन में 26 प्रतिशत की वृद्धि और मीटर लाइन अर्थात छोटी लाइन में 29 प्रतिशत की वृद्धि करके हमने माल डिब्बों के उपयोग में बढ़ोत्तरी की। इतना ही नहीं जन शक्ति उत्पादकता में 22 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। हमने रेल इंजनों, माल डिब्बों, सवारी डिब्बों, रेल पथों तथा सिगनल एवं दूर संचार नेटवर्क के महत्वपूर्ण कार्य क्षेत्रों में आधुनिकीकरण करने के लिये बहुत सी योजनायें हाथ में ली हैं।

**श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी (हैदराबाद)**: आप आसान हिन्दी बोलिए। आप ऐसी हिन्दी बोल रहे हैं जो कि समझ में नहीं आ रही है ......**(व्यवधान)**......

**श्री महावीर प्रसाद**: आप भारतीय हैं। भारत में रहने वाले एक सज्जन व्यक्ति के नाते इस माननीय सदन में आये हैं । आपका कर्तव्य बनता है कि भारतीय संविधान में उद्घोषित राष्ट्रभाषा को ही अपनायें ......**(व्यवधान)**......

**[अनुवाद]**

**श्री एन॰वी॰एन॰ सोमू (मद्रास उत्तर)**: उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या वह कह रहे हैं कि गैर-हिन्दी भाषी लोगों को हिन्दी अनिवार्य रूप से सीखनी चाहिए। सभापति से यह पूछने का हमें अधिकार है ......**(व्यवधान)**...... इस वर्ष जवाहर लाल नेहरू की जन्म शताब्दी मनायी जा रही है। उन्होंने कहा था कि आपको गैर-हिन्दी भाषी लोगों की भावनाओं का भी सम्मान करना चाहिए।

**[हिन्दी]**

**श्री महावीर प्रसाद**: माननीय उपाध्यक्ष महोदय, में आपके माध्यम से कहना चाहता था कि हमारे सामने, भारतीय रेल के सामने तीन मुद्दे हैं। विशेष कर के नई लाइनें, आमान परिवर्तन और...

**प्रो॰ सैफुद्दीन सोज़ (बारामूला)**: आप काफी मुश्किल हिन्दी बोल रहे हैं।

پروفیسر سیف الدین سوز (بارہمولہ) آپ کافی مشکل ہندی بول رہے ہیں -

**श्री महावीर प्रसाद**: सुख सुविधाओं के संम्बन्ध में हम विशेष ध्यान देना चाहते हैं। आप हमेशा इस संदर्भ में सोचते हैं कि रेलवे की विकास योजनाएं अच्छी तरह से प्रगति करें...।

**प्रो॰ सैफुद्दीन सोज़**: हम भी तो समझें कि यह क्या कहते हैं।

پروفیسر سیف الدین سوز : ہم بھی تو سمجھیں کہ یہ کیا کہتے ہیں -

**श्री महावीर प्रसाद**: इन बिन्दुओं पर विचार करने के लिए हमको अधिक धन की आवश्यकता है इसलिए हमने इस मुद्दे को सदन के सामने रखा है और योजना आयोग ने संसाधनों की तंगी के बावजूद भी जो आबंटन किया वह बेहतर किया है । मैं यहां पर बोलने वाले सभी विद्वान सदस्यों को सुना तो बहुत से लोग यह कहते रहे कि हमारे क्षेत्र में नई रेलवे लाईनें नहीं बनीं या विकास कार्य, प्रसार के काम के विषय में उन्होंने अपने सुझाव रखे । हमें कम साधन में विशेष काम करने की आवश्यकता

पडती है और मेरा विचार है कि भारतीय रेल में इस वक्त सबसे अधिक जरूरत आधुनिकीकरण, पुनरोद्धार और जीर्णोद्धार की है ताकि हम अपने इस तरह के काम कर सकें, हम आगे बढ़ सकें इसलिए हम माननीय विद्वान सदस्यों से चाहते है कि....

**प्रो. सैफुद्दीन सोज:** गांधी जी ने कहा था कि आसान हिन्दी बोलनी चाहिए और जवाहर लाल नेहरू ने भी कहा था।

پروفیسر سیف الدین سوز: گاندھی جی نے کہا تھا کہ آسان ہندی بولنی چاہئے اور جواہر لال نہرو نے بھی کہا تھا۔

**श्री महाबीर प्रसाद:** मैं प्रवक्ता बनकर यहाँ हिन्दी समझूं?

**प्रो. सैफुद्दीन सोज:** आज सब तकरीर करते हैं तो हमें भी कुछ समझना चाहिए।

پروفیسر سیف الدین سوز: آپ عام ہندی بولئے جو عام ہندوستانی سمجھتا ہے۔

**[अनुवाद]**

हम ऐसी हिन्दी चाहते है जिसे भारत मे सामान्य आदमी समझ सके।

**[हिन्दी]**

**श्री महाबीर प्रसाद:** आप नहीं समझ रहे हैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसका निर्णय करेंगे। अगर समझ म नहीं आता तो यह कान में लगाने के लिए है।

**श्री वृद्धि चन्द्र जैन (बाड़मेर):** इनका सुझाव सही है। आप हिन्दुस्तानी भाषा में बोलिये।

**प्रो. सैफुद्दीन सोज:** आप आम हिंदी बोलिये जो आम हिन्दुस्तानी समझता है।

پروفیسر سیف الدین سوز: آپ جب بھی تقریر کرتے ہیں تو ہمیں بھی کچھ سمجھنا چاہئے۔

**[अनुवाद]**

इसीलिए महात्मा गांधी ने कहा था कि हमें हिन्दुस्तानी अर्थात हिन्दी में बोलना चाहिए और प्रत्येक व्यक्ति को उसे समझना चाहिए।

**[हिन्दी]**

**श्री महाबीर प्रसाद:** इस तरह से जो बात मैं कह रहा था कि ......

**[अनुवाद]**

**प्रो. सैफुद्दीन सोज:** मैं हिन्दी का राष्ट्रभाषा की हैसियत से सम्मान करता हूं। मैं हिन्दी बोलता हूं। परन्तु वह **संस्कृतनुमा** हिन्दी बोल रहे हैं।

**[हिन्दी]**

**श्री रामेश्वर नीखरा (होशंगाबाद):** जब सोज़ साहब अंग्रेजी बोलते हैं तो बहुत अच्छी अंग्रेजी बोलते है लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको समझ में नहीं आती।

प्रो. सैफुद्दीन सोज: हमारे लिए आप सिम्पल हिन्दी बोलिये।

پروفیسر سیف الدین سوز: ہمارے لئے آپ سہل ہندی بولئے۔

**[अनुवाद]**

**उपाध्यक्ष महोदय:** मैं नहीं जानता कि यह **संस्कृतिनुमा** हिन्दी है अथवा हिन्दुस्तानी है। जब वह हिन्दी में बोल रहे हैं तो वही हिन्दी है। उन्हें हिन्दी में बोलने का अधिकार है।

[हिन्दी]

**श्री महावीर प्रसाद:** इस प्रकार से जो मुद्दा मैंने आपके सामने रखा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सदन में, कि विशेषकर प्रसार के कार्यों में या अधिक रेलवे लाइन मांगने के लिए या अण्डर ब्रिज, ओवर ब्रिज बनाने में आप जो पैसों की मांग करते हैं, हम उसको मानने के लिए तैयार हैं लेकिन हम यह सोचते हैं कि चूंकि हमने ठीक गति से रेलवे में संरक्षा, सुरक्षा और समय पालन हो, यह निश्चित किया है, आप इन तीन चीजों को सहते हैं कि इनको हम ठीक करें तो हम जब इन चीजों को ठीक करते हैं तो मैं समझता हूं कि हमको इसको ठीक करने के लिए आधुनिकीकरण की या उसका पुनरूद्धार करने की आवश्यकता पड़ती है, उस चीज में नहीं जाते हैं कि हम विकास नहीं करेंगे, हम योजनाओं को भी लाना चाहते हैं हम रेलवे में पूरे भारत को एक मानचित्र मानकर काम करना चाहते हैं। **(व्यवधान)**

हमारे बहुत से विद्वान सदस्यों ने यहां पर विभिन्न प्रकार के सुझाव रखे हैं, उनके सम्बन्ध में मैं अब कुछ कहना चाहता हूं। हमारे सामने सबसे पहले सम्मानित विद्वान सदस्य प्रो. मधु दण्डवते जी ने दो-तीन बिन्दुओं पर प्रकाश डाला था। उनका पहला बिन्दु यह था कि कमीशन-बैयरर्स जो हैं उनको हम नियमित रेलवे कर्मचारी मान लें। मैं आपके माध्यम से माननीय सदन को बतलाना चाहता हूं कि इस कार्य को हम चरणों में कर रहे हैं । 1978-88 के बीच लगभग 1490 कमीशन-बेयरर्स को हमने नियमित कर दिया है । इसके बाद हाल ही में जनवरी, 1989 में 429 नयी जगहें इन्हीं को समाहित करने के लिए हमने निश्चित की हैं। उसके बाद लगभग 1272 कमीशन-बैयरर्स शेष रहते हैं उनको भी नियमित करने का हमारा विचार है।

प्रो. दण्डवते जी का दूसरा प्वाइन्ट संरक्षा से संबंधित था कि संरक्षा सुधार के लिए सहायक चेतावनी प्रणाली जो है उसको हम किस प्रकार से ठीक करें । मैं आप के माध्यम से बताना चाहता हूं कि सहायक चेतावनी प्रणाली पश्चिम रेलवे से उपनगरीय खण्ड जो हैं, जहां पर ए एम यू गाड़ियां चलती हैं। वहां लागू की गई है । यह कार्य 60 किलोमीटर के चर्चगेट-विरार खण्ड पर पूरा हो चुका है । मध्य रेलवे उपनगरीय खण्डों पर भी यह काम प्रगति पर है जिसमें 76 किलोमीटर की कुल लाइन बाम्बे-वीटी कल्याण खण्ड तथा मुख्य लाइन और हार्बर ब्रांच भी शामिल है । इसके बाद लगभग 2200 किलोमीटर कुल लम्बाई की नई-दिल्ली-आगरा, नई दिल्ली-मुगलसराय और मथुरा-बम्बई-सेन्ट्रल खण्डों पर सहायकं चेतावनी प्रणाली के विषय में व्यवस्था करने के लिए स्वीकृति दे दी गई है और इसपर कार्य करने के लिए सामग्रियों को खरीदने के लिए निविदायें जारी कर दी गई हैं । इस प्रसार से यह जो कार्य है यदि सामग्री और सामान हमें मिल जायेंगे तो वहां पर लगभग तीन साल में सहायक चेतावनी प्रणाली लागू हो जायेगी।

प्रो. दण्डवते जी का तीसरा बहुत महत्वपूर्ण सुझाव था संरक्षा और ऊर्जा की बचत के लिए वेल्डिंग के काम में तेजी लाने के लिए, क्योंकि इससे हमारी पटरियों को बिछाने, उनका बदलाव करने में काफी कमी हो सकती है, इस सन्दर्भ में मैं बताना चाहता हूं कि भारतीय रेलवे की पटरी के जोड़ों पर ढलाई का काम सबसे पहले तेज़ किया गया और 31-3-88 तक लगभग 49,895 किलोमीटर रेल लाइन में फैली हुई पटरियों का इस्तेमाल किया गया था। जिसमें से लगभग 15,000 किलोमीटर में लम्बी झली हुई पटरियांइस्तेमाल में लायी गई थीं।आशा है कि 1988-89 के अंत तक झली हुई पटरियों का इस्तेमाल बढ़ कर 51,000 किलोमीटर रेल लाइन में होगा, जिसमें से 16,000 किलोमीटर में लम्बी झली हुई पटरियों का इस्तेमाल होगा। हर वर्ष लगभग 1,500 किलोमीटर लम्बी पटरियों की झलाई का काम किया जा रहा है इस तरह से जो माननीय प्रोफेसर साहब के जो तीन बिन्दुओं के सुझाव थे, उन तीनों बिन्दुओं पर आपके माध्यम से माननीय सदन में बताए।

**1.00 म०प०**

एक दूसरे सम्मानीय सदस्य श्री के. मोहनदास, जो कि केरल से है, और अभी अभी पुरुषोत्तम जी

बोल रहे थे, उनका इस संदर्भ में यह कहना कि हम पक्षपात करते हैं, यह ठीक नहीं है । जैसा कि हमारे सम्मानित सदस्य-प्रधान जी ने भी कहा कि यह मध्य प्रदेश का बजट है । मैं यह कहना चाहता हूं कि यह मध्य प्रदेश का बजट नहीं है । हमने जो बजट में प्रावधान किए हैं, हम किसी प्रान्त के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर या क्षेत्रीयता के आधार पर प्रावधान नहीं करते हैं, बल्कि परिवहन की आवश्यकता को देखते हुए बजट में प्रावधान करते हैं । इसलिए यह लांछन लगाना कि यह बजट सिंधिया बजट और मध्य प्रदेश का बजट है, बिल्कुल गलत है। **(व्यवधान)**

**[अनुवाद]**

**श्री अमर रायप्रधान:** उपाध्यक्ष महोदय ,मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या उत्तर सीमा रेलवे में एक किलोमीटर भी इलैक्ट्रिक लाइन का प्रस्ताव किया गया है।

उत्तर सीमा रेलवे के लिए आपने कुछ नहीं किया है । इस बजट में आपने एक भी ट्रेन नहीं चलायी है। ...**(व्यवधान)**...

**[हिन्दी]**

**श्री महावीर प्रसाद:** मैं समझता हूं कि आप बहुत अच्छे सदस्य हैं, आप क्यों आवेश में आ रहे हैं। कृपया शान्तिपूर्वक सुनिए, तो अच्छा रहेगा । हमारे माननीय सदस्य प्रोफेसर पराशर जी अभी यहां थे, वे कहीं चले गए हैं और हमारे माननीय विद्वान सदस्य श्री अजय मुशरान जी ने रेल कर्मचारियों से संबंधित कल प्रश्न उठाया था। मैं इस सम्मानीय सदन में रेलवे कर्मचारियों को बधाई देना चाहता हूं कि जो भी प्रगति हम ने रेलवे में की है, वह प्रगति वरिष्ठ, कनिष्ठ अधिकारियों के सहयोग से और उनकी समर्पण की भावना से ही हुई है । इसलिए मैं उनको बधाई देना चाहता हूं।

जहां तक रेलवे कर्मचारियों के संदर्भ में कार्यालय की व्यवस्था करने, रेलवे कालोनियों की व्यवस्था करने, उनके स्वास्थ्य के विषय में व्यवस्था करने और उनके बच्चों के लिए स्कूलों की व्यवस्था करने का सवाल है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमने छठी पंचवर्षीय योजना में वार्षिक औसत 20 करोड़ रुपया नियमित किया था, जिसको बढ़ा कर सातवीं पंचवर्षीय योजना में 47 करोड़ रुपया किया गया और इसके बाद 1989-90 में योजना में उनके कल्याण के लिए 65 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है, ताकि रेलवे कर्मचारियों के लिए हम अधिक से अधिक कर सकें। जैसा कि कल माननीय सदस्य अजय मुशरान जी ने स्कूल के संदर्भ में कल प्रश्न उठाया था कि अधिक से अधिक स्कूल खुलने चाहिए और उनकी पढ़ाई के लिए केन्द्रीय विद्यालयों की स्थापना करनी चाहिए । मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि वैसे शिक्षा राज्य सरकार का विषय है, फिर भी हम देखते हैं कि कहीं पर रेलवे कर्मचारियों की अधिकता है, उसके आधार पर हम रेलवे कर्मचारियों के बच्चों के लिए स्कूल खोलते हैं । वे स्कूल रेलवे द्वारा चलाए जाते हैं । इस प्रकार इस समय 684 स्कूल हमारे यहां हैं, जिनमें से एक डिग्री कालेज, सात इन्टरमीडिएट कालेज, 85 हायर सैकैंड्री स्कूल, 29 मीडिल स्कूल और 562 प्राइमरी स्कूल कार्यरत हैं। ये स्कूल रेलवे कर्मचारियों के बच्चों के कल्याण के लिए हैं । मैं बधाई देना चाहता हूं मानव संसाधन मंत्रालय को कि हमारी मांग पर उन्होंने विचार किया है और भारतीय रेलों के माध्यम से 59 केन्द्रीय विद्यालय चल रहे हैं और हमने और ऐसे विद्यालयों की मांग की है और हम कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे और केन्द्रीय विद्यालय स्थापित किये जाएं।

मैं आप के माध्यम से एक और बात बताना चाहता हूं। झारीपानी, जो मसूरी में है, वहां पर एक माडल स्कूल 1988 में बनाया गया था और भारतीय रेलों के अच्छे बच्चे उस स्कूल में पढ़ते हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही आदर्श स्कूल है। इस प्रकार से रेलवे कर्मचारियों के संबंध में हम कोशिश कर रहे हैं कि अधिक से अधिक सुख-सुविधा उन को दे सकें और उन के लिए कल्याण के कार्य कर सकें।

[श्री महावीर प्रसाद]

बहुत से माननीय सदस्यों ने जैसे प्रोफेसर पराशर, डा. चन्द्र शेखर त्रिपाठी और दूसरे अनेक विद्वान सदस्यों ने यात्रियों की सुख-सुविधा के संबंध में यहां पर इस माननीय सदन में अपने सुझाव दिये हैं। हम जो भी काम करते हैं, भारतीय रेलों के जो सम्मानित यात्रीगण हैं, उन की सुख-सुविधा के संबंध में सतत् प्रक्रिया के रूप में काम करते हैं। हम उन के लिए पीने के पानी की व्यवस्था, उन के रहने की व्यवस्था, स्टेशनों पर बिजली की व्यवस्था और अच्छे खान-पान की व्यवस्था करते हैं। इस संदर्भ में आप के माध्यम से यह बताना चाहता हूं कि सातवीं पंचवर्षीय योजना में वार्षिक औसत 15.8 करोड़ रूपये निर्धारित किया गया है और छठी पंचवर्षीय योजना में केवल 5.1 करोड़ रूपये निर्धारित किया गया था। इस तरह से लगभग तीन गुना से अधिक सातवीं पंचवर्षीय योजना में छठी पंचवर्षीय योजना के मुकाबले पैसा रखा गया। 1988-89 की तुलना में 1989-90 में 30 प्रतिशत से अधिक रूपया है, जो इस पर खर्च कर रहे हैं और सब से बड़ी बात यह है कि इस बार 1989-90 के बजट में हमने 25 करोड़ रूपया यात्री सुख-सुविधा के लिए रखा है। मैं यह कहना चाहता हूं इस माननीय सदन में कि हम यह चाहते हैं कि यात्रियों को हम अधिक से अधिक सुख-सुविधा दें और उनके बैठने की और स्टेशनों पर पीने के पानी की व्यवस्था और खान-पान की व्यवस्था में हम सुधार लावें। इस बात की कोशिश हम कर रहे हैं। हम सम्मानित यात्रियों को अधिक से अधिक सुख-सुविधा देने की कोशिश कर रहे हैं।

मैं आपके माध्यम से एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं इस सदन में। कंप्यूटरकृत आरक्षण, कंप्यूटराइज्ड रिजर्वेशन, एक बहुत अच्छी चीज है, जो हमने पहले बम्बई, नई दिल्ली, मद्रास और कलकत्ता में की। हम यह कोशिश कर रहे हैं कि कंप्यूटराइजेशन के द्वारा हम अधिक से अधिक लोगों को लाभ पहुंचावे और अधिक से अधिक यात्री आसानी से आरक्षण करा सकें और वापसी यात्रा, जिसे रिटर्न जर्नी कहते हैं, के लिए भी आरक्षण देने की कोशिश कर रहे हैं और जितना सुधार इस दिशा में लाना चाहिए, उस के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। अभी श्री राम सिंह जी, सम्मानित सदस्य ने मुझ से हरिजनों के आरक्षण के संबंध में कहा और पूछा कि रेलवे ने इस संबंध में क्या किया। मैं इस माननीय सदन को बताना चाहता हूं कि रेलवे एक ऐसा सार्वजनिक उद्यम है, जिस में टाप के और दूसरे लोगों को मिला कर लगभग 18 लाख लोग काम करते हैं और उन में जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, उन के लिए जो आरक्षण की व्यवस्था है, उस को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं...

**एक माननीय सदस्य:** वह पूरा नहीं है।

**श्री महावीर प्रसाद:** मैं भी कहता हूं कि वह पूरा नहीं है। लेकिन मैं आपसे सहमति प्रकट करता हूं। मैं सभी माननीय सदस्यों से कहना चाहता हूं कि हमारे युवा नेता प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी का यह दृष्टिकोण है कि आदिवासियों और हरिजनों को अधिक से अधिक लाभ हम पहुंचाए। उनके नौकरियों में आरक्षण को हम पूरा करें। श्रीमन् हम चाहते हैं कि सतत प्रक्रिया के आधार पर, जो हजारों वर्षों से शोषित और दलित रहे हैं, उनका विकास करें और हम इस सतत प्रक्रिया के रूप में आगे बढ़ रहे हैं। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि रेलवे मंत्रालय में इस कमी को पूरा करने के लिए हमारा पूरा ध्यान है और हमने क्षेत्रीय रेलों और मंडलीय रेलों के आधार पर सेल और कक्ष बनाये हैं जो कि शिकायतों के मामलों पर और आरक्षण के मामलों पर विचार करते हैं।

**श्री राम प्यारे सुमन (अकबरपुर):** ग्रुप ए बी सी डी में जो कमियां हैं उन्हें पूरा कर रहे हैं या नहीं?

**श्री महावीर प्रसाद:** श्रीमन्, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि हमने मार्च 88 से 18.61 प्रतिशत शेड्युल्ड कास्ट्स का आरक्षण पूरा किया है और शेड्युल्ड ट्राइब्स का 5.16 प्रतिशत पूरा किया है।

ये जो क, ख, ग, घ, या ए, बी, सी और डी क्लास हैं इनके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं कि ए ग्रुप का यू. पी. एस. सी. से चयन होता है, बी गुप का प्रमोशन के आधार पर हम करते हैं और ग, घ, का डाइरेक्ट प्रक्रिया के द्वारा, आरक्षण के द्वारा रेलवे रिक्रूटमेंट के द्वारा हम करते हैं जो इन ग्रुपों में आते हैं उनके लिए हम इसी प्रक्रिया के आधार पर काम करते हैं।

अंत में मैं यह बताना चाहता हूं कि मुझे तो आज इस संदर्भ में काफी असंतोष हुआ कि इस माननीय सदन में कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो हिन्दी के प्रति इतना विरोध प्रकट करेंगे। मैं भारतीय हूं और भारतीय रेल हिन्दी के प्रति इस भावना को लेकर के काम करती है कि भारत एक है, भारत का मान-चित्र एक है। भारत की एकता और अखंडता को मजबूत करने के लिए हम एक एक यात्री का स्वागत करते हैं और उनको सुख-सुविधाएं देने के लिए भारतीय रेल को प्रगति के पथ पर ले जाना चाहते हैं। इस माननीय सदन में जितने भी माननीय सदस्यों ने इस बहस में भाग लिया मैं उनको बधाई देता हूं।

---

**1.13 म०प०**

## राष्ट्रपति से संदेश

**[अनुवाद]**

**उपाध्यक्ष महोदय:** मुझे सभा को सूचित करना है कि अध्यक्ष को राष्ट्रपति से 7 मार्च, 1989 का निम्नलिखित संदेश प्राप्त हुआ है:

"21 फरवरी, 1989 को एक साथ समवेत संसद की दोनों सभाओं के समक्ष मेरे द्वारा दिये गये अभिभाषण के लिए लोक सभा के सदस्यों द्वारा व्यक्त किए गए धन्यवाद को मैं सहर्ष स्वीकार करता हूं।"

अब सभा की बैठक स्थगित होती है और मध्यांह भोजन के पश्चात 2.15 म०प० पर पुनः समवेत होगी।

**1.14 म. प.**

**तत्पश्चात लोक सभा मध्यांह भोजन के लिए 2.15 म०प० तक के लिए स्थगित हुई।**

---

**2.18 म०प०**

**मध्यान्ह भोजन के पश्चात् लोक सभा 2.18 म०प० पर पुनः समवेत हुई।**

**[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]**

## रेल बजट, 1989-90—सामान्य चर्चा—(जारी)

**उपाध्यक्ष महोदय:** श्री गंगाराम

**[हिन्दी]**

**श्री गंगा राम (फिरोजाबाद):** उपाध्यक्ष महोदय, रेल राज्य मंत्री द्वारा वर्ष 1989-90 के लिए इस सदन में प्रस्तुत रेल बजट का मैं समर्थन करता हूं। इस अच्छे बजट की प्रस्तुति के लिए उनको बधाई देता हूं। यह प्रसन्नता का विषय है कि रेल मंत्रालय का काम सराहनीय रहा है, जिसका श्रेय रेल राज्य मंत्री, उनके सहायक, उप मंत्री, अधिकारियों तथा कर्मचारियों को पर जाता है। मैं उनको योग्यता, कार्यकुशलता, तथा निष्ठा की भावना की भूरि-भूरि प्रशंसा करता हूं। रेल राज्य मंत्री माननीय सिंधिया जी द्वारा यह पांचवां रेल बजट प्रस्तुत किया गया है, यह सौभाग्य बिरलों को ही मिलता है। रेल मंत्रालय के वर्ष 1987-88 के

[श्री गंगा राम]

वित्तीय परिणाम वास्तव में उत्साहजनक रहे हैं, क्योंकि 69 करोड़ रुपए के बजट अनुमान के विपरीत अभिशेष 84.29 करोड़ रुपए जो कि 638.86 करोड़ रुपए की धनराशि सामान्य राजस्व का भुगतान करने के बाद लगाई गई है।

बजट में यात्री किराया नहीं बढ़ाया गया है जिसका जनता ने स्वागत किया है। माल, भाड़ा यातायात की दरों में ग्यारह प्रतिशत की वृद्धि करने का प्रस्ताव है। पार्सल और सामान की दरों में भी इतनी ही वृद्धि प्रस्तावित है। यद्यपि माल यातायात की दरों में वृद्धि से दैनिक उपयोग की चीजों के मूल्य में वृद्धि होगी जिससे साधारण जन-जीवन प्रभावित होगा किन्तु वित्तीय संसाधनों को जुटाने के लिए और कोई चारा भी नहीं है। रेल राज्य मंत्री की यह विवशता ही रही है, अन्यथा वे इस वर्ष सम्भवतः ग्यारह प्रतिशत की वृद्धि भी नहीं करते। जनता को भगवान नीलकंठ की भांति इस गरल को पीना ही पड़ेगा। इस बजट में नेहरू शताब्दी के उपलक्ष्य में खेलकूद के प्रख्यात कोचों, शूरवीरों, बहादुरों तथा वरिष्ठ नागरिकों के प्रति आदर और सम्मान प्रदर्शित करने के लिए पांच सौ किलोमीटर से अधिक दूरी की यात्रा के लिए 65 वर्ष और इससे अधिक आयु के प्रत्येक व्यक्ति को रेल किराए में पच्चीस प्रतिशत की रियायत दिए जाने का प्रस्ताव है। मेरा सुझाव है कि अनुभव और ज्ञान की भाषा के ज्ञाता वरिष्ठ नागरिकों को भी अन्य श्रेणी के विशेष व्यक्तियों की भांति पचास प्रतिशत की रियायत दी जानी चाहिए और पाचं सौ किलोमीटर की दूरी को कम करके सौ किलोमीटर किया जाना चाहिए। मान्यवर, मैं यह बात इसलिए कहता हूं कि बुढ़ापे में लोग सफर कम करते हैं क्योंकि चाणक्य ने कहा है कि सफर में जितना कष्ट होता है उसका वर्णन संभव नहीं है। फिर समाज को बुढापे का उचित सम्मान करना ही चाहिए। क्योंकि कवि कहता है कि "जबकि बुढ़ापा आया उसको अनुभव और ज्ञान की भाषा दे दी।" जिसका लाभ समाज को ही मिलता है। मेरा यह भी सुझाव है कि रेल मंत्री जी पूर्व सांसदों को देशभर की सभी ट्रेनों में प्रथम श्रेणी का पास जारी करने पर विचार करने की कृपा करें। रेल बजट में देश के विभिन्न क्षेत्रों में नयी गाड़ियां चलाने, अनेकों के फेरे बढ़ाए जाने, पांच गाड़ियों का चालन क्षेत्र बढ़ाए जाने, बम्बई क्षेत्र में 27 अतिरिक्त बिजली गाड़ियां चलाने, कुछ गाड़ियों को अधिक कर्षण शक्ति प्रदान करने के प्रस्ताव हैं। अगले वित्तीय वर्ष में यातायात के लिए नए खण्डों को खोलने की भी योजना है जिनमें 191 किलोमीटर रेलवे लाइनें बिछाई जायेंगी। किंतु मैं इसे अपना दुर्भाग्य समझता हूं कि आगरा क्षेत्र के पिछड़े इलाके में कोई नई रेलवे लाइन प्रस्तावित नहीं है। मैं सन् 1985 से मांग करता आ रहा हूं कि आगरा से चम्बल घाटी में स्थित बाह तक रेलवे लाइन बिछाई जाए जिससे उस क्षेत्र का विकास हो सके किन्तु पता नहीं क्यों माननीय मंत्री जी ने इस मांग पर कोई ध्यान नहीं दिया है। मैं पुनः अनुरोध करूंगा कि इस नई रेलवे लाइन को बिछाने के प्रस्ताव को स्वीकृत करने की कृपा की जाए। आगरा से टूण्डला तक की रेलवे लाइन के विद्युतीकरण के मन्थर गति पर भी ध्यान देने की आवश्यकता पर बल देना चाहूंगा। सम्प्रति आगरा से लखनऊ के लिए अवध एक्सप्रैस चल रही है जिसे कोटा तथा गोरखपुर तक बढ़ा दिया गया है, अतः आगरावासियों के लिए अब कोई सुविधाजनक द्रुतगामी गाड़ी नहीं रही है। सुझाव है कि आगरा तथा लखनऊ के महत्व को दृष्टिगत करते हुए इस बीच एक सुपरफास्ट ट्रेन चलाने की व्यवस्था की जाए। वर्तमान अवध एक्सप्रैस की दुर्दशा पर जितने आंसू बहाए जाएं वे कम हैं। सुझाव है कि इस ट्रैन को किसी लूप-लाइन पर भेजकर जनता को एक अच्छी ट्रेन प्रदान की जाए। अवध एक्सप्रैस में आगरा से जाने के लिए फर्स्ट क्लास के डिब्बों की कमी है। निवेदन है कि प्रथम श्रेणी की शैयायों की संख्या आगरा के लिए कम के कम बीस की जानी चाहिए। गोमती एक्सप्रेस को टूण्डला पर हाल्ट प्रदान करने की मांग पुरानी है। इस पर गंभीरतापूर्वक विचार कर पांच मिनट का हाल्ट प्रदान किया जाए। मान्यवर, फिरोजाबाद अब एक अलग जिला बन गया है। अतः इसके रेलवे स्टेशन के महत्व को नकारा नहीं जा सकता है। इस स्टेशन की स्थिति दयनीय है। यहां पर कम से कम चार शैड तथा अच्छे प्रतीक्षालयों के निर्माण की आवश्यकता है। पीने के पानी का प्रबन्ध भी

संतोषजनक नहीं है। फिरोजाबाद स्टेशन पर कुछ गाड़ियों को रोकना आवश्यक है। कालका मेल यहां पर कतई नहीं रुकती है। दोनों तरफ के डीलक्स तथा नीलांचल-पुरी एक्सप्रैस को फिरोजाबाद पर रोका जाना चाहिए। फिरोजाबाद से लगभग दो सौ संवारियां प्रतिदिन टूण्डला जाकर गाड़ी पकड़ती हैं। इसके कारण उनके रास्ते में जो कठिनाई होती है वह वर्णनतीत है। यह कुछ ऐसी गाड़ियां हैं जैसे तूफान एक्सप्रेस जिसमें सेकण्ड क्लास में थ्री टायर में फिरोजाबाद से दो बर्थ मिली हैं इसको दस कर देना चाहिए, इसी तरह से कालका एक्सप्रेस में भी दो हैं, इसको भी बढ़ाना चाहिए। ऊंचाहार एक्सप्रेस मगध एक्सप्रेस में पहले दस बर्थे थी उनको कम करके पांच कर दिया गया है, जनता एक्सप्रेस में दो का कोटा है उन्हें बढ़ाकर बीस कर देना चाहिए। संगम एक्सप्रेस में श्री के कोटे को 10 तक बढ़ा देना चाहिए। मैं अन्त में पुनः रेल राज्य मंत्री जी, उप मंत्री जी और रेलवे परिवार को इस अच्छे बजट के लिए बधाई देता हूं और मुझे आशा है कि रेलवे परिवार दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करेगा और फलता-फूलता रहेगा।

[अनुवाद]

**उपाध्यक्ष महोदय:** मैं सभा को सूचित करना चाहता हूं कि बोलने के लिए कांग्रेस पार्टी के सदस्यों के 82 नाम मेरे पास पहले ही हैं। इसलिए समस्या यह है कि म शेष समय में सभी सदस्यों को समय नहीं दे सकता। इसलिए मेरा सभी सदस्यों से अनुरोध है प्रत्येक सदस्य 5-6मिनट का ही समय ले। यदि आप अपनी बातें संक्षेप में कहेंगे तो मैं सभी सदस्यों को अवसर दे सकता हूं। अन्यथा मैं सभी सदस्यों को बोलने का समय नहीं दे सकता। इसलिए कृपया मेरे पास मत आईये और बोलने के लिए समय हेतु दबाव मत डालिये। पांच मिनट के बाद मैं घंटी बजाऊंगा तो आप एक मिनट में अपना भाषण समाप्त कर देना। उसके बाद यदि कोई सदस्य बोलेगा तो उसे कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जायेगा। मैं आपको बता रहा हूं कि मैं इस संबंध में बहुत सख्ती बरतूंगा। यदि प्रत्येक सदस्य 10 मिनट का समय लेना चाहता है तो आपको वक्ताओं की संख्या कम करनी पड़ेगी। उस स्थिति में ही मैं प्रत्येक सदस्य को दस मिनट का समय दे सकता हूं। परन्तु यदि आप चाहें कि यह चर्चा कल तक समाप्त हो जाए और कांग्रेस पार्टी के 100 सदस्यों तथा विपक्षी पार्टियों के 20 सदस्यों को बोलने का समय दिया जाए तो सभी सदस्यों को किस प्रकार समय दिया जा सकता है। आप इसका हिसाब करके मुझे बता दीजिए।

**श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा):** 100 सदस्य तो यहां नहीं हैं।

**उपाध्यक्ष महोदय:** जिस सदस्य को बोलना है वह आयेगा, बोलेगा और चला जायेगा। इसलिए अधिकांश सदस्य बोलकर चले जायेंगे। उनका उद्देश्य पूरा हो जायेगा। इसी प्रकार प्रत्येक सदस्य आकर, बोलकर चला जायेगा तो प्रत्येक सदस्य की सहायता किस प्रकार की जा सकती है? मैं जानता हूं कि कुछ समय बाद आप भी चले जाओगे। इसलिए मैं प्रत्येक सदस्य को बोलने के लिए 5-6 मिनट दूंगा। आपको 5-6 मिनट में अपना भाषण पूरा करना है। इस रेल बजट पर प्रत्येक सदस्य बोलना चाहता है क्योंकि यह महत्वपूर्ण विषय है। मैं समझता हूं कि यह विशेष वर्ष है जिसमें जनता को आकर्षित करने के लिए आपको बजट पर बोलना ही है। इसलिए मैं प्रत्येक सदस्य को अवसर दूंगा। इस प्रकार मैं आशा करता हूं कि प्रत्येक सदस्य 5-6 मिनट में अपना भाषण समाप्त करने का प्रयास करेगा। मैं यही कह सकता हूं।

[हिन्दी]

**डा॰ कृपासिंधु भोई** (सम्बलपुर): सह नाववतु/ सह नौ भुनक्तु/ सहवीर्यं करवावहै तेजास्विनावधीतमस्तु/ मा विद्विषा वहै/ उपनिषद। यह मंत्रीजी और आपके लिए, दोनों के लिए है कि सहज आओ और सहानुभूति दिखाओ, हम सबको समान क्षमता उपलब्ध कराओ हमारे अन्दर विद्वेष जात न कराओ। मैं इस रेल बजट का स्वागत करता हूं। रेल देश की लाइफ लाइन अगर यह नहीं हो। तो देश का विकास नहीं हो सकता है। लेकिन ब्रिटिश सरकार जो कर गई थी, हमारे हिन्दुस्तान के मिनरल्स ले जाने

[डा० कृपासिन्धु भोई]

के लिए और रा-मेटिरियल को ले जाने के लिए जो काम उन्होंने किया वही ढ़ांचा अभी बदला नहीं है। योजना आयोग से रेल मंत्रालय के ज्योलोजिस्ट कैसे आम्पूमिंट करते हैं यह तो मुझे पता नहीं। योजना अयोग में कोई ज्यूलोजिस्ट है भी या नहीं यह भी नहीं मालुम । इन्दिरा जी जिस समय जापान गई थी, तो एक बच्चे ने पूछा कि;

[अनुवाद]

भारत का रूर क्या है"? श्रीमती इन्दिरा गांधी हंसी और कहा "उड़ीसा भारत का रूर है"

[हिन्दी]

आपको अल्पकालीन और दीर्घकालीन नीति बनानी चाहिए। अल्पकालीन अवधि की जो नीति है उसमें आपको देखना चाहिए कि कैसे पैसा इकट्ठा करके अविकसित क्षेत्रों का विकास किया जा सकता है, यह तभी हो सकता जब आप वहां रेल लाइन का विकास करें जहां डायमंड्स, जैम्स एटोमिक मिनरल्स उपलब्ध हों, जहां पर निकल उपलब्ध हो जो कि 17 हजार टन है। इसी तरह से योजना आयोग में ज्यूलोजिस्ट होने चाहिए जो देखें कि कैसे रिसोर्सेज का मोबिलाइजेशन हो सकता है और मिनरल्स को कैसे दूर-दराज के क्षेत्रों से निकालकर ले जाया जा सकता है इससे पाण्डे कमेटी की रिपोर्ट भी फुल फिल हो जायेगी। इसलिए मैं रेल उप मंत्री महावीर प्रसाद से अनुग्रह करूंगा कि आप माधवराव सिंधिया जी को बतायें कि वे रेल मंत्रालय में, रेल भवन में एक एक्सपर्ट ज्यौलौजिस्ट नियुक्त करें ताकि वे आपके विभाग को बता सकें कि हिन्दुस्तान में रत्नगर्भा भूमि कहां कहां है, कहां रेलवे लाइनें बिछाने से आपको ज्यदातर आमदनी हो सकती है। प्लानिंग कमीशन में भी इस पर विचार होना चाहिये।

ब्रिटिश सरकार के टाइम से कलकत्त साउथ ईस्टर्न रेलवे और ईस्टर्न रेलवे, दो जोनों का मुख्यालय है और अब तीसरा जोन मट्रो रेलवे का मुख्यालय भी बन गया है। मैं मांग करता हूं कि साऊथ ईस्टर्न रेलवे का हैडक्वार्टर कलकत्ता से उठाकर आप सम्बलपुर ले जाइये, जिससे मध्य प्रदेश, और उड़ीसा को वह अच्छी तरह फीड कर सके और बिहार को भी लाभ होगा। उड़ीसा, बिहार और मध्य प्रदेश तीनों में मिनरल्स के विशाल भण्डार मौजूद हैं, गोंडवाना एण्ड ओल्ड फौरमेशन के कारण, वहां से जितना अधिक रिसोर्सेज का मोबिलाइजेशन हो सकता है, उतना किसी दूसरे क्षेत्र से नहीं सो सकता। रेलवे को राउरकेला, दुर्गापुर और भिलाई स्टील प्लांटस से बहुत आमदनी होती है, परन्तु रेलवे के मामले में वे क्षेत्र उतने विकसित नहीं हो पाये हैं। यदि आप साउथ ईस्टर्न रेलवे का मुख्यालय सम्बलपुर ले जाते हैं तो उससे इकोनोमिकली बैकवर्ड रीजन का विकास करने में बहुत मदद मिलेगी। मैंने आपसे इस संबंध में पहली भी निवेदन किया था, पता नहीं आप क्यों इसे सम्बलपुर शिफ्ट नहीं करना चाहते।

तीसरे हमारे उड़ीसा और मध्य प्रदेश, बिहार में अनेक धार्मिक स्थल हैं, हिस्टौरिक रीजन है, जब तक आप रेलों के मामले में हमारे क्षेत्र के साथ स्टैप मदरली ट्रीटमैंट करते रहेंगे, आप कितने भी प्रोजैक्टस बनाने के लिए बोलिये कोई इकोनोमिक वायविलिटी साउथ ईस्र्टन रेलवे होने नहीं देगा बिल्कुल इम्पौसिबल है। कौन सा इलका कितना इकोनोमिकली वाययवल है मंत्री जी के पास सभी आकड़े मौजूद हैं। यदि नहीं है तो मैं उन्हें दे सकता हूं। परन्तु आप साउथ ईस्टर्न रेलवे के हैडक्वार्टर को कलकत्ता से शिफ्ट करके सम्बलपुर अवश्य ले जाइयें डिवीजन की बात मैं किसी दूसरे मौके पर करुंगा क्यों कि उसमें काफी समय लग जयेगा। उसमें भी हमारे साथ मिसचीफ हुआ है।

सम्लपुर तालचेर रेलवे लाइन का फाउन्ड़ेशन स्टोन हमारे प्रधान मंत्री जी ने 14 सितम्बर 1984 को स्थापित किया था, गनी खां चौधरी साहब भी मौजूद थे। इस साल उस पर 28 करोड़ रुपयां खर्च होना है उससे केवल तालचेर-अनुगुल का काम होगा। सम्बलपुर का नाम निशान नहीं है। वैसे ही सम्बलपुर रढ़ाकुल

रेलवेलाइन के लिये आपने बहुत नाममात्र का प्रावाधान किया है। मैं नहीं समझ सका कि जो रेलवे लाइनें आपको एक साल में 500 करोड़ रूपये का मुनाफा दे सकती है, उनके लिये आपने बजट में इतना कम पैसा क्यों रखा। उस इलाके में डायमण्ड, जैम, स्टोन और एटामिक मिनरल्स भरे पड़े हैं। मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी अपने उत्तर में स्थिति स्पष्ट करें। हमारे डिवीजन में उनकी स्मैगलिंग की जाती है। सम्बलपुर डिविजन के लिए प्रधान मंत्री जी ने 1100 किलोमीटर का ज्यूरिस्डिक्शन होने की बात मान ली थी और 30 करोड रुपये खर्च करने की बात गनी खां जी ने मानी थी लेकिन रेलवे मंत्रालय के मि० बाला सुब्रह्मण्यम. का दिनांक 2 फरवरी, 1985 का मुझे एक पत्र मिला, जिसमें हमारे डिविजन का ज्यूरिस्डिक्शन 738 और 172 किलोमीटर कर दिया। दूसरे सम्बलपुर तालचेर रेलवे लाइन ट्रंकेटिड कर दिया जो साउथ ईस्टर्न रेलवे का विलक है, मैं इसे अन्याय समझता हूं, जो बर्दाशत नहीं किया जायेगा। मेरा निवेदन यह कि आप इसके लिए बजट में 1985 के अनुरूप स्टेटस मैन्टन करके बाकी पैसा दें। मैं जानता हूं अभी उड़ीसा के काफी माननीय सदस्य बोलने वाले हैं, किन्तु आप उन्हें समय नहीं देंगे। आपको ध्यान रखना चाहिए कि उड़ीसा और मध्य प्रदेश का छत्तीसगढ़ एरिया बहुत बैकवर्ड है। यहां वे लोग चिल्ला रहे हैं जिनके यहां 44 या 45 परसैंट रेलें चल रही हैं, जब कि हमारे उड़ीसा में 13 परसैंट ही चलती हैं। मैं माधवराव सिंधिया जी से कहना चाहता हूं कि आपने छत्तीसगढ़ और हमारे उड़ीसा को नैग्लैक्ट क्यों कर रखा है, इसका जवाब आपको देना चाहिये। मेरी मांग है कि कलिंग एक्सप्रेस को फिर से इन्ट्रोड्यूस कीजिये क्योंकि उसके बंद कर देने से वैस्टर्न उड़ीसा की जनता के लिए कोई फास्ट ट्रेन नहीं है इसलिए बहुत तकलीफ हो रही है। छत्तीसगढ़ वाल्टेयर लिंक ट्रेन को पहले की भांति चालू कीजिये और वाल्टेयर से रायपुर होते हुए दिल्ली आने के लिए टू-टायर ए.सी. कोच लगाइये, जैसा पहले चलता था। सारनाथ एक्सप्रेस में टिटलागढ़ से बोगी अलग से इलाहाबाद तक एडीशन कीजिए ताकि हिन्दू लोग अपने पर्व में सीधा जा सकें। मैं इसकी मांग बहुत दिनों से करता आ रहा हूं, आपने आश्वासन भी दिया था, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। बरगज रायपुर और बोलंगीर खुर्दा रेल लाइन का सर्वे इस साल कीजिये यदि आप इन सारे मुद्दों का जवाब अपने रिप्लाई में नहीं देंगे तो हम सारे उड़ीसा के एम.पीज. उत्तर के समय वाक-आइट करेंगे।

**[अनुवाद]**

**श्री विमल कान्ति घोष** (सीरमपुर): सभापति महोदय, मैं रेल बजट का समर्थन करता हूं बजट में अनेक अच्छे प्रस्ताव हैं जिनके लिए मैं मंत्री महोदय का आभारी हूं। नयी रेलवे लाइनों के निर्माण हेतु अनेक प्रस्ताव हैं परंतु दुर्भाग्यवश पश्चिम बंगाल को नयी रेलवे लाइनों से वंचित रखा गया है। स्वीकृत कार्यों को भी अभी तक आरंभ नहीं किया गया है।

मैं बड़े दुख के साथ कहना चाहता हूं कि 74 कि०मी० लम्बी हावड़ा—आम्ता—चम्पाडांगा और 17 कि०मी० लम्बी हावडा-शियाखाला लाइट रेल मार्ग को बड़ी लाइन में परिवर्तित करने की परियोजना का कार्य अभी तक पूरा नहीं हुआ है जिसे 14 वर्ष पहले मंजूरी दी गयी थी। 1984 में दक्षिण पूर्व रेलवे के सांत्रागांची से बरगाचिया तक 24 कि०मी० लम्बी केवल एक नयी लाइन बिछायी गयी थी।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि बड़ी लाइनों में परिवर्तित करने की इस प्रस्तावित परियोजना का तात्पर्य नयी रेलवे लाइनों से नहीं है परंतु मार्टिन के लाइट के रेलमार्ग को बदलना है जो हावड़ा और हुगली के दो जिलों के ग्रामीण और अर्ध ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ता है। हमारे सभी प्रयासों के बावजूद आपके वर्तमान बजट में इस परियोजना को कार्यान्वित करने की कतई आशा दिखायी नहीं देती।

इस परियोजना को 1973 में स्वर्गीय प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गाँधी ने शुरू किया था। हमारे स्वर्गीय प्रधान मंत्री और वर्तमान प्रधान मंत्री ने जनसभाओं में बार-बार यही कहा है कि इस परियोजना को शीघ्रता से पूरा किया जायेगा। यद्यपि इस परियोजना का शिलान्यास स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गाँधी

[श्री बिमल कान्ति घोष]
ने किया था परंतु इस परियोजना को क्रियान्वित न करने से लगभग 25 लाख लोगों को नुकसान हो रहा है।

मेरे विचार से आप भी जानते हैं कि मैं रेल मंत्रालय और व्यक्तिगत रूप से रेल मंत्री से लगातार अनुरोध करता रहा हूं कि इस लंबित परियोजना को शीघ्र कार्यान्वित किया जाए। मैं बड़े दुख के साथ कहना चाहता हूं कि 1985-86, 1986-87 और 1987-88 के रेल बजटों में पूर्व रेलवे के हावड़ा-शियाखाला खंड के लिए मात्र 1000 रुपये आबंटित किये हैं जबकि 1988-89 और 1989-90 के बजटों में कोई प्रावधान नहीं है। इसके विपरीत दक्षिण-पूर्व रेलवे के हावड़ा-आम्ता-चाम्पाडांगा परियोजना के लिए केवल 1000 रुपये का प्रावधान है। प्रावधान से यह स्पष्ट है कि इस परियोजना की भी पूर्णतः उपेक्षा की गयी है।

इन परिस्थितियों को देखते हुए मेरा आप से अनुरोध है कि निर्माण कार्य शीघ्रता से शुरू करें और 1990-91 तक यह कार्य पूरा कर दें।

मैं आशा करता हूं कि वित्तीय वर्ष 1989-90 में इसका कार्यान्वयन शुरू करके आप इस क्षेत्र की जनता के साथ न्याय करेंगे।

मैं यह कहना चाहता हूं कि बलूरघाट-इकलाखी लक्ष्मीकांतपुर से नामखाना और तामलुक से दीघा तक की परियोजनाओं के लिए बहुत कम धनराशि नियत की गयी है। यदि कार्य इसी प्रकार होगा तो इस योजना को पूरा होने में 30-40 वर्ष लग जायेंगे। इसके अतिरिक्त मैं इस बात पर बल देना चाहता हूं कि पूर्व रेलवे में शियोराफुली-तारकेश्वर लाइन को आरामबाग से होती हुई विष्णुपुर तक बढ़ा दिया जाए। बंडेल-कटवा विद्युतीकरण परियोजना भी बहुत आवश्यक है। इस परियोजना को भी शीघ्र शुरू किया जाना चाहिए।

पश्चिम बंगाल की ये विकट समस्याएं हैं। मेरा रेल मंत्री महोदय से अनुरोध है कि हमारे अनुरोध पर विचार करें ताकि जनता की कठिनाइयां दूर की जा सकें। मेरा रेल मंत्री से अनुरोध है कि इन मामलों पर ध्यान दे कर शीघ्र आवश्यक कार्यवाही करें।

मैं पिछले 14 वर्षों से संसाधनों की कमी के बारे में सुनता आ रहा हूं। लेकिन वहां लोग कहते हैं कि यह उनकी सहनशीलता से परे है। अतः वे कठिनाई महसूस कर रहे हैं। उनकी कठिनाई दूर की जानी चाहिए। हमारे जैसे कल्याणकारी राज्य में लोगों की इच्छा पूरी होनी चाहिए। अतः मुझे आशा है और पूर्ण विश्वास है कि रेल मंत्री सहानुभूति पूर्वक मामले पर विचार करेंगे और क्षेत्र के लोगों की समस्या को हल करेंगे

**श्री एन॰ वी॰ एन॰ सोमू** (मद्रास उत्तर): मुझे बोलने का अवसर देने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

यह रेल बजट भारतीय रेल बजट जैसा प्रतीत नहीं हो रहा है। यह बजट तो केवल मध्य प्रदेश का रेल बजट प्रतीत होता है। दक्षिणी राज्यों विशेषकर तामिलनाडु की उपेक्षा की गई है।

मद्रास शहर की तीव्र पारगमन प्रणाली तथा करूल-डिंडीगल-मदुरै-मामियाची-तूतीकोरन परियोजना को कम धनराशि आंवटित करके रेलवे बजट में उपेक्षा को जारी रखा गया है। एम॰ आर॰ टी॰ एस॰ के लिए 1989-90 के दौरान 105 करोड़ रुपये में से 9.85 करोड़ रुपये के आंवटन से तो बढ़ी हुई कीमतों की पूर्ति भी नहीं होगी। हर वर्ष 25 करोड़ रुपये देने से ही लक्षित वर्ष 1990-91 तक बीच से चेपाक तक का प्रथम चरण पूरा हो सकेगा और पैरिस कार्नर से सैन्ट्रल स्टेशन क्षेत्र के सड़क यातायात में कमी आ सकेगी।

करूर-डिंडीगल-मदुरै-मामियाची-तूतीकोरेन की नई बड़ी लाइन की परियोजना के साथ सबसे खराब बर्ताव किया गया है। डिंडीगल-मदुरै भाग के लिए केवल 4 करोड़ रुपये के आंवटन से तो धनराशि की इस दर से यह एक दशक के बाद ही पूर्ण होगी। यह परियोजना पिछले सात वर्षों से लम्बित पड़ी है। अब तो इसकी लागत 144 करोड़ रुपये हो सकती है। इस परियोजना को कम महत्व देने से तमिलनाडु के पिछड़े क्षेत्र पर प्रभाव पड़ा है। बताया गया है कि रेलवे के सूत्रों ने भी डिंडीगल से मदुरै की बड़ी लाइन हेतु तुच्छ धनराशि के आंवटन पर निराशा प्रकट की है। उनका कहना था कि यदि यह पूर्ण हो जाती तो यह परियोजना इस क्षेत्र तथा तमिलनाडु में भी अधिक विकास ला सकती थी। जब ऐसी स्थिति है तो मैं माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि डिंडीगल-मदुरै के लिए तथा मद्रास तीव्र पारागमन प्रणाली दोनों के लिए यथाशीघ्र कुछ और धनराशि आवंटित की जाए।

मेरे निर्वाचन क्षेत्र मद्रास उत्तर में रायपुरम रेलवे स्टेशन पर पुल के नीचे से सड़क बनाने के संबंध में मैंने यह मुद्दा इस सभा में तथा रेलवे की सलाहकार समिति और क्षेत्रीय सलाहकार समिति की बैठकों में अनेक बार उठाया है। रेल मंत्री श्री माधव राव सिंधिया ने सहानुभूति पूर्वक मेरे अनुरोध को माना और मुझे 13 अप्रैल, 1986 को यह पत्र लिखा:—

"प्रिय श्री सोमू,

दक्षिणी रेलवे जोन के लिए संसद सदस्यों की अनौपचारिक सलाहकार समिति की 9.8.85 की हुई बैठक के दौरान आपने रायापुरम में एक ओवर-ब्रिज बनाने का मामला उठाया था। आपको यह जानकर खुशी होगी कि रेलवे विभाग ने तमिलनाडु राज्य सरकार से इस बारे में विस्तृत रिपोर्ट को अन्तिम रूप देकर अपने 1986-87 के वार्षिक कार्यक्रम में मद्रास क्षेत्र में वाशरमैनपेट और रायापुरम स्टेशन के बीच मानेजर कॉल्ट्रे मार्ग पर 2/3-4 किलोमीटर के पास विशेष श्रेणी लेवल क्रासिंग संख्या 5 की बजाय पुल के नीचे सड़क बनाने के कार्य को शामिल किया है।"

इसे 1986-87 के लिए कार्यक्रम में सम्मिलित किया गया था। अब 36 महीने अर्थात् 3 वर्ष बीत जाने के बाद भी इस योजना पर कार्य नहीं हुआ है। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह उस क्षेत्र के सदस्य को दिए गए आश्वासन को लागू करे। उपाध्यक्ष महोदय मुझे इस बारे में बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप भी तमिलनाडु से है और आप जानते है कि अतराय्यपूरम क्षेत्र में राजकीय स्टैनले अस्पताल में आने वाले रोगियों को चार-पांच घंटे प्रतीक्षा करनी पड़ती है क्योंकि रेलवे फाटक बन्द रहते हैं। एक बार तो ऐसा भी हुआ कि जब एक रोगी साईकिल-रिक्शा पर ही मर गया। जब रेलवे फाटक लगातार कई घंटों तक बन्द था तो एक गर्भवती महिला ने एक बच्चे को जन्म दे दिया। ऐसी घटनाओं से बचा जाना चाहिए। अतः मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि उनके द्वारा तीन वर्ष पहले दिए गए आश्वासन को तत्काल कार्यान्वित किया जाए।

पिछले तीन वर्षों से मैंने बार-बार मद्रास उत्तर के कोरुक्कुपेट क्षेत्र में रेलवे फाटक बनाने का अनुरोध किया है, मद्रास उत्तर में रेलवे फाटक काफी लंबे समय तक बंद रहता है। यह लगातार छः-सात घंटों तक बंद रहता है जिसके फलस्वरूप अत्यधिक यातायात की समस्या उत्पन्न हो जाती है। मद्रास उत्तर ऐसा क्षेत्र है जहां अनेक फैक्ट्रियां विशेषकर सरकारी क्षेत्र की फैक्ट्रियां स्थित हैं। अतः यह उचित समय है जबकि रेलवे कुरुक्कुपेट रेलवे स्टेशन के पास एक भूमिगत मार्ग उपलब्ध कराए।

मद्रास सैन्ट्रल से रायचूर तथा तिरुपति के लिए सीधे यात्री गाड़ियां थी। इन गाड़ियों को इस आश्वासन के साथ रद्द किया गया था कि मद्रास-एराकोनम भाग के विद्युतीकरण के बाद इन गाड़ियों को पुनः चालू किया जाएगा। लेकिन गाड़ियां अभी तक चालू नहीं की गई हैं। प्रशासन को तीर्थयात्रा पर जाने वाली गरीब जनता के लिए इन दो यात्री गाड़ियों को पुनः चलाने के लिए हिदायतें दी जाएं।

[श्री एन॰वी॰ एन सोमू]

महोदय, अम्बात्तुर औद्योगिक क्षेत्र हमारे देश का सबसे बड़ा क्षेत्र है और यह मेरे निर्वाचन क्षेत्र में है। मध्य रात्रि में पारी समाप्त होने के बाद इस क्षेत्र तथा अवडि क्षेत्र के श्रमिकों का घर पहुंचना असंभव हो जाता है। मध्य रात्रि में अवडि से मद्रास सैन्ट्रल तक एक गाड़ी चलाने से उन श्रमिकों को मदद मिलेगी जो प्लेटफार्म पर सुबह छः बजे तक फंसे रहते हैं।

रेलवे कर्मचारियों के संबंध में मैं मंत्री महोदय के साथ सेवा के प्रति उनकी निष्ठा के लिए उन्हें बधाई देता हूं। मुझे ,आशा है कि श्रमिकों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखने तथा औद्योगिक शांति के लिए मंत्री महोदय और अच्छा कार्य करेंगे।

मैं यह सुझाव भी देना चाहता हूं कि पेरम्बूर में स्थित प्रसिद्ध रेलवे अस्पताल में रोगियों की स्कैन जांच सुविधा उपलब्ध कराने की जरूरत है। रुग्ण कर्मचारियों को अस्पताल लाने के लिए एम्बूलैंस गाड़ियों की अत्यधिक कमी है। कर्मचारियों के सेवाओं की प्रशंसा में क्या रेल मंत्री सेवानिवृत्त रेल कर्मचारियों को मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध नहीं करा सकते हैं?

मद्रास मंडल में तिरुवल्लूर में कार्यरत राज्य सरकार के कर्मचारी काफी समय से मकान-किराया भत्ता प्राप्त कर रहे हैं। तिरुवल्लूर में कार्यरत रेलवे कर्मचारियों को यह मकान-किराया भत्ता नहीं दिया जा रहा है। इन कर्मचारियों की तादाद बहुत कम है। उनको मकान-किराया भत्ता देने से रेलवे पर अधिक वित्तीय बोझ नहीं पड़ेगा। अतः मैं अनुरोध करता हूं कि राज्य सरकार के कर्मचारियों के अनुसार ही तिरुवल्लूर में कार्यरत रेलवे कर्मचारियों को भी मकान-किराया भत्ता दिया जाए।

मैं नहीं जानता कि तिरुवल्लूर और एन्नोर के बीच सीधे उपनगरीय गाड़ियां चलाने की योजना को मूर्तरूप क्यों नहीं दिया जा रहा है। पहले यह स्पष्टीकरण दिया गया था कि मद्रास मंडल में व्यासरपाडी से कुरुकपेट के बीच के हिस्से का अभी विद्युतीकरण किया जाना है। अब इस उपनगरीय भाग का प्रत्येक हिस्से का विद्युतीकरण हो चुका है अतः कृपया तुरंत तिरुवल्लूर और एन्नोर के बीच सीधे उपनगरीय सेवाएं शुरू की जाएं। ऐसा करने से अम्बात्तुर और एन्नोर दोनों केन्द्रों के औद्योगिक श्रमिक रेलवे के आभारी रहेंगे।

अंत में, मैं अनुरोध करता हूं कि दक्षिण रेलवे की दक्षिण-पश्चिम लाइन पर मद्रास सैंट्रल जाने वाली सभी अप एक्सप्रैस गाड़ियां विल्लीवाक्कम तथा पेरम्बूर पर भी रुकें ताकि यात्री उतर सकें और अपने स्थानों पर पहुंच सकें। इस समय उन्हें व्यर्थ ही मद्रास सेन्ट्रल जाना पड़ता है और विल्लीवाक्कम और पेरम्बूर वापस आना पड़ता है। इससे शहर में भीड़ में कुछ हद तक कमी आएगी।

[हिन्दी]

**श्रीमती मनोरमा सिंह** (बांका): उपाध्यक्ष महोदय, मैं रेल मन्त्री जी द्वारा प्रस्तुत 1989-90 के रेल बजट का समर्थन करते हुए यहां पर चन्द बातों का जिक्र करना चाहती हूं। इस बार के रेल बजट में माननीय रेल मन्त्री ने भाड़े में कोई वृद्धि नहीं की है जोकि इस साल के बजट की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है जिसके लिए मैं भारतीय रेलवे के पूरे परिवार और मन्त्री जी को बधाई देना चाहती हूं। भारतीय रेलवे ने बहुत ही बेमिसाल काम किया है और अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं, जिसका सारा श्रेय रेलवे परिवार एवं मन्त्री जी को है।

इसकी सेवा सारे संसार में दूसरे स्थान पर है और एशिया में भारतीय रेल सेवाओं का प्रथम स्थान है। देश एकता और सांस्कृतिक भाईचारे का संदेश ले कर कन्याकुमारी से काश्मीर तक और महाराष्ट्र से बंगाल तक हमारे देश की रेलें जाती हैं। यह हमारी अखण्डता और एकता का सबूत है। समूचे देश को एक सूत्र में बांधा है। अतः रेलों की जितनी सराहना की जाए, वह बहुत ही कम है। मंत्री जी की सूझबूझ से जो उन्होंने रेलवे में ख्याति पाई है, उसके लिए मैं दोनों रेल मंत्रियों को बधाई देती हूं। इस वर्ष रेल ने 24 करोड़

का फायदा पाया है और आने वाले वर्षों में 140 करोड़ का फायदा होगा। हालांकि पिछले वर्ष अनेक बाधायें आई, जैसे कि हमारे यहां भीषण सूखा और बाढ़ आई। इस में रेल कर्मचारियों ने जिस तत्परता और सूझबूझ से उनकी ज़रूरत की सामग्री को एक जगह से दूसरी जगह तक बहुत जल्दी पहुंचाया और इस तरह लोगों को राहत पहुंचाने में भारतीय रेलों ने एक बहुत ही ठोस कदम उठाया है। इस के लिए मैं उनको एक बार और बधाई देती हूं।

यह आम चर्चा है कि रेलों में माल भाड़े में वृद्धि हुई है। मैं मंत्री जी से कहना चाहती हूं कि कुछ चीजों में तो उन्होंने छूट लगाई है, जैसे कि नमक, फल, खाद्य सामग्री और चारा आदि। लेकिन मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहती हूं कि कैरोसिन आयल और तेल पर भी उसकी छूट होनी चाहिए। कैरोसिन आयल देहातों में लोगों के लिए बहुत ही जरूरतमंद चीज है। नमक दो चम्मच इस्तेमाल करके काम चल सकता है, लेकिन कैरोसिन आयल के बगैर वे अंधेरे में ही बैठे रहेंगे। अभी भी बहुत से गांवों में बिजली नहीं है और बहुत से लोगों का तो चूल्हा कैरोसिन आयल से ही जलता है और इससे ही वे रोशनी पाते हैं। इस लिए मैं खास तौर से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहती हूं कि कैरोसिन आयल के साथ-साथ डीजल ऑयल पर छूट होनी चाहिए। डीजल ऑयल की कृषि के कार्यों में बहुत जरूरत होती है। फ्रेट में यदि बढ़ोतरी होगी तो इसका सीधा असर किसानों पर पड़ेगा। इसलिए मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करना चाहती हूं कि वे इस पर गौर फरमायें।

इस बजट में खास तौर से कमजोर वर्गों और ग्रामीणों पर विशेष ध्यान दिया गया है। फ्रेट-रेट से मुद्रास्फीति बढ़ेगी लेकिन इस पर रेल अपनी सुदृढ़ व्यवस्था की वजह से काबू पा सकती है। इसलिए रेल प्रशासन और रेल कर्मचारियों तथा हम लोगों का भी दायित्व होता है कि हम उनके साथ मदद करें। अब मैं कुछ मुद्दों की ओर रेल मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहती हूं। ऐसा लगता है कि मंत्री जी का ध्यान बिहार की ओर नहीं गया है। एक ट्रेन की व्यवस्था उन्होंने कटिहार से दिल्ली तक की है। उत्तर बिहार के लोगों के लिए, लेकिन उससे मध्य बिहार के लोगों को क्या फायदा हुआ। एक ट्रेन आसनसोल से धनबाद तक खोली गई। आसनसोल से धनबाद लोग काम के लिए बस से भी जाते हैं, लेकिन मैंने बहुत पहले मांग की थी कि आसनसोल से वाराणसी तक एक ट्रेन खोलिए, जिसमें पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोगों को भी लाभ मिले। हमारे कोयला क्षेत्र, लौह उद्योग के क्षेत्र में जो लोग काम करते हैं, उन्हें आने में बहुत असुविधा होती है। उनके लिए सप्ताह में दो बार एक ट्रेन की व्यवस्था अवश्य होनी चाहिए। आपने दो गाड़ियों के फेरे बढ़ाए हैं। जब ईस्ट इंडिया की स्थापना हुई थी, तब बिहार में दो कमिशनरी थीं—एक भागलपुर और दूसरी पटना। लेकिन भागलपुर से दिल्ली के लिए कोई सीधी ट्रेन नहीं है। मैं निवेदन करना चाहती हूं कि भागलपुर बहुत ही महत्वपूर्ण शहर है, व्यवसाय के मामले में, तसर उद्योग के मामले में। तसर उद्योग के लिए भागलपुर के लोग बम्बई, मद्रास दिल्ली और कलकत्ता आदि सभी जगहों पर जाते हैं। जो विक्रमशिला ट्रेन पहले चलती थी भागलपुर से, उस को बंद कर दिया गया है और आज 5 डिब्बे बन कर पटना और मगध में जुड़ कर दिल्ली के लिए रवाना होते हैं। इस ट्रेन को पूर्ण दर्जा दिया जाए और विक्रमशिला को दिल्ली तक बढ़ाया जाए और समय का परिवर्तन भी हो। यह दिल्ली 8 बजे पहुंचे और भागलपुर में एक निश्चित समय पर पहुंचे। भागलपुर के लोगों को, मंत्री जी, बहुत कष्ट है। आप ने जो वातानुकूलित शयनयान मगध में पटना और दिल्ली के लिए जुड़वाए हैं, उन्हें पटना में काट देते हैं और उस के बाद भागलपुर के प्रथम श्रेणी के लिए फर्स्ट क्लास में बड़ी आपा-धापी होती है। ए॰ सी॰ स्लीपर को भागलपुर तक आप बढ़ाइए। जब इस के बारे में पहले निवेदन किया था, तो यह कहा गया कि भागलपुर में शयनयान रखने की जगह नहीं है।

एक बात और कहना चाहती हूं। रेलवे की जो जमीन है, वह स्टेट गवर्नमेंट को बस स्टैंड बनाने के लिए दे दी गई है। यह कौन सी तुक है। जब जगह नहीं थी, तो बिहार सरकार को क्यों दी। मुझे उम्मीद है कि आप अपनी जमीन लेंगे और भागलपुर में ट्रेन के ठहराव के लिए विशेष व्यवस्था करेंगे।

[श्रीमती मनोरमा सिंह]

आज आप नई लाइनें बिछा रहे हैं। भागलपुर मंदार हिल में रेल लाइन बढ़ाने के लिए 1952 में जो संसद सदस्य वहां से निर्वाचित हुए थे, उन्होंने लिखा था लेकिन आज तक वह नहीं हो पाई। मंदार हिल से आगे बढ़ाने के लिए सर्वेक्षण हुआ था और जब इस के लिए लिखा गया, तो घिसा-पिटा जवाब आया कि यह फीजेबिल नहीं है। यह पिछड़ा क्षेत्र है। प्रो॰ मधु दंडवते जी ने अपने भाषण में यह कहा था कि बैकवर्ड एरियाज में जब आप लाइनें नहीं बिछाएंगें, तो उन की बैकवर्डनेस कैसे खत्म होगी। जहां पर रेल लाइन नहीं हैं, वहां पर रेल लाइन बिछाने की जरूरत है। ललमटिया में कोयला खानें हैं और कहलगांव में एन॰ टी॰ पी॰ सी॰ का प्रोजेक्ट बन रहा है। अगर वहां पर आप रेल लाइन देंगे, तो कोयला ले जाने में आप को सुविधा होगी। आप अपने अधिकारियों को निर्देश दीजिए कि इस का पूर्ण सर्वे करें और इस योजना को कार्यान्वित करें।

एक बात और कहना चाहती हूं कि भागलपुर की लूप लाइन का दोहरीकरण किया जाए। जब से मैंने होश संभाला है, तब से लूप लाइन पर चल रही हूं। जब आप देश का विकास कर रहे हैं, तो इस काम को भी कीजिए। लूप लाइन में जो दोहरीकरण हो रहा है, उस में आप कुछ राशि आवंटित करते हैं। मेरा कहना यह है कि इस के लिए आप पूरी राशि दीजिए। अगर दोहरीकरण आप करते हैं, तो इस से समय की बचत होगी और लोगों को भी सुविधा मिलेगी। इसलिए लूप लाइन का दोहरीकरण आप गया तक कीजिए। सीतारामपुर से मुगलसराय तक विद्युतीकरण छूटा हुआ है। जब आप हावड़ा से बम्बई तक इस को कर रहे हैं, तो इस में क्यों देरी हो रही है और इस को क्यों आपने छोड़ा हुआ है। इस को आप इस वर्ष की योजना में शामिल करें।

एक और बात है। पिछले साल जमालपुर में डीजल लोको-शेड के निर्माण का कार्य शुरू हुआ था। मंत्री जी, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जब जमीन के लेने की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई, तो उस को शिलान्यास क्यों कर दिया गया। आने वाले समय में आप की भाप के इंजन समाप्त करने की योजना है। झाझा में 4 हजार कर्मचारियों का भविष्य क्या होगा। झाझा में डीजल शेड का निर्माण होना चाहिए। जब हमारे प्रधान मंत्री जी चाहते हैं कि लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठें तो झाझा के लोगों के लाभ के लिए एक डीजल शेड का निर्माण वहां करना बहुत आवश्यक है। जिन-जिन तीर्थ स्थलों पर यात्री निवास नहीं हैं वहां यात्री निवास बनाने की व्यवस्था करें। रेलों में खान-पान की यवस्था में भी सुधार करें।

**3.00 म॰ प॰**

आप रेलों में बेड रोल देते हैं। चादर देते हैं, कम्बल देते हैं। कम्बल के साथ कवर भी होना चाहिए। बिना कवर के अनहाइजिनिक रहता है।

अंत में मैं कहना चाहती हूं कि आपकी रेल सेवाएं बेमिसाल हैं। इनके ठीक प्रकार से संचालन के लिए मैं आपको शुभकामनाएं देती हूं और इस बजट का समर्थन करती हूं।

[अनुवाद]

**श्री एच॰ एन॰ नन्जे गौड़ा** (हसन): उपाध्यक्ष महोदय, मैं अत्यंत दुखित होकर इस चर्चा में भाग ले रहा हूं। रेल मंत्रालय तो इतना महत्वपूर्ण है कि यह मंत्रिमंडल स्तर के मंत्री के अधीन होना चाहिए। लेकिन राज्य मंत्री महोदय ने भी कल तथा आज अनुपस्थित रह कर इस सभा में चर्चा के प्रति गंभीरता प्रदर्शित नहीं की है।

फिर भी, हम सभी देश की एकता और अखंडता की बात करते हैं। लेकिन हमने यह पता नहीं लगाया है कि इसके कौन कौन से शत्रु हैं। इसके दो शत्रु हैं— एक तो क्षेत्रवाद और दूसरा सांप्रदायिकता है।

यह रेल बजट सरकार के लिए एक सुअवसर होता है जिसके माध्यम से वह सभी फर्मों के लोगों में एकता की भावना उत्पन्न कर सकती है। लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं किया गया है। मैं पिछले 9 वर्षों से इस सभा में देख रहा हूं कि कर्नाटक की पिछले 2 1/2 दशकों से सदैव उपेक्षा हुई है। वहां कोई उल्लेखनीय कार्य नहीं किया गया है। आप मानव शरीर के एक हिस्से को निष्क्रिय नहीं बना सकते क्योंकि ऐसी स्थिति में मनुष्य स्वस्थ नहीं रह सकता है। इसी प्रकार यदि रेलवे के क्षेत्र में पर्याप्त सुविधाएं और विकास किए बगैर देश के एक भाग को निष्क्रिय किया जाता है तो यह ठीक नहीं है। इससे क्षेत्रवाद को ही बढ़ावा मिलता है। कुछ वर्ष पहले किसी ने भी बल ठाकरे या एन॰ टी॰ आर॰ को गंभीरता से नहीं लिया। वे अत्यंत महत्वपूर्ण बन गए क्योंकि उन्होंने क्षेत्रीय संकीर्णता को उभारा। हम कर्नाटक के लोग देश की मुख्य धारा में रहना चाहते हैं। हमें उस तरफ मत धकेलिए। हम संसद के निर्वाचित संसद विशेषकर कांग्रेस पार्टी के सदस्य यहां संख्या में अधिक हैं और हम कर्नाटक के लोगों के प्रति जवाबदेह हैं। मुझे अनेक संगठनों से काफी पत्र मिल रहे हैं। जिनमें कहा गया है कि ऐसा समय आ सकता है जब उन्हे हमारे घरों के आगे धरना देना पड़ेगा।

स्थिति गंभीर है। आप लोग इसे महसूस नहीं करते हैं क्योंकि यहां कोई स्थानीय समाचार पत्र नहीं पढ़ता है। यहां सभी दिल्ली या बम्बई संस्करण पढ़ते हैं। बंगलौर संस्करण वे नहीं पढ़ते हैं।

भूतपूर्व महाराजा हमेशा अपनी उदारता के लिये प्रसिद्ध थे। निश्चित तौर पर श्री सिंधिया इसके अपवाद नहीं हैं। अपनी प्रजा के प्रति वे बहुत उदार रहे हैं। लेकिन वे समझते हैं कि उनकी प्रजा मध्य प्रदेश तक ही सीमित है। मुख्य बात यह है कि देश के प्रत्येक क्षेत्र में एकता की भावना जगाना उनकी जिम्मेदारी है।

अब मैं कुछ ठोस परामर्श देना चाहता हूं जिन्हें यदि लागू किया गया तो कर्नाटक के लोग खुश होंगे क्योंकि हम अच्छे व्यवहार के हकदार हैं। दक्षिण में हमने सभी राज्यों को खो दिया है। सिर्फ यही एक ऐसा राज्य है जहां जनता पार्टी या कांग्रेस पार्टी अथवा जनता दल, जो राष्ट्र की मुख्य धारा है, शासन में है। आंध्र प्रदेश की तरह कर्नाटक के लोगों को मुख्य राष्ट्रीय धारा से अलग न करें।

**श्री एम॰ रघुमा रेड्डी** (नलगोंडा): हम आपके परामर्शों का स्वागत करते हैं।

**श्री एच॰ एन॰ नन्जे गौडा:** हम कर्नाटक में एन॰ टी॰ आर॰ अथवा बाल ठाकरे नहीं चाहते हैं।

**श्री एम॰ रघुमा रेड्डी:** वे निश्चित तौर पर आयेंगे।

**श्री एच॰ एन॰ नन्जे गौडा:** जब माननीय सदस्य श्री वी॰ एस॰ कृष्ण अय्यर ने एक नये दक्षिण-पश्चिमी क्षेत्र, जिसका मुख्यालय बंगलौर में हो, के गठन से संबंधित प्रश्न किया था तो हमारे माननीय मंत्री ने धन की कमी जाहिर की थी। कितने धन की जरूरत है? तीन मंडल पहले से ही हैं। पालघाट, शोलापुर मंडल से चार जिले जुड़े हुए हैं और यहां एक अलग क्षेत्र बनाया जाना चाहिये। कम से कम, यह न्यूनतम व्यय है। आप कोई अतिरिक्त व्यय नहीं कर रहे हैं। भवन तैयार है। प्रत्येक चीज तैयार है। कृपया नये क्षेत्र की स्थापना का कार्य शुरू करायें क्योंकि रेलवे सुधार आयोग ने भी इसकी सिफारिश की है और सरकार ने इसका अनुमोदन कर दिया है तथा इसकी स्वीकृति दे दी है। या तो आप रेलवे सुधार आयोग की सिफारिशों को लागू करें अथवा इसे रद्दी की टोकरी में फेंक दें।

कृष्णराजपुरम में 'व्हील और ऐक्सल' संयंत्र तथा डीजल लोको शेड है। मुझे यह कहते बड़ा दुःख होता है कि यद्यपि राज्य सरकार ने कृष्णराजपुरम डीजल लोको शेड को जमीन तथा अन्य सभी चीजें दी हैं लेकिन वहां का एक भी कर्मचारी कर्नाटकवासी नहीं है। चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी सहित सभी लोग बाहर के हैं। 'व्हील और ऐक्सल' संयंत्र के कुछ कर्नाटकवासी हैं। यहां तक कि जो एक % कर्मचारी वहां कार्यरत हैं

[श्री एच०एन०नन्जे गौडा]

उन्हें जबरदस्ती बाहर भेज दिया जाता है या उन्हें नौकरी छोड़ने के लिये बाध्य किया जाता है। रेलवे भरती बोर्ड के गठन के वक्त हमें बहुत आशायें थीं। अब इसके प्रमुख एक गैर-कर्नाटकवासी हैं जो कर्नाटकवासियों से घृणा करते हैं। आप इस चैयरमैन द्वारा की गई भरती के परिणामों को समझ सकते हैं। मैंगलोर में पेट्रोलियम शोधक कारखाना है। पैट्रोलियम मंत्रालय छोटी लाइन के टैंकरों में तेल भर कर उसे बैंगलोर लाने और फिर उसे बड़ी लाइन के टैंकरों में तबदील करने के लिये मैंगलोर से अरिसीकीरी तक पाइपलाइन बिछाने के लिये विचार कर रहा है। रेलवे ने इसकी जांच कर ली है। मैं नहीं जानता कि माननीय मंत्री को इसकी सूचना है या नहीं। मैंगलोर बैंगलोर बड़ी रेलवे लाइन को बदला जाना है। इसमें कम खर्च आयेगा और यह 3,300 फीट की ऊंचाई पर रखरखाव संबंधी प्रचार को भी बचायेगा। मैं सोचता हूं आप एक बार हसन से मैंगलोर की यात्रा करें। इस यात्रा के दृश्य इतने सुन्दर और खूबसूरत है कि संसार में और कहीं इसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। इतना खूबसूरत दृश्य और इतनी ऊंचाई वहां है! वह पर्यटन के लिये भी महत्वपूर्ण स्थान है। यदि इस उद्देश्य के लिये आप धनराशि की कमी महसूस करें तो आप पेट्रोलियम मंत्रालय से पूछ सकते हैं। पाइपलाइन के बदले वे रैलवे को धनराशि दे सकते हैं। रेलवे इस बड़ी लाइन के कार्य को कर सकती है। कोट्टूर-हरीहर रेलवे लाइन का बार-बार सर्वेक्षण होने पर भी कोई काम नहीं शुरू किया गया है। मैसूर-बैंगलोर लाइन को मोड़ने के अलावा किसी अन्य बात का प्रावधान नहीं किया गया है। मेंगलोर-उदीपी के लिये आपने 50 लाख रु० का प्रावधान किया है और चित्र दुर्ग-रायदुर्ग लाइन के लिये 66 लाख रु० रखे हैं। प्रतिस्थापन खर्च के लिये इतना काफी रहेगा। आप उन्हें हटा नहीं सकते हैं। आप उन्हें रखना चाहते हैं। अतः आपने नाममात्र की कुछ धनराशि का प्रावधान किया है मैसूर-बैंगलोर लाइन को 1978 के अंत तक पूरा किया जाना था। अब हम 1989 में हैं। आपने 17 करोड़ रु० दिये हैं। इस गति से पांच छः वर्ष और लग सकते हैं।

जहां तक बैंगलोर में सर्कुलर रेल का संबंध है, बैंगलोर संसार में बहुत तेजी से विकसित होने वाले नगरों में से एक है। कुछ वर्षों बाद इस कार्य को करना मुश्किल होगा। यदि आप कुछ वर्षों बाद इस कार्य को शुरू करते हैं तो आपको अब से दस गुना खर्च करना पड़ सकता है। दस वर्षों बाद स्थिति इतनी उलझ जायेगी।

मेरे पास कुछ और मुद्दे भी हैं। मै माननीय मंत्री को एक टिप्पणी भेजूंगा।

**प्रो० एन० जी० रंगा** (गुंटूर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात संक्षेप में कहने का प्रयत्न करूंगा। कृषि श्रमिक हमारे समाज का वह भाग है जा रेलवे द्वारा बहुत उपेक्षित रहा है मैं माननीय मंत्री को एक टिप्पण दें चुका हूं। मैं यह परामर्श देना चाहूंगा कि उन सारे स्टेशनों के संबंध में विशेष कदम उठाये जायें जहां से कृषि मौसम में मजदूर पूरे समय की मजदूरी के लिये एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते हैं, इन लोगों की सुविधा के लिये ठहरने के लिये शेडों का, इनकी सुरक्षा का स्नान और सफाई की सुविधा और प्राथमिक उपचार के लिये विशेष कदम उठाये जाने चाहिए। इन सारी सुविधाओं के अतिरिक्त, उनके लिये विशेष गाड़ियों का प्रबन्ध किया जाना चाहिए जहां से वे दूसरे इलाके में जाते हैं और उस इलाके से वापस आते हैं। आजकल उनकी मदद के लिये कोई विशेष कदम नहीं उठाये गये हैं। इसमें रेलवे के लिये अधिक व्यय की बात नहीं है बल्कि यह इन्सानियत की बात है और मैं आशा करता हूं कि यह साधारण सुविधा सभी राज्य सरकारों द्वारा की जायेगी।

**3.09 म० प०**

**[श्री एन० वेंकटरत्नम पीठासीन हुए]**

उदाहरण के तौर पर, अब बिहार और उत्तर प्रदेश से मजदूर पंजाब, हरियाणा और कभी-कभी राजस्थान के कुछ इलाकों में भी जाते हैं। उड़ीसा से मजदूर इन सभी राज्यों में जाते हैं और विशेष कर पश्चिमी-बंगाल और असम तथा आन्ध्र प्रदेश से, डेल्टा क्षेत्र से सूखे इलाके में जाते है। जहां कहीं भी विभिन्न फसलें उगाई जाती हैं अथवा जहां दूसरे प्रकार की मांग होती है, बहुत तादाद में मज़दूर जाते हैं मजदूरों का आवागमन होता है और उन्हें विशेष सुविधा और सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिंए ।

द्वितीय श्रेणी की सवारियों की सुविधाओं में भी सुधार करने का भी प्रश्न है। पिछले वर्ष भी मैंने यह प्रश्न उठाया था। उनके लिये ठहरने की सुविधा, बुकिंग की सुविधा और सफाई की सुविधा उपलब्ध कराने के लिये अब विशेष उपाय किए गये है। इन डिब्बों में पंखों और सफाई की सुविधा और अधिक से अधिक द्वितीय श्रणी के डिब्बे इन लोगों की मदद के लिये उपलब्ध कराये जाने चाहिए पूरी सभा से और प्रत्येक राज्य से अब अधिक से अधिक रेलवे लाइनों आदि की मांग की गयी है। इनके लिये धनराशि कहां से आयेगी ? इस हेतु अधिक धनराशि प्रदान करने के लिये योजना आयोग को सहमत करना माननीय मंत्री के लिये असंभव सा दीखता है। वर्षों पहले जब श्री लाल बहादुर शास्त्री रेल मंत्री थे मैंने एक परामर्श दिया था। मैं इसे पुनः दोहराना चाहूँगा और यह सिर्फ बीते हुए दिनों की याद दिलाना है जब स्थानीय बोर्डों उस समय उन्हें बोर्ड कहा जाता था और अब उन्हें जिला परिषद कहते हैं- को निजि छोटी रेल चलाने और उनका वित्तिय प्रबंध करने के लिये प्रोत्साहित किया जाता था । अब ऐसा करना शायद जिला परिषदों के लिये संभव न हो।

जिला परिषदें अब उसे करती हैं। लेकिन राज्य सरकारों को बांड जारी करके विशेष धन एकत्र करने का अधिकार देना चाहिए और उस पर ब्याज की दर 12 प्रतिशत रखी जाए जिससे स्थानीय लोग उसमें धन लगाने के प्रति आश्वस्त हो सकें। उसमें ब्याज की अदायगी 12 प्रतिशत से कम नहीं होनी चाहिए। उन्हें धन एकत्र करने दीजिए। उस धन से स्थानीय क्षेत्रों के लिये इन रेलवे लाइनों को शुरू करने के लिये उन्हें आगे आने दीजिये। रेलवे बोर्ड की अनुमति से तथा रेलवे बोर्ड की पहल और सहयोग से वितीय प्रबन्ध, दोनों की अलग-अलग जिम्मेदारियों पर तथा राज्य सरकारों और रेलवे बोर्ड के बीच सुविधाओं के अनुसार किए जा सकते हैं। इस प्रकार आप धन एकत्र कर सकते हैं।

महोदय, वहां सामाजिक महत्व के क्षेत्र हैं और पिछड़े क्षेत्र भी हैं। मुझे प्रसन्नता है कि मेरे माननीय मित्र प्रो० दंडवते ने उनके पक्ष में अपनी आवाज उठाई है। मुझे विशेषरूप से प्रसन्नता है कि माननीय प्रधान मंत्री की पहल और उनके द्वारा दबाव दिये जाने के कारण नागरिक महत्व के क्षेत्रों विशेषकर पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे मे नई रेल लाइनें बिछाने अथवा वर्तमान रेल लाइनों के विस्तार के लिये धन उपलब्ध कराया जा रहा है। इनके लिये और अधिक से अधिक धन की भी आवश्यकता है और इसे इन परियोजनाओं के लिये उपलब्ध अवश्य कराया जाए। पिछड़े क्षेत्रों तथा पूर्वोत्तर राज्यों और विशेषकर कश्मीर में भी रेलवे विस्तार की बहुत अधिक आवश्यकता है। लोग यह कह सकते हैः हमें धन कहा से प्राप्त होगा? जो भी हो, जहां तक इन सामाजिक महत्व के क्षेत्रों का सम्बन्ध है, यहां तक कि उस ब्रिटिश समय भी इन क्षेत्रों के लिये रक्षा अनुदान से धन उपलब्ध कराया जाता था। इसी प्रकार, मैं माननीय रेल मंत्री तथा प्रधान मंत्री को सुझाव देना चाहता हूं। कि वे यह सुनिश्चित करें कि जो धन हम रक्षा सेवाओं के लिये रखते हैं उसमें से कुछ धन इन क्षेत्रों में इन रेल लाइनों के विकास पर खर्च किया जाए।

मैं सरकार को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि उन्होंने वृद्ध व्यक्तियों को कुछ रियायतें देने का प्रस्ताव रखा है। हमने ऐसा क्यों किया है? क्योंकि वे बुजुर्ग लोग हैं, वे आसानी से इधर-उधर नहीं आ जा सकते उनके पास पर्याप्त धन नहीं होता, तो आपने यह न्यूनतम 500 किलोमीटर की सीमा क्यों रखी है? इसके लिये

[प्रो॰ एन॰जी॰ रंगा]

कोई सीमा नहीं रखी जानी चाहिए। अब वे आसानी से और बार-बार इधर उधर नहीं आ जा सकते हैं वे काम धन्धों के लिये भी इधर उधर नहीं जाते। उनमें से अधिकांश अपने सम्बन्धियों को देखने अथवा धार्मिक स्थानों पर जाना चाहेंगे। अतः मैं चाहता हूं कि उनके लिए दूरी की चाहे वह न्यूनतम हो या अधिकतम अथवा किसी प्रकार की कोई सीमा नहीं रखी जानी चाहिए। सभी वरिष्ठ नागरिकों के लिए-चाहे उसके लिए आप 65 अथवा 70 वर्ष की सीमा निर्धारित करे, यह आपका अपना निर्णय है-उन्हें यह रेलवे छूट का लाभ उठाने के बारे में इधर उधर जाने के लिए स्वतंत्रता होनी चाहिए।

अन्त में, मैं अपनी उस बात को दोहराना चाहता हूं कि जिसे मैं कई वर्षों से कह रहा हू और जिस तमिलनाडु के बहुत से सदस्य चाहे वह किसी भी राजनीतिक दल के हों, यह सुझाव देते रहे हैं कि कथपडी और तिरुपति के बीच रेल लाइन में सुधार होना चाहिए। अब तक तिरुपति से रेनुगुंटा के बीच बड़ी रेल लाइन है। लेकिन कथपडी से तिरुपति के बीच, जोकि 100 किलोमीटर अथवा उससे कम की दूरी होगी, यदि आप उसे मीटर रेल लाइन से बड़ी रेल लाइन में बदलते हैं, तो यह माल ढोने के उद्देश्य से और रख रखाव के उद्देश्य से हर संभव तरीके से और अन्य खर्चों को ध्यान में रखते हुए रेलवे के लिए किफायती होगा और इसमें सम्पूर्ण दक्षिण भारत के लोगों का बहुत जल्दी और बहुत ही आराम से दिल्ली पहुंचना संभव हो सकेगा। मैं चाहता हूं कि इसकी ओर विशेष ध्यान दिया जाए। इसके लिए कुछ सर्वेक्षण तो कर लिया गया है। इसकी सिफारिशों के बारे में केवल भगवान ही जानता है। इसका आर्थिक पहलु चाहे कुछ भी हो मैं चाहता हूं कि इस लाइन के बदलने से होने वाले सामाजिक फायदों पर उच्च स्तर पर विचार किया जाए। मैं चाहता हूं कि हम सम्पूर्ण दक्षिण के लोगों की ओर से यह जो विशेष प्रस्ताव रख रहे हैं, माननीय मित्र तथा मंत्री, योजना आयोग तथा रेलवे बोर्ड उस पर विशेष रूप से विचार करेंगे।

**श्री एम॰ रघुमा रेड्डी:** मैं ग्वालियर के माननीय महाराजा द्वारा इस सभा में प्रस्तुत मध्य प्रदेशोन्मुख रेलवे बजट का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं। भारतीय रेलवे देश में तथा एशिया में किसी एक प्रबन्ध संस्था द्वारा चलाया जा रहा सबसे बड़ा सार्वजनिक उद्यम है तथा किसी एक प्रबन्ध संस्था द्वारा चलाया जा रहा विश्व में दूसरा सबसे बड़ा उद्यम है। रेलवे में हर रोज एक करोड़ लोग यात्रा करते है लेकिन उसका विकास बहुत ही नगन्य है।

स्वंतत्रता से पहले हमारे यहां लगभग 48,000 किलोमीटर की रेल लाइन थी। लेकिन स्वतन्त्रता के 42 वर्षों बाद केवल 14,000 किलोमीटर नई रेल लाइन जोड़ी गई है। जहां तक आन्ध्र का संबंध है, यह केवल 200 किलोमीटर जोड़ी गई है जिसका अर्थ है कि बी॰ बी॰ नगर और नादकुडा के बीच यह प्रति वर्ष 5 किलोमीटर भी नहीं बैठती। यदि ऐसी ही स्थिति है तो हमें इस प्रगति पर शर्मिन्दा होना चाहिए।

जहां तक योजना पर व्यय का सम्बन्ध है, यह पहली और दूसरी योजना के दौरान 15 प्रतिशत से घटकर छठी योजना में 5.3 प्रतिशत रह गया है।

जबकि प्राप्तियां 547 करोड़ रुपये से बढ़कर 6428 करोड रुपए हो गई हैं। लेकिन कार्यचालन व्यय 358 करोड़ रुपये से बढ़कर 5,823 करोड़ रुपए हो गया है। प्रतिशत वार यह प्राप्तियों में 11 प्रतिशत है और व्यय में 12 प्रतिशत है। केवल इतना ही नही, प्रत्येक रेल मंत्री ने 1977-78, 1978-79, 1987-88 के वर्षों को छोडकर किरायों और भाड़े में वृद्धि की है। इस वर्ष, हमारे मंत्री ने बहुत ही चुतराई से केवल भाड़े में वृद्धि की है इस प्रकार उन्होंने मंत्रियों की उपेक्षा की और उन्हें दाव पर लगाया है। यह चुनावी वर्ष है। वह अपनी अनिश्चितता से लोगों को धोखा देना चाहते हैं। गत वर्ष, भाड़े में जो वृद्धि की गई थी वह केवल 241 करोड़ रुपए थी लेकिन इस वर्ष यह वृद्धि 876 करोड़ रुपए है अर्थात उससे 11 प्रतिशत अधिक है। यात्री

कभी कभार यात्रा करते हैं। लेकिन सामान प्रायः हर रोज इधर-उधर भेजा जाता है। आपने जो भी वृद्धि की है, इस 11 प्रतिशत से आम आदमी पर प्रत्यक्ष बोझ पड़ता है। यदि यह सरकार आम आदमी के कल्याण में रुचि रखती है तो उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन वे लोगों को धोखा देना चाहते हैं। इसी वजह से उन्होंने इस अप्रत्यक्ष तरीके को अपनाया है। लेकिन यह एक विदित सच्चाई है और लोग इसे समझ जाएंगे। रेलवे विभाग के लोग कहते है कि यह वृद्धि केवल 0.3 प्रतिशत है लेकिन यह ऐसी बात नहीं है। यह 0.5 प्रतिशत और उससे भी अधिक है। उन्होंने कुछ रियायतें दी हैं, लेकिन वे पर्याप्त नहीं है। यहां तक की पुनर्वर्गीकरण से भी कोयले और खाद्यानों की ढुलाई पर प्रभाव पड़ा है। राज-सहायता प्राप्त खाद्य के लिए भी, पुनर्वर्गीकरण के कारण आप 240 करोड़ रुपए बढ़ा रहे हैं। यह स्थिति तो राज-सहायता प्राप्त खाद्य के मामले में है।

हाल ही में किए गए पुनर्वर्गीकरण से उर्वरक और सीमेंट जैसी रोजमर्रा उपभोग की चीजों पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, इसे 140 करोड़ रुपए फालतू दिखाया गया है। एक तरफ तो आप भाड़े में वृद्धि कर रहे हैं दूसरी ओर आप फालतू दिखा रहे हैं। मुझे नहीं पता कि आप इसे किस तरह उचित ठहराएंगे।

नए रेल डिब्बों के बारे में, इस वर्ष 4450 करोड़ रुपये का प्रस्ताव है, लेकिन जब दक्षिण मध्य रेलवे की बात आती है तो उसके लिए केवल 250 करोड़ रखे गए हैं। मैं श्री नन्जे गौड़ा के साथ पूरी तरह से सहमत हूं कि यह दक्षिण जोन और सम्पूर्ण दक्षिण भारत के साथ पूरी तरह से बेइमानी है, यह उत्तर समर्पित विशेषकर मध्य प्रदेश का बजट है। दक्षिण के लोग इस सरकार को बर्दाश्त नहीं करेंगे।

मैं श्री रंगा का, जिन्होंने मेरे से ठीक पूर्व बोला था, बहुत सम्मान करता हूं। आपका आधा बजट इस संस्थान के खर्चों पर कम हो जाता है, मुझे उसके लिए आपत्ति नहीं है। लेकिन आपने उसका प्रभावकारी तरीके से और कुशलता से प्रबन्ध करना है। आपको कर्मचारियों के अधिक होने और उनके ड्यूटी के प्रति उपेक्षा करने की समस्या की जांच करनी होगी। जब हम दुर्घटना के चार्ट को देखते हैं, हम देखते हैं कि ये दुर्घटनाएं कर्मचारियों की वजह से हुई हैं। 62 से 65 प्रतिशत दुर्घटनाएं कर्मचारियों की गलती के कारण होती हैं और शेष यांत्रिक और अन्य त्रुटियों के कारण होती है। आप कर्मचारियों की संख्या को बढ़ाएं, आप कर्मचारियों के लिए सभी कल्याण सुविधाएं उपलब्ध कराएं लेकिन आपको उनसे कुशल कार्य लेना होगा।

विद्युतीकरण के संबंध में आपने अब तक 62,000 किलोमीटर रेल लाइन में से वास्तव में 8155 किलोमीटर का विद्युतीकरण किया है। जब इसकी अन्य देशों से तुलना करें तो आपने 50 प्रतिशत से अधिक कार्य पहले ही शुरू किया हुआ है। आपने कहा था कि आप भाप के इंजिनों को समाप्त कर रहे हैं। लेकिन इसमें कितना समय लगेगा? इस प्राथमिकता की मद के लिए आप बहुत कम धन राशि आवंटित कर रहे हैं। मैं रेल मंत्री से और अध्यक्ष के माध्यम से योजना आयोग से इस धनराशि को बढाने का अनुरोध करता हूं।

दक्षिण और मध्य रेलवे में, बिबी नगर, नदीकुडे को केवल 83 लाख रुपए मिले हैं। यह धनराशि किस कार्य के लिए है? क्या आप इसे कभी पूरा करेंगे? विजयवाड़ा डिविजन में पुराने लीवर फ्रेमों को बदलने के लिए आपने केवल 50 लाख रुपए आवंटित किये हैं। गुंटूर-मचेरला के लिए आपने केवल 23 करोड़ दिए हैं। लेकिन डिपों के आधुनिकीकरण के लिए केवल 1.45 करोड़ रुपए रखे गए हैं। मैं नहीं जानता कि आप इसे आधुनिक कर सकते हैं। इसके अलावा और बहुत सी मदें हैं। लेकिन मैं केवल कुछ का उल्लेख करुंगा। नंनचेरला-गुंटाकल के लिए आपने 57 लाख रुपए, गुल्ला जुग-विकारबाद के लिए 58 लाख रुपए, तंदूर-मलकैद के लिए 19 करोड़ रुपए, यरमारस-रायचूर के लिए 3 करोड़ रुपए, रायचूर-मतमारी के लिए 11

[श्री एम॰ रघुमा रेड्डी]

करोड़ रुपए और खीकराबाद-तंदूर के लिए 5 करोड़ रूपए आवंटित किये हैं। दक्षिण-मध्य रेलवे की बड़ी लाइनों के लिए आपने ये धनराशि आंवटित की है। यहां तक कि हैदराबाद क्षेत्र के कम्प्यूटरीकरण के लिए आपने केवल 3 करोड़ रुपए ही दिये हैं। आपने मौलाली बाई-पास के लिए केवल 5 करोड़ रूपए दिये हैं।

आप इस आवंटन की तुलना मध्य प्रदेश अथवा उत्तरीय भारत को किए गए आवंटन से कीजिए और देखिए कि इस में कितना अन्तर है! (व्यवधान) विशेषकर हमारे इलाके में ऐसी स्थिति है। मचरेला-रायचूर, बरास्ता देवेरकोंडा और गडवाल रेल लाइन का सर्वेक्षण किया गया था। सर्वेक्षण तो बहुत पहले हो चुका था किंतु इस बजट में इस लाइन के लिए एक पैसे की भी स्वीकृति नहीं दी गयी है। क्या इसका कारण यह है कि आन्ध्र में तेलुगु देशम सरकार है अथवा मंत्री महोदय की उदारता के कारण यह क्षेत्र अपेक्षित है? मुझे कारण मालूम नहीं है।

बंगलौर से हैदराबाद, बरास्ता जडचरला, के बीच एक और मीटर गेज लाइन है। आन्ध्र प्रदेश के लोगों ने कई बार इस मीटर गेज लाइन को बड़ी लाइन में बदलने के लिए आवाज उठाई है । बंगलौर से गुनटकल खंड तक तो पहले से ही बड़ी लाइन है। आप को इस लाइन को गुनटकल से हैदराबाद तक बड़ी लाइन में बदलना है । इस से 200 कि॰मी॰ की दूरी कम हो जाएगी। कोई इसकी परवाह नहीं करता है । मैं मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि कृपा करके इस ओर ध्यान दें।

विजयवाड़ा से जग्गापेट तक एक रेलवे मार्ग है। वे इस्पात संयंत्र के लिए इस क्षेत्र से सामग्री ले जाते हैं किंतु इस रेल मार्ग पर कोई भी यात्री गाड़ी नहीं चलाई जा रही है। इस मार्ग की लम्बाई लगभग 180 कि॰मी॰ है और आप को इस मार्ग पर केवल एक यात्री गाड़ी चलानी है। स्थानीय सांसद महोदय ने भी पहले इस संबंध में तीन-चार बार सुझाव दिया है।

अब मैं अपने चुनाव-क्षेत्र नलगोंडा के बारे में कहूंगा। आप को बीबीनगर-नाडीकुडा रेल मार्ग के लिए अधिक आवंटन करना होगा। आप ने केवल 83 लाख रूपये की अल्प राशि आवंटित की है। इसके अतिरिक्त आपको नलगोंडा-बीबीनगर लाइन पर नंदनम गांव में रेल फाटक बनवाना चाहिए। आपको बीबीनगर के पास भी कोंडामाडुगु में भी रेल फाटक बनाना चाहिए और बोहगीर में चारमीनार एक्सप्रेस के लिए भी रुकने की व्यवस्था करनी चाहिए। बीबीनगर में नरसापुर एक्सप्रेस के लिए और नयागिरी में कृष्णा एक्सप्रेस के लिए और दक्षिण मध्य रेलवे की गुप्टकल खंड के येरागुंटला में चाइना एक्सप्रेस के लिए रूकने की व्यवस्था की जानी चाहिए।

आपने डिब्बे बनाने का कारखाना काजीपेट से पंजाब में स्थानांतरित कर दिया है मुझे इस संबंध में कोई ईर्ष्या नहीं है किंतु आपने आन्ध्र प्रदेश को एक भी कारखाना नहीं लगाया है। क्या आप समझते हैं कि आंध्र की जनता इस सरकार को क्षमा करेगी? वे नहीं करेंगे। विजयवाडा के निकट गुंटकपल्ली में वैगन रिपेयर सॉप में कुछ कर्मचारी काम कर रहे हैं । जो लोग विजयवाडा से आते हैं वे सी॰सी॰ए॰पाने के पात्र हैं जबकि कारखाने में रहने वाले तथा काम करने वाले लोग सी॰सी॰ए॰ के योग्य नहीं हैं। स्थानीय सांसद के निवेदन से आप ने कम से कम उन लोगों को सी॰सी॰ए॰ दिया, जो विजयवाडा से आते हैं किंतु, आपने उन लोगों के मामले पर विचार क्यों नहीं किया जो कारखाने के अहाते में रहते हैं।

मैं मंत्री महोदय से निवेदन करता हूँ कि इन सभी मामलों पर विचार करें और आंध्र प्रदेश की जनता को भी विश्वास में लें। आंध्र प्रदेश देश के बाहर नहीं है। दक्षिणी राज्य देश के बाहर नहीं है। वे इस राष्ट्र के अंग हैं। यदि आपने उतनी राशि आवंटित की होती जितनी आपने मध्य प्रदेश के लिए आवंटित की है तो वह पूरे दक्षिण के लिए पर्याप्त थी। आपने 4450 करोड़ रुपये के बजट प्रस्तावों में से दक्षिण मध्य रेलवे के लिए केवल 250 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। यदि आप इसी प्रकार पक्षपात करते रहे तो दक्षिण के लोग इस सरकार को क्षमा नहीं करेंगे।

[हिन्दी]

**श्री राम प्यारे सुमन (अकबरपुर):** माननीय सभापति महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने रेलवे बजट पर बोलने का मुझे मौका दिया। मैं रेलवे बजट का पुरजोर तरीके से समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। रेलवे बजट पर हम चर्चा यहां कर रहे हैं, मैंने आपका बजट भाषण पढ़ा, इसमें काफी उपलब्धियों का लेखा-जोखा है। और कई मायने में रेलवे ने कीर्तिमान स्थापित किये हैं। आज हमारे विपक्ष के साथी जब यह कहते हैं कि हमारे साथ उपेक्षा की गई है तो मैं समझ नहीं पाता। हम यह नहीं कहते हैं कि देश के हर कोने से जो मांग चली आ रही है वह हमने पूरी कर दी है लेकिन रेलवे ने सीमित साधनों के रहते हुए भी काफी कुछ देश के तमाम हिस्सों में करने की कोशिश की है। आज रेलवे में जितना सुधार हुआ है अगर पिछले 2-3 सालों को देखें तो निश्चित रूप से पायेंगे कि रेलवे ने काफी उपलब्धियां अर्जित की हैं, काफी दिशा में प्रगति की है और कई ऐसे विशेष क्षेत्रों में जहां की मांग रेलवे संबंधी थी, उसको पूरी करने की कोशिश की गई है। फिर भी आज देश में कई ऐसे हिस्से हैं जहां पर अभी बहुत कुछ करना बाकी है। हमारा रेल मंत्रालय वैसे उस कार्य में लगा हुआ है। मुझे खुशी है कि हमारे रेल विभाग के दोनों सम्मानित मंत्री बराबर पूरी रुचि के साथ, पूरी लगन के साथ रेलवे को जन-जन तक पहुंचाने और हमारे देश के सभी यात्रियों को जो रेल से यात्रा करते हैं उनको सुविधा प्रदान करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। आज हम उस मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं। जिस मंजिल को पूरा करने का सपना हमारे बुजुर्गों ने, हमारे नेताओं ने और हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने देखा था लेकिन आप जानते हैं जो संसाधन हैं वह कितने सीमित हैं जिस की वजह से रेलवे प्रशासन बहुत कुछ करना चाहता है लेकिन कर नहीं पा रहा है।

मैं अपनी बात के क्रम में सबसे पहले यही कहना चाहूंगा कि योजना आयोग को रेल विभाग की मांग के अनुसार धन का आवंटन करना चाहिये क्योंकि आज परिवहन की आवश्यकता पूरे देश के कोने-कोने में है। आज इस सम्मानित सदन में जो हमारे माननीय सदस्य हैं, वह बराबर अपने-अपने क्षेत्रों में रेल गाड़ियां चलाने एवं रेल पटरियां बिछाने की मांग कर रहे हैं। यह तभी सम्भव है जब योजना आयोग धन के आवंटन के समय रेल विभाग की मांग को दृष्टिगत रखते हुए, दिमाग में रखते हुए धन का आवंटन करेगा।

जहां पर मंत्रालय ने तमाम हिस्सों में नई रेलगाड़ियां चलाने की कोशिश की है और कुछ गाड़ियों के फेरे बढ़ाये गये हैं व कुछ गाड़ियों की चालन शक्ति बढ़ायी गई है लेकिन यह सही है कि कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो इनसे उपेक्षित रहे हैं। मैं चाहूंगा कि आगामी दिनों में इस बात को दिमाग में रखा जाये और जो क्षेत्र पिछड़े रह गये हैं जिन पर माननीय सदस्य ध्यान आकृष्ट कर रहे हैं, अगले दिनों में उस पर विशेष ध्यान देकर वहां पर गाड़ियों को चलायें और फेरे बढ़ाने और चालन शक्ति बढ़ाने की जो मांग है उस मांग के अनुरूप कार्यवाही की जाये ।

[श्री राम प्यारे सुमन]

जहां इस बजट में शूरवीरों के लिये, बहादुरों एवं वृद्धों के लिये तमाम ऐसे लोगों को तमाम सुविधा प्रदान की गई है और उन्हें जो छूट दी गई है 25 प्रतिशत और 50 प्रतिशत की उसका स्वागत है लेकिन आज मुझे यह कहते हुए खेद हो रहा है कि जिन सेनानियों की बदौलत हमारे देश ने आजादी हासिल की और ऐसे गिने-चुने स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी हमारे देश में हैं उनको पहले जो प्रथम श्रेणी का पास दिया गया इस बार वह व्यवस्था नहीं की गई है। यह हमारे लिये बड़े खेद और शर्म की बात है। हमारा दायित्व है कि हम उन सभी सेनानियों को प्रथम श्रेणी का पास उनकी जिन्दगी रहते तक के लिये दें। जो सेनानी मृत हो गये हैं उनके आश्रितों को जो नाबालिग आश्रित हैं और जो उनकी विधवा हैं उनके लिये भी ऐसी पर्याप्त व्यवस्था की जाये क्योंकि समाज व देश उनका ऋणी है। उस ऋण से मुक्ति पाने के लिये उनको बराबर प्रोत्साहन देना चाहिए।

आपने 65 साल के ऊपर के बुजुर्गों को यात्रा करने में 25 प्रतिशत की रियायत दी है टिकट में मैं यह भी कहना चाहूंगा कि जितने भी आपके रेलवे स्टेशन हैं उन सब में से बहुत से ऐसे स्टेशन हैं जहां पर छोटे स्टेशन बने हैं और वहां पैसेंजर गाड़ी रुकती है वहां पर एक भी प्लेटफार्म ऊंचा नहीं है। आप जानते हैं कि हमारे बुजुर्ग ट्रेनों में चढ़ते-उतरते हैं महिलायें व बच्चे कभी-कभा से ट्रेनों से गिर जाते हैं। मेरी प्रबल मांग है कि जितने भी रेलवे स्टेशन हैं। इस बात को मैंने पहले भी कहा है। उनमें कम से कम एक प्लेट-फार्म को जरूर ऊंचा किया जाए। सभी स्टेशनों पर पेयजल की व्यवस्था की जाए। जैसे वातानुकूलित ट्रेनों में बराबर ध्यान देकर उनमें यात्रियों को काफी सुविधाएं प्रदान करने की कोशिश की गई है। उसी प्रकार से जो पैसेंजर ट्रेन चलती है, जो द्वितीय श्रेणी के कोचेज लगती है, उन पर थोड़ा दृष्टि डाल कर उनकी भी हालत को देखें और उन की क्या परेशानियां है, उनकी क्या आवश्यकतायें हैं, कैसे साधारण यात्री जो छोटे स्टेशनों पर चलते हैं, गरीब यात्री यात्रा करते हैं, कम दूरी की यात्रा करते हैं, उनको जो परेशानियां झेलनी पड़ती है, उन परेशानियों का भी निराकरण करना चाहिए। उसके लिए भी बहुत कुछ किया जाना जरूरी है।

अब मैं दो-तीन मुद्दों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करके फिर अपने क्षेत्र के बारे में दो शब्द कहना चाहूंगा। मैंने कल दिल्ली के ही अखबार में पढ़ा है कि सीटों के आरक्षण के लिए तीस रुपया दो और सीट लो। यह अखबार में मोटी हैडिंग थी। हम आए दिन भी देखते हैं कि जब यात्रा करते हैं, तो आरक्षण में 50-40-30 रुपया एक्स्ट्रा देने पर सीटों का आरक्षण होता है। यह मैंने कल ही अखबार में दिल्ली में पढ़ा है। डिटेल समाचार था , दिल्ली स्टेशन पर कुछ दादा टाइप के लोग रहते हैं, जो पहले डिब्बों में चले जाते हैं और सीटों पर अपना कब्जा ले लेते हैं। जब टिकट लेकर यात्री आते हैं, जब तक उनसे पैसा नहीं ले लेते हैं, वे सीट पर बैठने नहीं पाते हैं। अगर दिल्ली के अन्दर यह हालत है तो दूसरी जगहों पर भी यह करप्शन होगा। इस को दूर करने की ओर भी आपको कदम उठाना चाहिए और इसकी व्यवस्था करनी चाहिए।

मैं बजट भाषण पढ़ रहा था, तो मैंने देखा कि वाराणसी से लखनऊ होकर दिल्ली के जो यात्री हैं, खास तौर से वाराणसी और लखनऊ के बीच के यात्री फैजाबाद होकर, मैंने देखा है कि उनके साथ उपेक्षा की गई है। उन की मामूली मांगें थीं, लेकिन उन मांगों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। चाहे आदर्श स्टेशन को सूची में शामिल करने की बात हो, चाहे पटरियों के नवीनीकरण की बात हो, चाहे छोटी ट्रेनों को चलाने की बात हो, मैंने बहुत पहले इस माननीय सदन में कहा था कि टांडा अकबरपुर मेरे क्षेत्र में

दो डिब्बे की छोटी गाड़ी चलती है। उस गाड़ी का प्रयोग यात्री बहुत कम करते हैं। मैंने निवेदन किया था कि उस गाड़ी को कम से कम फैजाबाद तक बढ़ा दिया जाये ताकि टांडा, अकबरपुर, गोसाईगंज और अयोध्या होकर एक नई गाड़ी फैजाबाद तक मिल जाएगी। इसमें आपका कोई खर्चा भी नहीं बढ़ेगा। वही कोचेज, वही इंजन केवल उसकी दूरी बढ़ाने की बात है, उससे हमारे पूरे फैजाबाद के पूर्वांचल के लोगों को राहत मिल जाएगी। अयोध्या में बहुत पहले रेल पुल की मांग थी, ट्रेक प्राब्लम की वजह से संभव नहीं हुआ। टांडा-सलवरी घाट पुल को उत्तर प्रदेश शासन ने स्वीकृत कर दिया है। उस ओर हमारे उप रेल मंत्री भी जा चुके हैं और अभी कुछ दिन पहले भी आए थे और वहां पर नागरिकों के शिष्टमंडल ने उनसे निवेदन किया था। वहां 25 करोड़ रुपये का यह पुल बनना है, यदि इस पुल के साथी रेलवे के पुल की स्वीकृति दे दें, तो अच्छा रहेगा। जो नेपाल का पूरा तराई का इलाका है और गोरखपुर, बस्ती, टांडा, अकबरपुर, सुलतानपुर होते हुए देश के तमाम हिस्सों को दक्षिण भारत से जोड़ने में मदद मिलेगी। इसलिए इस पुल की मांग की थी। मैं चाहता हूं कि आप कृपा करके इस की स्वीकृति प्रदान कर दें, इससे पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिलों को राहत मिलेगी। इस में ऐसी कोई बात नहीं है और सुलतानपुर भी जुड़ जाएगा और बम्बई को सीधे ट्रेन मिल जाएगी। फैजाबाद-बम्बई सुपरफास्ट एक दिन चलाने की मंजूरी है। इससे यात्रियों को बड़ा कष्ट होता है। इसमें फैजाबाद और अयोध्या को छोड़कर मालीपुर, अकबरपुर, गोसाईगंज में आरक्षण की व्यवस्था इस ट्रेन में नहीं है और दूसरे यह बराबर मांग चल रही है कि इस सुपर फास्ट को प्रतिदिन कर दिया जाए। फैजाबाद और बम्बई तक, इससे मेरे क्षेत्र के लोगों को, जो कि तीन-चार जिले के लोगों को मिलाकर एक लाख से ज्यादा लोग हैं, उनको सहूलियत हो जाएगी। इसलिए मैं मांग करता हूं कि आप कृपा करके इस सुपर फास्ट को फैजाबाद-बम्बई प्रतिदिन चलाने की स्वीकृति प्रदान करें, जिससे वहां के लोगों को राहत मिल सके।

इसके साथ-साथ मैं आरक्षण के बारे में एक निवेदन करना चाहता हूं। हमें खेद होता है कि 40 साल की आजादी के बाद भी संविधान में जो एस॰सी॰ और एस॰ टी॰ के लिए प्रावधान किया गया है, उनके साथ ज्यादती हो रही है। आरक्षण रेलवे विभाग में पूरा नहीं है। प्रथम श्रेणी की बात तो अलग है, चतुर्थ श्रेणी और तृतीय श्रेणी में आरक्षण पूरा नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इसका टाइम बाउण्ड कार्यक्रम चलना चाहिए। यदि स्पेशल भरती करनी पड़े तो वह भी करनी चाहिए। लेकिन संविधान में जो राहत प्रदान की गई है, अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए उनके साथ जो सौतेला व्यवहार हो रहा है वह नहीं होना चाहिए और आरक्षण पूरा किया जाना चाहिए। इन का आरक्षण एक निश्चित समय के अन्दर आप पूरा करें, जिससे इन में जो असंतोष बढ़ रहा है, वह दूर हो।

इन शब्दों के साथ रेल मंत्रालय की मांगों का समर्थन करता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं।

**[अनुवाद]**

. **श्री डी॰ पी॰ जडेजा** (जामनगर): सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय द्वारा प्रस्तुत रेल बजट का समर्थन करता हूं और उन सभी लोगों को बधाई देना चाहता हूं जिनका यह उत्तम रेल बजट बनाने में हाथ रहा, यह एक ऐसा बजट है जिस से समूचे देश के यात्री संतुष्ट हैं। यह स्वाभाविक है कि हम सभी अधिक सुविधाएं, अधिक गाड़ियां और अधिक परिवर्तन चाहते हैं और हम चाहते हैं कि अधिक सर्वेक्षण किया जाए किन्तु हमेशा इसकी सीमा होती है विशेषकर जब कोई नया किराया नहीं लगाए जाने अथवा किरायों को बढ़ाया नहीं जाता और यात्रियों को बहुत सी नई सुविधाएं दी जाती हैं। मेरे विचार से इसके लिए इन्हें बधाई दी जानी चाहिए। यदि हम और अधिक रेल गाड़ियां और अधिक सर्वेक्षण चाहते हैं तो हमें केन्द्रीय वित्त

[श्री डी॰ पी॰ जडेजा]

मंत्रालय पर किसी प्रकार का दबाव डालना चाहिए ताकि उन्हें और अनुदान दिया जाए जिससे वे हमें अधिक सुविधाएं दे सकते हैं। जैसाकि उन्होंने इस बार किया है।

महोदय, मैं इस देश के सुदूर पश्चिमी क्षेत्र का रहने वाला हूं जो एक पिछड़ा हुआ क्षेत्र है रेल गाड़ियां यहीं तक आती हैं किन्तु रेलवे ने अब की बार हम पर बड़ी कृपा की है। मेरे क्षेत्र से उन्होंने केरल, तमिलनाडु और मद्रास और आन्ध्र प्रदेश में हैदराबाद के लिए सीधी रेल गाड़ी चलाई है। हमारे क्षेत्र में मध्य प्रदेश के लिए भी एक गाड़ी जाती है। अब एक गाड़ी सीधी कश्मीर तक के लिए चलाई गई है। हम रेल मंत्रालय के आभारी हैं कि हमारे क्षेत्र से ये रेल गाड़ियां शुरू की गयी हैं। निश्चय ही यदि हम सभी इनकी बारम्बारता से सन्तुष्ट नहीं हों अथवा इनके रुकने के समय और स्थानों से सन्तुष्ट नहीं हों किन्तु यह गौण बातें हैं जिनके संबंध में हम बाद में कह सकते हैं । मेरे इलाके अर्थात् सौराष्ट्र के यात्रियों को बेहत्तर सुविधाएं दी जानी चाहिएं।

महोदय, मैं गुजरात की जनता की ओर से रेलवे को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने भावनगर और अहमदाबाद के बीच एक नई गाड़ी चलाई है जो अत्यन्त आवश्यक थी। कपड़वंज और मोडासा लाइन को बड़ी लाइन में बदले जाने का स्वागत है। यह बहुत पहले होना था किन्तु हम आशा करते हैं कि आप शीघ्र ही राजकोट-वीरावल लाइनों को भी बड़ी लाइन में बदलेंगे।

महोदय, मैं अब एक विशेष क्षेत्र का उल्लेख करूंगा और वह क्षेत्र है हापा जो जामनगर कहलाता था। जामनगर में तीन रक्षा सेवाएं थल सेना, नौ सेना और वायु सेना और एम॰ ई॰ एस॰ भी है। अतः वहां हमारा एक बड़ा रक्षा सैन्य दल है। अतः रक्षा सेवाओं में 80 प्रतिशत से अधिक लोग या तो दक्षिण के हैं या फिर उत्तर से। गुजराती एक प्रतिशत भी नहीं हैं। अतः यह रेल गाड़ियां ऐसे सैनिकों के लिए एक बहुत बड़ा वरदान होंगी जो जामनगर में सुदूर क्षेत्र में तैनात हैं। किंतु दुर्भाग्य से जो रेलगाड़ियों आपने हमारे लिए चलाई हैं वे सभी राजकोट रुकती हैं। हापा केवल 50 मील दूर है। मेरा रेल मंत्री जी से केवल यही निवेदन है कि राजकोट में खत्म होने वाली सभी गाड़ियों को हापा तक बढ़ाया जाए और द्वारिका तक जाने वाली गाड़ियों को इन लाम्बी दूरी की गाड़ियों के साथ जोड़ा जाना चाहिए। द्वारिका जाने वाले तीर्थ यात्री मुख्यतः दक्षिण भारत, मध्य भारत और उत्तरी भारत के होते हैं। निश्चय ही वे पुर्वी भारत से भी आते हैं। यात्रियों के हित के लिए मेरा आप से निवेदन है कि लम्बी दूरी की इन गाड़ियों को द्वारिका या ओखा अथवा पोरबंदर तक बढ़ाया जाए।

मुझे विश्वास है कि इन सभी बातों पर विचार किया जाएगा। मैं आदरणीय रेल मंत्री का ध्यान एक महत्वपूर्ण मुद्दे की ओर दिलाना चाहता हूं। हमारे क्षेत्र में आज बड़ी लाइन की तुलना में मीटर गेज युग के दौरान अधिक लाइनें थी। यदि अलाभकर लाइनें (मार्ग) विखण्डित किए जाते हैं। तो यह ठीक है। किंतु गुजरात में एक अत्यन्त महत्वपूर्ण बन्दरगाह है जिसका नाम बेदी पोर्ट है जहां घाट तक एक रेल लाइन थी । इसे बड़ी लाइन में बदलने के नाम पर आपने 3 किलोमीटर की एक पट्टी छोड़ दी है। इन तीन कि॰मी॰ में से दोहरा वाहनांतरण करना पड़ता है जिसके कारण बन्दरगाह से आने वाली और बन्दरगाह को जाने वाली वस्तुओं की कीमत बढ़ गई है।

अन्त में मैं रेल अधिकारियों का ध्यान एक महत्वपूर्ण मामले की ओर दिलाना चाहता हूं। किराये में की गई 11 प्रतिशत वृद्धि पर पुनः विचार करने की आवश्यकता है आपके द्वारा किया हुआ वर्गीकरण और पुनः समूहीकरण में कुछ ऐसी वस्तुएं भी है जिन के लिए जनता को 20 से 30 प्रतिशत अधिक भुगतान करना पड़ेगा भारी मात्रा में उपभोग की जाने वाली वस्तुओं पर इस का प्रभाव पड़ेगा। मैं केवल यह निवेदन करना चाहता हूं। कि इस की पुनः समीक्षा कीजिए। मैं इस संबंध में अधिक जानकारी दूंगा कि यह 11प्रतिशत किस प्रकार है।वास्तव में 11 प्रतिशत नहीं है, वास्तव में यह 25 से 30 प्रतिशत से अधिक है।

मुझे पूरा विश्वास है कि यह सदन रेल मंत्रालय को उनके द्वारा सर्वोत्तम काम के लिए बधाई देने में पुनः एक बार मेरा समर्थन करेगा। उन्होंने ऐसा बजट प्रस्तुत करके और यात्रियों का पूरा समर्थन करके एक प्रशंसनीय कार्य किया है।

भाषण समाप्त करने से पूर्व मैं एक बात कहना चाहता हूं। मैं अपने कुछ साथियों से असहमत हूं जिन्होंने रेलवे विभाग में फैले भ्रष्टाचार, कार्य में विलम्ब होने और उनकी अकुशलता के बारे में कहा है।यदि हम देश में किसी विभाग पर गर्व कर सकते हैं तो वह है रेलवे विभाग। रेलवे में भ्रष्टाचार कम हो रहा है। रेलों के आने जाने के समय को सही रखा जा रहा है। रेलवे की कार्यकुशलता बहुत बढ़ गई है। हम उन्हें बधाई देते हैं और उनके लिए अच्छे भविष्य की कामना करते हैं।

[हिन्दी]

**डा॰ प्रभात कुमार मिश्र** (जंजगीर) : माननीय सभापति जी, मैं रेल मंत्री जी और रेल मंत्रालय को बधाई देता हूं कि उन्होंने विश्व में भारतीय रेलों का स्थान बनाया है। मैं विशेष रूप से इसलिए भी मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने अपनी नैतिक जिम्मेदारी को निभा कर रेल मंत्री के पद से इस्तीफा दिया। वह ऐसे रेल मंत्री हैं कि उन्होंने सदन में इस बात की स्थापना की कि यह उनकी जिम्मेदारी है।

मध्य प्रदेश के खिलाफ इस रेल के बजट के बारे में यहां बार-बार कहा जाता है कि यह मध्य प्रदेश का बजट है। आप इस बजट को देखें कि मध्य प्रदेश को कितनी रेल लाइनें दी गयी हैं। अगर कोई गाड़ी झांसी तक जाती है और उसको भोपाल तक बढ़ा दिया जाता है तो आप उसको कह दें कि मध्य प्रेदश को रेल लाइन दे दी या मैं कहूं कि दिल्ली से मद्रास जाना है या बम्बई से कलकत्ता जाना है तो मध्य प्रदेश हो कर जाते हैं क्योंकि मध्य प्रदेश बीच में पड़ता है। इसको आप कह दें कि मध्यप्रदेश को गाड़ी दे दी गयी तो यह अनुचित बात होगी। या तो आप यह करें कि मध्य प्रदेश के ऊपर से गाड़ी निकालें। मुझे बड़ा दुःख होता है जब कोई जिम्मेदार व्यक्ति यह कहता है कि यह बजट मध्य प्रदेश का है। हम सब संसद में बैठे हैं और आपके हाथ में यह बजट है। आप देख सकते हैं कि इस बजट में कितनी गाड़ियां मध्य प्रदेश को दी गयी हैं किसी गाड़ी को बढ़ा देने का मतलब यह नहीं है कि उसको गाड़ी दे दी गयी है।

देश के आर्थिक विकास में, डवलपमेंट में जो हिस्सेदारी रेलों की है उस हिस्सेदारी को रेल मंत्रालय ने पूरी तरह से निभाया है और मैं इस बात के लिए रेल मंत्री जी को बधाई देता हूं। जब आप मध्य

[डा॰ प्रभात कुमार मिश्र]

प्रदेश की बात करते हैं तो यह क्यों भूल जाते हैं कि रेल गाड़ी को चलाने के लिए मध्य प्रदेश लोहा देता है। रेल गाड़ी का भाड़ा बढ़ाने के लिए मध्य प्रदेश सीमेंट, कोयला देता है। वहां से इनको ढोने की प्रक्रिया की वजह से रेलों की आमदनी बढ़ती है। क्या मध्य प्रदेश को गाड़ी देना अन्याय है? क्या मध्य प्रदेश का मंत्री होना अन्याय है?

अंत में मैं सदन में यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जो रियायतें इस बजट में दी गयी हैं, जो गाड़ियां दी गयी हैं उनका हम स्वागत करते हैं और आपकी और रेल अधिकारियों की प्रशंसा करते हैं कि उन्होंने इसमें अपना इनवोल्वमेंट रख कर रेलवे की छवि को और अच्छा किया है। एक बात बताना चाहता हूं कि जब रेल मंत्रालय की बात होती है, रेल बजट की बात होती है तो जहां पर सुविधा पहले से है, उसको बढ़ाने की बात होती है। कलकत्ता में रेल है तो वहां पर मैट्रो रेल दे दी जाए, मैट्रो रेल है तो उसकी लंबाई बढ़ा दी जाए, लेकिन ग्रामीण अंचल में जहां पर लोगों ने रेल गाड़ी देखी भी नहीं है हम जब वहां के लिए छोटी लाइन की भी मांग करते हैं तो वह संभव नहीं हो पाता। मध्य प्रदेशवासी खास तौर पर दुखी हैं, जब मंत्री महोदय के पास जाते हैं कि हमें रेलगाड़ी दे दीजिए तो कहते हैं कि बदनामी होती है, आपका कोई भी काम करूंगा तो लोग कहेंगे कि मध्य प्रदेश का काम कर रहा हूं इस तरह से मध्य प्रदेश को कुछ नहीं मिलता। यह एक 3 पेज का पत्र आपको दिखाना चाहता हूं जो 4 फरवरी, 1989 को अपने क्षेत्र साउथ ईस्टर्न रेलवे बिलासपुर मुख्यालय के बारे में मैंने लिखा है। **(व्यवधान)**

सभापति महोदय, हमें गाड़ी नहीं दे सकते तो कम से कम बोलने के लिए समय तो दे दीजिए। मैं कह रहा था कि 10-15 मांगें हमने इसमें रखी थीं, यह भारतीय रेलवे का वह हिस्सा है जो 1/9 भाग आमदनी करवाता है, बहुत बड़ा मण्डल है, लेकिन वहां की एक मांग भी स्वीकार नहीं की गई। मैं यह भी बताना चाहता हूं कि जब रेल मंत्रालय से कोई जवाब आता है, तो उसको देखकर ऐसा लगता है कि उस पर रेल मंत्री जी का सिर्फ ठप्पा लगाया जाता है, उनकी जानकारी में वह पत्र नहीं होता। यह इसलिए लगता है कि उसमें उन बातों के लिए भी संसाधनों की कमी बताई जाती है, जिनकी घोषणा माननीय मंत्री जी स्वयं उस क्षेत्र में कर चुके होते हैं। इसलिए मैं रेलवे अधिकारियों को विशेष रूप से कहना चाहूंगा कि इस तरह से गैर-जिम्मेदाराना तरीके से कोई जवाब न दिया जाए, जिससे रेल मंत्री जी पर आक्षेप लगता हो।

सभापति महोदय, हम रेल विभाग को कोयला, लोहा, बिजली, पानी और रेल चलाने के लिए जगह देते हैं, लेकिन अभी जैसा भाई साहब कह रहे थे कि साउथ ईस्टर्न रेलवे का कार्यालय कलकत्ता में खोल दिया गया, लेकिन जहां पर ये कार्यालय खोले जाते हैं वहां पर स्थानीय लोगों को काम नहीं मिलता, उनका प्रतिशत बहुत कम होता है। इन कार्यालयों में उड़ीसा और मध्य प्रदेश के लोगों को स्थान नहीं मिलता।

इनके अलावा मैं कुछ और बातों की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। हमारे यहां हाइएस्ट यूटीलाइजेशन आफ ट्रैक है, साउथ ईस्टर्न रेलवे के लिए जब भी कोई मांग रखी जाती है तो कह दिया जाता है कि ट्रेक खाली नहीं है। अगर हम देश के विकास में सहयोग दे रहे हैं तो इसके लिए क्या हमको सजा दी जाएगी, हमारा नुकसान होगा। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं कि ब्रिटिश काल से 1890 से बिलासपुर से कलकत्ता जाने वाली गाड़ियों में बिलासपुर, शक्ति, रायगढ़, चांपा स्थानों से बुकिंग की सुविधा थी, बंबई हावड़ा मेल में यह सुविधा थी, लेकिन अब उसको बंद कर दिया गया है। जो सुविधा हमको इतने समय से मिल रही थी, उसको समाप्त करने से पहले वहां की जनता से पूछना चाहिए था। इस तरह की मिसाल कहीं और नहीं है जिस तरह की साउथ ईस्टर्न रेलवे की है। हमें दुख होता है, जनता को हमें जवाब देना होता है, जब हम क्षेत्र में जाते हैं तो लोग कहते हैं कि पहले ये बुकिंग फिर से चालू करवाइए, उसके बाद क्षेत्र में आना। लेकिन हम किसके पास जाएं, मंत्री महोदय के पास आते हैं तो मध्य प्रदेश की बात सामने आ जाती है। इसका परिणाम यह है कि हमें कुछ नहीं मिलता है, सिर्फ बदनामी मिलती है, मंत्री जी को बदनामी मिलती

है। यह बात मैं बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं इसी तरह से उत्कल एक्सप्रेस, जिसमें 8 स्टेट्स के यात्री यात्रा करते हैं, उसमें अभी तक एन्सी॰ फर्स्ट-क्लास नहीं है। खाना जो दिया जाता है, उसका, स्तर भी ठीक नहीं है। यहां पर एड्स वगैरह की बातें की जाती है, लेकिन इसमें बैड-रोल के नाम पर जो कंबल सप्लाई किए जाते हैं कि उनको इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ऐसा लगता है कि उनको बिना साफ किए, ऐसे ही इस्त्री कर के दे दिया गया है। इन सब चीजों की ओर ध्यान दिया जाना चाहिए। पानी के डिब्बे उसमें रहते हैं, लेकिन पता नहीं उनको साफ किया जाता है या नहीं, सफाई की ओर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। जब भी बिलासपुर, मंडला, जबलपुर रेलवे लाईन की बात की जाती है तो कहा जाता है कि सर्वे किया जा रहा है, 4 साल से हम इस बात को सुन रहे हैं कि सर्वे किया जा रहा है, कब यह सर्वे खत्म होगा, कब हमको गाड़ी मिलेगी। यदि किसी काम को न करना हो तो इस तरह से आश्वासन नहीं देने चाहिए, क्योंकि जनता हमसे जवाब मांगती है और परिणाम हमको भुगतने होते हैं।

आप कहते हैं कि रेल से इन्कम हो रही है जिससे देश का विकास हो रहा है। लेकिन जब बिलासपुर को दसवां जोन स्थापित करने के लिए कहा जाता है तो पता नहीं कौन सी समस्या मंत्री जी के सामने आ जाती है। मैं यह चाहूंगा कि बिलासपुर को दसवां जोन स्थापित किया जाए। मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता। मैंने कई बार यह कहा है कि यह मध्य प्रदेश का बजट नहीं है, जैसा कि कहा जाता है। माननीय मंत्री जी आ गए हैं इसलिए यह कहना चाहता हूं कि हमको दोहरी मार न पड़े। वे कहते हैं कि मध्य प्रदेश का होने की वजह से बदनाम हो रहा हूं। लेकिन हमें तो कोई सुविधा ही प्राप्त नहीं होती है। संसद में कहा जाता है कि मध्य प्रदेश का बजट है और सिंधिया जी के घर का काम है, जबकि स्थिति इसके विपरीत है। मैं यहीं पर अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

**श्री के॰ एस॰ राव (मछलीपटनम)**: महोदय, मैं रेलवे बजट का समर्थन करता हूं। अपने बजट का वित्तपोषण करने के लिए आन्तरिक संसाधनों का विकास करने में मैं सदैव माननीय मंत्री श्री माधव राव सिंधिया की प्रशंसा करता हूं। आरंभ से ही मेरा नारा यह था कि रेलवे, नागरिक विमानन, दूरसंचार जैसे मंत्रालय और अन्य ऐसे ही मंत्रालयों को बजट संबंधी सहायता पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। पिछले तीन वर्षों में यह देखने में आया है कि रेलवे में आन्तरिक संसाधनों के विकास में 21 प्रतिशत से 61 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इससे भी अधिक, परिसम्पतियों की अधिकाधिक उपयोगिता करने, कर्मचारी उत्पादकता और रेलवे प्रणाली के आधुनिकीकरण के संबंध में रेलवे में उनकी प्रबंध व्यवस्था काफी सन्तोषजनक है। हालांकि माल भाड़े में 27 प्रतिशत और यात्री कि॰ मी॰ में 19 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और चालू रेल पटरियों में केवल .9 प्रतिशत वृद्धि हुई है जिसमें स्टाफ में पर्याप्त वृद्धि नहीं की गई है। इससे स्पष्ट रूप से यह संकेत मिलता है कि प्रबंध व्यवस्था के अच्छा होने के कारण कर्मचारी उत्पादकता में भी वृद्धि हुई है। उनकी पृष्ट भूमि, उनके स्वभाव, उनकी प्रबंध व्यवस्था आदि को ध्यान में रखते हुए मैं यह कह सकता हूं कि यदि वे कार्य क्षेत्र (फील्ड) में कार्यालय की अपेक्षा अधिक समय लगाएं— ऐसा नहीं है कि वे कार्यक्षेत्र में जाते ही नहीं— तो मुझे विश्वास है कि वे और अधिक कार्य कर सकते हैं।

जब मैंने 7000 करोड़ रुपये और इससे अधिक का व्यय देखा तो मुझे यह लगा कि यदि उन्होंने इसके विभिन्न पहलुओं का बारीकी से अध्ययन किया होता तो मुझे विश्वास है कि वे परियोजनाओं के कार्य निष्पादन से 873 करोड़ रुपये बचा लेते तथा 11 प्रतिशत की वृद्धि नहीं होने देते। मुझे आशा है कि वे इस पर विचार करेंगे।

मैंने देखा है कि केवल यही एक ऐसा मंत्रालय है जो 715 करोड़ रुपये की मूल्य ह्रास आरक्षित

[श्री के॰एस॰ राव]
निधि और 140 करोड़ रुपये की विकास निधि के अलावा 805 करोड़ रुपये का अंशदान सामान्य राजस्व में दे रहा है। इसका अर्थ यह हुआ कि लगभग 11,000 करोड़ रुपये की चालू पूंजी में से वे 2,700 करोड़ रुपये से अधिक की बचत कर रहे हैं किन्तु वे कोई नई लाईन नहीं बिछा रहे हैं, वे केवल लाइनों (पटरियों) के नवीकरण पर ही अधिक ध्यान दे रहे हैं। हालांकि रेलगाड़ियों की संख्या में वृद्धि हुई है किन्तु मैं समझता हूं यह वृद्धि और भी अधिक की जा सकती थी। इसके लिए मैं चाहूँगा कि माननीय मंत्री महोदय उत्पादन पर भी ध्यान देंगे। रेलवे एक ऐसा विभाग है जो पर्याप्त मात्रा में रोजगार में वृद्धि कर सकता है। हमें अधिक विदेशी मुद्रा की आवश्यकता नहीं है। यदि आप निर्णय लें, मैं जानता हूं कि हम, गति बढ़ाने का नहीं जैसा कि आप कर रहे हैं बल्कि ज्यामितीय अनुक्रम में, इंजनों का विनिर्माण कर सकते हैं, सवारी डिब्बों का विनिर्माण कर सकते है और माल-डिब्बों (वैगनों) का विनिर्माण कर सकते हैं। इसका कारण यह है कि आपने पहले ही वित्त निगम गठित कर दिया है और जनता से कुछ सौ करोड़ रुपया ले रहे हैं अतः यदि आप जनता से वह धन प्राप्त कर सकते हैं तो आप अधिक और अधिक नई लाइनें और नई रेलवे पट्रियाँ बिछा सकते हैं। मैं जानता हूं कि आप बोझ बढ़ा रहे हैं और बदले में आपको जनता को ब्याज भी देना है किन्तु आप और रोजगार बढ़ा रहे हैं।

16.00 म॰ प॰

देश में यह चर्चा है कि हालांकि आप प्रबंध व्यवस्था को कसने और इसे कुशल ढंग से चलाने में बहुत तेज हैं फिर भी आप रोजगार में वृद्धि नहीं कर रहे हैं। आप पर्याप्त संख्या में पटरियों में वृद्धि नहीं कर रहे हैं। आप ऐसा कर सकते हैं।

मैं आपकी इस बात के लिए प्रशंसा करता हूं कि अन्य बहुत से लोगों के विपरीत आप पिछले चार वर्षों से लगातार रेलवे मंत्रालय में हैं। यह स्वयं में आपके लिए अच्छी बात है क्योंकि आप अपने विचारों के अनुरूप ऊर्जा पर नियंत्रण रखने, कुशलता को बढ़ाने और परिसम्पत्तियों में वृद्धि करने में अपने प्रशासन को कुशलता से चला सकते है।

**प्रो॰ मधु दण्डवते** (राजापुर): प्रधान मंत्री के लिए अच्छी शिक्षा है।

**श्री के॰ एस॰ राव:** मैं केवल माननीय मंत्री के बारे में बात कर रहा हूं। यह कोई आलोचना नहीं है; वस्तुतः मैं आपको बता चुका हूं कि मैं आपकी कार्यप्रणाली की हृदय से प्रशंसा करता हूं। मैं यह चाहता हूं कि अधिक और अधिक रोजगार बढ़ाने और पटरियाँ बिछाने के लिए आप अधिक प्रगतिपरक ढंग से लाइनों की संख्या में वृद्धि करें। आखिरकार पटरियों, स्लीपरों, रेलगाड़ियों आदि का हम अपने देश में ही विनिर्माण कर सकते हैं और उसके लिए आवश्यक संसाधनों को आन्तरिक संसाधनों के रूप में ही प्रयोग कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि आप इस पर विचार करेंगे और रेलवे को अधिक कुशलता तथा प्रगतिशील ढंग से चलाने के लिए और अच्छा कार्य करेंगे।

अब मैं आन्ध्र प्रदेश की बात करता हूं। मैंने किए गए आवंटन का पूरा अध्ययन किया है। मैंने यह देखा है कि आपने यह कहा है कि आप इस वर्ष 30 मार्च तक गुंटूर मछेरला लाइन को बड़ी लाइन में बदलने का कार्य पूरा कर देगें किन्तु जब मैंने आवंटन देखा तो मैंने पाया कि आपने कुल प्रत्याशित व्यय में से 66.38 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है और 7.5 करोड़ रुपये अगले बजट के लिए छोड़ दिए हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि अभी कुछ काम शेष है। हो सकता है, मुझे नहीं पता कि आप इस लाइन को यातायात के लिए खोल रहे है या नहीं और 7.5 करोड़ रुपये की यह शेष राशि और किसी काम के लिए हो, स्थिति में मुझे खुशी होगी।

मैंने उस पुल के स्थान पर जिसे संभवतः छोड़ा जाना है, गोदावरी नदी के ऊपर नए पुल के लिए

किए गए आवंटन को देखा है। आपने केवल 8.6 करोड़ रूपये का आवंटन किया है। आप गोदावरी नदी पर बनाए जाने वाले पुल का महत्व जानते हैं। वाहनों का आना-जाना बहुत अधिक है और मद्रास से हावड़ा तक का क्षेत्र भी तटीय पट्टी क्षेत्र है और यदि पुल जल्दी ही तैयार हो जाता है तो इससे आपको और अधिक राजस्व मिलेगा। आप पुल को बनाने की गति बढ़ाने पर विचार कर सकते हैं तथा आन्ध्र प्रदेश में और अधिक लाइनें बिछा सकते हैं।

इसके अतिरिक्त विकाराबाद-तंदूर लाइन, जिसकी कुल लागत 46.84 करोड़ रूपये है और आपने एक करोड़ रुपया खर्च किया किन्तु केवल 5.94 करोड़ रुपये आवंटित किए। मुझे संसाधनों की उस कमी की जानकारी है जिसका सामना आपको करना होगा। किन्तु मेरा आपसे यह अनुरोध है, जैसा कि मुझसे पूर्व बोलने वाले बता रहे थे, कि जिस ढंग से उन्होंने कहा और जिस प्रकार आन्ध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री कार्य कर रहे हैं . . . (**व्यवधान**)। ज्योंही मैंने आन्ध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री का उल्लेख किया—अध्यक्ष पीठ ने घंटी बजा दी है मेरा आपसे यह अनुरोध है कि आप आन्ध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री के व्यवहार को पूरी तरह जानते हैं कि वे लोगों को भड़कायेंगे कि भारत सरकार आन्ध्र प्रदेश को धन का आवंटन न करके पक्षपात कर रही है वे क्षेत्रीय प्रवृति को बढ़ा रहे हैं तब आप इसके परिणाम जान सकते हैं कि इससे इस देश के नागरिकों में किस प्रकार भेदभाव पैदा हो सकता है।

महोदय, मध्य प्रदेश के लोगों ने यह कहा है कि उनकी लम्बे अर्से से उपेक्षा की जा रही है। तेलंगाना भी उसी श्रेणी में आता है। तेलंगाना क्षेत्र में स्थित विकाराबाद-तंदूर लाइन की वर्षों से उपेक्षा की गई है। मैं आपसे इसके लिए आवंटन में वृद्धि करने का अनुरोध करता हूं। मैं अपने क्षेत्र कृष्णा, गोदावरी और अन्य तटीय क्षेत्रों के लिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि यह विकसित क्षेत्र है। ऐसा नहीं है कि यदि आप इसके लिए कुछ आवंटन करेंगे तो मैं कोई बाधा उत्पन्न करूंगा। मेरे निर्वाचन क्षेत्र, मछली पुरम का बहुत महान इतिहास है। अब इसकी उपेक्षा की जा रही है। मछलीपुरम जो 1,500 वर्ष पूर्व भी बहुत जीवन्त था, अब इसकी उपेक्षा हो रही है। अब आप इसका ध्यान रखें और मछलीपुरम स्टेशन का विकास करें। इससे आपको किसी प्रकार के राजस्व की हानि नहीं होगी।

महोदय, मैं अधिक समय नहीं लेना चाहता। किन्तु यदि आप भाड़े की दरों में ग्यारह प्रतिशत वृद्धि नही करते — मैं कारणों का ब्योरा नहीं देना चाहता — तो यह आपकी बुद्धिमता होती। मैं समझता हूं कि हम इस शेष राशि का उपयोग इस वर्ष के लिए किए गए मूल्य ह्रास आरक्षण निधि में कर सकते थे और भाड़े की दरों में वृद्धि करने को टाल सकते थे।

इन शब्दों के साथ मैं माननीय रेलवे मंत्री, विशेषकर श्री सिंधिया की प्रशंसा करता हूं और उन्हें बधाई देता हूं तथा उनसे रोजगार और रेल लाइनों में वृद्धि करने का अनुरोध करता हूं।

***श्री गोकुल सैकिया** (लखीमपुर): सभापति महोदय, मैं वर्ष 1989-90 के रेलवे बजट पर चर्चा हेतु अवसर दिए जाने के लिए धन्यवाद करता हूं। माननीय रेलवे मंत्री इस समय यहाँ उपस्थित है। मैं सम्पूर्ण बजट पर विस्तार से चर्चा नहीं करना चाहता। मैं असम से संबंधित अपनी मांग तक ही सीमित रहने का प्रयास करूंगा। विशेष रूप से मैं असम के लखीमपुर जिले की जनता की माँगों का हवाला देना चाँहूगा। ये माँगे लम्बे समय से की जा रही हैं।

यह आठवीं लोक सभा का अन्तिम वर्ष है और हममें से कोई यह नहीं जानता कि हम अगले वर्ष के रेल बजट में भाग लेने की स्थिति में होंगे या नहीं। वर्ष 1962 में चीन युद्ध के बाद रेलवे लाइन को जोनाई

*मूलत: असमिया भाषा में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपन्तर ।

[श्री गोकुल सैकिया]

तक बढ़ाया गया था। उस समय हमें यह उम्मीद थी कि असम में रेलवे का और अधिक विकास होगा। किन्तु यह बड़े ही दुःख की बात है कि वर्ष 1962 में बनी लाइनें वहीं की वहीं रह गई। अभी तक उनमें कोई विस्तार नहीं हुआ है। मजाक के तौर पर मैं यह निवेदन करना चाहूँगा कि यदि द्वितीय चीनी युद्ध हुआ तभी असम को कुछ रेलवे लाइनों की मंजूरी दी जाएगी। फिलहाल, वृद ब्रह्मपुत्र नदी पर केवल दो पुल हैं। हाल ही में नौगाँग के निकट बनाया गया पुल एक मात्र सड़क पुल है। वहां कोई रेल सुविधा नहीं है। इस तरह से ब्रह्मपुत्र नदी पर केवल एक रेलवे पुल है। लखीमपुर की रेलवे लाइन नगर के बीच से होकर गुजरती है जिससे लोगों को अत्यधिक असुविधा होती है।

यदि किसी को स्कूल, कालेज या अस्पताल अथवा कैन्ट क्षेत्र में जाना हो ता उसे रेलवे फाटक पर काफी समय प्रतीक्षा करनी पड़ेगी क्योंकि रेलवे फाटक ज्यादा समय बन्द रहता है। वहां पर एक रेलवे ओवरब्रिज बनाने की मांग काफी समय से हो रही है । मैंने पिछले वर्ष भी इसका जिक्र किया था। इसी मांग के लिए अखिल असम छात्र संघ ने आन्दोलन भी चलाया था, लेकिन रेल प्रशासन ने इस मांग पर कोई ध्यान नहीं दिया है।

आप जानते ही हैं कि लखीमपुर-अरूणाचल प्रदेश के लिए प्रवेशद्वार है। लखीमपुर से अरूणाचल की सीमा 50 किलोमीटर दूर है। लखीमपुर से अरूणाचल की राजधानी ईटानगर के लिए कोई रेलवे लाइन नहीं है।

रेलवे विभाग में रोजगार के क्षेत्र में, चाहे यह असम के अन्दर है अथवा असम से बाहर है, मुश्किल सेड़ से 4% लोग ही असम से हैं।

पिछले 30 वर्षों से रंगिया में एक रेलवे मंडल स्थापित करने की मांग की जा रही है। इस संबंध में अभी तक कुछ भी नहीं किया गया है। असम के लोग इस रेलवे मंडल के लिए आन्दोलन कर रहे हैं और इन आन्दोलनों में अनेक लोग मरे, लेकिन रेलवे प्रशासन ने इस पुरानी मांग को अनसुना कर रखा है। अनेक माननीय सदस्यों का मत है कि रेल विभाग गैर-कांग्रेस (ई) शासित राज्यों की उपेक्षा कर रहा है क्योंकि हम देखते हैं कि इन राज्यों में कोई विकास नहीं हुआ है।

1986 में लखीमपुर में एक गंभीर दुर्घटना हुई थी जिसमें 32 से अधिक लोग मारे गए थे। इस बात पर विशेष ध्यान दिया जाए कि वह गेटमैन ही वहां पर नहीं था जिसका कार्य उस फाटक की देखभाल करना है। दुर्घटनाग्रस्त लोगों को कोई मुआवजा नहीं दिया गया है। इस संबंध में इस दुर्घटनाग्रस्त लोगों को मुआवजा देने के लिए मैंने माननीय रेल मंत्री को अनेक पत्र लिखे। अभी तक कुछ नहीं हुआ है। मैंने रेल मंत्री से अनुरोध किया था कि कम से कम इन प्रभावित लोगों के परिवार में एक को नौकरी दी जाए लेकिन आज तक किसी को भी रोजगार नहीं दिया गया है। यह सच है कि माननीय रेल मंत्री हमारे पत्रों की प्राप्ति के बारे में हमें सूचित करते हैं लेकिन इन पत्रों में उठाए गए मुद्दों पर कोई कार्यवाही नहीं की जाती है।

यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि स्वतन्त्रता के बयालिस वर्षों के बाद भी मेरे निर्वाचन क्षेत्र के कुछ लोगों ने कोई रेलवे लाइन ही नहीं देखी है। सबसे बड़ा नदी द्वीप मजुली मुख्य भूमि से कटा हुआ है और इसे उन दो पुलों से नहीं जोड़ा जा सकता जिनके बारे में एन० ई० सी० ने एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की थी लेकिन जिनपर अभी कार्य शुरू नहीं हुआ है। मैं रेल मंत्री से आग्रह करता हूं कि इन दोनों पुलों को सड़क तथा रेलवे दोनों ही प्रकार के पुल के रूप में बनाया जाए। इसी प्रकार जो सड़क सदिया जाती है उस पर भी रेलवे पुल की जरूरत है। उस क्षेत्र के लोग रेलवे लाइन की सुविधा से वंचित हैं। यदि वहां पर रेलवे लाइन का निर्माण हो जाए तो पूरे क्षेत्र को लाभ होगा और इस क्षेत्र का आर्थिक विकास होगा।

मैं सभा का अधिक समय नहीं लेना चाहता हूं। अन्त में मैं अनुरोध करता हूं कि असम के लोगों,

विशेषकर लखीमपुर के लोगों के लिए और अधिक रोजगार उपलब्ध करवाया जाए। मैं एक बार फिर से माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि लखीमपुर में एक रेलवे ओवरब्रिज को मंजूरी दी जाए इसकी कमी से वहां अनेक बड़ी दुर्घटनाएं हर वर्ष होती हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ अत्यंत गंभीर रोगी अस्पताल जाते समय रेलवे फाटक को बन्द पाते हैं और इसके खुलने की प्रतीक्षा में रोगी रेलवे फाटक पर ही मर जाता है। अतः यह अत्यंत गंभीर समस्या है। माननीय मंत्री महोदय इस पर विचार करें और आवश्यक कार्य करें। वहां पर रेलवे ओवर ब्रिज के न होने से छात्र अपनी परीक्षा केसमय पर परीक्षा केन्द्रों पर समय पर नहीं पहुंच सकते हैं। यह अत्यंत दयनीय स्थिति है। इसलिए मेरा सादर अनुरोध है कि माननीय मंत्री मेरे निर्वाचन क्षेत्र के लोगों की मांग पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करें और उनकी शिकायत दूर करें।

सभापति महोदय मैं एक बार फिर, मुझे बोलने का अवसर देने के लिए आपका अत्यधिक धन्यवाद करता हूं और इन शब्दों के साथ अपना भाषण समाप्त करता हूं।

**[हिन्दी]**

**श्री कमला प्रसाद सिंह** (जौनपुर): माननीय सभापति जी, माननीय रेल राज्य मंत्री श्री सिंधिया जी द्वारा प्रस्तुत रेल बजट का मैं हृदय से स्वागत और समर्थन करता हूं। एक अच्छा जन-कल्याणी बजट उन्होंने प्रस्तुत किया है। इससे निश्चित रूप से आम जनता और हर वर्ग के लोगों को बड़ा ही लाभ पहुंचा है।

माल यातायात की दरों में 11 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। इसमें भी कमजोर वर्ग के लोगों, कृषकों, जिन्हें लाभ पहुंचना चाहिए ऐसी वस्तुओं का जैसे सब्जियां, गुड़, खाद्य और तिलहन, खली और चारा पशुओं के लिए, इन पर किसी तरह की वृद्धि नहीं हुई है। इससे आम जनता को बड़ी राहत मिली है।

यात्रियों का किराया न बढ़ने के कारण निश्चित रूप से बड़ा लाभ हुआ है। बजट प्रस्तुत होने से पहले लोग यह सोच रहे थे कि ऐसा तो नहीं है कि रेल का यात्री किराया तो नहीं बढ़ता लेकिन जिस दिन यह बजट प्रस्तुत किया गया, उस दिन निश्चित रूप से जनता माननीय मंत्री जी को और अपने प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी जी को बधाई दे रही थी कि बहुत ही अच्छा व जनहित का बजट इन्होंने प्रस्तुत किया।

मान्यवर, ज्यादा समय न होने के कारण मैं आंकड़ों के ब्यौरे में नहीं जाना चाहता। 15 जो नई रेलगाड़ियां चलायी गई हैं उसके लिये मैं माननीय मंत्री जी को बधाई देता हूं। जब यह नई रेलगाड़ियां चलाने की बात बजट भाषण में हो रही थी तो मैं सोच रहा था कि इसमें जौनपुर का नाम भी दिखलायी तथा सुनाई पड़ेगा लेकिन ऐसा कुछ भी दिखलायी नहीं दिया । अगर इसमें जौनपुर का नाम भी होता तो ज्यादा उपयुक्त होता। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि जौनपुर को भी इसमें जोड़ा जाना चाहिए।

जौनपुर से एक गंगा-जमुना ट्रेन है और एक और ट्रेन सरजू-जमुना है। वह तीन दिन चलती है। वह 9 बजे जौनपुर से छूटती है। 9 बजे रात्रि से चल कर वह 12-1 बजे दिल्ली आती है। जब लोग उपरोक्त ट्रेन से यात्रा करके दिल्ली आते हैं या हम सांसद आते हैं तो सही समय पर मीटिंग में भाग नहीं ले पाते हैं। मैं चाहता हूं कि उस ट्रेन की रफ्तार बढ़ायी जाये या फिर इसके समय में परिवर्तन किया जाये ताकि सही समय से यहां पहुंच सकें।

यह बहुत बड़ी उपलब्धि की बात है कि नेहरू शताब्दी समारोह के एक भाग के रूप में रेलों ने 14-11-88 से नेहरू यात्री टिकट शुरू किया है। यह एक अच्छी उपलब्धि है। देश के सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और पर्यटन के महत्व वाले स्थलों के भ्रमण के लिये 61 यात्रा कार्यक्रम इसके द्वारा रखे गये हैं। जौनपुर जनपद एक ऐतिहासिक जनपद है। वहां पर भी बहुत तीर्थ स्थल हैं। जौनपुर से लगे वाराणसी जनपद में काशी विश्वनाथ का मंदिर है। पश्चिम में इलाहाबाद में त्रिवेणी का संगम है। अभी डेढ़ करोड़ से ज्यादा लोगों ने वहां संगम कुंभ में स्नान भी किया है। पास में ही उत्तर में अयोध्या है। जौनपुर जनपद एक ऐतिहासिक नगर होने

**[श्री कमला प्रसाद सिंह]**

के कारण वहां से गाड़ियां निश्चित रूप से चलायी जानी चाहिएं। बार-बार आपसे मांग की है कि जौनपुर से एक गाड़ी बम्बई के लिये चलायी जाये। हमारे अंचल के और पूर्वांचल के लोग, आजमगढ़ और बलिया के लोग अक्सर बम्बई आते-जाते हैं। मैं जब से इस पार्लियामेंट में आया हूं तब से बराबर इस रूट पर गाड़ी चलाने की मांग करता आ रहा हूं। लेकिन एक भी गाड़ी बम्बई के लिये नहीं चलायी गई है। इसका नतीजा यह होता है कि शादी-विवाह के दिनों में यहां के लोगों को आने-जाने में बहुत कठिनाई होती है और उनको आरक्षण नहीं मिलता। सब के सब भूसे की तरह से ट्रेन में आते हैं। जौनपुर से बम्बई तक के लिये एक ट्रेन अवश्य चलायी जानी चाहिए। मैंने यहां एक प्रश्न भी किया था। मुझे नहीं मालूम कि कौन अधिकारी प्रश्नों के जवाब यहां बनाते हैं। मैंने कहा था कि केवल मात्र एक किलोमीटर की दूरी मेन रोड से लेकर सिटी रेलवे स्टेशन तक है। उस रास्ते के बीच में इतने बड़े-बड़े गड्ढे हैं कि वहां कोई न पैदल चल सकता है और न रिक्शा तक चल सकता है। रेल विभाग की वह सड़क है।अब यह कहा जा रहा है कि यह रेल विभाग की सड़क नहीं है। उस प्रश्न के जवाब में यह सब कहा गया है। मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि आप कम से कम उस सड़क को अवश्य बनवा दें। एक किलोमीटर की यात्रा 20 किलोमीटर के बराबर हो जाती है। अतः आप उसे अवश्य बनवा दें।

न सिटी स्टेशन पर प्रतीक्षालय है, न वहां पर माल-गोदाम है और मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि वहां पर आपने पानी के लिए एक-दो पाइप लगवा दी हैं, वहां पर जब गर्मियों के दिनों में लोग आयेंगे और निश्चित रूप से पीने के पानी की समुचित व्यवस्था नहीं हो पाएगी। पीने के पानी की व्यवस्था के लिए, शौचालय के लिए, रोशनी के लिए और प्लेट फार्म के लिए मैं मांग करता रहा हूं । मैं सिटीस्टेशन के लिए दोहरे प्लेट-फार्म की मांग करता रहा हूं। सिटी स्टेशन पर एक मात्र प्लेट फार्म है और यदि एक प्लेट फार्म पर गाड़ी आती है और फिर दूसरी तरफ गाड़ी आती है, तो लोगों को लाइन क्रास करके जाना पड़ता है। इसलिए मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि वहां दूसरा प्लेटफार्म बनाना चाहिए। दूसरे हमारे यहां भंडारी जंक्शन जो स्टेशन है, उसकी भी स्थिति ऐसी है कि पूरे प्लेट फार्म पर शैड नहीं है। वहां पूरा शैड लगाने की आवश्यकता है। गर्मियों के दिनों में, बरसात के दिनों, जाड़े के दिनों में वहां के लोगों को बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि वहां पर उसको लगाने की व्यवस्था करनी चाहिए। मान्यवर, मैं जब माननीय सदस्य हरीश रावत जी बोलते हैं, तो उनकी बात को बड़े ध्यान से सुनता हूं और हमारे माननीय मंत्री जी मेरी बात को ध्यान से नहीं सुन पा रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि आप की कृपा से वहां पर वरुण एक्सप्रैस इन्टर सिटी गाड़ी वाराणसी से लखनऊ और लखनऊ से वाराणसी के लिए चलती है। उसकी स्थिति बहुत ही दयनीय हो चुकी है। वह गाड़ी जो सुबह जौनपुर से छः बजे चल कर साढ़े नौ बजे पहुंचनी चाहिए, उसकी स्थिति यह है कि वह साढ़े तीन घंटे और कभी ढ़ाई घण्टे तक लगातार लखनऊ से लेट चलती है। सारे लोग कहते हैं कि पता नहीं क्या हो रहा है। वहीं तक ट्रेन जाती है और वहीं से ट्रेन वाराणसी वापिस हो जाती है। उसमें ऐसी कौन सी बात है। इतनी लेट क्यों चलती है। मैं जानना चाहता हूं कि जब आपने एक ट्रेन जनता के लाभ के लिए चलाई है कि कम से कम जनता को लाभ मिल सके और ट्रेन जब रात को 12 बजे और एक बजे पहुंचेगी तो निश्चित रूप से जनता को परेशानी होगी। जो व्यापारी जाते हैं, निश्चित रूप से उनको परेशानी होगी, उनका सामान कोई ले जाएगा, स्टेशन से जाने की सवारी नहीं मिल पाती, तो परेशानी होती है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि एक ट्रेन जो आपने वरुण एक्सप्रैस इन्टर सिटी दी है वह सही समय से वाराणसी से चलकर लखनऊ पहुंचनी चाहिए और लखनऊ से चलकर जौनपुर होते हुए वाराणसी पहुंचनी चाहिए।

मैं बराबर अपनी बातें मीटिंग में रखता हूं। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि और लिखता भी रहता हूं। इस बात के लिए मैं आपको बधाई और धन्यवाद भी देता हूं कि आपके यहां से तो जवाब आ जाता है,

लेकिन और जो विभाग है, उनके यहां से जवाब तक भी मिलता नहीं है। आप कार्य करने का प्रयास भी करते हैं, लेकिन कभी कभी आपके अधिकारी कुछ ऐसी बातें बता देते हैं, जो कि मेरे विचार से गलत होती है। मैं कहना चाहता हूं कि वे जो बताते हैं, वे सही नहीं है। हम लोगों की बातों में भी दम होता है और हम लोग भी सत्यता को आपके सामने रखते हैं। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि आप हम को बुलाकर अपने अधिकारियों के सामने हमारे से बात करें, अगर वे कंविंस कर दें तो वे सही हैं और हम गलत है और हम सही हैं, तो हमारी बात माननी चाहिए। मुझे आशा और विश्वास है कि आप निश्चित रूप से हम लोगों के जो सुझाव होते हैं, अपनी समस्यायें जो हम रखते हैं, उस पर आप ध्यान देते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। आप सुनिश्चित रूप से ध्यान दे कर हमारी समस्याओं को दूर करने का प्रयास करते हैं आपके दिल में पीड़ा भी है। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि आपने हमारी समस्याओं को नोट किया है, आपके अधिकारियों ने भी नोट किया है, आप उनको दूर करने का प्रयास करें। मैं आपको और अपने प्रधान मंत्री जी का हृदय से पुनः बधाई देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। आशा और विश्वास है कि आपने मेरी बातों को सुना है और उन समस्याओं को दूर करने का प्रयास करेंगे।

**श्री अरविंद नेताम (कांकेर)**: सभापति महोदय, माननीय रेल मंत्री जी ने जो रेल बजट प्रस्तुत किया है, मैं उसका स्वागत करता हूं। रेल मंत्री जी ने एक संतुलित बजट पेश किया है और इससे देश की आम जनता को राहत मिली है। यह पांच साल का कार्यकाल रेल मंत्रालय के इतिहास में एक उपलब्धि का समय माना जाएगा-ऐसा मेरा विश्वास है।

क्योंकि सिन्धिया जी और उन के सहयोगी मंत्री जी ने रेलवे मंत्रालय और रेलवे के कामकाज में जो सुधार किया है, वह अपने आप में एक मिसाल है। खासकर ट्रेनों का समय पर चलना, यात्रियों का सुविधाओं में वृद्धि, खान-पान की सेवाओं के स्तर में सुधार और सफाई की व्यवस्था में सुधार हुआ है और सब से महत्वपूर्ण बात यह है कि मंत्री जी का और रेलवे एम्पलाईज का जो अच्छा संबंध इन पांच सालों में रहा है, उस का यह परिणाम है कि ये उपलब्धियां प्राप्त हुई हैं। रेल मंत्री जी ने यात्रा किराया न बढ़ा कर एक बहुत अच्छा काम किया है और साथ ही साथ माल भाड़े में जो वृद्धि की है 11 पर सेन्ट की, उस में भी जो आवश्यक वस्तुंए हैं, उन को छोड़ दिया गया है। इससे आम आदमी को फायदा मिलेगा और राहत भी मिलेगी।

नेहरू जी शताब्दी वर्ष में खेल-कूद में प्रख्यात कोचों को और द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त करने वालों को 50 प्रतिशत की रियायत दी है। मेरे ख्याल से दो-तीन साल से यह पुरस्कार योजना चालू है और इसमें बहुत कम कोच ऐसे हैं, जिनको यह पुरस्कार मिला है। इस साल दो को मिला है कुश्ती में और क्रिकेट में। मेरा निवेदन यह है कि अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाले जितने खिलाड़ी हैं, उन को भी अगर यह कन्सेशन दिया जाए, तो अच्छी बात होगी। पुराने जो बुजुर्ग लोग हैं, उन को आप ने कुछ सुविधा दी है और यह एक अच्छा कदम है। इससे हमारे देश में जो बुजुर्ग हैं, उनका सम्मान करने का जो आप ने फैसला किया है, उस का मैं स्वागत करता हूं।

मुझे एक बात की बड़ी उम्मीद थी कि आप जो नई रेल लाइनों की घोषणा करेंगे, तो मेरे इलाके में दलीराजहरा से वेलाडीला तक नई रेल लाइन बिछाने के बारे में आप कुछ न कुछ घोषणा करेंगे परन्तु पता नहीं आप ने इस रेल लाइन के बारे में क्यों कुछ नहीं कहा हालांकि यह स्टील मिनिस्ट्री की जरूरत के लिए बनाई जाएगी क्योंकि भिलाई स्टील प्लान्ट को आप कच्चा लोहा इस लाइन से सप्लाई कर सकेंगे। इस को बनाना बहुत आवश्यक है। पता नहीं, सटील मिनिस्ट्री और आप इस संबंध में किसी निर्णय पर पहुंचे हैं या नहीं। मैं कहना चाहता हूं कि स्थिति यह हो जाएगी कि अगर इस रेल की योजना को तत्काल नहीं मंजूर किया गया, तो भविष्य में आप के

[श्री अरविंद नेताम]

भिलाई स्टील प्लान्ट को कच्चे माल की पूर्ति करने में दिक्कत होगी। मेरा एक निवेदन है कि स्टील मिनिस्ट्री और प्लानिंग कमीशन से मिल कर दलीराजहरा से वेलाडीला तक रेल चलाने का आप प्रयास करें और आप यह घोषणा न करें कि रावघाट तक ही यह चले क्योंकि स्टील मिनिस्ट्री रावघाट तक रेल लाइन बिछाने की बात कहेगी और चाहेगी कि वहीं तक रेल लाइन बनाई जाए। इस को वेलाडीला तक किया जाए ताकि भिलाई स्टील प्लान्ट को कच्चा माल सप्लाई किया जा सके।

रायपुर से धमतरी तक जो नेरोगेज लाइन है, उस को ब्रोडगेज करने की मांग बहुत दिनों से है। नेरोगेज पर जो ट्रेन चलती है, उस में जो डीजल इंजन का प्रावधान किया है, उस से थोड़ी फ्रिक्वेन्सी बढ़ जाएगी और हम आपके इस के लिए आभारी हैं मगर जो ब्रोडगेज बनाने की बात है, उसे धमतरी से वालोद तक जोड़ा जाए। इस से यह सर्कूलर ट्रेन होगी दुर्ग और रायपुर के लिए। महानदी और अमरकंटक एक्सप्रेस जो बिलासपुर और दुर्ग से भोपाल के लिए चलती है, वह तीन दिन एक तरफ और चार दिन दूसरी तरफ चलती है। दोनों ट्रेनों को आप रोजाना चलाने का प्रयास करें। नई दिल्ली से विशाखापत्तनम वाया बीना, कटनी, विलासपुर, रायपुर और उड़ीसा में वोलंगीर होते हुए एक नई ट्रेन चलानी चाहिए और इस ट्रेक का पूरा उपयोग करना चाहिए। नई दिल्ली से साऊथ में विशाखापत्तनम तक जो पेरेलल ट्रेक है, उसका नई फास्ट ट्रेन के लिए उपयोग करना चाहिए ताकि उड़ीसा, मध्य प्रदेश और आन्ध्र प्रदेश का जो ईस्टर्न पार्ट है, वहां के लोगों को उस का लाभ मिले। जैसा कि डा० मिश्र ने कहा कि साऊथ ईस्टर्न रेलवे सब से अधिक आय देने वाली रेलवे है। साऊथ ईस्टर्न रेलवे का हेड क्वार्टर कलकत्ता में है। कलकत्ता में वैसे भी जगह की कमी है। मैं चाहता हूं कि इसका हेड क्वार्टर उड़ीसा में रखें या मध्यप्रदेश में लाएं। क्योंकि अधिकांश हिस्सा साऊथ ईस्टर्न रेलवे का उड़ीसा, मध्यप्रदेश और बिहार में है। इन हिस्सों में नेचुरल रिसोर्सिज बहुत हैं। ये इलाके इनसे सम्पन्न हैं। इससे इनका बहुत बड़ा उपयोग हो सकेगा और लोगों को रोजगार के मामले में भी मौका मिल सकेगा।

अधिकांश सदस्यों ने यह कहा कि यह मध्यप्रदेश का बजट है। मेरा निवेदन है कि मंत्री जी इस बात को स्पष्ट करें कि इस बजट में मध्यप्रदेश के हिस्से में कितना गया है और दूसरे हिस्सों में कितना गया। एक तो मध्यप्रदेश में रेलवे का कोई हेडक्वार्टर नहीं है। या तो वह साऊथ ईस्टर्न में बंटा हुआ है या फिर वेस्टर्न रेलवे, सेन्ट्रल रेलवे या नार्दर्न रेलवे इन सब में बंटा हुआ है। मैं चाहूंगा कि मंत्री जी खास कर इस बात को बताएं जैसाकि बहुत से सदस्यों ने कहा कि यह मध्यप्रदेश का बजट है, इस भ्रांति को दूर किया जा सके। आप कम से कम इस बात को तो बताएं कि आपने मध्यप्रदेश के लिए कितना प्रावधान किया है। मैं इसमें देख रहा था कि इसमें कोई भी व्यवस्था मध्यप्रदेश के लिए नहीं है। आपने असल में गलती यह की है कि यह जो उज्जैन और हरिद्वार, देहरादून जाने वाली गाड़ी है वह गुना और बीना मध्यप्रदेश के भाग हो कर दी है। इसी तरह से लखनऊ, हैदराबाद के बीच में जो ट्रेन है वह भोपाल हो कर जाएगी। झांसी और मद्रास के बीच जो ट्रेन जाती है उसमें भी मध्यप्रदेश का नाम ले दिया है। इससे लोगों को ऐसा लगा कि ज्यादातर गाड़ियां मध्यप्रदेश हो कर जा रही हैं। हालांकि साऊथ ईस्टर्न रेलवे की सब गाड़ियां मध्य प्रदेश से जाती हैं: इसलिए मेरा आप से निवेदन है कि आप इस बात को स्पष्ट करें कि इतना हिस्सा आपने मध्यप्रदेश को रेलवे का दिया है जिससे कि मध्यप्रदेश के बारे में जो आक्षेप है वह दूर हो सके।

डा० मिश्र कह रहे थे कि जब हम आपके पास जाते हैं तो आपसे कुछ कहने में संकोच करते हैं कि आपसे मध्यप्रदेश के बारे में कोई काम कराने में कहीं आप की बदनामी न हो। वह बिल्कुल ठीक बात कह रहे थे। आप इस बात को स्पष्ट करें ताकि लोगों को सही बात का पता चले और उनके मन से भ्रांति दूर हो।

मैं समझता हूं कि आपने एक बहुत अच्छा बजट बनाया है। आपने पिछले पांच सालों में रेलों को बहुत अच्छे ढंग से चलाया है। इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं। रेलों के बारे में चाहे लोगों में कोई

और प्रतिक्रिया हो लेकिन कम से कम वे इस बात को तो कहते हैं कि रेलवे की व्यवस्था में काफी सुधार हुआ है। इसका क्रेडिट आपको जाता है। इसलिए बधाई के पात्र हैं।

सभापति जी आपने मुझे समय दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं।

[अनुवाद]

**श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया** (संगरूर) : सभापति महोदय, रेलवे बजट पर चर्चा में भाग लेते हुए मैं सबसे पहले तो माननीय मंत्री महोदय को अपना धन्यवाद देना चाहता हूं कि गोविन्दवाल साहिब को रेलवे से जोड़ दिया गया है।

**रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया)**: कृपया यह स्पष्ट करें कि यह मध्यप्रदेश में नहीं है।

**श्री बलवंत सिंह रामूवालिया**: पंजाब राज्य में स्थित गोविन्दवाल साहिब को रेलवे के अन्तर्गत लाने के लिए मैं धन्यवाद प्रकट करता हूं। गोविन्दवाल साहिब पंजाब का एक उभरता हुआ औद्योगिक स्थान है और माननीय मंत्री के इस कार्य से निःसन्देह इस क्षेत्र के तीव्र विकास को बढ़ावा मिलेगा।

महोदय, मैं शुरू में ही सवारी डिब्बों के प्रतिदिन प्रति वैगन कुल टन उपयोग के बारे में अपना संतोष जाहिर करता हूं। प्रति कर्मचारी पारगमन इकाइयों के संबंध में कर्मचारियों की उत्पादकता ने भी अत्यधिक सुधार प्रदर्शित किया है।

माल के परिवहन में 27% वृद्धि हुई और यात्री किलोमीटर में 19% वृद्धि हुई। बजट की संतुलित समीक्षा करते समय हमें यह मानना चाहिए कि माननीय मंत्री द्वारा किए गए इन उपायों से सुधार हुआ है। एक निजी मित्र के रूप में मैं आपके माध्यम से पुनः अपनी पुरानी मांग पर जोर दे रहा हूं कि जम्मू-तवी एक्सप्रेस सप्ताह के सभी सात दिन चलाई जाए । जम्मू-तवी एक्सप्रेस मेरे निर्वाचन क्षेत्र में सुनम, संगरूर, धूरी लुधियाना होकर जम्मू जाती है। मुझे श्री सुरेन्द्रपाल मुदगिल, दिल्ली यात्री संघ और श्री एन॰ सी॰ नागपाल भूतपूर्व एम॰ सी॰ पत्रकार सुनम के माध्यम से पत्रकार संघ तथा दिल्ली अन्य के दैनिक यात्रियों से अनेक प्रतिवेदन प्राप्त हुए हैं। यह अत्यंत गंभीर समस्या है और सुनम, संगरूर तथा धूरी क्षेत्रों से लुधियाना जाने वाले श्रमिकों और कर्मचारियों को रोजाना इसका सामना करना पड़ता है। वे गाड़ियों के समय तथा इनके रद्द होने के कारण भी इन कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। पिछले सप्ताह मैंने एक अनुपूरक प्रश्न में कहा था पंजाब में काफी संख्या में गाड़ियां रद्द की गईं लेकिन भगवान जाने, या कुछ अफसर मेरे निर्वाचन क्षेत्र के प्रति ईर्ष्यालू हैं, मुझे यह कहते हुए खेद होता है कि रद्द की गई ज्यादातर गाड़ियों ने मेरे निर्वाचन क्षेत्र को सबसे ज्यादा प्रभावित किया है। मेरा निर्वाचन क्षेत्र सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र है।

इसी वजह से मैं माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वह रोकी गई 5 एल॰ जे॰ एच॰ तथा 6 एल॰ जे॰ एच॰ गाड़ी के बारे में मेरे अनुरोध पर विचार करें। यह गाड़ी 11 अप्रैल 1985 से चल रही है। इसे रद्द कर दिया गया है। इस बीच माननीय मंत्री ने मुझे लिखा कि वह मेरे पत्र पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे। रोकी गई गाड़ियां पुनः चलाई जाएं। दिल्ली यात्री संघ ने मांग की कि एल॰ जे॰ ए॰ गाड़ी लुधियाना से 8 बजे म॰ प॰ प्रस्थान करे और 5 एल॰ जे॰ एच॰ 7.45 पर लुधियाना पहुंचे। लुधियाना ऐसा शहर है जो जालंधर तथा चंडीगढ़ और मोगा क्षेत्र से लगते क्षेत्रों के लाखों लोगों को रोजगार प्रदान करता है और संगरूर क्षेत्र से सैकड़ों लोग सुबह की गाड़ियों से लुधियाना जाते हैं और शाम की गाड़ियों से वापस आते हैं। सुनम और संगरूर क्षेत्र, दिल्ली से लुधियाना जाने और वापस आने वाले लोगों की जरूरतों को पूरा करने और उन्हें संतुष्ट करने के लिए ठोस कदम उठाया जाए। दिल्ली संघ ने मुझे लिखा है कि यदि गाड़ी 7.45 म॰ पू॰ तक पहुंच जाए तो अनेक कर्मचारी अपने कार्यालयों तथा फैक्ट्रियों आदि में समय पर पहुंच सकते हैं। इससे

**[श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया]**

प्रशासन के व्यवहार का पता लगता है। उन्होंने अम्बाला मंडल, अम्बाला कैंट में मंडलीय रेलवे प्रबन्धक से अनुरोध किया कि लुधियाना से चलने के समय में 10 मिनट की वृद्धि की जाए अर्थात 6 बजे म० प० प्रस्थान करने की बजाय गाड़ी 6.10 म० प० पर प्रस्थान करे। लेकिन प्रशासन ने इस छोटे से अनुरोध को भी स्वीकार नहीं किया है। मुझे क्षेत्र के लगभग 50 पत्रकारों द्वारा हस्ताक्षरित एक पत्र मिला है।

**[हिन्दी]**

उन्होंने लिखा है कि 131 अप और 132 डाउन को रोज़ाना चलाया जाए। इसी प्रकार जम्मू-तवी एक्सप्रैस को चलाया जाए। आभा एक्सप्रैस को 59-अप, 60 डाउन को जाखल से वाया लहरागागा, सोनाम, संगरूर, धूरी, बरनाला और रामपुराफूल के रास्ते चलाया जाए। मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं क्योंकि उन्होंने पांच वर्षों में पहली दफा पंजाब के लिए सोचा है। मैं चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र में जो ट्रेन कैन्सल हुई हैं उनको फिर से चलाया जाए।......**(व्यवधान)**

**[अनुवाद]**

**श्री माधवराव सिंधिया:** कपूरथला के बारे में हमने दो वर्ष पहले निर्णय लिया था।

**[हिन्दी]**

**श्री बलवंत सिंह रामूवालिया:** मैं, कपूरथला के लिए भी धन्यवाद देता हूं लेकिन गोविंदवाल के लिए विशेष धन्यवाद देना चाहता हूं । इन शब्दों के साथ अपनी बात सपाप्त करता हूं।

**[अनुवाद]**

**श्री के० पी० सिंह देव (ढेंकानाल):** महोदय, मैं रेलवे बजट का समर्थन करता हूं। मैं युवा तथा सक्रीय रेल मंत्री द्वारा आन्तरिक तथा बाहरी बजटीय संसाधनों के प्रति प्रदर्शित अत्यंत कुशल प्रबंध के लिए उन्हें बधाई देता हूं इससे राष्ट्रीय राजस्व में योगदान हुआ है— योजना तथा वित्त में 805 करोड़ रुपये का योगदान दिया गया और 104 करोड़ रुपये अतिरिक्त हुए हैं । इससे मुद्रास्फीति और बजट के घाटे को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी। अन्यथा इससे हमारी सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था और सम्पूर्ण योजना के निर्माण तथा कार्यान्वयन प्रभावित होगा। पांचवीं तथा छटी योजना की तुलना में वास्तव में कम आवंटन के बावजूद वह अत्यंत आवश्यक आधुनिकीकरण, पटरियों को बदलने तथा पटरियों का नवीकरण करने में सफल रहे हैं। उन्होंने नई और अधिक मात्रा में तथा तेज गाड़ियां प्रारम्भ की हैं तथा सांस्कृतिक रूप से सामरिक तथा महत्वपूर्ण स्थानों तथा विकास केन्द्रों और व्यावसायिक केन्द्रों को जोड़ने में मदद की है । इसी सभा में अनेक माननीय सदस्यों ने यह बार बार मांग की है कि हमारे सीमावर्ती क्षेत्रों को बड़ी लाइन के साथ अच्छी तरह जोड़ा जाए, ये क्षेत्र भौगोलिक सामरिक तथा भौगोलिक राजनैतिक स्थितियों के कारण विशेष रूप से प्रभावित हुए हैं। यह अत्यंत स्वागत योग्य कार्य हैं उन्होंने विभिन्न लक्षित वर्गों जैसे बूढ़ों और अधिक उम्र के लोगों विकलांगों, साहसी लोगों को रियायत दी है और मैं इसके लिए उन्हे बधाई देता हूं । उन्होंने रेलवे में प्रभावी व्यापक प्रौद्योगिकी को उन्नत करने की प्रणालियों को भी प्रारम्भ किया है जिससे भारतीय रेलवे विश्व में सर्वश्रेष्ठ से तुलना योग्य आधुनिक रेलवे बन जाएगा।

उन्होंने रेल मंत्रालय के अन्तर्गत सरकारी क्षेत्रों के उपक्रमों के कामकाज में भी सुधार दिखाया है। उन्होंने विस्तार भी किया है। उन्होंने कर्मचारियों की सुविधायें, कल्याण तथा सुरक्षा के उपायों की तरफ अधिक ध्यान दिया है । मैं आशा करता हूं कि इसी प्रकार के अन्य मंत्रालय भी इसका अनुसरण करेंगे । सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इतना सब कुछ करने के बावजूद भी उन्होंने यात्री किरायों में वृद्धि करके सामान्य और कमजोर वर्गों के लोगों की उपभोग की आवश्यक वस्तुओं जैसे नमक, फल और सब्जी, गुड़ और शक्कर, खाद्य तेल, तिलहनों, खली, चारा, पशु धन कार्बनिक उर्वरक, खाद्यान, दाले तथा उर्वरकों के माल भाड़े में वृद्धि न करके

कम साधनों से ही मूल्य रेखा को नियंत्रित किया है । उन्होंने आवश्यक वस्तुयें जैसे सीमेंट में 1.96 रुपये प्रति बोरी, चीनी में 2.6 पैसे प्रतिकिलो, आलू में 7.3 पैसे प्रतिकिलो चावल में 4.2 पैसे प्रतिकिलो, मिट्टी के तेल में 2.6 पैसे प्रतिलीटर, पैट्रोल में 3.3 प्रतिलीटर, मानव उपयोग के नमक में 2.6 पैसे प्रतिकिलो तथा गेहूं में 4.2 पैसे प्रतिकिलो के हिसाब से मालभाड़े में वृद्धि है। इसलिए यह प्रशंसनीय बजट है । इसके अतिरिक्त रेलवे में उत्पादकता से जुड़ा हुआ बोनस सर्वाधिक है। रेलवे खिलाड़ियों और खिलाड़ी महिलाओं ने राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में 24 पदकों में से 20 पदक जीतकर रेलवे को योगदान दिया है । मैं इसके लिए उन्हें एक बार पुनः बधाई देता हूं।

परन्तु मैं एक विपरीत टिप्पणी करना चाहता हूं । उड़ीसा और छत्तीसगढ़ जैसे ऐतिहासिक रूप से पिछड़े और अर्ध विकसित क्षेत्र में ब्रिटिश शासन ने रेलवे के बुनियादी ढांचे का विकास नहीं किया जो उन्नति के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है जैसा कि मंत्री महोदय ने बजट पेशकरते समय अपने उद्घाटन भाषण में कहा था उड़ीसा सबसे अन्त में ब्रिटिश शासन के अधीन हुआ था क्योंकि उसने 1803 तक युद्ध किया था इसलिए मैंने एतिहासिक क्षेत्र कहा है।

इस राज्य मे सूखा, बाढ़ और चक्रवात जैसी प्राकृतिक आपदायें आयी हैं जिससे राहत सामग्री भेजने, यात्रियों तथा माल भाड़े के आवागमन में विकट समस्या आ रही है। यदि इस क्षेत्र के प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग किया जाए तो हमें बहुत प्रसन्नता होगी। यह परिवहन सम्बन्धी डी० डी० पाण्डेय के प्रतिवेदन में भी कहा गया है जिसने सिफारिश की है कि तल्चर-सम्बलपुर लाइन की तरह उड़ीसा के पश्चिमी जनजातीय क्षेत्रों और मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़ क्षेत्र में रेलवे लाइन शुरू की जाए। इससे उन्हे संसाधनों का उपयोग करने में सहायता मिलेगी। यह सच है कि उड़ीसा की इब घाटी और तल्चर क्षेत्र में कोयले के भंडार है । यदि कुरदा-बोलनगिर रेलवे लाइन शुरु कर दी जाए तो फुलबानी, कोरापुट, बोलनगिर, सुंदरगढ़ और गंजम के जनजातीय जिलों को लाभ होगा। यदि जगपुरा क्योंझर रेलवे लाईन शुरू कर दी जाए जो तल्चर जिले के क्रोमाइट और लौह अयस्क क्षेत्रों तथा मयूरभंज जिले को जोड़ती है जहां इस रेलवे लाइन का निर्माण कार्य विर्गत 25 वर्षों से बहुत धीमी गति से हो रहा है, इससे खड़गपुर और कटक प्रभाग में दबाव कम हो जायेगा तथा विशाखापत्तनम और पारादीप बन्दरगाहों के पृष्ठ क्षेत्र में उद्योग स्थापित होंगे। हम इस बात से निराश हैं कि इस वर्ष के बजट में इसका कोई उल्लेख नहीं किया गया है और मैं आशा करता हूं कि मंत्री महोदय इसके लिए व्यवस्था करेंगे जो विगत चार वर्षों से रेल मंत्रालय का प्रबंध कर रहे हैं । वह वित्तीय विशेषज्ञ हैं हम जानते हैं कि वह इसके लिए कुछ उपाय निकालेंगे कि यह अर्धविकसित और ऐतिहासिक रूप से उपेक्षित क्षेत्र अपना उचित स्थान प्राप्त कर सके ताकि क्षेत्रीय असंतुलन तथा क्षेत्रीय विषमता न रह सके। इस क्षेत्रीय असंतुलन को कम करने का हमारे प्रधान मंत्री का प्रयास है विभिन्न क्षेत्रों के उपयोग के लिए उड़ीसा में अधिक निवेश तथा अधिक आवंटन द्वारा ऐसा किया जा सकता है । प्रशासन का विकेन्द्रीकरण किया जा रहा है यदि उड़ीसा में भी प्रशासन के विकेन्द्रीकरण पर बल दिया जाता तो हमें बहुत खुशी होती। सम्बलपुर मंडल को प्रभावी रूप से कार्य करने के लिए अधिक धन का आबंटन किया जाना चाहिए ताकि उड़ीसा के दक्षिण-पूर्व रेलवे की खुरदा और सम्बलपुर मंडल की समस्याओं को क्रमबद्ध तथा प्रभारी ढंग से निबटाया जा सके तथा खुरदा-सम्बल और विजाग-चकराधारपुर समेत नया क्षेत्र बनाया जा सके । यह विचारणीय विषय है। मैं जानता हूं कि मंत्री महोदय मुझे एकाएक जवाब नहीं दे सकते । मेरे साथी श्री पाणिग्रही ने बिलासपुर मंडल के सम्बन्ध में कहा है। यदि इसका मुख्यालय बोलनगिर और यदि सम्बलपुर के बीच किसी स्थान पर हो तो हमें बहुत खुशी होगी।

यद्यपि मंत्री महोदय ने धार्मिक और सांस्कृतिक स्थानों से अनेक नयी ट्रेनें चलायी हैं परन्तु यदि पूर्व में जगन्नाथपुरी और कोणार्क को पश्चिम में द्वारिका से जोड़ दिया जाता तो यह बहुत अच्छा होता।

**श्री एन० डेनिस** (नागरकोइल): महोदय, रेल बजट का समर्थन करने के साथ-साथ मैं कुछ बातें कहना चाहता हूँ। मंत्री महोदय ने सामान्य राजकोष में 805 करोड़ रूपये का लाभांश देने के बाद यह बचत का बजट प्रस्तुत किया है इसके लिए वह प्रशंसा के पात्र हैं।

बजट में रेलवे के दीर्घकालीन हित, आर्थिक और व्यवहारिक पहलुओं को ध्यान में रखा गया है। यात्री किराए में कोई वृद्धि नहीं की गयी है। माल भाड़े में 11 प्रतिशत की वृद्धि इस प्रकार की गयी है कि कमजोर और ग्रामीण वर्गों विशेषतः किसानों को कोई नुकसान नहीं होगा। आवश्यक वस्तुओं में कोई वृद्धि नहीं की गयी है।

मैं मंत्री महोदय को बताना चाहता हूँ कि बजट में दक्षिण क्षेत्र विशेषतः तमिलनाडु का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। नयी परियोजनाओं तथा सुधार सम्बन्धी योजनाओं के लिए 4450 करोड़ रूपये में से तमिलनाडु के लिए सिर्फ 26 करोड़ रूपये आबंटित किये गये हैं। कारूर-थिंडुगल और मदुराई मनियाची बड़ी लाइनों के लिए चालू वर्ष में 6 करोड़ रूपये की जगह 4 करोड़ रूपये दिये गये हैं। इससे बहुत बिलंव होगा। अनेक वर्ष पहले ही लग गये हैं।

मद्रास की एम० आर० टी० एस० के लिए जो 9.85 करोड़ रूपये आंबटित किये गये हैं वह भी पर्याप्त नहीं हैं। इसके शीघ्र पूरा होने से मद्रास शहर के भारी यातायात में कमी आयेगी।

थामपरम-चिंगलपुट लाइन को दोहरा बनाने लिए 6 करोड़ रूपये और पट्टाभिपुरम-थिरूवल्लुवर लाइन के लिए भी 6 करोड़ रूपये आंबटित किये गये हैं जो इन कार्यों को निर्धारित समय से पहले पूरा करने के लिए अपर्याप्त हैं।

नयी 15 ट्रेनों में से केवल एक ट्रेन मद्रास होती हुई जाती है वह भी तमिलनाडु के पूर्वी भाग में है। कन्याकुमारी देश का दूर दक्षिणी भाग है जैसे-जैसे दूरी बढ़ती जाती है कार्यान्वन की गति कम होती जाती है और जब यह दूरी दक्षिणी भाग कन्याकुमारी तक पहुँचती है तो कार्यान्वन के लिए कुछ नहीं बचता है। यह उस जगह की अपनी समस्या है। इस जगह की उपेक्षा की गयी है।

त्रिवेन्द्रम मंडल के तमिलनाडु भाग की भी उपेक्षा की गयी है। स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म, पहुँचने के रास्ते और दूसरी सुविधायें नहीं हैं।

मैं मंत्री महोदय को बताना चाहता हुं कि नागरकाइल में कोचिंग यार्ड कम्पलेक्स की स्थापना का प्रस्ताव बहुत दिनों से लंबित पड़ा है। इसकी स्थापना के लिए यह बहुत सुविधाजनक और उपयुक्त स्थान है। यह पूर्वी और पश्चिमी तट के यातायात को जोड़ने वाला जंक्शन है और 98 एकड़ का विस्तृत क्षेत्र भी उपलब्ध है। पानी और बिजली जैसी दूसरी सुविधायें भी हैं तथापि इस कोचिंग यार्ड कम्पलेक्स को नागरकाइल से हटाकर कन्याकुमारी जिले के बाहर स्थापित करने का प्रस्ताव है। इसे नागरकाइल में ही स्थापित किया जाए।

त्रिवेन्द्रम-कन्याकुमारी नव निर्मित रेलवे लाइन है। नागरकाइल और पारासाला पर क्रॉसिगं स्टेशनों का निर्माण किया जाना चाहिए। थींगाकोडी, पार्वतीपुरम और ओझुकिनचैरी पर नये स्टेशनों के निर्माण की मांगें की जा रही हैं। इस पर सहानुभूति पूर्वक विचार किया जाए और इन स्थानों पर स्टेशन बनाए जायें। पल्लियादी, वीरानी, एलूर और सुचिनेद्रम स्टेशनों पर प्लेटफार्म बनाए जाने चाहिए। इरानियल और कुझिथुराई स्टेशनों पर दूसरे प्लेटफार्म बनाये जाने चाहिए।

कन्याकुमारी पर्यटन केन्द्र है। प्रतिदिन हजारों राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटक और तीर्थयात्री इस स्थान को देखने आते हैं। कन्याकुमारी के लिए नई ट्रेनें चलाने के बजाए पहले से चलने वाली ट्रेनों को रद्द किया जा रहा है। सप्ताह में एक दिन चलने वाली हिमसागर एक्सप्रेस के अलावा केवल 81/82

कन्याकुमारी बम्बई एक्सप्रेस चल रही है जो कन्याकुमारी पर समाप्त हो जाती है। 47/48 कन्नोर एक्सप्रेस को बंद कर दिया गया है जो कन्याकुमारी से चलती थी। इसे पुनः चलाया जाए। 19/20 मद्रास-त्रिवेन्द्रम मेल को कन्याकुमारी तक बढ़ाना पड़ेगा। कन्याकुमारी के लोग मद्रास सीधी गाड़ी से नहीं जा सकते हैं इसके अतिरिक्त 901/902 गुवाहाटी-त्रिवेन्द्रम एक्सप्रेस गाड़ी जिसे विवेकानन्द एक्सप्रेस के नाम से कन्याकुमारी तक करने का प्रस्ताव था। इसे हटा दिया गया है। इसे कन्याकुमारी तक बढ़ाना पड़ेगा। इसी तरह 903/904 त्रिवेन्द्रम अहमदाबाद एक्सप्रेस गाड़ी कन्याकुमारी तक जाती थी इसे भी चलाया नहीं गया है। यह एक्सप्रेस गाड़ी कन्याकुमारी तक जाती है। इसके अलावा 126 केरल एक्सप्रेस जो त्रिवेन्द्रम पर समाप्त होती है। 25/26 बंगलौर नागर कोईल गाड़ी जो अब नागर कोईल पर समाप्त होती है और 139/140 गंगा-कावेरी-मद्रास-बनारस एक्सप्रेस गाड़ी को भी कन्याकुमारी तक बढ़ाया जाये।

आज कल कन्याकुमारी टर्मिनल की क्षमता का पूरी तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाता है। कन्याकुमारी और त्रिवेन्द्रम के बीच की रेलवे लाइन भी पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं की जाती है। त्रिवेन्द्रम में गाड़ियों की भीड़भाड़ है। अतः जो गाड़ियां त्रिवेन्द्रम पर समाप्त होती हैं उन्हें कन्याकुमारी तक बढ़ाया जाये। यह त्रिवेन्द्रम से केवल 85 कि०मी० दूर है। यह टर्मिनल सुविधाजनक, राष्ट्रीय और (स्वाभाविक) सहज है। जो गाड़ियां त्रिवेन्द्रम पर समाप्त होती हैं अगर उन गाड़ियों को कन्याकुमारी तक बढ़ा दिया जाये तो इससे राष्ट्रीय एकता को भी बढ़ावा मिलेगा।

**5.00 म० प०**

एरणाकुलम और कन्याकुमारी के बीच विद्युतचालित गाड़ियां शुरू की जानी चाहिए। कोलाचल पत्तन को नई रेलवे लाइन से जोड़ा जाना चाहिए।

एक अन्य मुद्दा मैं आपके ध्यान में लाना चाहूँगा कि क्षेत्रीय असंतुलनों को दूर किया जाना चाहिए। ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों को अधिक धन आंवटित किया जाना चाहिए। अब, बड़े स्टेशनों को अधिक से अधिक सुविधाएँ दी जाती हैं जबकि देश के दूर-दराज के छोटे स्टेशनों को उपेक्षित किया जाता है। वहाँ प्लेटफार्म नीचे व छोटे हैं। कुछ स्थानों पर, स्टेशन बिना प्लेटफार्म के हैं।

नैमित्तिक मजदूरों को थोड़े समय की सर्विस के बाद नियमित किया जाना चाहिए। नैमित्तिक मजदूर जो नई रेलवे लाइन परियोजना के निर्माण के लिए कार्य करते हैं को नौकरी से निकाल दिया जाता है। यही व्यवहार उन नैमित्तिक मजदूरों के साथ किया गया जो त्रिवेन्द्रम-कन्याकुमारी रेलवे लाइन के निर्माण के लिए रखे गये थे। निर्माण के समय कई मजदूरों ने वहां काम किया लेकिन अब उन्हें निकाल दिया गया है। वे बेरोजगार हैं। उन्हें जल्दी से जल्दी काम दिया जाना चाहिए।

मैं यह भी सुझाव देना चाहता हूँ कि गाड़ियों को उतनी ही दूरी पूरी करने के लिए बस की तुलना में अधिक समय नहीं लेना चाहिए। अन्यथा लोग बस से यात्रा करना पसन्द करेंगे। उदाहरण के लिए, कन्याकुमारी और त्रिवेन्द्रम के बीच रेल गड़ियां लगभग 45 से 60 किमी. प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है।

**5.03 म० प०**

**[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]**

रेलवे पटरियाँ 9-10 वर्ष पुरानी है रेलगाड़ियों की रफ्तार 80-100 कि०मी० तक बढ़ाई जा सकती है। इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूँ।

[हिन्दी]

**श्री राम बहादुर सिंह (छपरा)**: मान्यवर, मैं तो यह नहीं कहूंगा कि मध्य प्रदेश का यह बजट है लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि बिहार की घोर उपेक्षा की गई है। यह मेरा ही विचार नहीं है बल्कि सरकारी पक्ष के जो माननीय सदस्य बिहार से आये हैं उन लोगों ने भी दबी जुबान में इस तरह का विचार प्रकट किया है। इसी सदन में मैंने निवेदन किया था कि बिहार एक पिछड़ा इलाका है और यहां खनिज पदार्थ की बाहुलता है। बिहार में 5305 किलोमीटर लम्बी लाइन भी है इसलिये बिहार में एक जोन का गठन किया जाये। लेकिन इसका ठोस जवाब नहीं आया है। आपने 3763 किलोमीटर पर भी एक जोन का गठन किया है और 4291 किलोमीटर लम्बी लाइन पर एक जोन का गठन किया है। इन सब का जो जवाब मुझे आया है वह लीपा-पोती वाला जवाब है।

इसी सदन में सामरिक दृष्टि से, यात्रियों की सुविधा की दृष्टि से और कम खर्चे की दृष्टि से खास तौर पर गंगा नदी पर बीघा पहलेजा रेल पुल का निर्माण कराने के लिए मैंने अनुरोध किया है लेकिन मेरी इस मांग को अनसुना कर दिया। फिर मैंने इसी सदन में आपसे निवेदन किया था कि पटना और गया के बीच में दोहरी लाइन बिछायी जाये उसको भी अनसुना कर दिया। मैंने पुनः निवेदन किया कि बिहार में आदिवासियों का इलाका है जो कि सबसे पिछड़ा इलाका है इस कारण उस ओर के जिला मुख्यालय को जोड़ा जाये जैसे हजारीबाग दुमका लेकिन उसको भी आपने नजरअंदाज कर दिया। मुझे इसमें कोई आश्चर्य नहीं हुआ। आश्चर्य इसलिये नहीं है कि ये सारी की सारी मांगे मेरी नई मांगें थीं। इनको पूरा किये बिना हमारा काम नहीं चल सकता है और न ही बिहार का विकास हो सकता है। इसी कारण मैंने इन मांगों को आपके सामने रखा था लेकिन इन नई मांगों को पूरा करने की बात तो अलग रही लेकिन जो हमारी परम्परागत सुविधायें थीं या जिन सुविधाओं को देने के लिये काम शुरू कर दिया गया था, उसको भी आपने छीन लिया।

जैसे अमान परिवर्तन के समय सोनपुर मंडल के कचहरी स्टेशन पर जो रेल फाटक था उसे बंद कर दिया गया। जयपुर कटरी स्टेशन है। जबकि यह रेल लाइन के वहां जाने के दिन से ही वह खुला रखा था। लेकिन अमान परिवर्तन के बाद आपने उस फाटक को बन्द कर दिया है और एक जिले को दो हिस्सों में बांट दिया है। जब मैंने इस बात की चर्चा की तो जवाब मिला कि बिहार सरकार उसमें सहयोग नहीं देना चाहती है। यह सहयोग देने में विलम्ब करती है, इसलिए रेल फाटक नहीं खुल रहा है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि बिहार सरकार आप को पहुंच मार्ग के लिए पैसा दे या न दे, लेकिन हमारे परम्परागत अधिकारों को छीनने का आपका नैतिक अधिकार नहीं है। यह रेल फाटक बराबर खुला रहता था। फिर मैंने आपसे निवेदन किया कि अमान परिवर्तन के बाद घरौंदा-महाराजगंज जो छोटी लाइन है, महाराजगंज उत्तर बिहार के अन्दर जितनी भी अच्छी मंडियां हैं, यह उनमें से एक है। इसको आपने बन्द कर दिया। इसको खुलवा दिया जाए, तो जवाब आया कि इस रेल लाइन का खुलवाना आर्थिक रूप से लाभकारी नहीं होगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि क्या देश में जहां कहीं भी अनार्थिक लाइनें बिछाई गई हैं, उन सब को आप बन्द करने के लिए तैयार हैं। जैसे भटनी से बरहज की लाइन और माधोसिंह से चिन्ह की जो लाइन हैं, वे अनार्थिक लाइनें हैं। यों मैं कहूं कि सम्पूर्ण पूर्व उत्तर रेलवे घाटे में चलता है तो उसको भी आप बन्द कर दीजिए। लेकिन आप उसको बन्द नहीं करेंगे, क्योंकि भारतीय रेल कोई व्यापारिक संस्था नहीं है, यह जनता की सेवा करने के लिए बनाई गई है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इस दृष्टि से हमारे जो परम्परागत अधिकार हैं, उन अधिकारों से आप हम को लैस कीजिए। मैंने जिन मांगों को रखा उनको आप पूरा कीजिए।

बिहार खनिज सम्पदा का बाहूल्य है और बहुत ही पिछड़ा हुआ इलाका है। जब बिहार का विकास होगा तो सारे देश का विकास होगा। ऐसा मत समझिए कि केवल बिहार का ही विकास होगा। तो आप

कहेंगे कि इस बजट में 21 योजनायें और कार्यक्रमों को बिहार के विकास के लिए ही लिया गया है। मैं मानता हूं कि लिया गया है। इस बजट में 21 महत्वाकांक्षी योजनाओं को लिया गया है, जिसके लिए लागत खर्च का अनुमान 145 करोड़ रुपए आंका गया है और जब पैसे के आंवटन का प्रश्न आया तो 1989-90 के लिए साढ़े पांच करोड़ रुपया रखा गया है। आप आर्वटन और लागत में जो फर्क है, उसको देखें तो ऐसा लगता है कि कोई भी आदमी इस निर्णय पर पहुंचेगा कि आप मन से नहीं चाहते हैं कि उन योजनाओं को कार्यान्वित करायें। बिहार की जितनी उपेक्षा आज तक हो चुकी है, भविष्य में उपेक्षा करने से आप परहेज करें, नहीं तो नतीजा अच्छा नहीं होगा। इसी वजह से क्षेत्रीय असंतुलन बढ़ रहा है। और जब क्षेत्रीय असंतुलन के खिलाफ आवाज उठाई जाती है, गुस्से को जाहिर किया जाता है तो दोषारोपण किया जाता है कि लोग क्षेत्रीयता को बढ़ावा देते हैं, देश को तोड़ना चाहते हैं, देश की अखण्डता के साथ खतरा पैदा करना चाहते हैं। लेकिन मैं साफ शब्दों में कहना चाहता हूं कि जिस तरह से असुंतलित विकास की प्रक्रिया इस देश में चली है, वही सब से बड़ा कारण है क्षेत्रावाद को पैदा करने में।

अब जब कि आपने घंटी बजा दी है, मैं अपनी बात खत्म करना चाहता हूं। आप कम से कम ऐसे अधिकारियों के ऊपर अंकुश रखें जो उल-जलूल जबाव देते हैं। जो साधारण शिष्टाचार को भी नहीं निभाते हैं। मैंने जब इस प्रश्न को परामर्शदात्री समिति की मीटिंग में उठाया कि मेरे गृह स्टेशन में झांसी ट्रेन का एकमा में ठहराव दिया जाए, तो कहा गया कि आप लिख कर दे दीजिए। मैंने लिख कर दे दिया, तो जवाब आया कि संभव नहीं है। मैंने आपसे भी कहा था। फिर जवाब आता है कि आपकी मांग के अनुसार अवध-असम का ठहराव एकमा में कर दिया है। मांगा मैंने आम और दे दी इमली। इसका मतलब आपके अधिकारी सारी चीजों को तफ्सील में जाकर पढ़ते नहीं हैं। दूसरे मैंने आप के उत्तर रेलवे के कार्मिक मुख्य कार्यकारी अधिकारी से टेलीफोन पर जानकारी चाही कि इलाहाबाद सर्विस बोर्ड में तृतीय श्रेणी की रिक्त जगहें रिक्त पड़ी हैं, उन जगहों को भरने के लिए एक विज्ञापन निकला था और फिर उसकी परीक्षा हुई थी और परीक्षा के बाद पहले जो पैनल बना था, उस पैनेल में से बहुत से लोगों को ले लिया गया है, बहुतों को नियुक्ति पत्र दे दिये गये हैं लेकिन जो बाकी लोग हैं, उन को नहीं दिये गये। मैं पूछना चाहता हूं कि बाकी लोगों को नियुक्ति पत्र क्यों नहीं दिये गये तो जवाब मिला कि 7, 8 दिन में जवाब दिया जाएगा लेकिन बाद में अधिकारी ने कहा कि मुझे याद नहीं है, आप लिख कर दीजिए। मैंने चिट्ठी लिखी, तो कोई जवाब नहीं आया, दोबारा चिट्ठी लिखी, तो कोई जवाब नहीं आया और तीसरी बार चिट्ठी लिखी, तो कोई जवाब नहीं आया और डेढ़ दो साल से ऐसा चल रहा है। जब मिनिस्टर साहब को कोई पत्र लिखते हैं तो उन का जवाब आ जाता है लेकिन जो मुख्य कार्मिक अधिकारी को जवाब देने से परहेज है, उस का कर्तव्य है कि वह साधारण शिष्टाचार अपनावे और उसका निर्वाह करे। अगर आप के जोनल रेलवे के अधिकारी इस तरह से काम करेंगे, तो कैसे काम चलेगा।

इतना कह कर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और जो बातें मैंने कही हैं, आशा करता हूं कि मंत्री जी उन पर ध्यान देंगे

---

**5.10 म.प.**

**[अनुवाद]**

# सरकारी कार्यवाही में परिवर्तन के बारे में वक्तव्य

**संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री(श्री एच॰के॰एल॰ भगत):** महोदय, जैसा कि सदन को मालूम है केन्द्र राज्य सम्बन्धों पर सरकारिया आयोग की रिपोर्ट पर बीरवार 9 मार्च, 1989 को चर्चा की जानी थी जैसा कि कार्य मंत्रणा समिति ने सिफारिश की थी और सदन द्वारा स्वीकृति दी गई।

[श्री एच॰के॰एल॰ भगत]

इस सम्बन्ध में मैंने विभिन्न पार्टियों / ग्रुपों के नेताओं से सलाह की थी कि सरकारिया आयोग की रिपोर्ट पर चर्चा वीरवार, 9 मार्च के बजाय मंगलवार 28 मार्च को की जा सकती है। यह भी स्वीकार किया गया था कि रेलवे मंत्री रेलवे बजट पर चर्चा का उत्तर, प्रश्नों की समाप्ति के बाद शुक्रवार 10 मार्च,1989 को देंगे और सामान्य बजट पर सामान्य चर्चा सोमवार, 13 मार्च, 1989 को शुरू की जायेगी।

मुझे आशा है कि सदन इस प्रस्ताव पर सहमत होगा।

**उपाध्यक्ष महोदय:** मेरे विचार से सदन इसके लिए सहमत हैं।

**माननीय सदस्य:** जी हां, महोदय।

**उपाध्यक्ष महोदय:** श्री शिवप्रसाद साहू।

---

5.12 म॰ प॰

## रेल बजट, 1989-90—सामान्य चर्चा-जारी

[हिंदी]

**श्री शिव प्रसाद साहू** (रांची): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप के माध्यम से रेल राज्य मंत्री, श्री माधवराज सिंधिया, का हृदय से अभिनंदन करता हूँ इस बात को लिए कि उन्होंने एक शानदार बजट पेश किया है। उन्होंने रेलों में जो आधुनिकीकरण पर बल दिया है, वह एक सराहनीय काम है। खासकर बिजलीकरण, भाप के इंजनों की जगह डीजल इंजनों से बदलने और दूसरे जो आधुनिकीकरण के कार्य हैं, वे बहुत सराहनीय कार्य हैं। विदेशों में भी आज हम चमक रहे हैं और हमारी प्रतिष्ठा बढ़ रही है। अफ्रीका के देशों में और मिडिल ईस्ट के देशों में भी हमें नई-नई रेल लाइनों का बनाने ठेका मिल रहा है और आज हमारी टैक्नोलॉजी पहचानी जाने लगी है और हमारी क्षमता को जाना जा रहा है कि रेलों के क्षेत्र में हम कितना आगे बढ़े हैं। यही नहीं, हमारी रेलों में काम करने वाले खिलाड़ीगण ने अपने देश का नाम बहुत ऊंचा किया है और कम से कम तीन खिलाड़ियों ने अर्जुन पुरस्कार पा कर रेलवे विभाग को चार चांद लगा दिये हैं। ऐसा इस कारण हुआ है कि हमारे सिंधिया जी और हमारे रेल अधिकारियों का सहयोग और आर्शीवाद हमारे खिलाड़ियों को बराबर मिलता रहा है। कई अच्छे खिलाड़ी देश को रेलवे ने दिये हैं। यही नहीं, स्वतंत्रता सेनानियों को, खिलाड़ियों को और 65 वर्ष के वृद्धों को भाड़े में रियायत दे कर एक पुनीत कार्य मंत्री जी ने किया है। इसकी जितनी सराहना की जाए, उतनी कम है। बहुत सी चीज़ों के माल भाड़े में कमी की है और इसकी जितनी सराहना की जाए, वह कम है लेकिन कुछ चीज़ों पर 11 प्रतिशत माल भाड़े में वृद्धि की है और मुझे इससे ऐसा लगता है कि इससे उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्यों में बढ़ोतरी होगी और मंहगाई भी कुछ बढ़ सकती है। मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इस पर पुनः विचार किया जाए और माल भाड़े में कमी की जाए।

मैं आप से निवेदन करूंगा और पहले भी करता रहा हूँ कि बिहार को आप के हाथों जितना इन्साफ मिलना चाहिए था, वह नहीं मिला है। मैं खासकर अपने क्षेत्र छोटा नागपुर के बारे में कहना चाहता हूँ। हम देश को कोयला दे रहे हैं, लोहा दे रहे हैं, अभ्रक दे रहे हैं, तांबा दे रहे हैं, लकड़ी दे रहे हैं और बहुत कुछ दे रहे हैं लेकिन हमारे साथ घोर उपेक्षा हो रही है। हमारे यहां जितनी गरीबी है, उतनी और जगह नहीं है। मैंने पहले भी हर बजट पर कहा है कि रांची और पालमू का ऐसा क्षेत्र है, जहां से ढाई लाख लोग काम की तलाश में दूसरी जगह भागते हैं। आप दिल्ली से शुरू कीजिए। वे यहां पर और कानपुर, इलाहाबाद और बनारस तक काम के लिए भागते हैं। वहां अभी इनकी हालत दयनीय है। संसार में रांची और पलामू की तरह कोई और जिले नहीं है जहां के बेकार

लोग अपने गांवों से भागते हैं। वहां गांव के गांव खाली पड़े हुए हैं। वहां भयंकर गरीबी व्याप्त है। हमारे प्रधान मंत्री जी देश की गरीबी से चिंतित हैं और वे चाहते हैं कि लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाया जाए।

आपने रांची, हजारीबाग, कोडरमा तथा लोहरदगा छोटी लाईन का चार बार सर्वे कराया। ये कोयले, बोक्साईट के इलाके हैं। लेकिन इसका काम आज तक नहीं हो सका। एक और उदाहरण सुन लीजिये। पलामू से सरनाडी ग्राम तक एक नयी रेल लाईन बनाने का काम अंग्रेजों के जमाने में शुरु हुआ था। उस लाईन पर मिट्टी पड़ गयी थी, पुल के लिए पिल्लर खड़े कर दिये गये थे स्टेशन बन गया था। यह 70 किलोमीटर की लाईन है। लेकिन जब देश आजाद हुआ तो तीन वर्ष बाद इसका काम यह कह कर खत्म कर दिया गया कि यह अलाभप्रद योजना है। वहां पिल्लर डल गये, स्टेशन बन गया और उन पर करोड़ों रुपया खर्च हो गया। फिर उस काम को बंद कर दिये जाने से वहां के लोगों के दिलों में क्या गुजरेगी। आप एक वहां के लोगों को कोई योजना दे देते हैं फिर उसको लौटा लें तो लोगों को कितनी परेशानी होती है।

मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अगर आप यह नहीं करते हैं तो आप रांची से लोहरदगा की छोटी लाईन की बड़ी लाईन बना दीजिये। यह खनिज संपदा का क्षेत्र है। आप लोहरदगा से टोहरी तक एक नयी रेल लाईन बना दीजिये। यह बीस किलोमीटर का क्षेत्र है। यहां 72 प्रतिशत आदिवासी लोग रहते हैं। आप यहां की विशेष परिस्थितियों को समझ कर इन पर ध्यान दें। इस तरह से आप छोटानागपुर के साथ इंसाफ कर सकते हैं।

मैं एक और आपसे निवेदन करूंगा कि बहुत सी कंपनियों में यह प्रावधान है कि अगर कोई कर्मचारी रिटायर कर जाता है तो उसके बच्चे को नौकरी दे दी जाती है। आप भी रेल विभाग से रिटायर करने वाले कर्मचारियों के बच्चों को नौकरी दीजिये। इसकी मैं आपसे पुरजोर अपील करूंगा।

मैं एक और निवेदन करूंगा। साउथ ईस्टर्न रेलवे का कलकत्ता में हेड क्वार्टर है। जब केदार पांडे जी जिंदा थे तो उन्होंने कहा था कि रांची में इसका एक जोनल कार्यालय खोला जाएगा। मैं समझता हूं कि पटना के बाद रांची बिहार की दूसरी राजधानी है। वहां पर रेल का जोनल मुख्यालय खोलने की बराबर मांग रही है। रांची में आजकल 9 लाख की आबादी है। वहां पर हटिया का कारखाना है और दूसरे छोटे-छोटे कारखाने हैं। बोकारों का कारखाना भी रांची के इर्द-गिर्द है। रांची से कलकत्ता के लिए दिन में एक नई ट्रेन चलायी जाए। इससे वहां के लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। एक नयी रेल लाईन रांची से बम्बई के लिए भी खोल दी जाए।

इन शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया। मैं मंत्री जी से यह अनुरोध करता हूं कि वे रांची पर कृपा करें।

**श्री एम॰एल॰ झिकराम (मांडला)**: माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। माननीय रेल मंत्री जी ने जो रेल बजट प्रस्तुत किया है उसका मैं समर्थन करता हूं।

यह बजट सातवीं योजना के अंतिम वर्ष का बजट है। विगत चार वर्षों में रेल विभाग ने जिस तरह से कार्यक्रम चालू किये हैं वह रेलवे के इतिहास में एक अभूतपूर्व चीज है। इसके लिए रेलवे विभाग और माननीय मंत्री महोदय बधाई के पात्र हैं। बातें बहुत सी हैं कहने के लिए, लेकिन मैं सारी बातों की तरफ न जाकर अपने क्षेत्र के बारे में कुछ बातें कहना चाहूंगा, क्योंकि समय बहुत कम है।

26 फरवरी को हमारे यहां शिकारा स्टेशन के पास बड़ी रेल दुर्घटना हुई, इसके लिए मैंने मंत्री

[श्री एम०एल० झिकराम]

महोदय को भी निवेदन किया है, इसका मुख्य कारण रेलवे लाइन के रख-रखाव में कमी है। इसका डिवीजनल आफिस पहले नयनपुर में था जो कि अब नागपुर चला गया है, ठीक है आप उसको नागपुर में रहने दीजिए, लेकिन एक डिवीजनल आफिस यहां पर भी खोल दीजिए, क्योंकि नयनपुर छोटी लाइन का भारत का सबसे बड़ा जंक्शन है, इससे वहां पर लाईनों की देखरेख और रख रखाव का काम ठीक तरह से हो सकेगा। इसी रेलवे लाइन पर सन् 1984 में चरेगांव में भयंकर दुर्घटना हुई और 3-4 डिब्बे पानी में डूबे गए थे। इसमें सैकड़ों आदमी मरे और हजारों आदमी घायल हुए। इसके 4 वर्ष बाद ही 26 फरवरी को फिर से दुर्घटना हुई, इन दुर्घटनाओं का कारण रख-रखाव की कमी पाया गया। इस दुर्घटना में 25 आदमी मरे, उनको क्षति-पूर्ति के लिए उनके परिवार वालों को जो 1 लाख रुपया दिया जाना चाहिए था, लेकिन उनको 1 हजार रुपया नकद और 9000 रुपया बैंक में जमा कर दिये गये हैं। यह तो ठीक बात है कि रुपया बैंक में जमा कर दिया गया है, लेकिन उनको पूरा मुआवजा एक लाख रुपया शीघ्र दिया जाना चाहिए। अभी 2 तारीख को मैं 20 आदमियों के परिवारों से मिलकर आया हूं, उन्होंने अपनी समस्या मुझे बताई है। आप सभी आदिवासी गरीब परिवार के लोग थे, इनकी तरफ विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। कुछ लोगों का मुआवजा भी ठीक तरह से तय नहीं किया गया है, इनमें से कुछ घायलों के नाम मेरे पास नोट हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं। इनकी चोत ज्यादा आई है, लेकिन इनको केवल 500 रूपया मुआवजा दिया गया है, इनको कम से कम 2000 रूपया मुआवजा मिलना चाहिए था। इनके नाम हैं—पाहप सिंह वल्द भादू, उम्र 22 वर्ष, निवासी झिलपुर। श्रवण, उम्र 60 वर्ष, निवासी खैरी, थाना घनसौर। मुन्नी उम्र 30 वर्ष, निवासी चरगांव, थाना किंदरयी। सोभूलाल, उम्र 30 वर्ष, निवासी घाट पिपरिया, थाना घनौरा।

इसी तरह से कुंवर सिंह, वल्द मोहन, उम्र 22 वर्ष, इसकी लाश अभी तक नहीं मिली है, इसकी भी खोज करवाई जाए।

शनीलाल, बन्द, निवासी बैसाखू गौंड प्रणाम टिकरा पांडीवारा को लाशों की देखरेख के लिए घटनास्थल पर रख दिया गया था, इस वजह से वह अस्पताल नहीं जा पाया और उसको कोई मुआवजा नहीं दिया गया। इसे मुआवजा दिया जाये।

इसी तरह से मंथन सिंह वल्द भाव सिंह गौंड, निवासी बम्हनी, उम्र 20 वर्ष, इसके टखने पर काफी चोट आई है और इसके बाएं हाथ की 3 उंगलियां कट गई हैं, इसको भी मात्र 500 रुपया दिया गया है। इसके मुआवजे की राशि भी बढ़ाई जानी चाहिए।

यह तो दुर्घटनाग्रस्त लोगों के बारे में कुछ बात थी, अब मैं अपने क्षेत्र की अन्य समस्याओं के बारे में 2-4 बातें कहना चाहता हूं। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि नयनपुर में डिवीजनल आफिस होना चाहिए, ताकि लाइनों का रख-रखाव और देखभाल ठीक तरह से हो सके। आपने स्वतः इस चीज को जाकर देखा है, इसकी बहुत आवश्यकता वहां पर है। मध्य पूर्व की छोटी रेलवे लाइन जब से बनी है तब से इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया गया है, अब आपने ध्यान दिया है तो इस मांग को भी अवश्य स्वीकार किया जाए। इसी तरह से बिलासपुर, मुंगेली, मंडला रेल मार्ग के सर्वे के बारे में भी हमारी मांग काफी समय से लंबित है, अभी तक उसका सर्वे नहीं कराया गया है। इस तरफ शीघ्र ध्यान दिया जाना चाहिए। हमने एक रेलगाड़ी मंडला से जबलपुर के लिए मांग की है, इसके लिए कहा जाता है कि जहां पर सवारियों की संख्या कम है, उसकी आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब दुर्घटना हुई तब सभी से ज्ञात हुआ कि दुर्घटनाग्रस्त रेलगाड़ी में आदमियों की संख्या इतनी अधिक थी कि लोग छत पर बैठ कर यात्रा कर रहे थे। और दुर्घटना में वे सभी लोग मारे गए जो ऊपर के डिब्बे की छत पर बैठे थे। यह सभी आदिवासी गरीब मजदूर थे जो काम धन्धे की तलाश में जबलपुर जा रहे थे। चूंकि

मांडला और धुवसौर क्षेत्र में काम नहीं खोला गया है तो यदि इस क्षेत्र में काम खोला होता तो शायद यह दुर्घटना घटित नहीं होती।

गोंदिया से जबलपुर और मांडला से छिंदवाडा की छोटी लाईन को ब्राडगेज करने के लिए मिश्र जी ने भी कहा है और मैं भी इसको दोहराना चाहता हूं कि यह कार्य अवश्य किया जाए। नैनपुर छोटी लाईन का हिन्दुस्तान का सबसे बड़ा स्टेशन है इसलिए इसको आदर्श स्टेशन बनाया जाना चाहिए। तुइयापानी पर और कजरैनारा पर पैसेन्जर हाल्ट बना दिया गया है लेकिन छाया और नल का प्रबंध नहीं है इसलिए इसकी व्यवस्था करना अतिआवश्यक है। आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

**श्री शमिन्दर सिंह** (फरीदकोट): माननीय डिप्टी स्पीकर साहब, रेलवे मंत्रालय एक बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्रालय है। फर्स्ट फाइव एअर प्लान में टोटल बजट का पंद्रह परसेंट इसको अलोकेट किया गया। उसके बाद कांग्रेस की सरकार ने ग्यारह परसेंट कर दिया और तीसरी योजना में फिर सात परसेंट कर दिया गया। इसी प्रकार चौथी योजना में पांच परसेंट, फिर 5.2 परसेंट और अभी 6.8 परसेंट है। सरकार ने हर वक्त ज्यादती की है। जैसे-जैसे लोगों की संख्या बढ़ती गई वैसे ही मंत्रालय के पैसे कम करते गए। उसकी वजह से ही उसमें कमियां हैं। बड़े ही खूबसूरत ढंग से मंत्री जी ने यह बजट पेश किया है। इसको पेपर या कलम की हेराफेरी कही जा सकती है। कहते हैं कि किराया नहीं बढ़ा क्योंकि इलैक्शन इअर है। मैं एक बात आपके माध्यम से कहना चाहता हूं। किराया बढ़ाने से कितने लोगों पर असर होने वाला था। 35 परसेंट के लिए तो सरकार मानती है कि वे रेलों में सफर नहीं कर सकते क्योंकि गरीबी रेखा से नीचे हैं और कुछ ऐसे हैं जो हवाई जहाज में जाते हैं। अब लोगों का ध्यान रेल की बजाय रोड सफर की ओर ज्यादा जा रहा है और रेल नेगलेक्ट हो गई है। अगर किराया बढ़ जाता तो यह परसेंट और भी कम हो जाती इसलिए बड़े ही खूबसूरत ढंग से फ्रेट की ओर ले गए। जिस आदमी की पांच रुपए की टिकट लेने की हिम्मत नहीं है उसके ऊपर फ्रेट बढ़ाने से छठा रुपया भी डाल दिया है। इसका असर उस पर पड़ेगा। यह सारा हिन्दुस्तान की आबादी में बांट दिया गया है जबकि यह तीस परसेंट से ज्यादा नहीं जाना था, अगर पैसेंजर फेयर बढ़ाते। मंत्री जी ने अपनी कैपेबिलिटी दिखाई है। पिछले तीन-चार सालों में मंत्री जी ने रेलवे में सुधार करने की काफी कोशिश की है। पांच-छह मंत्रालयों में से यह ऐसा मंत्रालय है जिस पर हम विरोध में रहते हुए भी करप्शन का चार्ज नहीं लगा सकते।

मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वह अपना असर और रसूख बनाकर टोटल बजट से इस बार आपको 6.8 मिला है, तो उसे 10 करवायें। ज्यादा पैसा होगा तो आप जो चार हजार से ज्यादा किलोमीटर ट्रैक बदलने वाले हैं वे बदले जायेंगे। आपके जो बहुत पुराने इंस्ट्रमेंट्स हैं वह भी बदले जायें ताकि दुर्घटनाओं का खतरा कम हो। रेल में मिलिट्री के लोग यात्रा करते हैं, उनको आपने खास सहूलियतें नहीं दी हैं, खासकर आरक्षण में। वह अपने ट्रंक और बिस्तर पर बैठकर ही यात्रा करते हैं। पंजाब के मेरे एक साथी श्री रामूवालिया जी बोल रहे थे और आपसे निवेदन कर रहे थे कि हमारी रेलें दुबारा चालू कर दी जो कैंसिल हो गई हैं, वह निवेदन करते-करते चले गये। इस तरफ के जो दोस्त बोले वे आपका धन्यवाद कर रहे थे कि हमारे यहां यह गाड़ी लगा दी या यह काम कर दिया, यह एक अच्छी बात है, हमारे भी लगा दो। पंजाब में आपने बहुत से तीर्थस्थानों को रेल के साथ जोड़ा है। जैसे दिल्ली से राजधानी एक्सप्रेस कलकत्ता के लिये जाती है उसको आप बढ़ाकर अमृतसर से कलकत्ता कर दें। मोगा सब-डिवीजन है वह हिन्दुस्थान की दो नम्बर की गेहूं और चावल की मण्डी है। वहां से आज किसी ने दिल्ली को जाना हो तो वह लुधियाना से जायेगा, यह ओवर नाइट जर्नी है, लुधियाना से बहुत गाड़ियां आती हैं, ट्रैक भी है, सिर्फ आपको दो बोगी मोगा से लगानी हैं जो

[श्री हरमिन्दर सिंह]
वहां से लुधियाना आ जायें और यात्री कोई भी गाड़ी पकड़कर दिल्ली आ जाये। व्यापारी लोगों का व्यापार के सम्बन्ध में दिल्ली आना-जाना लगा रहता है इसलिए आपको यह काम कर देना चाहिए। थर्मल पावर प्लांट पंजाब के अन्दर दो जगह रोपड़ और भटिंडा में लगे हैं। वहां कोयले की जरूरत पड़ती है। जो बिजली वे पैदा करते हैं वह सैंट्रल पूल की है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन के लिए पंजाब में बिजली चाहिए इसलिए कोयले के फ्रेट को आप कम से कम कर दें जिससे कृषि और सेंट्रल पूल में सस्ती बिजली मिल सके। हम लोगों को और ज्यादा खाने को अनाज दे सकें। मैं आपकी खूबसूरती को दाद देते हुए बजट का विरोध करता हूं।

**श्री लाल विजय प्रताप सिंह** (सरगुजा): आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सिंधिया जी द्वारा प्रस्तुत रेल बजट का समर्थन करता हूं। आप सब जानते हैं कि भारत में रेलों का अपना स्थान है जहां-जहां रेलों का विस्तार ज्यादा हुआ है, वहां तरक्की भी ज्यादा हुई है। जो इलाके इससे वंचित रहे हैं निश्चिततौर पर वहां विकास भी पीछे छूटा है। आप जानते हैं कि रेलों का आवागमन अधिक से अधिक होना चाहिए। मैं अपनी बारी के इंतजार में यहां और विपक्ष वालों की बातें बड़े गौर से सुन रहा था। अनेक लोगों ने मुक्त कंठ से इस बजट की सराहना की है। मैं अपने आप को भी उसमें जोड़ता हूं। लेकिन प्रतिपक्ष के कुछ ऐसे सदस्य भी हैं जिन्होंने इसका विरोध किया है, या तो वे वस्तुस्थिति से अवगत नहीं हैं या उनका उद्देश्य भ्रामक भावना फैलाने का है। मैं कहना चाहता हूं कि उड़ीसा के बाद यदि रेलों का प्रसार अगर कहीं कम है तो वह मध्य प्रदेश में है... इस प्रकार जो कार्य अब से 30-35 साल पहले होना चाहिए था, कुछ अंशों में अब हो रहा है, जिसका मैं स्वागत करता हूं।

समय कम है, इसलिये में बजट की बारीकियों में जाना नहीं चाहता परन्तु आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय का ध्यान अपने इलाके की ओर आकर्षित करना चाहता हूं जिसकी समस्याओं का व्यावहारिक हल निकाला जाना नितान्त आवश्यक है। जैसा अभी यहां साहू साहब बोल रहे थे कि करवाडी मडुवाडीह से सरवाडीह होते हुए विश्रामपुर तक जाने वाली रेल लाइन् बनाने का कार्य अंग्रेजों ने प्रारम्भ किया था, उसके बाद अपनी सरकार इस देश में आई, न जाने किन कारणों से उसकी प्राथमिकता हटा ली गयी और वह लाइन हमेशा हमेशा के लिये ठण्डे बस्ते में चली गयी। इससे न केवल हमारा जिला रेलवेलाइन से वंचित रह गया बल्कि जो लाइन बन जाने से पूरे देश के लगभग 400 या 500 किलोमीटर मार्ग को छोटा करती, वह 100 किलोमीटर लाइन न बनने से हम इतने बड़े लाभ से वंचित रह गये। मैं रेल मंत्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि इस वर्ष के बजट में शामिल करना तो अब सम्भव न होगा, हो सकता है हम लोगों का यह अन्तिम वर्ष हो, लेकिन मेरी निश्चित मान्यता है कि आगामी वर्षों में आप इस लाइन को अवश्य प्राथमिकता देंगे और हमारे सरगुजा जिले के डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर अम्बिकापुर तक तो अवश्य रेल लाइन को बिछाये जाने की व्यवस्था करेंगे। यदि आप यह लाइन बिछा देते हैं तो इससे सरगुजा जैसे पिछड़े क्षेत्र का विकास हो सकेगा।

इसके अलावा हमारे माननीय मंत्री जी ने अनेक कार्यक्रम अपने कार्यकाल में ऐसे चलाये, जिनकी सराहना करना मैं अपना कर्तव्य समझता हूं । जहां तक नई रेल लाइनें बिछाने का सवाल है, नई गाड़ियां चलाने का सवाल है, फास्ट ट्रेनें चलाने का सवाल है, कम्प्यूटराइजेशन का सवाल है, मौडनाईजेशन का सवाल है या फिर पैसेंजर अमेनिटिज बढ़ाने का सवाल है, हर क्षेत्र में रेल मंत्रालय ने बहुत प्रगति की है, सुविधायें उपलब्ध करायी हैं, उन की जितनी प्रशंसा की जाये, कम है। मैं तो यह कहना भी उचित मानता हूं कि यदि आप भारतीय रेलों की तुलना विश्व की किसी भी रेल से कर सकते हैं भारतीय रेलों ने विश्व के उन्नत रेलों की अग्रिम पंक्ति में अपना स्थान बनाया है। उपाध्यक्ष महोदय, आपकी कृपा से मुझे विदेशों में जाने और अनेक रेलों में बैठने का सौभाग्य मिला है और मेरी निश्चित मान्यता है कि भारतीय रेल किसी भी रेल से कम नहीं है। यहां मैं एक बात अवश्य जोड़ना चाहूंगा कि देश की कुछ प्रैस्टिजस ट्रेनों की ओर ही हमारा

ध्यान अधिक गया है, जब कि देश में दूसरी तरह की ट्रेनें भी बहुत चलती हैं। उनकी ओर हमारा उतना ध्यान नहीं गया है। यदि आपका ध्यान देश भर में चलने वाली तमाम छोटी-छोटी ट्रेनों, पहुंच-विहीन क्षेत्रों में चलने वाली ट्रेनों की तरफ भी चला जाये तो अति उत्तम होगा।

यहां आपके माध्यम से मैं बड़ी विनम्रतापूर्वक यह अवश्य कहना चाहूंगा कि हमारे प्लानिंग कमीशन और फाइनैंस कमीशन का व्यवहार रेल विभाग के साथ कुछ सौतेला रहा है। ऐसी मेरी व्यक्तिगत धारणा है। मेरा निवेदन है कि आप पूरे सदन की भावनाएं आदरणीय राजीव गांधी जी तक पहुंचायें, प्लानिंग कमीशन तक पहुंचायें और ऐसी व्यवस्था करें कि फाइनैंस के मामले में रेल विभाग मजबूत हो सके और आने वाले वर्षों में और तरक्की कर सके।

आज की स्थिति में हम यह देखते हैं कि भारतीय रेलवे केवल अपने साधनों से या कुछ बौराइंग से धन लेकर अपना काम चलाती है। मैं चाहता था कि यदि इसे आप अपने सैक्टर में नहीं कर सकें तो कुछ प्राइवेट सैक्टर के सुपुर्द करें। इस सम्बन्ध में आप डिबेट कराएं तो उत्तम बात होगी और इससे निश्चित रूप से रेलें आगे बढ़ेंगी।

**श्री जगदीश अवस्थी** (बिल्हौर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं सर्वप्रथम माननीय रेल राज्य मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने बहुत ही अच्छा बजट प्रस्तुत किया है। इस बजट में आपने कुछ सुविधाएं भी प्रदान की हैं जैसे रेल यात्री सुविधा के अन्तर्गत वीरता पदक प्राप्त व्यक्तियों के लिए सुविधा और 15 नई ट्रेनें चलाई हैं और कुछ गाड़ियों के फेरे बढ़ाए हैं, चालन भी बढ़ाया है। इसके साथ ही जो कानपुर की बहुत पुरानी मांग थी उसमें आपने कानपुर के लिए एक नई ट्रेन दी है, एक सुपरफास्ट अन्तर्नगरीय ट्रेन चलाई है, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

इस सम्बन्ध में मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि इस ट्रेन का जो समय आपने रखा है वह उचित नहीं है। इस ट्रेन को आप प्रातःकाल दिल्ली से चलाएंगे और यह कानपुर जाएगी और शाम को आप कानपुर से दिल्ली के लिए चलाएंगे। मेरा निवेदन यह है कि यह ट्रेन कानपुर के यात्रियों के लिए है, कानपुर के यात्री दिल्ली ज्यादा आते हैं, अतः इस पर आप पुनर्विचार करें और इस ट्रेन का समय प्रातः 6 बजे कानपुर से दिल्ली के लिए करें और शाम को दिल्ली से कानपुर के लिए करें ताकि कानपुर के यात्री दिन में दिल्ली में अपना काम कर के रात्रि में कानपुर के लिए लौट सकें। इसमें आप यह कह सकते हैं कि कानपुर में रात में साइडिंग की व्यवस्था नहीं होगी तो उसकी व्यवस्था आप करें क्योंकि यह ट्रेन यात्रियों की सुविधा के लिए चलाई गई है न कि रेलवे कर्मचारियों की सुविधा के लिए। अगर यह परिवर्तन आप नहीं करेंगे तो दिल्ली से ट्रेन खाली जाएगी और फिर आप कहेंगे कि घाटा पड़ रहा है।

कानपुर एक जंक्शन है, इसको आपने आदर्श स्टेशनों में नहीं रखा है। यहां पर मध्य रेलवे, उत्तर रेलवे और पूर्वोत्तर रेलवे का जंक्शन है और बहुत सी गाड़ियां यहां पर आकर मिलती हैं, मैं चाहूंगा कि कानपुर स्टेशन को आप आदर्श स्टेशनों की श्रेणी में शामिल करें और यहां के आरक्षण का कम्प्यूटरीकरण भी करें।

मेरी अपने क्षेत्र की कुछ समस्याएं हैं। पूर्वोत्तर रेलवे में कुछ स्टेशन ऐसे हैं जहां ट्रेन रुकती नहीं है जिनका वहां पर रुकना बहुत जरूरी है जैसे अरौल-मनकपुर स्टेशन है। यहां के लिए मैंने कई बार निवेदन किया है कि वहां पर 55-अप और 56-डाउन, जो कानपुर लखनऊ फास्ट एक्सप्रेस है, जिसको के० के० एक्सप्रेस भी कहते हैं, उसे वहां पर रोका जाए और इसे चौबेपुर स्टेशन पर भी रोका जाए।

साथ ही कुछ ऊपरी पुल, फ्लाई-ओवरब्रिज बनने चाहिए। मैं चाहता हूं कि उत्तर रेलवे में रूरा एक बहुत बड़ा स्टेशन है जहां पर बहुत यातायात चलता है इसलिए वहां पर ऊपरी पुल बनना चाहिए। साथ ही

[श्री जगदीश अवस्थी]

साथ कानपुर महानगर स्थित पूर्वोत्तर रेलवे में लाइन पार करने में लोगों को बहुत तकलीफ होती है। मैं चाहूंगा कि 5 नवम्बर रेलवे क्रासिंग गुमटी और कोकोकोला के समक्ष तथा सर्वोदय नगर पर किसी न किसी स्थान पर ऊपरी पुल बना दिया जाए। ताकि लोगों को आने-जाने में सुविधा हो सके।

एक निवेदन और है कि ब्रह्मावर्त-बिठूर एक बहुत ही पौराणिक और ऐतिहासिक स्थान है। यहां पर हमारे उत्तर भारत के ही नहीं बल्कि देशभर के पर्यटकगण आते हैं। यहां पर मन्धना स्टेशन से ब्रांच लाइन पर एक लोकल ट्रेन जाती है। मेरा निवेदन है कि इस बिठूर को मुख्य लाइन पर लाने के लिए बिठूर से चौबेपुर जो 6 किलोमीटर मात्र है, उसका सर्वे कर के इस पर एक लाइन बिछा दी जाए जिससे देश के बहुत से यात्री जो यहां आते हैं, वे सुविधा से आ-जा सकेंगे।

हाथरस से कानपुर जो छोटी लाइन आती है, उसे भी बड़ी लाइन में बदल दिया जाए तो दिल्ली से कानपुर की गाड़ियों में भीड़ कम हो जाएगी और जो भार अब पड़ता है, वह कम हो जाएगा।

उत्तर रेलवे स्थित पनकी और भाऊपुर स्टेशन के मध्य ग्राम भूल के समक्ष एक पुरानी रेलवे क्रासिंग को पुनः चालू किया जाए अभी वहां बड़ी कठिनाई होती है, मैं चाहूंगा कि आप उसे अवश्य चालू करवा दें।

भाऊपुर और गैथा स्टेशन के मध्य एक ढलकहट बना हुआ है, रैपालपुर में, जिसे भी हाल्ट स्टेशन में बदल दिया जाए।

आखिर में मैं यह निवेदन करूंगा कि लखनऊ और कानपुर दो महानगर हैं और आपने विद्युतीकरण में रखा हुआ है लेकिन लखनऊ और कानपुर के मध्य रेल लाइन का विद्युतीकरण नहीं हुआ है। आप इस लाइन का विद्युतीकरण करें। साथ-साथ बड़ी लाइन जो कि एक सिंगल लाइन है उसको आप डबल करें ताकि लखनऊ से कानपुर सम्पर्क द्रुतगामी ट्रेनों से जुड़ सके।

इन शब्दों के साथ मैं यह कहना चाहूंगा कि कानपुर महानगर के आसपास जो बड़े-बड़े शहर हैं और जहां दो स्थानीय ट्रेनें कानपुर के लिए नहीं चल पाती हैं वहां के लिये ट्रेनें चलायी जायें-जैसे इटावा से कानपुर, फर्रुखाबाद से कानपुर और फतेहपुर से कानपुर। इससे स्थानीय लोगों को आने-जाने में सुविधा होगी।

इसी के साथ मैं रेल बजट का समर्थन करता हूं।

**श्री अब्दुल हन्नान अंसारी (मधुबनी):** उपाध्यक्ष महोदय, हमारे मोहतरम जनाब रेल मंत्री महोदय को मैं बेहद खुशी से यह कहने के लिये तैयार हूं कि हमारे रेलवे मिनिस्ट्री जिस दूरदर्शिता, ईमानदारी और कार्यकुशलता से कामों को अंजाम देती है उसके लिये हमारे रेल मंत्री, रेल कर्मचारी और अन्य जो इसका संचालन करने वाले हैं सब धन्यवाद के पात्र हैं।

यह सही है कि इंडियन रेलवे ने, न सिर्फ अपने देश की सेवा की है बल्कि विदेशों में भी अपनी शाखाओं को जारी करने का दायित्व अर्जित किया है। यह हमारे लिये बहुत गर्व की बात है। लेकिन जब मैं अपने रेल बजट को देखता हूं तो अफसोस होता है कि बहुत कम राशि इसके लिये रखी गई है। आजादी के बाद जनसंख्या में पौने तीन गुना वृद्धि हुई है। लेकिन देखने में यह आ रहा है कि इस काम के लिये रखी गई राशि में दिन प्रतिदिन कमी होती जा रही है। हमारे विपक्ष के साथियों ने भी ऐसे

आंकड़ों को पेश किया है। मैं इस रेल बजट पर अपनी सरकार से यह आग्रह करूंगा कि वह प्लैनिंग कमीशन से कहें कि वह इस पर फिर से गौर करें और धनराशि को बढ़ाये ताकि बढ़ती हुई आबादी को देखते हुए रेल मंत्रालय को अपना काम करने में सहूलियत हो।

इस बजट की जो खूबियां हैं उससे कोई व्यक्ति इंकार नहीं कर सकता है। सभी वर्गों के साथ इस विभाग ने इंसाफ किया है। लेकिन कुछ बातें ऐसी जरूर हैं जिन पर गौर करने की जरूरत है। कुछ क्षेत्र जो किसी वजह से पिछड़ गये हैं उनके ऊपर खास ध्यान नहीं दिया गया है।

मैं इस सिलसिले में यह कहना चाहूंगा कि बिहार अत्यंत पिछड़ा हुआ राज्य है। जल मार्ग का 1950-51 में जो सर्वे कराया गया था उससे पता लगा था कि वह चलने लायक नहीं है। इस कारण इसका सारा भार रेल विभाग पर आता है। 1950-51 से लेकर आज तक 750 हजार लाइनों का निर्माण हुआ। इसमें से बिहार को अभी तक पांच हजार से कम हिस्सा मिला और 61,000 किलोमीटर लाइन में से बिहार को सिर्फ 5300 किलोमीटर लाइन मिली है। आजादी के बाद बिहार की आबादी दुगनी हो गई है। 1980-81 में रेलवे कन्वैंशन कमेटी बनी थी। उस कमेटी में बिहार की बात को रखा गया था। लेकिन वह भी बिहार के साथ कोई न्याय नहीं कर सकी। हमें यह बात समझ में नहीं आती है कि इसमें बिहार को क्यों पीछे रखा जाता है। राज्य सरकार ने 20 मार्च 1982 में अपने बजट में एक प्रावधान किया था और कुछ लाइनों के विस्तार के बारे में सिफारिश की थी केन्द्र सरकार से। अगर केन्द्र सरकार उन 29 लाइनों का विस्तार कर दे तो बिहार का काफी भला हो सकता है। इस सिलसिले में राज्य सरकार भूमि तक देने के लिये राजी है। रेल मंत्रालय अपनी कठिनाइयों के बावजूद इन चीजों पर गौर करे। मैं उम्मीद करता हूं कि इसपर जरूर गौर किया जायेगा।

मैं अब अपने क्षेत्र की उन समस्या के ऊपर अपने मोहतरम सिंधिया जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि दरभंगा और समस्तीपुर के बड़ी लाइन करने पर पिछले चार वर्षों में इस जानिब ध्यान दिलाया है, अगर आपके समय के अन्दर इस अत्यन्त पिछड़े हुए इलाके का उद्धार को जाता है तो मैं समझता हूं कि यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। मैं इसकी तफसील क्या कहूं वह स्वीकृत योजना है जो खुद ललित नारायण मिश्र के अहद में हुई और श्री केदार पाण्डे जी के वक्त में इसका शिलान्यास भी हो गया। उस वक्त इसकी लागत कुल 12 करोड़ थी। इसके बारे में बार-बार यहां ध्यान दिलाने के बाद कहा गया कि इसका सर्वेक्षण किया जा रहा है, जब मैंने उसके बारे में आपका ध्यान आकर्षित किया तो आपने कहा कि समानान्तर लाइन के बारे में सर्वेक्षण किया गया और जब सर्वेक्षण पूरा हो गया तो आपने माली दिक्कत का सहारा लिया है। मैं चाहता हूं कि आप इसपर दोबारा से गौर कर लें तो मेरे ख्याल से यह बहुत ही इन्साफ की बात होगी। छतौनी पुल का शिलान्यास हमारी नेता स्वर्गीय श्रीमती इन्दिरा गांधी ने 1974 में किया था, मैं समझता हूं कि आज के सत्ताधारियों पर यह अजीम जिम्मेदारी आती है कि अपने उस महबूब रहनुमा की बुनियाद डाली हुई चीज को पूरा करें। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इन तमाम चीजों की तरफ तवज्जह देंगे।

साथ ही साथ दरभंगा हसनपुर की तरफ जो लाइन जाती है, वह भी सर्वेक्षण में है। मैं समझता हूं कि अगर आपने इन चीजों पर थोड़ी सी हमदर्दी के साथ गौर किया तो आज जिन लोगों में आक्रोश है आप उन लोगों की सराहना के पात्र होंगे। मुझे यही कहना है: "शिकवा-ए-गैर नहीं, यह है शिकायत अपनी" मैं जानता हूं कि मैं आपका अंग हूं और आपकी मजबूरियां भी मेरे सामने हैं लेकिन इन मजबूरियों में भी आप थोड़ा सा करम कर दें तो उस इलाके की परेशानी दूर हो सकती है:

"फूल की पत्ती से कट सकता है हीरे का जिगर,
मर्दे नादां पेर कलामे नर्म नाजुक बेअसर।"

[श्री अब्दुल हन्नान अंसारी]
मैं उम्मीद करता हूं कि सिंधिया जी एक हीरे के समान है। और अगर हमारी बात के अन्दर तासीर होगी तो इन बातों के ऊपर जरूर ध्यान देंगे।

**श्री बीरबल** (गंगानगर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं 1989-90 के रेलवे बजट का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। रेलवे ने जो सराहनीय काम किया है, इसके लिए मैं माधव राव जी को, महाबीर प्रसाद जी को और रेलवे कर्मचारियों को धन्यवाद देता हूं।

मेरे निर्वाचन क्षेत्र गंगानगर में गंगानगर एक्सप्रैस की एक समस्या है। जब गंगानगर एक्सप्रैस जयपुर तक चलाई गई थी तो इसमें पुराना इंजन पुराने डिब्बे बाबा आदम के जमाने के लगाये गये थे जिसके कारण गंगानगर एक्सप्रैस कभी भी टाइम पर नहीं पहुंचती। गंगानगर कृषि प्रधान जिला है इसलिए मैं माधव राव जी से मांग करता हूं कि किसान एक्सप्रैस के नाम से गंगानगर से जयपुर के लिए एक गाड़ी चलाई जाय, यह मेरी पुरजोर मांग है।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि टीबी ब्लाक स्टेशन बनाया जाये। टीबी तहसील हैडक्वार्टर है और मन्डी भी है यह क्षेत्र बहुत उपजाऊ है और सिंचित क्षेत्र है।

गेहूं और राइस का भंडार है। वहां से राइस और गेहूं का लदान भी हो सकता है। दूसरी मैं यह कहना चाहता हूं कि हनुमानगढ़ से दिल्ली के लिए जो गाड़ी आती है, उसमें आधे डिब्बे थर्ड क्लास के है और आधे डिब्बे फर्स्ट. क्लास के हैं। वह डिब्बा भी बहुत ही पुराना डिब्बा है। उसकी हालत बहुत ही खराब है। मेरी मांग है कि एक नया डिब्बा लगाया जाए। मैं यह कहना चाहता हूं कि हनुमानगढ़ रावसर रोड पर जो क्रोसिंग बना हुआ है, वह बहुत ही छोटा क्रोसिंग है। वहां पर काफी ट्रैफिक इकट्ठा हो जाता है और दुर्घटना होने का भी खतरा रहता है। अभी पिछले दिनों वहां पर दो बच्चे एक्सीडेंट से कट गए हैं। इस लिए इस क्रासिंग को बड़ा किया जाए।

मेरे जिले में क्रासिंग की बहुत समस्या है। जो रैवेन्यू रिकार्डर में मंजूर शुदा रहता है कि वहां पर क्रोसिंग बनाना चाहिए, तो उस पर आप को ध्यान देना चाहिए। वहां पर लोगों की आए दिन दुर्घटना होती है। इसलिए वहां पर रेलवे क्रासिंग बनाना चाहिए। मै आपसे एक नई रेल पटरी की भी मांग करता हूं। सरदारसहर वाया पल्लू व रावसर होते हुए हनुमानगढ़ नई रेलवे लाइन निकाली जाए। यह क्षेत्र पूरा का पूरा बरान क्षेत्र है। यहां पर आवागमन का भी कोई रास्ता नहीं है। यहां सैकड़ों बड़ी-बड़ी घनी आबादी के गांव आते हैं। पल्लू एक ऐसा ऐतिहासिक नगर है, वहां दुर्गा माता का मेला भी लगता है। वहां लाखों श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आते हैं। इतना ही नहीं सरदारसहर से लेकर रावंसर तक जो कि जिप्सम का एरिया है, जहां से हजारों ट्रक लदान होते हैं और हनुमानगढ़ जाकर लदान होते हैं। रावसर, इंदिरा कैनाल की मुख्य मंडी है। वहां पर राइस कॉटन और गेहूं बड़ी भारी मात्रा में होता है। इस लाइन को निकाला जाना अति आवश्यक है। गंगानगर से पदमपुर 60 किलोमीटर की नई रेलवे लाइन बिछाई जाए। वहां राइस कॉटन, और गेहूं का बड़ा भारी भंडार है। इसलिए इस लाइन को भी निकाला जाए। मुझे आपने बोलने का मौका दिया।

**(अनुवाद)**

**श्री सोमनाथ रथ** (अस्का): उपाध्यक्ष महोदय, मैं बजट का समर्थन करता हूं। इन वर्षों में रेलवे की वित्तीय स्थिति उल्लेखनीय रही है। रेलवे का वांछनीय आधुनिकीकरण हुआ है। मुख्य कमी धन की हैं।

महोदय आपके माध्यम से मैं रेलवे मंत्री का ध्यान उड़ीसा में गंजम जिले में रेलवे संचार प्रणाली की

ओर दिलाना चाहता हूं। ब्रिटिश शासन के दौरान उड़ीसा में बहरामपुर था पश्चिम बंगाल में नहीं क्योंकि दो बहरामपुर है एक उड़ीसा में है एक पश्चिम बंगाल में है। इससे भ्रान्ति हो रही है। जब मैं बहरामपुर बोलता हूं तो मै उड़ीसा में गंजम जिले में बहरामपुर के बारे में बोलता हूं। बंगाल-नागपुर रेलवे के नक्शे सर्वेक्षण का उल्लेख किया गया था। बहरामपुर रेलवे स्टेशन से फूलबनी जिले की सीमा पर भंजनगर में रुसेलकोण्डा तक जहाँ एक इंच भी रेलवे लाइन नहीं है परन्तु सर्वेक्षण आज तक पूरा नहीं किया गया है 11932-34 के रेलवे के नक्शे से यह स्पष्ट पता चलता है। रेलवेलाइन के सर्वेक्षण के प्रस्ताव पर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है।

अब, बहरामपुर के पास समुद्र पर गोपालपुर में एक पत्तन बनाया गया है। गंजम, फूलबनी, कालाहांडी और बोलंनगीर जिले इस पत्तन के पृष्ठ प्रदेश है। जब तक पत्तन को रेलवे लाइन से नहीं जोड़ा जाता पृष्ठ प्रदेश से नहीं जोड़ा जाता इसे विकसित नहीं किया जा सकता और यह व्यवहार्य नहीं होगा विश्व में किसी भी पत्तन को रेलवे लाइन से जोड़े बिना विकसित नहीं किया जा सकता। अतः मै आप के माध्यम से मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि बहरामपुर से बोलँनगीर वाया फूलबनी जिले के लिए रेलवे लाइन का सर्वेक्षण किया जाना चाहिए और इस रेलवे लाइन को बिछाया जाना चाहिए। सरकार की यह नीति रही है कि जो क्षेत्र विकासित नहीं है उस क्षेत्र में रेलवे लाइन बिछायी जानी चाहिए और जहाँ आदिवासी और हरिजन लोग रहते हैं इस लाइन को पृष्ठ प्रदेशों से जोड़ा जाना चाहिए इस ओर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।

अन्य मुद्दा मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को बताना चाहता हूं उड़ीसा के खालीकोट और चिल्का रेलवे स्टेशनो के बीच बेजीपुर के लोग रहते हैं बेजीपुर पर यात्रियों के रुकने के लिए एक प्लेट फार्म के निर्माण के लिए बड़ी संख्या में लोगों ने श्रम और धन देने की पेशकश की है इस क्षेत्र में मछुआरे और गरीब लोग रहते हैं। जब लोग सहयोग देने के लिए आगे आ रहे हैं जो एक अच्छी बात है। मेरे विचार से सरकार को बेजीपुर पर यात्रियों के रुकने के लिए हाल्ट स्टेशन बनाने पर विचार करना चाहिए जिससे कि मछुआरों को अपनी मछलियाँ निर्यात करने की सुविधा मिल सके।

मंत्री जी ने मेरे पत्र का उत्तर दिया है कि वह खालीकोट पर कोर्नाक एक्सप्रेस रोकने पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे। मुझे आशा है वह इस पर शीघ्र विचार करेंगे।

खुर्दा रेलवे डिवीजन में उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर स्थित है। क्योंकि उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है, भुवनेशवर रेलवे स्टेशन का आधुनिकीकरण किया गया है; और इसे एक आधुनिक रेलवे स्टेशन बनाया जायेगा इसे निश्चित नहीं समझा जा सकता इसी डिवीजन में अन्य रेलवे स्टेशन का आधुनिकीकरण नहीं किया जाएगा और उन्हे माडल रेलवे स्टेशनों में बदला जाये क्योंकि सरकार की नीति है कि राज्य की राजधानी पर रेलवे स्टेशनों को भी आधुनिकीकृत किया जाना चाहिए और माडल रेलवे स्टेशन बनाये जाने चाहिए। मैं मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वह यह तर्क न दें कि भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन का आधुनिकीकरण किया गया है वे खुर्दा डिवीजन में अन्य कोई रेलवे स्टेशन का आधुनिकीकरण नहीं करेंगे। मैं अनुरोध करता हूं कि बेहरामपुर रेलवे स्टेशन जो खुर्दा डिवीजन में है का आधुनिकीकरण किया जाना चाहिए और उसे माडल रेलवे स्टेशन में बदलना चाहिए।

**श्री महावीर प्रसाद यादव (मार्चीपुर):** उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री जी श्री माधवराव सिंधिया, द्वारा प्रस्तुत रेलवे बजट का मैं समर्थन करता हूं। मैं सिंधिया जी की प्रशंसा करता हूं क्योंकि उन्होंने सभी क्षेत्रों और सभी वर्गों की संतुष्टी के लिए बजट प्रस्तुत किया है। दुर्घटनाएं कम हो गई हैं इस अवधि के दौरान अधिक

[श्री महावीर प्रसाद यादव]
संतोषंजनक बात यह है कि अन्य सरकारी क्षेत्र इकाईयों की तरह कोई हड़ताल नहीं की गई है। यह बहुत संतोषजनक बात है। यह एक ऐसा बजट है जो किसी व्यक्ति की कल्पना से परे है। उन्होंने अपने प्रयासों से 21 वीं सदी में पहुचने का प्रसास किया है।

एक बात मुझे कहनी है कि श्री माधवराव सिंधिया की एक तरफ प्रशंसाएँ की गई हैं और दूसरी तरफ आलोचना की गई है। मेरे विचार से आलोचना रचनात्मक,सहायक और बिना पक्षपात के होनी चाहिए। हमारे कुछ सहयोगी बता रहे थे कि यह मध्यप्रदेश का बजट है। यह उनके साथ बेइन्साफी है। उन्होंने किसी राज्य के साथ कभी कोई बेइन्साफी नहीं की है। उदाहरण के लिए, उन्होंने बिहार राज्य को कुछ नहीं दिया है। लेकिन यह बात नहीं है कि उन्होंने बिहार के साथ कोई बेइन्साफी की है।

माननीय मंत्री महोदय ने अपनी कल्पना और दृष्टिकोण के अनुसार आधुनिकीकरण और नवीकरण का कार्य आरम्भ किया है और मनुष्य शुरु से ही कल्पनाशील रहा है। यहाँ कुछ भी निश्चित नहीं है। रेल मंत्री द्वारा प्रयास किये जा रहे हैं और मानवीय प्रयासों का महत्व है। जब मानवता प्रगति कर रही है तो किसी भी राष्ट्र के लिए चुपचाप स्थिर खड़ा रहना असंभव है। परिवर्तन जीवन का नियम है और रेल मंत्री सृजनात्मक गतिविधियों का सहारा लेने के लिए संघर्ष कर रहे हैं।

परन्तु उनकी अपनी कुछ सीमायें हैं। यदि वह सार्वजनिक उधार लेते हैं तो विरोधी पक्ष यह कहेगा कि प्रत्येक भारतीय नागरिक पर इतना कर्ज लदा हुआ है। यदि वह लोगों पर अप्रत्यक्ष रुप से भी कर लगाते हैं तो वे यह कहेंगे कि इस कराधान के कारण गरीब लोग कष्ट उठा रहें हैं उदाहरणतया माल भाड़े में 11 प्रतिशत वृद्धि के कारण उन्होंने संसाधन जुटाने का प्रयास किया है। संसाधन कहाँ से आयेंगे? विकासशील देशों में घाटे की वित्त व्यवस्था की जाती है। ऐसा कौन सा विकासशील देश है जिसमें घाटे की वित्त-व्यवस्था नहीं की जाती है? मैं कहता हूँ, मेरे साम्यवादी सहयोगी भी मेरी इस बात से सहमत होगें कि इस वर्ष रुस के बजट में भी भारतीय मुद्रा में 80,000 करोड़ रुपये का घाटा दिखाया गया है। खाद्य राजसहायता के लिए रुस ने 1,98,000 करोड़ रुपये दिये थे भारत एक विकासशील देश है। इसे अपने संसाधन प्रत्यक्ष कराधान अथवा अप्रत्यक्ष कराधान से या देश में अथवा विदेशों से ऋण लेकर जुटाने पड़ते हैं। अतः यह कहना न्यायोचित नहीं है कि माननीय रेल मंत्री ने किसी राज्य के साथ अन्याय किया है।

मेरे क्षेत्र माधेपुरा और सहरसा की कुछ समस्यायें हैं। गुवाहटी से दिल्ली और दिल्ली से गुवाहटी के बीच 921 अप और 922 डाऊन गाड़ी चलती हैं। कटिहार और बरौनी के बीच केवल 178 किलोमीटर की दूरी को तय करने में ये गाडियां 5 घन्टे का समय लेती हैं। यह रेलगाड़ी निश्चित रुप से सुपर फास्ट है और इस दूरी को 35 किलोमीटर प्रति घन्टे की रफतार से पार करती है। किसी समय यह लाइन नई थी परन्तु अब इसकी कठिनाइयों और इसके दोषों को दूर कर दिया गया है। अतः मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूँ कि इन रेलों के समय को बदला जाये और समय को कम भी किया जाये।

मैं माननीय रेल मंत्री का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूगां कि कोसी नदी के कारण निर्मली और सरायगढ़ के बीच लगभग 18 किलोमीटर की दूरी है। वहां एक पुल बनाने की आवश्यकता है। आप इस बात पर ध्यान देंगे कि इस समय सहरसा के यात्रीयों को समस्तीपुर के रास्ते निर्मली पहुंचने के लिए लगभग 225 किलोमिटर की दूरी तय करनी पड़ती है परन्तु यदि वहां एक पुल बना दिया जाता है तो उन्हें निर्मली पहुचने के लिए केवल 18 किलोमिटर की दूरी तय करनी पड़ेगी।

मनसी और सहरसा के बीच की रेलवे लाइन बहुत अधिक पुरानी हैं। वहाँ के पुल पुराने और

कमजोर हैं। उस लाईन पर एक लकड़ी का पुल भी है। परिणाम स्वरुप रेल गाड़ी की गति बहुत धीमी होती है। मैं माननीय रेल मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह इस बात पर ध्यान दें कि लकड़ी के पुल को हटा दिया जाये और रेलगाड़ी को गति प्रदान करने के लिए पुराने पक्के पुलों का पुनर्निर्माण किया जाये।

रेल मंत्री महोदय इस बात पर ध्यान देंगे कि सहरसा और माधेपुरा क्षेत्रों में कोई भी नया कार्य नहीं किया गया है। उनकी अपनी सीमायें हैं। यदि वे हमें रेलवे लाइनें नहीं दे सकते, सर्वेक्षण नहीं कर सकते तो कम से कम उन्हें उन क्षेत्रों का दौरा तो करना चाहिए। इससे, एक प्रकार से सामान्य जनता सन्तुष्ट होगी।

***श्री आर॰ जीवरत्नम** (आर्कोनम): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय रेल राज्य मंत्री श्री माधव राव सिंधिया द्वारा प्रस्तुत बजट के समर्थन में कुछ शब्द कहना चाहता हूं।

मैं आर्कोनम के निकट एक ऊपरी सड़क पुल बनाने और आर्कोनम में रेल इन्जीनियरिंग वर्कशाप का आधुनिकिकरण करने के लिए किये गये आबंटन का स्वागत करता हूं। इसी प्रकार मैं आर्कोनम के निकट रेलवे फाटकों पर पुलों के निर्माण के लिए किये गये आबंटन का भी स्वागत करता हूं। इन आबंटनों के लिए मैं माननीय रेल राज्यमंत्री तथा माननीय प्रधान मंत्री का बहुत आभारी हूं।

इस अवसर पर मैं माननीय मंत्री महोदय से यह अनुरोध करुंगा कि आर्कोनम रेलवे स्टेशन का विस्तार और आधुनिकीरण किया जाये। करीब 100 वर्ष पहले उस रेलवे स्टेशन का निर्माण अंग्रेजों द्वारा किया गया था। आर्कोनम के पास तिरुपति, तिरुयानी, कांचीपुरम और तिरुवेल्लूर जैसे अनेक धार्मिक स्थान हैं। इन धार्मिक स्थानों पर जाने वाले तीर्थ यात्रियों को आर्कोनम में गाड़ी से उतर कर आगे जाना पड़ता है। अतः माननीय मंत्री महोदय को आर्कोनम रेलवे स्टेशन का नवीकरण करना चाहिए और आधुनिक तरीके से इसके पुननिर्माण के लिए तुरन्त कार्यवाही करनी चाहिए।

महोदय इस समय सेलम से बंगलौर तक की रेलवे लाईन छोटी लाईन है। अब मैं उस चुनाव क्षेत्र के बारे में कह रहा हूं जिसका प्रतिनिधित्व हमारे माननीय उपाध्यक्ष महोदय करते है। अब में उनकी और से बोल रहा हूं। अतः माननीय मंत्री महोदय को इस बारे मे ध्यान देना चाहिए और इस प्रस्ताव के पक्ष में विचार करना चाहिए। सलेम-बंगलौर लाईन को बड़ी लाईन में बदला जाना चाहिए।पहले जब इस परियोजना को आरम्भ किया गया था तो वहाँ बड़ी लाइन ही बनाई जानी चाहिए थी। उसके लिए भूमि अधिग्रहण कर लिया गया था, इटों का निमार्ण कार्य आरम्भ किया गया था और पुलों का निर्माण कर लिया गया था। ये सभी कार्य सेलम-बंगलौर बड़ी लाईन के निर्माण के लिए किये गये थे। फिर भी वहीं छोटी लाईन के निर्माण के लिए रेलवे लाइनें डाली गयी। अतः मंत्री महोदय यह अनुमान लगा सकते हैं कि यह एक पुरानी समस्या है। उन्हें इस छोटी लाईन को बड़ी लाईन में बदलने के लिए कार्यवाही करनी चाहिए। इसके लिए अधिक धनराशि की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इस परियोजना से केरल , कर्नाटक और तमिलनाडु तीन राज्यों को लाभ होगा। केरल और अन्य क्षेत्रों से आने वाली

* मूलतः तमिल में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रुपान्तर।

[श्री आर॰ जीवरत्नम]

रेलगाड़ियाँ इस लाइन से होकर आसानी से दिल्ली बम्बई और उत्तर के शहरों में आ सकेगीं। अतः इस छोटी लाईन को बड़ी लाईन में बदलने की परियोजना को तुरन्त आरम्भ किया जाना चाहिए।

पांडिचेरी और बंगलौर औद्योगिक तथा सास्कृंतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण शहर हैं। इस समय इन दोनों शहरों के बीच कोई सीधा सर्म्पक नहीं है।

अतः आपको बरास्ता विल्लुपुरम, तिरुवनामलाई, ऊभंगराई, कृष्णागिरी कावेरीपट्टनम, पालाकोड, वेल्लीसंधई और ओसूर से एक नई रेलवे लाईन बिछानी चाहिए। इससे पांडिचेरी, कर्नाटक और तमिलनाडु को लाभ होगा। ये सभी बातें माननीय उपाध्यक्ष महोदय के चुनाव क्षेत्र से सम्बंधित हैं। अब मैं अपने चुनाव क्षेत्र की बात करूंगा।

मेरी मांग यह है कि कटपदी से आर्कोनम के बीच एक शटल सेवा चलाई जानी चाहिए। मैंने इस बारे में कई बार माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध किया है। मैंने मंत्रणा समिति में भी इस मांग को उठाया था, आर्कोनक एक विकासशील औद्योगिक केन्द्र है। वहां एक नौसैनिक हवाई अड्डा निर्माणाधीन है। माननीय प्रधानमंत्री द्वारा गत वर्ष इसकी आधार शिला रखी गई थी। आर्कोनम में यातायात की भीड़-भाड़ है। प्रस्तावित शटल 5.30 म॰प॰ पर आर्कोनक से चलनी चाहिए और शोलिगंर वालाजा, भेल होती हुई कटपदी पहुँचनी चाहिए। इसी प्रकार उसी शटल को 7.30 म.प. पर कटपदी से चल देना चाहिए ताकि वृन्दावन और कोवइ एक्सप्रेस गाड़ियों से उतरने वाले यात्री आर्कोनम और वेल्लौर पहुंच सकें। यह शटल 8.30 म॰ प॰ पर आर्कोनम पहुंच जाएगी। माननीय मंत्री को इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिए।

त्रिवेन्द्रम और मंगलौर से आने वाली रेलगाड़ियों को आर्कोनम, रेनीगुंडा और गुडूर होकर बड़ा चक्कर काट्कर रास्ता तय करना पडता है। दिल्ली कलकत्ता और हावडा जाने वाली रेलगाड़ियों को भी इस चक्रीय रास्ते से होकर जाना पड़ता है। यह चक्रीय रास्ता 80 किलोमीटर लम्बा है और इसे तय करने में $1^{1/2}$ घन्टा लगता है। यदि रेनीगुड्रा, तिरुपति और पथाला होते हुए एक बड़ी रेलवे लाईन बिछा दी जाये तो इस चक्रीय मार्ग को बचाया जा सकता है। माननीय सदस्य श्री एन॰जी॰ रंगा ने भी एक ऐसी ही मांग की है। वे किसी समय उसी चुनाव क्षेत्र से सम्बन्ध रखते थे। अतः माननीय मंत्री महोदय को एक सर्वेक्षण का आदेश देना चाहिए और करपदी से आर्कोनम के बीच इस शटल को चलाने के बारे में विचार करना चाहिए। इससे न केवल माननीय मंत्री की शान में वृद्धि होगी अपितु यह अनुभवी नेता प्रो॰ रंगा जी के प्रति भी सम्मान होगा।

करूर-डिन्डीगुल लाईन के लिए दी गई राशि पर्याप्त नहीं है। इस लाईन के लिए आंवटित राशि में वृद्धि की जानी चाहिए। मुझे मदुरई चैम्बर आफ कामर्स से कल भी इस बारे में एक पत्र मिला है। उन्होंने उल्लेख किया है कि इस परियोजना के लिए केवल 4 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। यह आवंटन बहुत कम है। इससे वृद्धि की जानी चाहिए। पत्र में भी यह मांग की गई थी। यह लोगों की मांग है। एम॰ आर॰ टी॰ एस॰ के लिए किया गया आवंटन भी पर्याप्त नहीं है। इस नाममात्र / अल्प आवंटन के संबंध में मुझे बहुत से प्रतिवेदन प्राप्त हुए हैं। माननीय मंत्री कई बार मद्रास का दौरा करते हैं। हम सदैव उनका स्वागत करते हैं। इसी प्रकार माननीय मंत्री महोदय को हमारी मांगों को भी सुनना चाहिए। तमिलनाडु को सभी आवश्यक सहायता दी जानी चाहिए। मुझे आशा है कि माननीय मंत्री मेरी मांगो पर विचार करेगे।

रेलवे कर्मचारियों की कोई शिकायत नही है। माननीय मंत्री महोदय के योग्य नेतृत्व के अन्तर्गत रेलवे कर्मचारी बहुत प्रसन्न हैं। फिर भी कुछ श्रेणियों के कर्मचारियों की सेवाओं को स्थाई नहीं बनाया गया है। मै मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि उनकी सेवाओं को स्थाई बनाया जाए।

महोदय, कृपया मुझे बोलने के लिए कुछ और समय दीजिये। मैनें आधे घन्टे तक आपके चुनाव क्षेत्र के बारे में बोला है। मुझे कुछ और समय दीजिये।

मै इस आशा के साथ अपने भाषण को समाप्त करता हूँ कि माननीय मंत्री महोदय इस अल्पावधि में किये गये मेरे एक दो अनुरोधों के बारे में सहमत होगें।

---

**6.15 म.प.**

## आधे घण्टे की चर्चा

### अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के शोध छात्रों द्वारा हड़ताल

**श्री चन्द्र प्रताप नारायण सिंह (पदरौना)** : उपाध्यक्ष महोदय, मै आपका आभारी हूँ कि आपने इस चर्चा की अनुमति दी है, क्योंकि जब यह प्रश्न पूछा गया था उस समय अनुपूरक प्रश्न पूछने का समय नहीं था। यह हमारे देश की स्वास्थ्य चिकित्सा और विशेषकर उस संस्थान से संबंधित एक महत्वपूर्ण मामला है, जो मेरे विचार से दक्षिण-पूर्व एशिया का सबसे बड़ा सर्वोत्तम स्टाफ से लैस और सर्वाधिक अशान्त है। महोदय, इस देश में वैज्ञनिक समुदाय ने वित्तीय तथा शारीरिक रूप से काफी कुर्बानी दी है। वे लोग विदेशों में बेहतर सुविधाएं, बेहतर वेतन और बेहतर भत्ते प्राप्त कर सकते है। किन्तु अपनी देश भक्ति की भावना के कारण ही वे इस देश में काम कर रहे हैं। हमें उनके लिए केवल हमदर्दी ही नहीं जतानी चाहिए, हमें केवल बहाने ही नहीं खोजने चाहिए, हमें युवा वैज्ञानिकों की सहायता करनी चाहिए, चाहे वे प्रयोगशालाओं में काम कर रहे हो, पुस्तकालयों में हो या प्रदर्शन कक्षों में, या निर्धन रोगियों की अस्पतालों में देखभाल कर रहे हों। इसका दुर्भाग्यपूर्ण पहलू यह है कि जब कोई वैज्ञानिक वरिष्ठ वैज्ञानिक बनता है—हो सकता है मै गलत कह रहा हूँ- किन्तु मैं यह महसूस करता हूँ कि तब वह बोर्ड रूम वैज्ञानिक बन कर ही रह जाता है और भूल जाता है कि अस्पताल का ओ०पी०डी० कैसा होता है, प्रयोगशाला कैसी होती है और जब वह उस स्तर पर बहुत कम वेतन पर आरम्भ करता है तब क्या होता है। उसे कड़ी मेहनत करने पर बहुत कम मेहनताना मिलता है। बोर्ड रूम वैज्ञानिक हमारे इस देश के युवा और प्रतिभाशाली वैज्ञानिक समुदाय के मार्ग की रुकावट हैं। बोर्ड रूम वैज्ञानिक नई दिल्ली तथा विभिन्न राज्य मुख्यालयों के आसपास अपने खूबसूरत वातानुकूलित कार्यालयों में बैठकर फाईलें देखते हैं और अपने सम्पर्क बढ़ाते हैं। ये जूनियर डाक्टर कौन हैं? हड़ताल क्यों होती है? **असंतोष** का कारण केवल वेतन ही नहीं है। बहुत से तनाव और समस्याएं हैं।

मै मंत्री महोदय की उस दिन की इस बात से सहमत नहीं हूं कि उस दिन यह समस्या इस लिए हल नहीं हो सकी क्योंकि वित्त मंत्री महोदय बजट को लेकर व्यस्त थे। यह समस्या तो पिछले 2 वर्षों से चल रही है । 1986 में एक बार प्रधानमंत्री ने हस्तक्षेप किया और डाक्टरों की वेतन मे वृद्धि की गई। डाक्टर शानदार काम करते है । हमें विश्वास करने के लिए देखना आवश्यक है । यदि कोई ओ० पी० डी० मे जाकर देखे कि डाक्टर वहां किन परिस्थितियों और दबावों में काम करते है तो उसे तभी पता चल सकता है ।

उनका वर्गीकरण करना और 20-40, 50 या 60 कहना, हमे एक या दूसरे चैनल से गुजरना होता है और लोगों को इस लाल-फीता शाही और समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और हमारे प्रतिभाशाली मेहनती राष्ट्रवादी युवक।

**[श्री चन्द्र प्रताप नारायण सिंह]**

परेशान हो कर यह देश छोड़ कर चले जाते हैं।

होता क्या है?

1 मार्च, को संसद में यह मामला उठाया जाता है। उस से पहले दिन की रात को पुलिस बुलाई जाती है और तथाकथित वज्ञानिकों डाक्टरों स्टाफ, पी०एच०डी० चाहे जो भी हो - को गिरफ्तार कर लिया जाता है और आम मुजरिमों की भांति डिफेन्स कालोनी पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है । कुछ तो आत्म सम्मान होना चाहिए। एक डाक्टर को डाक्टर बनने में और एक छात्र को पी०एच०डी० करने में कितना समय लगता है। वह वर्षों की कड़ी मेहनत और वर्षों के त्याग के बाद डाक्टर बनता है। डाक्टर अपने माता पिता और राष्ट्र की उम्मीदें होते हैं। हमें उनकी न्यायोचित मांगें पूरी करनी हैं।

मैं थोड़ा समय और लूंगा और कुछ तथ्यों के बारे में बताऊंगा जो मुझे समाचार पत्रों तथा यहां के कुछ मित्रों से मिले हैं चिकित्सा संस्थान से नहीं। मेरे विचार से समस्या 20 या कुछ अधिक पी० एच० डी० छात्रों के बारे में है । सवाल संस्था का नहीं सिद्धान्त का है । वे सब देश के चिकित्सा स्वास्थ्य में सहायता कर रहे हैं।

एक नई प्रवृत्ति आरम्भ हो गई है। मंत्री महोदय संसद मे आते हैं और कहते हैं कि योजना आयोग या वित्त मंत्रलय से अधिक धन प्राप्त करने के लिए हमारी सहायता करें । यह हमारा काम नहीं है । हम संसद सदस्य हैं। यह मंत्रिमण्डल का आन्तरिक मामला है। मंत्री को संसद में आकर यह नहीं कहना चाहिए कि अधिक धन प्राप्त करने के लिए मेरी सहायता की जाए । यह उसका काम है । वह मंत्री है । उसे त्यागपत्र दे देना चाहिए और वह संसद सदस्य जो उसे योजना आयोग या वित्त मंत्रालय से अधिक धन दिलाने में सहायता कर रहा है उसे मंत्री बना दिया जाना चाहिए । महोदय और भी समस्याएं है। मैने गिरफ्तारी और कैम्पस में पुलिस का जिक्र किया था । कुछ तो संयम बरता जाना चाहिए। शारीरिक हिंसा और शारीरिक ताकत का हम भारत वासियों पर तब भी असर नहीं पड़ा जब हमने अंग्रेजों का सामना किया और पंजाब की समस्या तो हमारे सामने है । हमारा लोकतांत्रिक ढांचा है और हमें शिक्षित लोगों के साथ सभ्य तथा शिक्षित तरीके से बर्ताव करना चाहिए।

बहुत सी अन्य समस्याएं है जिनका सामना इन वैज्ञानिकों और युवा लोगों को करना पड़ता है । यही लोग प्रयोगशालाओं में काम करते हैं निचले स्तर पर काम करने वाले विभिन्न वैज्ञानिक ही भारत की तकनीकी ताकत और भविष्य हैं काम में उनके हाथ खराब हो जाते हैं उनके कपड़े खराब हो जाते है । उनके कपड़े फट जाते हैं । वे काम के दौरान खाना नहीं खा पाते। हमें इन वरिष्ठ वैज्ञानिक प्रशासकों के कहे अनुसार नहीं चलना है जो अपने वातानुकूलित कमरों में बैठ कर भूल चुके हैं कि प्रयोगशाला कैसी होती है और विज्ञान क्या है। वे अब भौतिक वैज्ञानी नहीं रहे वे केवल बातें बनाने वाले हैं जो तथ्यों को तोड़ना मरोड़नाही जानते हैं । यदि हम इस देश का भविष्य उज्जवल चाहते हैं तो हमें उनकी बातों मे नहीं आना चाहिए।

महोदय विभित्र प्रयोगशालाओं और वरिष्ठ प्रोफेसरों को अनुसंधान के लिए काफी धन दिया जाता है। यह धन किस काम के लिए दिया जाता है? यह खरीद फरोख्त के लिए है । विज्ञान और प्रौद्योगिक विभाग तथा भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् द्वारा अनुसंधान और उपकरण खरीदने के लिए करोड़ों रुपए दिये जाते हैं।

**उपाध्यक्ष महोदय:** कृपया अब प्रश्न पूछिए।

**श्री चन्द्र प्रताप नारायण सिंह:** मैं कुछ मिनट और लूंगा। मैं अधिक समय नहीं लूंगा

(व्यवधान) मेरा नम्र निवेदन है कि मैं यहां इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि लोगों ने मुझे यहाँ बोलने के लिए भेजा है और आपको यह भी देखना चाहिए कि पांच वर्ष में कौन कितना बोलता है।

महोदय, प्रयोगशाला की आधारभूत सुविधाओं का केन्द्रीयकरण होता है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद और विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग उपस्करों के लिए करोड़ों रुपए देते हैं। अतः आधारभूत प्रयोगशाला सुविधाओं का केन्द्रीयकरण क्यों नहीं किया जाता। लोगों को वे वस्तुएं नहीं छीननी चाहिए। यह सरकारी धन है, यह अनुसंधान के लिए धन है और भारत सरकार के भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद और विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा वित्तपोषित अनुसंधान उपस्करों का केन्द्रीयकरण होना चाहिए और वे संकाय के पास ही रहने चाहिए। यह भारत का धन है। यह भारतीय अनुसंधान है। यह उन निर्धनों के खनू पसीने की कमाई है जो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की पटरियों पर पड़े हैं। समृद्ध लोगों को यह धन अपने घर ले जाने की छूट नहीं होनी चाहिए। इसका केन्द्रीयकरण होना चाहिए और वैज्ञानिकों को अधिक सुविधाएं मिलनी चाहिए। मेरा, मंत्री महोदय, जिन्होंने अभी हाल ही में कार्य भार संभाला है, से अनुरोध है—मैं उन्हें इसके लिए जिम्मेवार नहीं ठहराता —किन्तु आशा और अनुरोध करता हूं कि वह युवाओं के लिए एक नया अध्याय आरम्भ करें और वैज्ञानिक समुदाय उनके द्वारा प्रदान की जाने वाली नई दिशा की ओर आंखें लगाए बैठा है। मुझे आशा है और मेरा अनुरोध है कि पुलिस बल का इस्तेमाल तभी किया जाए जब हिंसा हो। हमें अपनी भारतीय संस्कृतिक का हिंसा करके अपमान नहीं करना चाहिए।

**वस्त्र मंत्री तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा):** उपाध्यक्ष महोदय माननीय सदस्य महोदय ने कई मुद्दे उठाए हैं जो व केवल अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान और इसकी तत्काल समस्याओं से संबंधित है बल्कि कई आधारभूत मुद्दों से भी संबंधित है। जिनका इस देश को वैज्ञानिक श्रमशक्ति के संदर्भ में सामना करना पड़ रहा है। मैं उनकी इस बात से पूर्णतः सहमत हूं कि देश का यह कर्त्तव्य है कि वह हमारे वैज्ञाविकों को उनका न्यायोचित हक दे। उनके साथ न केवल उचित बल्कि इदार रवैया भी अपनाया जाना चाहिए क्योंकि उन्हीं के माध्यम से ही देश के विभिन्न क्षेत्रों में विकास और प्रगति कर सकता है। मैं उनकी इस बात से भी सहमत हूं कि ये समस्याएं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में उठी हैं जो न केवल देश का बल्कि विदेशों में भी अत्यंत प्रतिष्ठित संस्थान है। इसके प्रशासन को अधिक सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिए और यह देखना चाहिए कि युवा वैज्ञानिकों के साथ सही व्यवहार हो।

हम सीधे पुलिस की बात पर आते है। संस्थान में पुलिस का प्रवेश, जिसका माननीय सदस्य ने उल्लेख किया है, किसी कानून और व्यवस्था की स्थिति के कारण नहीं हुआ था। पुलिस को इसलिए बुलाया गया क्योंकि हड़ताली छात्रों की देखभाल कर रहे डाक्टरों ने यह महसूस किया कि अब समय आ गया है जब उन्हें वहां से हटाया जाए। यह कार्य अत्यंत चतुराई और शालीनता से उस समय किया गया जिस समय वहां उनके आसपास अधिक लोग नहीं थे, और छात्रों को उनकी इच्छा से और लगभग आत्मीय वातावरण में ले जाया गया था। यह कोई इन अर्थों में पुलिस कार्यवाही नहीं थी कि उन्हें घसीटा गया हो या गिरफ्तार किया गया हो। चिकित्सकीय सलाह के कारण यह कार्यवाही करनी पड़ी ताकि उन्हें अस्पताल में ले जाकर उनका सही तरीके से इलाज किया जा सकें। उन्होंने एक अस्पताल में जाने की इच्छा व्यक्त की और उन्हें वहीं ले जाया गया। तत्पश्चात् वे दूसरे अस्पताल में गए। इस प्रकार, यह सब उनके सहयोग से और बड़े सही वातावरण में किया गया।

**श्री चन्द्र प्रताप नारायण सिंह** : यदि इस सदन की कार्यवाही के हित में बड़ी हलीमी से पुलिस

[श्री चन्द्र प्रताप नारायण सिंह]

बुलाई जाती है और हमें बड़े नम्र तरीके से यहां से हटाया जाता है तो क्या यह एक अच्छी बात होगी? पुलिस बुलाये जाने के कारण साधारण छात्र संघ ने हड़ताल कर दी और अगले दिन पूर्ण आयुर्विज्ञान संस्थान हड़ताल पर चला गया।

**श्री राम निवास मिर्धा:** महोदय, मैं यह बात फिर दोहरा रहा हूं। यह सब उन्हें दबाने या परेशान करने या एक प्रकार के पुलिस वातावरण से डराने के लिए नहीं किया गया किन्तु यह सब चिकित्सकीय सलाह के कारण किया गया। यदि ऐसा नहीं किया जाता तो उनकी जान को भी खतरा था। हमने उनसे हड़ताल समाप्त करने का अनुरोध किया। हमने उनसे अस्पताल चलने का अनुरोध किया। उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसलिए प्रशासन का यह कर्त्तव्य था कि वह इसकी सूचना पुलिस को दे ताकि वह कार्यवाही कर सकें। मैं यह बात फिर दोहराता हूं कि यह कार्यवाही सज़ा के तौर पर नहीं की गयी थी बल्कि भूख हड़ताल पर बैठे लोगों के जीवन की रक्षा के उद्देश्य से की गयी थी। इसे उसी दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए।

यद्यपि मैं माननीय सदस्य के व्यापक दृष्टिकोण से सहमत हूं तथापि मैं वैज्ञानिकों को युवा वैज्ञानिक और प्रतिष्ठित वैज्ञानिक के रूप में श्रेणीबद्ध किए जाने से असहमत हूं। प्रतिष्ठित वैज्ञानिक भी कभी युवा वैज्ञानिक थे। उन्होंने जीवन पर्यन्त संस्थाओं की सेवा की है। युवा अवस्था में और आज भी उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में विशेषज्ञता प्राप्त की है तथा संस्थाओं और देश का सम्मान बढ़ाया है। इस संस्था के संचालन में उनकी विशेषज्ञता और उनके अनुभव का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। उनके संचालन का कोई अन्य विकल्प नहीं है। इसलिए, मेरे विचार में यह सर्वथा अनुचित है और यह कहना बिल्कुल गलत है कि ऐसा लगता है इस स्थिति में वे बिल्कुल मूर्ख हैं। ऐसा नहीं है। वे अध्यापक हैं वे उन्हीं के हाथों से निकले हैं। उन्होंने उन्हें पढ़ाया है। वे अभी भी शोधकार्य में उनका मार्गदर्शन कर रहे हैं।

**श्री चन्द्र प्रताप नारायण सिंह** : मैंने कभी नहीं कहा कुछ युवा, कुछ पुराने, अच्छे-बुरे हर जगह होते हैं।

**श्री राम निवास मिर्धा** : हम सामान्य तौर पर बात कर रहें हैं । माननीय सदस्य के कथनानुसार पी.एच.डी. के 20 ऐसे विद्यार्थी हैं जिनका इस से संबंध है। पी.एच.डी. के 60 अन्य विद्यार्थी हैं जिनके लिए अन्य स्रोतों से खर्च किया जाता है और उन्हें कोई समस्या नहीं है । परन्तु इन विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान से मिलती है, इसलिए यह समस्या पैदा हो गई है।

मैं यह नहीं कहता कि सभा अथवा सदस्यों को वित्त मंत्री से इसकी स्वीकृति दिलाने में मेरी सहायता करनी चाहिए, हालांकि जो कुछ वे कहेंगे उससे सरकार के कतिपय लोगों के मुकाबले एक विशेष आधार लेने में मेरे हाथ मजबूत होंगे। निःसन्देह सरकार में एकता है।

चूंकि यह मामला सभा के समक्ष उठा है इसलिए में कहना चाहूंगा कि सामान्य विश्वविद्यालय प्रणाली और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग प्रणाली के अधीन भी पी.एच.डी विद्यार्थी है और उनकी भी कोई कार्य प्रणाली है । इसलिए हमें इस पर सर्वांगिण रूप से विचार करना है और इस प्रकार कार्य नहीं करना है जिससे समान कार्य करने वाली और समान संरचना वाली सेवाओं में कार्यरत लोगों के लिए कोई पूर्व उदाहरण न बन जाए । हालांकि हमारी बात इस समय स्वीकार नहीं की गई है तथापि हम इस विषय में भेद करने का और सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहे है कि इन विद्यार्थियों को अन्य विद्यार्थियों की तुलना में प्राथमिकता दी जानी चाहिए। हम उन्हें कई प्रकार की प्राथमिकताएं पहले भी दे चुके हैं।

इस सम्बन्ध में, मैं यह बताना चाहूंगा कि सरकार वैज्ञानिकों और विशेषतौर पर चिकित्सा वैज्ञानिकों के विषय में कितनी चिंतित है। मैं कुछ उदाहरण देना चाहूंगा । सरकारी कर्मचारियों के वेतनमानों और सेवा सम्बन्धी अन्य मामलों पर विचार करने के लिए गठित वेतन आयोग ने केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के डाक्टरों के लिए प्रैक्टिस न करने के लिए 250 रु० मे 550 रु० का भत्ता देने की सिफारिश की थी। सरकार ने यह राशि

600 रु० से बढ़ा कर 900 रु० कर दी। वेतन आयोग की रिपोर्ट में आकस्मिकता भत्ते का कोई जिक्र नहीं था परन्तु सेवा की आकस्मिकता को देखते हुए सरकार ने उन्हें यह भत्ता दिया । फिर समय-बद्ध पदोन्नति मंजूर की गई । पदोन्नति की अन्य सम्भावनाओं का पता लगाया जा रहा है। मैं यह भी कहूंगा कि हाल ही में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ने नाम-प्रणाली में परिवर्तन किया था जोकि अत्यन्त संतोषजनक था और वैज्ञानिक समुदाय ने इसका स्वागत किया । मैं पूरी जिम्मेदारी से यह कहता हूं कि देश में वैज्ञानिकों और विशेषतौर पर चिकित्सा वैज्ञानिकों, जिनसे मेरे मंत्रालय का सम्बन्ध है के साथ गलत व्यवहार नहीं हो रहा है बल्कि उनके साथ उदारतापूर्ण व्यवहार किया जा रहा है और जैसाकि मैंने कहा हमने वेतन आयोग जैसी उच्चशक्ति प्राप्त समिति द्वारा की गई सिफारिशों से भी अधिक लाभ देने का प्रयास किया है ।

दो समस्याएं हैं, पहली समस्या तो यह है कि जब हम जूनियर डाक्टरों या पी.एच.डी. विद्यार्थियों के लिए कोई बात स्वीकार करते है तो उसके प्रभाव विभिन्न अन्य सेवाओं पर भी पड़ते हैं। सरकार उनकी उपेक्षा नहीं कर सकती । दूसरी समस्या संसाधनों की कमी है । हम उनकी समस्याओं के समाधान की कितनी भी कोशिश करें, वित्तीय बाधाओं के कारण हम एकदम उनकी मांगों को स्वीकार नहीं कर सकते ।

अन्य मांगों जैसे सुविधाओं, प्रयोगशालाओं के केन्द्रीयकरण आदि के सम्बन्ध में भी यही स्थिति है। कुछ उपकरणों, कुछ प्रयोगशालाओं का केन्द्रीयकरण हो सकता है परन्तु अन्य सुविधाएं सम्बन्धित विभागों में ही सुलभ होंगी। प्रत्येक सुविधा के केन्द्रीयकरण का कोई सिद्धान्त नहीं है । महत्व इस बात का है कि सुविधा या मशीन उपलब्ध हो और मशीनों का ईस्टतम उपयोग हो । जैसाकि माननीय सदस्य ने कहा है कि आई सी एम आर और अन्य प्राधिकरणों ने करोड़ों रु० के उपकरण मंजूर किए हैं और उनका सही इस्तेमाल होना चाहिए। संस्था, संकाय और विद्यार्थियों को यह सुनिश्चित करना है कि किन यन्त्रों और प्रयोगशालाओं का केन्द्रीयकरण किया जाना है और कौन से सम्बन्धित विभाग के पास होने चाहिए ताकि महंगी सुविधाएं केवल पी.एच.डी. विद्यार्थियों और वैज्ञानिकों द्वारा ही न इस्तेमाल किए जाए बल्कि संस्थान के विभिन्न विभागों में कार्यरत अन्य व्यक्ति भी इनका इस्तेमाल करें।

यह प्रश्न पूछा ही गया है तो मैं स्थिति स्पष्ट करना चाहूंगा। माननीय सदस्य ने पूछा था - हम इन्हें गैर-चिकित्सा वैज्ञानिक क्यों कहते हैं? गैर-चिकित्सा शब्दावली का प्रयोग स्वयं विद्यार्थियों द्वारा किया जा रहा है। जब हम गैर-चिकित्सा वैज्ञानिक कहते है तो इसका अभिप्राय है कि उनके पास चिकित्सा से सम्बन्धित बुनियादी उपाधि नहीं है। बस केवल यही अन्तर है। मैंने इसे एक दूसरे तरीके से व्यक्त करना चाहा था जोकि ठीक नहीं था । स्थिति यह है कि ये स्वयं यही शब्दावली इस्तेमाल करते हैं। इसका यही अभिप्राय है कि ये अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान या किसी अन्य संस्थान से चिकित्सा स्नातक नहीं हैं । इसलिए ही गैर-चिकित्सा शब्दावली का प्रयोग किया गया है। वे चिकित्सा संस्थान का एक अंग हैं और हम यह सुनिश्चित करने का हर सम्भव प्रयास करते हैं कि उन्हें सभी सुविधाएं उपलब्ध हों।

जहां तक होस्टल सुविधा का सम्बन्ध है, कुछ श्रेणियों के पास 80 प्रतिशत से अधिक होस्टल सुविधा है और दूसरी श्रेणियों के पास भिन्न सुविधाएं हैं। हमारा प्रयास उन सुविधाओं को बढ़ाना है परन्तु इस विषय में भी संसाधनों की कमी सामने आती है । कुछेक को मकान किराया भत्ता मिल रहा है और दूसरों की अन्य प्रकार से सहायता की जा रही है । इस प्रकार हर वक्त स्थिति पर नजर रखी जाती है ताकि अधिक सुविधाएं प्रदान की जा सकें।

महोदय, मैं अपना भाषण आपके माध्यम से सभा और विशेष तौर पर माननीय सदस्य को

[श्री राम निवास मिर्धा]

यह तर्क देते हुए या संतुष्ट करते हुए करता हूँ कि सरकार इन विद्यार्थियों या सम्पूर्ण वैज्ञानिक समुदाय की माँगों के प्रति लापरवाह नहीं है। हमें न केवल सहानुभूति ही है बल्कि हम वास्तव में यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि वे संतुष्ट रहें और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य परिचर्या के क्षेत्र में देश की प्रगति में योगदान दें।

**श्री वी॰ शोभनाद्रीश्वर राव** (विजयवाड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम मैं आधे-घन्टे की चर्चा की अनुमति के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ । पहले जब अनेक सदस्य जो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में कार्यरत शोध छात्रों और गैर-चिकित्सा वैज्ञानिकों की हड़ताल से उत्तेजित होकर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पेश करना चाहते थे, तो उसे स्वीकार नहीं किया गया था । इस आधे-घन्टे की चर्चा से अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में कार्यरत शोध-छात्रों और वैज्ञानिकों द्वारा की गई हड़ताल से सम्बन्धित एक महत्वपूर्ण मुद्दे को उठाने का अवसर मिला है।

मैं अपने पूर्ववक्ता श्री सी॰पी॰एन॰ सिंह के कथनों को नहीं दोहराऊँगा । मैं उनकी भावनाओं से सहमत हूँ और मैं इस बात से भी सहमत हूं कि गैर-चिकित्सा वैज्ञानिकों और शोध छात्रों से निबटने के लिए, जो कि शान्तिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, पुलिस को अन्दर नहीं बुलाना चाहिए था।

महोदय, यह समस्या काफी समय से चल रही है। दुर्भाग्यवश, उस संस्थान के निदेशक द्वारा की गई उपेक्षा के कारण ही गैर-चिकित्सा वैज्ञानिकों और शोध छात्रों को हड़ताल का मार्ग चुनना पड़ा । कभी-कभी मुझे आश्चर्य होता है कि कुछ वरिष्ठ अधिकारी ऐसा क्यों करते हैं। यदि आपको याद हो तो एक वर्ष से भी अधिक समय पूर्व चण्डीगढ़ स्थित पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीटयूट में हड़ताल हुई थी। इसका कारण था कि स्नातकोत्तर विद्यार्थी जो पी.एच.डी. और एम.डी. तथा एम.एस. कर रहे थे, उन्हें उनके अधिकारों से वंचित किया गया था। इसी संस्थान के स्नातकोत्तर कक्षा के कुछ विद्यार्थी अधिक छात्रवृत्ति ले रहे थे जबकि दूसरे छात्रों को कम मिल रही थी। अन्य स्नातकोत्तर संस्थानों में दी जा रही राशि से यह राशि बहुत कम थी। अतः उन्होंने अन्ततः हड़ताल कर दी और तत्कालीन केन्द्रीय चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री ने जो शायद श्री पी.वी. नरसिंहराव थे, उन्हें बातचीत के लिए बुलाया । सरकार ने आखिरकार उनकी मांगों को मान लिया । यह एक अच्छी बात है। परन्तु यदि निदेशक ने उनके प्रति सहानुभूति रखी होती और ध्यान तथा रुचि रखते हुए इस समस्या के समाधान का प्रयास किया होता तो विद्यार्थी का इतने दिनों का नुकसान न होता। उन्हें दिल्ली आकर माननीय मंत्री से बातचीत करने की परेशानी न उठानी पड़ती।

महोदय, इसी प्रकार मुझे यह जानकारी मिली है कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के निदेशक को कहा गया था कि वे इन 20 वैज्ञानिकों और पी.एच.डी. विद्यार्थियों को समान राशि दें परन्तु निदेशक ने इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया । संस्थान की स्थायी वित्त समिति की इस सिफारिश के बावजूद कि संस्थान के 20 पी.एच.डी. कर रहे विद्यार्थियों को वही राशि दी जाए जैसा कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने घोषित किया था, उन्होंने कोई कदम नहीं उठाया। यह बड़े दुर्भाग्य की बात है।

अब मैं माननीय मंत्री से, जिनके लिए हमारे दिल में अत्यधिक आदर है, यह पूछना चाहूंगा कि क्या वे सीनियर डिमान्स्ट्रेटरों (गैर-चिकित्सा) को दिए जाने वाली राशि में परिवर्तन करके उसे सीनियर डिमान्स्ट्रेटर (चिकित्सा) के बराबर करने और पी.एच.डी. के विद्यार्थियों को दी जाने वाली राशि में परिवर्तन कर उसे जूनियर डिमान्स्ट्रेटर (चिकित्सा) के बराबर किए जाने के लिए आवश्यक कार्यवाही हेतु अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के निदेशक को, अपने अधिकार का इस्तेमाल करते हुए, निर्देश देंगे। ये पद लगभग एक से हैं और वे अंतः परिवर्तनीय भी है । इन वैज्ञानिकों की प्रैक्टिस न करने के लिए भत्ता दिये जाने की मांग भी पूर्णतः न्यायोचित है क्योंकि ये पद अंतः परिवर्तनीय हैं। साथ ही उन्हें दिन में 12 घंटे

से अधिक काम करना पड़ता है और वे प्रयोगशाला में भी काम करते हैं। उनमें से कुछ लोग अध्यापन कार्य भी कर रहे हैं। सरकार को इन मामलों पर सकारात्मक रूप से और सहानुभूतिपूर्वक विचार करना चाहिए।

इसके साथ ही साथ मैं यह भी पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार पी० एच० डी० कर रहे इन 20 छात्रों को होस्टल आवास की सुविधा प्रदान करने के लिए आवश्यक कदम उठाएगी?

इन वैज्ञानिकों की एक शिकायत और भी है। निश्चय ही यह शिकायत केवल इन्हीं लोगों की नहीं है अपितु शोध कार्य कर रहे सभी छात्रों की है। जब कोई छात्र शोध कार्य करता है और शोध कार्य पूरा होने पर अपनी थीसिस तैयार करता है, तो उसे अपनी उस सामग्री को सही तरीके से तैयार करने, उसकी प्रतियां बनवाने और उसे जिल्दबंध करवाने आदि पर काफी खर्च करना पड़ता है। मुझे पता चला है कि इस पर 3000 से 4000 रूपए तक खर्च करना पड़ता है। मुझे यह भी जानकारी है कि इसके लिए उन्हें बहुत अल्प राशि अर्थात् 300 रुपए दिए जाते हैं। यह राशि बिल्कुल पर्याप्त नहीं है । जो छात्र इस संस्थान में अपनी शिक्षा पूरी करने आते हैं, जरूरी नहीं कि वे बहुत अमीर हों। अतः हमें औसतन आय वाले भारतीय नागरिक को ध्यान में रखना होगा। यदि सरकार छात्रों को उनकी थीसिस तैयार करने पर होने वाले खर्च की पूरी राशि दे देती है तो कोई आसमान तो नहीं गिर जाएगा? वे इस राशि को सही गणना करके छात्रों को उस राशि का भुगतान कर सकते हैं।

छात्र एक केन्द्रीय प्रयोगशाला की सुविधा प्रदान किये जाने के लिए भी कह रहे हैं। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री श्री मोतीलाल वोरा ने 13 जनवरी को गैर-चिकित्सा वैज्ञानिकों तथा शोध छात्रों को यह आश्वासन दिया था कि वेतनमान बढ़ाए जाने संबंधी उनकी मांग स्वीकृति के लिए वित्त मंत्रालय को भेज दी गयी है। मैं इस आश्वासन के संबंध में नवीनतम जानकारी चाहता हूँ । मैं मंत्री महोदय से इस बारे में भी स्पष्टीकरण चाहता हूँ कि क्या इसके लिए वित्त मंत्रालय की स्वीकृति आवश्यक है या मामला अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के निदेशक के पास है, जिन्हें हड़ताल कर रहे शोध छात्राओं की इन मांगों के संबंध में निर्णय लेने का अधिकार प्राप्त है ।

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

**श्री शरद दिघे** (बम्बई उत्तर मध्य): महोदय, मेरे माननीय मित्र श्री चन्द्र प्रताप नारायण सिंह ने, इस विषय पर चर्चा करते समय, बहुत से महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में कहा है। मंत्री महोदय के उत्तर के बाद श्री राव ने आगे और कई मुद्दों के बारे में कहा। अतः मैं केवल कुछ स्पष्टीकरण ही चाहता हूँ।

मंत्री महोदय ने दावे के साथ यह कहा है कि पुलिस कार्यवाही केवल भूखहड़ताल कर रहे वैज्ञानिकों को बचाने हेतु उन्हें वहाँ से हटाने के लिए की गई थी। यह भी कहा गया है कि न्यूनतम पुलिस बल का प्रयोग किया गया था। किन्तु ऐसा लगता है कि माननीय मंत्री ने जो कुछ कहा है समाचार पत्रों में बिल्कुल इसके विपरीत छपा है। मैं जानना चाहता हूँ कि कौन सा वक्तव्य ठीक है। उदाहरण के लिए 1-3-89 के टाइम्स ऑफ इंडिया में यह प्रकाशित हुआ है:—

नाटक अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में मध्याह्न 2 बजे के करीब उस समय शुरू हुआ जब काफी संख्या में पुलिस कर्मियों ने संस्थान के एक कक्ष में भूख हड़ताल पर बैठे वैज्ञानिकों तथा अन्य छात्रों और डाक्टरों पर धावा बोल दिया इससे बहुत उत्तेजना फैल गई । हड़ताल कर रहे कुछ छात्रों ने गिरफ्तारी का विरोध किया जबकि अन्य कुछ समीप के होस्टलों की ओर भाग गये और अपने साथ काफी लोग लेकर वापस आए। वैज्ञानिकों, डॉक्टरों और छात्रों का एक अन्य दल निदेशिका, डा० स्नेह

[श्री शरद दिघे]
भार्गव, जिनका निवासस्थान कैम्पस में ही है, के पास गया ताकि वे इन्हें पुलिस को वापिस भेजने के लिए कहें।

इस बीच पुलिस ने करीब 100 आंदोलन कर्ताओं को पकड़कर डिफेंस कालोनी पुलिस थाने भेज दिया । पुलिस ने करीब इतने ही लोगों को निदेशिका के निवासस्थान से गिरफ्तार किया ।"

1 मार्च के टाईमस-ऑफ इंडिया में प्रकाशित इस समाचार को ध्यान में रखते हुए, मैं यह जानना चाहता हूं कि मंत्री महोदय का यह कहना कहाँ तक उचित है कि थोड़े से पुलिसकर्मी केवल भूख हड़ताल कर रहे उन छात्र वैज्ञानिकों को बचाने के लिए भेजे गए थे जिन का स्वास्थ्य बिगड़ता जा रहा था ? मेरा पहला प्रश्न यही है।

उनकी मुख्य मांगें कनिष्ठ और वरिष्ठ डिमांस्टेटरों के वेतन में संशोधन किया जाये, केन्द्रित प्रयोगशाला सुविधाएं दी जाना एम० एस० सी० और पी० एच० डी० के लिए दिए जाने वाले अनुदान में वृद्धि की जाना, सभी वैज्ञानिकों के लिए होस्टल आवास सुविधा प्रदान की जाना और सुविख्यापित अनुसंधान कार्यक्रम रखे जाना था। महोदय, अब ऐसा लगता है कि चौथे केन्द्रीय वेतन आयोग ने भी इनमें से कुछ मांगों पर विचार किया था और पैरा 10.237 में उन्होंने जो कहा था मैं उसे उद्धत कर रहा हूं "आलॅ इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हाईजिन एंड पब्लिक हैल्थ; जवाहर इंस्टीट्यूट आफ पोस्ट-ग्रेजुयेट मैडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च और लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज एंड हास्पिटल के गैर-चिकित्सा अध्यापन स्टाफ ने यह अध्यावेदन दिया है कि गैर-चिकित्सा और चिकित्सा अध्यापन स्टाफ के वेतनमानों में अंतर है । उन्होंने यह सुझाव दिया है कि इन पदों के लिए निर्धारित वेतन मान समान होने चाहिए।"

उन्होंने और जो कुछ कहा है मैं उसे उद्धृत करता हूं ऐसा लगता है कि इस विवादग्रस्त विषय में काफी वजन है। चौथे वेतन आयोग की सिफारिश के बावजूद तथा 9 जनवरी 1989 के प्रशासी निकाय के निर्णय के बावजूद, जिसके कार्यवाही सारांश में कहा गया है "कि सदस्य इस बात से सहमत हैं कि इस मामले की पुनरीक्षा की जाएगी और पुनरीक्षित सिफारिशों के साथ इसे पुनः वित्त मंत्रालय के पास भेजा जाएगा ताकि प्रैक्टिस करने के लिए भत्ते को छोड़कर चिकित्सा और गैर-चिकित्सा वैज्ञानिकों के बीच कोई भेदवाव न किया जाए जिसे चौथे वेतन आयोग और सरकार ने भी सिद्धांतः स्वीकार कर लिया" और इस तथ्य के बावजूद कि यह कहा गया है कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी संस्थान के निदेशक को यह निदेश दिया कि संस्थान के समक्ष निकाय द्वारा मामले का निर्णय लिया जाए, इसमें इतना विलम्ब क्यों किया जा रहा है? लेकिन आंदोलन 52 दिन तक चला और आज तक कुछ नहीं किया गया है जबकि तकनीकी रूप से आंदोलन वापिस लिया जा चुका है। लेकिन ऐसा लगता है कि आंदोलन यह मानकर वापिस लिया गया है कि सरकार इस पर तुरन्त निर्णय लेगी।

अतः इस पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए मैं यह जानना चाहता हूं कि इन वैज्ञानिकों की मांगों के संबंध में सरकार कब तक निर्णय ले लेगी?

**श्री सोमनाथ रथ** (आस्का) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम जवाहर लाल नेहरु जन्मशती वर्ष में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के बारे में चर्चा कर रहे है जो संस्थान पंडित जी की देन है। यह बहुत प्रतिष्ठत संस्थान है। भारत के करोड़ों आम लोगों खासकर बीमार लोगों की आशाएं और आकांक्षाएं इस संस्थान से जुड़ी हैं। अतः संस्थान में आधुनिक उपकरण उपलब्ध कराए जाने चाहिए तथा बीमार लोगों की सेवा के लिए स्टाफ आदि की सुविधा उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

पी० एच० डी० कर रहे 20 छात्रों को गैर-चिकित्सा छात्र कहा गया है। उन्हें जूनियर रेजीडेंड डॉक्टरों की

तरह शिक्षा दी गई और वे बहुत शालीन हैं। थीसिस तैयार करने के अलावा, वे छात्रों को पढ़ाते हैं, वे प्रयोगशाला में काम करते हैं, वे शोध कार्य करते हैं और मरीजों का इलाज भी करते हैं। इन परिस्थितियों में पी० एच० डी० कर रहे इन 20 छात्रों को वही सुविधाएं क्यों न दी जाएं जो जूनियर रेसीडेंट डॉक्टरों को दी जाती है।

मैं यह जानना चाहता हूँ क्या स्वास्थ्य मंत्रालय ने सितम्बर 1987 में इस मामले को निपटाने का निदेश दिया था और क्या निदेशक ने इस मामले को निपटाने के लिए सरकार को कोई सुझाव दिये हैं जब तक निदेशक की ओर से सुझाव नहीं दिये जाते तब तक स्वास्थ्य मंत्री कुछ नहीं कर सकते। अतः जरूरत है अच्छे प्रशासन की प्रशासन को पर्याप्त संख्या में डॉक्टर नियुक्त करने चाहिए और डॉक्टरों को कैम्पस में क्वार्टर दिए जाने चाहिए । अलग अलग लोगों के लिए अलग मानदंड नहीं अपनाया जाना चाहिए । मैं जानना चाहता हूँ कि क्या स्वास्थ्य विभाग द्वारा इस संस्थान को दिए गए निदेश का पालन किया गया है?

उदाहरण के लिए, ऐसा लगता है कि हमारे संसदीय कार्य मंत्री श्री एच० के० एल० भगत ने मेडिकल सुपरिटेंडेन्ट के पी० ए० के पद का दर्जा बढ़ाए जाने के लिए लिखा है, जिसकी सिफारिश स्वास्थ्य मंत्री ने भी की है मैं जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार के इस सुझाव को निदेशक के स्तर पर कार्यान्वित किया गया है? उस संस्थान में सक्षम डॉक्टर हैं। नेत्र विभाग में डा० मदन मोहन और डा० खोसला बहुत कुशल डाक्टर हैं। इसी तरह अन्य प्रभागों मे भी कुशल डॉक्टर हैं। जब ये प्रोफेसर सम्मेलनों और गोष्ठियों में भाग लेने विदेश जाते हैं तो उनका काम असोसिएट प्रोफेसर या सहायक प्रोफेसर को करना चाहिए। अतः क्या संस्थान में पर्याप्त संख्या में ऐसे सहायक प्रोफेसर/असोसिएट प्रोफेसर हैं जो प्रोफेसरों के विदेश जाने या उनकी अनुपस्थिति में उनका काम सम्हाल सकें ? वहां ये त्रुटियाँ हैं, ये ऐसे ज्वलन्त प्रश्न हैं जिन पर मंत्री महोदय को विचार करना चाहिए । इस मामले को कब निपटाया जाएगा? क्या वह संस्थान के निदेशक को बुलाकर मामले को सुलझाएंगे ? मेरा सुझाव है कि अच्छा होगा कि सदन की समिति नियुक्त की जाए क्योंकि यदि ऐसा किया जाता है तो वह न केवल विशेष संस्थानों के अविलम्बनीय मामलों की अपितु पी० एच० डी० छात्रों संबंधी कार्यों की भी जांच कर सकती है। कई अन्य ऐसे प्रबल मामले हैं जिनके बारे में देश के करोड़ों रोगियों के लाभार्थ सरकार को तुरन्त देना चाहिए । अतः मैं मंत्री महोदय से इसका विशिष्ट उत्तर चाहता हूँ कि क्या सदन की समिति नियुक्त की जाएगी?

**प्रो० सैफुद्दीन सोज़** (बारामूला) : उपाध्यक्ष महोदय, समस्या को देखने का मेरा नजरिया बिल्कुल भिन्न है। हाल ही में हुई हड़ताल बीमारी का मात्र लक्षण है; यह स्वयं में कोई बीमारी नहीं है। इसलिए मैं माननीय मंत्री महोदय के समक्ष कुछ बड़े प्रश्न रखूँगा।

आखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में 350 कर्मचारियों वाला चिकित्सा संकाय है। यह पूर्ण चिकित्सा संकाय है और सुप्रशिक्षित संकाय है । जब वे विदेश जाते हैं या यहाँ काम करते हैं तो वे यहाँ के लोगों और विदेशों में भी प्रशंसा प्राप्त करते हैं। किन्तु मूल प्रश्न यह है कि आखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान का गठन एक ऐसे अस्पताल के रूप में किया गया था। जहां अन्य अस्पतालों से रोगी उपचार हेतु भेजे जा सकेंगे यह मात्र कोई कॉलेज या अस्पताल नहीं था।

अब वह इस प्रकार का 'रेफरल' अस्पताल नहीं रह गया है। यदि आखिल भारतीय आयुर्विज्ञान की हालत लगातार बिगड़ती रही तो 4-5 वर्ष के अन्दर यह दिल्ली या अन्य किसी भी नगर के अस्पताल जैसा बन जाएगा।

जब हम अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में जाते हैं तो हम न केवल बाहिरंग विभाग, वार्ड में बल्कि बरामदों में भी भारी भीड़ पाते हैं। यहाँ तक कि बरामदों से भी गुजरना मुश्किल हो जाता है।

[प्रो॰ सैफुद्दीन सौज]

7.00 म. प.

वातावरण बिल्कुल अप्रिय होता है। समय की कमी के कारण मैं विस्तार से नहीं बता सकता, किन्तु दिल्ली के अस्पतालों में कोई समन्वय नहीं है। अतः अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में काम का बोझ अधिक है, इसमें भीड़ भी अधिक है और सड़क पार ही सफदरजंग अस्पताल है। मैं माननीय मंत्री महोदय से इस स्थिति पर ध्यान दिए जाने का अनुरोध करता हूं कि सफदरजंग अस्पताल में उपलब्ध अधिकाशं उपकरण और सुविधाएँ अप्रयुक्त पड़ी हैं और सारा दबाव अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान पर पड़ता है।

समन्वय स्थापित करने या कार्य का निरीक्षण करने के लिए कोई शीर्ष निकाय नहीं है और सचिवालय की स्थिति अन्य अस्पतालों जैसी है और शायद उससे भी खराब है।

मैं माननीय मंत्री महोदय के ध्यान में एक बात और लाना चाहूँगा कि मंत्रालय में चिकित्सा नौकरशाही ने अपना स्थान बना लिया है। वह चिकित्सा नौकरशाही संकाय के साथ अच्छा बर्ताव नहीं करती है। संकाय में भी कुछ गलत हो सकता है। मैं पदोन्नतियों की बात नहीं करता हूं कि फलां-फलां व्यक्ति असिसटेंट प्रोफेसर बनना चाहिए या फलां-फलां व्यक्ति कुछ और बनना चाहिए आदि। मैं वास्तव में इसकी परवाह भी नहीं करता हूं हालांकि मेरे माननीय मित्र ने ये मुद्दे भी उठाए थे। मैं यह अपेक्षा नहीं करता हूं कि जिन लोगों को पढ़ाया गया है वे अब यह कह सकते है कि वे अपने प्रोफेसरों से अधिक कुशाग्र बुद्धि वाले हो गए हैं। हम इसका समर्थन नहीं कर सकते। संकाय पूर्ण रूप से प्रशंसनीय है। उनके कार्य की प्रशंसा की जानी चाहिए। किन्तु संकाय की समस्या केवल यह है कि चिकित्सा नौकरशाही बहुत बुरी है। इसकी जांच की जानी चाहिए।

अब मेरा प्रश्न यह है । स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रति भारत सरकार का व्यवहार उचित नहीं है। मेरा प्रश्न प्रधान मंत्री से है। यह मंत्रालय आज एक मंत्री से और कल दूसरे मंत्री को नहीं दिया जा सकता। इस मंत्रालय के लिए यह बात महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार का उनका आचरण है, मैं इसका स्वागत करूंगा; मेरे मन में उनके प्रति बहुत अधिक सम्मान है। वे ईमानदार और समर्पित व्यक्ति हैं और उन्होंने सरकार को प्रशंसा दिलाई है। किन्तु मेरी इच्छा यह है कि यह मंत्रालय स्थायी रूप से उनके पास रहे किन्तु भारत सरकार को इस पर अपना निर्णय लेना होगा। मुझे दो प्रश्न पूछने हैं।

क्या माननीय मंत्री अपने स्थान पर खड़े होने की कृपा करेगें और सदन को यह आश्वासन देगें कि जब तक वे इस मंत्रालय मे हैं वे अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान को 'रेफरल' अस्पताल बनाने का प्रयत्न करेंगे? क्या वे ऐसा करने की कृपा करेंगे ? क्योंकि वार्ड, आकस्मिक विभाग और बहिरंग रोगी विभाग और बरामदें तथा यहां तक कि स्वयं संकाय भी बहुत ही तंग और भीड़ भरे हो गए हैं। वे कारखाने में काम करने वाले मजदूरों की भांति काम करते हैं। वे सम्मान, अच्छे व्यवहार के हकदार है और चिकित्सा संबंधी नौकरशाही एक के बाद एक परिपत्र भेजती है। परिपत्रों के अतिरिक्त उनके साथ अच्छा व्यवहार भी किया जाना चाहिए।

माननीय मंत्री से मेरा अगला प्रश्न यह है कि उन्हें संकाय के साथ बातचीत करने की व्यवस्था करनी चाहिए; मैं चाहता हूं कि वे अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में जाएँ संकाय के सदस्यों के साथ बैठें और उनकी समस्याओं पर विचार-विमर्श करें, यह विचार-विमर्श केवल उनकी पदोन्नति के बारे में नहीं बल्कि सभी समस्याओं के बारे में होना चाहिए और फिर उनके हित के लिए कार्य करें। यह महत्वपूर्ण कार्य है किन्तु मेरे लिए मरीज अधिक महत्वपूर्ण हैं। वे उनसे बातचीत करें, उनके साथ बैठें और इस संस्थान को वह सम्मान दें जो जवाहर लाल नेहरु इसे देना चाते थे और जिसका यह संस्थान हकदार है।

**श्री राम निवास मिर्धा:** इन प्रश्नों को उठाने और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान द्वारा निभायी जा रही भूमिका की प्रशंसा करने और उनके विचार में चिकित्सा शिक्षा और इलाज के क्षेत्र में इस संस्थान को जो भूमिका निभायी जानी चाहिए वह सब बताने के लिए मैं माननीय सदस्यों का धन्यवाद करता हूं।

मैं एक बार फिर यह कहूंगा कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के शासी निकाय ने सर्वसम्मति से ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया है जिसका पालन न किया जा रहा हो। जब यह प्रश्न उठा था तब भी यही कहा गया था और अब भी इस बात का जिक्र किया गया है। शासी निकाय द्वारा ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया है और निर्णय को कार्यान्वित न किए जाने का प्रश्न ही नहीं उठता । स्थायी वित्त समिति ने कुछ सुझावों पर विचार किया है जिन्हें अब वित्त मंत्रालय के पास भेजा गया है और वहीं इस मामले पर निर्णय होगा। इसलिए जैसा कि श्री रथ ने कहा सरकार द्वारा हमें निर्देश दिए जाने या लिखित में कोई आदेश दिए जाने का प्रश्न ही नहीं है अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान का संचालन शासी निकाय द्वारा किया जाता है जिसका इसकी प्रबन्ध व्यवस्था में निर्णय अन्तिम निर्णय माना जाता है। स्थायी वित्त समिति ही वित्तीय मामलों पर विचार करती है और एक बार सभी प्रक्रियाएँ पूरी हो जाने के बाद ही निर्णय लागू किए जाते हैं। किन्तु इस मामले में आधारभूत निर्णय नहीं लिया गया क्योंकि इसमें कुछ जटिलताएँ हैं। आप कह सकते हैं कि आप उन्हें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वेतन क्यों नहीं देते? किन्तु प्रश्न यह नहीं है वे उनसे भी कुछ भिन्न चाहते हैं। यही समस्या उत्पन्न होती है। इसलिए हम यह देखने का प्रयास कर रहे हैं कि यह समस्या किस प्रकार हल हो सकती है और हम उन्हें उचित सन्तुष्टि प्रदान कर सकें।

महोदय, शोध ग्रन्थ अनुदान का प्रश्न उठा था। अब एक बार फिर मैं यह कहना चाहूंगा कि देश में हजारों पी.एच.डी. उपाधि प्राप्त विद्यार्थी हैं जिनमें से किसी को भी शोधग्रन्थ अनुदान नहीं मिलता। किन्तु संस्थान ने हमारे वैज्ञानिकों को यह अनुदान दिया जो कि उनके साथ उदारता बरतने का अन्य उदारहण है। इस अनुदान में समय-समय पर परिशोधन किया जाता है। इसमें अभी कुछ समय पहले ही परिशोधन बढ़ाया गया था। अभी भी समिति संशोधन करने जा रही है और हम यह देखेंगे कि समिति उचित सीमा तक संशोधन करे। ऐसा न करने का कोई प्रश्न नहीं है। यहाँ तक कि अनुदान भी असाधारण प्रकृति का है क्योंकि इस प्रकार का अनुदान हमारे देश में विद्यमान किसी भी विश्वविद्यालय में किसी भी पी.एच.डी. विद्यार्थी को नहीं दिया जाता। किन्तु हमने उन्हें विशेष परिस्थितियों के कारण यह अनुदान दिया।

रिहायशी आवास के लिए मैं पहले ही कह चुका हूँ कि कुछ वर्गों के पास 80 प्रतिशत और इससे अधिक आवास है और इस संबंध में शत-प्रतिशत सन्तुष्टि प्रदान करना संभव नहीं है।

प्रयोगशाला आदि में केन्द्रीय सुविधाओं के संबंध में मैं पहले ही उत्तर दे चुका हूं।

मैं फिर से पुलिस कार्रवाई की बात करूंगा। मैं इस पर अधिक जोर नहीं डालना चाहता। वह कार्रवाई उस तरह से नहीं की गई जैसा कि अखबारों में छापी गई है और जिसका उदाहरण माननीय सदस्य ने किया है थाना प्रभारी अधिकारी एक महिला थी। चिकित्सा सलाह के कारण कि दो भूख हड़तालियों को हटाना पड़ा और उन्हें बुलाया गया और वे महिला सिपाहियों के साथ आए। माननीय सदस्य ने इस बात का जिक्र किया कि कुछ विद्यार्थियों को निदेशक के घर से गिरफ्तार किया गया। किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया गया। किन्तु मुझे इस बात का दुख है कि मैं चाहता था कि मैं इन शब्दों का उल्लेख न करता, इसके बाद कुछ विद्यार्थी निदेशक के घर गए और सुरक्षा

[श्री राम निवास मिर्धा]

गार्डों के होते हुए उनके दरवाजों को धक्के मारे और पत्थर फैंके तथा खिड़कियों के शीशे तोड़ डाले। इसलिए उनके साथ सख्ती से पेश आने का कोई प्रश्न नहीं है। इसके बाद भी पुलिस ने नरमी से काम लिया।

विद्यार्थियों की हड़ताल के संबंध में उच्च न्यायालय में मामला है। उच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से यह कहा था कि सभाओं पर प्रतिबंध लगाया गया है, प्रदर्शन पर प्रतिबंध है और लाउडस्पीकर का प्रयोग करना प्रतिबंधित है क्योंकि इससे मरीजों की शान्ति में बाधा पड़ती है मुझे फिर यह कहते हुए दुख हो रहा है कि विद्यार्थियों ने उच्च न्यायालय के इन सभी अनुदेशों की उपेक्षा की। किन्तु हम मामले को आगे नहीं बढ़ाना चाहते। वे हमारे छात्र हैं। हम इस समस्या को उनसे सलाह लेकर, उनके प्रति गहरी सहानुभूति रखकर हल करना चाहते हैं। मैं चाहता था कि सदन में मुझे ये बातें कहने के लिए बाध्य न किया जाए। क्योंकि यह मामला उठाया गया है, अतः मैं वास्तविक स्थिति का जिक्र किए बिना नहीं रह सका। कुछ भी हो रोगियों के हित का ध्यान रखना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। यह सारी व्यवस्था रोगियों के कारण ही की जाती है। यदि इन प्रदर्शनों, इन लाउड स्पीकरों, इन आवाजों और हर जगह नारेबाजी लगाने से रोगियों की देखभाल में बाधा उत्पन्न होती है। तब हमें फिर बैठकर सोचना पड़ेगा कि जो कुछ किया जा रहा है वह उचित है या नहीं? मैं माननीय सदस्यों की इस बात से सहमत हूं कि इस सारी घटना के लिए सोच-समझकर कदम उठाया जाना चाहिए। मैं उन्हें यह विश्वास दिला सकता हूं कि, जैसा कि मैंने आरंभ में कहा, हम इस मामले को यथा-संभव उचित तरीके से हल करना चाहते हैं और हम यथासंभव शीघ्र ही यह कार्य करेंगे। इस समय मैं सदन को केवल यही आश्वासन दे सकता हूं।

सफदरजंग अस्पताल मे विशिष्टताओं के प्रयोग न किए जाने के संबंध में श्री सोज़ ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान को 'रेफरल' अस्पताल बनाने पर बल दिया । उन्होंने यह मामला पहले भी उठाया था । हमारे देश में रेफरेल सिस्टम काम नहीं कर रही है। यह सच है कि ऐसा किए जाने का इरादा था। अभी भी यह रेफरेल अस्पताल ही माना जाता है। सारी अवधारणा यह है कि केवल विशिष्ट मामले ही यहाँ भेजे जाने चाहिएं और वह बहिरंग रोगी विभाग अन्य अस्पतालों की तरह नहीं होना चाहिए। वस्तुतः दिल्ली में और सारे देश में चिकित्सा संस्थाओं और अस्पतालों की कमी के कारण रोगी सारे देश से आते हैं न कि केवल दिल्ली से ही। किन्तु जो कुछ भी किया गया है या किया जा रहा है उससे संभवत, कुछ हद तक स्थिति काबू में ही होगी। इस प्रकार की महत्वपूर्ण संस्थाएं पटना और लखनऊ में खोली जा रही हैं। हम दिल्ली में भी स्वास्थ्य सुविधाओं में वृद्धि कर रहे हैं।

500 रोगियों (बिस्तरों) वाला तेग बहादुर अस्पताल, उपाध्याय अस्पताल जैसे कुछ अस्पताल निर्माणाधीन हैं और 100 बिस्तरों वाले अन्य बहुत से अस्पताल भी बन रहे हैं। हम आशा करते हैं कि इस रेफरेल समस्या को दूर करने के लिए यही एक दीर्घकालीन हल है न कि इस पर प्रतिबंध लगाकर। हम ऐसा नहीं कर सकते। यदि बिहार या राजस्थान से रोगी अपने बिस्तरों सहित आते हैं तो हम उन्हें बाहर नहीं फैंक सकते । वहाँ भीड़ हो सकती है, वहाँ बदबू आ सकती है। इससे हमारे काम में भी बाधा उत्पन्न हो सकती है। किन्तु फिर भी ऐसा नहीं किया जा सकता। हम भीड़ भरी स्थिति को ये सुविधाएँ प्रदान करके, बहिरंग रोगी विभाग और अन्य स्थानों पर जहाँ हम इन रोगियों को भेज सकते हैं, काबू करना चाहते हैं ताकि केवल वास्तविक विशिष्ट मामले जिनमें विशिष्ट इलाज की जरूरत है को ही यहाँ भेजा जाए। यह आदर्श अवधारणा अभी भी हमारी अवधारणा ही है। हम इसे पूरा करने का प्रयास करेंगें।

संकाय के सदस्यों के साथ बातचीत करने के बारे में, उनके साथ लगातार बातचीत हो रही है। मैंने स्वयं बहुत से वरिष्ठ, कनिष्ठ और मध्यम श्रेणी के अध्यापकों से अनौपचारिक चर्चा की है कि किस प्रकार कार्य किया जाना चाहिए। वर्तमान ग्रेड और पदनाम बहुत सन्तोषजनक हैं। उन सभी ने मुझे इस बारे में आश्वस्त किया। मैं सदन को यह विश्वास दिला सकता हूं कि वातावरण अच्छे कार्य के लिए सहायक है। जहाँ

तक संकाय का संबंध है वे बहुत सक्षम हैं। मंत्रालय या किसी अन्य द्वारा कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। उन्हें अपने किसी काम के लिए मंत्रालय में आने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। उन्हें अपना काम, जहाँ वे हैं वहीं करना चाहिए। मंत्रालय का कार्य, उनके स्थान पर और उनके काम में उनको शक्ति प्रदान करना और उनका समर्थन करना है। उनके रोजमर्रा के काम में मंत्रालय द्वारा हस्तक्षेप किए जाने का प्रश्न ही नहीं है हम यह देखेगें कि वे काम करें और उन्हें किसी भी काम के लिए मंत्रालय में न जाना पड़े जैसा कि कुछ माननीय सदस्यों ने कहा है।

मैं सदन को एक बार फिर यह विश्वास दिलाता हूँ कि छात्रों की समस्याओं और अन्य समस्याओं को हल किया जाएगा और हम उन्हें हल करने का प्रयास कर रहे हैं।

**श्री वी॰ शोभनाद्रीश्वर राव:** श्री शरद दिघे ने स्पष्ट रूप से वेतन आयोग की सिफारिशों की ओर संकेत किया है। इस दृष्टि से उनकी परिलब्धियों के बारे में क्या विचार हैं?

**श्री राम निवास मिर्धा:** सदन को यही ठोस आश्वासन दिया जा सकता है कि मामला विचाराधीन है।

**श्री वी॰ शोभनाद्रीश्वर राव:** इसका निर्णय कब होगा?

**श्री राम निवास मिर्धा:** बहुत शीघ्र ही।

7.13 म॰ प॰

**तत्पश्चात लोकसभा गुरुवार, 9 मार्च, 1989/18 फाल्गुन, 1910 (शक) के ग्यारह बजे म॰ पू॰ तक के लिए स्थगित हुई।**

---